

समसामयिकी

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा + मुख्य परीक्षा + साक्षात्कार की एकीकृत तैयारी के लिए



विशेष आकर्षण
जुलाई
मासिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न



इसमें शामिल है:

- ◉ समाचारों में महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन
- ◉ समाचार में प्रमुख व्यक्तित्वों का निधन
- ◉ जुलाई माह में महत्वपूर्ण दिवस
- ◉ समाचारों में महत्वपूर्ण शब्दावली
- ◉ समाचारों में चर्चित पुरस्कार

महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के आलेख

योगना	89
कुरुक्षेत्र	93
डाउन टू अर्थ	97
इकोनामिक एंड पॉलिटिकल वीकली	100
फ्रंटलाइन	65

***प्रारंभिक परीक्षा के नवीनतम पैटर्न पर आधारित बहुवैकल्पिक अभ्यास प्रश्न**

- खराई ऊँट
- अपाचे हेलीकॉप्टर
- CITES के 50 वर्ष
- ब्लैक होल विलय
- भारत-अफ्रीका संबंध
- भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम
- लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV)
- आपातकाल की घोषणा के 50 वर्ष
- अलौह धातुओं के लिए भारत का नया ईपीआर ढांचा

- संथाल हुल
- पश्मीना शॉल
- श्री नारायण गुरु
- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO)
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
- आदिवासी महिलाओं के पैतृक अधिकार
- तंबाकू पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट
- भारत में द्विभाषी पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से सेतु निर्माण
- सहकारिताएँ 2047 में विकसित भारत के सपने को साकार कर रही हैं

अनुक्रमणिका

राज्यव्यवस्था एवं शासन 1

आपातकाल की घोषणा के 50 वर्ष	1
संसदीय समितियाँ	2
राज्यसभा के लिए नामांकन	3
विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और सामान्य निवासी	4
भारत में राजनीतिक दल	5
नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम (पीसीआर अधिनियम), 1955	6
फ़ोन टैपिंग संबंधी कानून	8
डीएनए साक्ष्य के माध्यम से आपराधिक न्याय को सुदृढ़ बनाना: सर्वोच्च न्यायालय	9
डिजिटल उपनिवेशवाद	10
राजभाषा विभाग के 50 वर्ष	11
सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867	12

अंतरराष्ट्रीय संबंध 13

बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था	13
17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन	14
कलादान मल्टी मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना (KMMTTP)	15
ईरान का परमाणु कार्यक्रम और IAEA	16
भारत-अफ्रीका संबंध	17
भारत-अर्जेंटीना संबंध	19
भारत-भूटान साझेदारी विकास समीक्षा	20
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO)	20
रासायनिक हथियार निषेध संगठन (OPCW)	21
इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC)	22

अर्थव्यवस्था एवं कृषि 24

भारतीय फ़िनटेक क्षेत्र	24
लघु वित्त बैंकों के लिए प्राथमिकता ऋण मानदंड	25
भारत का बढ़ता विदेशी ऋण	26
वैश्विक क्षमता केंद्र (GCCs)	27
भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम	28
डिजिटल भुगतान इंटेलेजेंस प्लेटफ़ॉर्म (DPIP)	30
कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकीय रिपोर्ट	30
सतत विकास के लिए निजी पूंजी जुटाना	31
यूपीआई का अंतर्राष्ट्रीयकरण	32
आपदा बॉन्ड (कैट बॉन्ड्स)	33
सागरमाला वित्त कॉर्पोरेशन लिमिटेड	34
भारत के प्राकृतिक गैस टैरिफ सुधार	35

पर्यावरण एवं भूगोल 37

तटीय जीवन और गर्म होती दुनिया	37
कृत्रिम वर्षा (क्लाउड सीडिंग)	38

प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम में घड़ियाल और स्लॉथ भालू	39
शैल अपक्षय (ईआरडब्ल्यू) तकनीक	40
CITES के 50 वर्ष	41
द्वितीयक प्रदूषक	42
ढोल (एशियाई जंगली कुत्ता)	43
सी-फ्लड प्लेटफ़ॉर्म	43
ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा बांध का निर्माण	44
खराई ऊँट	45
मक्का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य	46

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 47

भारत के ऊर्जा परिवर्तन में एआई की भूमिका	47
लेनाकैपावीर दवा	48
लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV)	49
श्री पैरेंट बेबी	50
सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना	51
भारत की पहली आदिवासी जीनोम परियोजना	52
एडफाल्सीवैक्स	53
अर्बोवायरल रोग	54
नोबल रॉट की घटना और कवक गुणसूत्र का रहस्य	55
काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन	55
एमवीआईएस प्रणाली	56
ब्लैक होल विलय	57

रक्षा एवं सुरक्षा 58

डिजिटल गिरफ्तारी	58
भारतीय सेना का आधुनिकीकरण अभियान	59
अपाचे हेलीकॉप्टर	60
अभ्यास तालिस्मन सेबर	60
मिसाइल प्रौद्योगिकी में प्रगति	61
आईएनएस निस्तार	62

सामाजिक मुद्दे 63

आदिवासी महिलाओं के पैतृक अधिकार	63
दिव्यांगजनों के अनुकूल जेलों का अभाव	64
भारत में वरिष्ठ नागरिकों का स्वास्थ्य	65
सोशल मीडिया विनियमन	66
मैनोस्फेयर	67
उपशमक देखभाल (पैलेलेटिव केयर)	68

इतिहास एवं संस्कृति 69

संथाल हुल	69
-----------------	----

सलखन जीवाश्म पार्क	70
यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क	71
मछलीपट्टनम बंदरगाह	72
पश्मीना शॉल	72

सरकारी योजनाएँ 74

अमृत मिशन के 10 वर्ष	74
रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना	75
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	75
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना	76
अनुसंधान विकास और नवाचार योजना	77
आकांक्षी डीएमएफ कार्यक्रम	78
युवा किशोरों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण (नव्या) पहल	79

महत्वपूर्ण रिपोर्ट 80

भविष्य के लिए कौशल रिपोर्ट	80
तेंबाकू पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट	81
भारत एसडीजीएस सूचकांक के शीर्ष 100 में शामिल	82
FATF द्वारा पाकिस्तान की मिसाइल खरीद से बचने की रणनीति की निंदा	82

समाचारों में चर्चित प्रमुख व्यक्तित्व 84

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी	84
अल्लूरी सीताराम राजू	84
श्री नारायण गुरु	85
के. कामराज	86
हेमम नीलमणि सिंह	86
मंगल पांडे	87
मियां तानसेन	87

‘योजना’ से महत्वपूर्ण आलेख (जुलाई 2025) 89

विषय 1: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: आशा, अवसर और समावेशिता का एक दशक	89
विषय 2: उद्यमशीलता कौशल की पुनर्कल्पना	91

‘कुरुक्षेत्र’ से महत्वपूर्ण आलेख (जुलाई 2025) 93

विषय 1: सहकारिता : विकसित भारत @2047 के स्वप्न की साकारिता	93
विषय 2: एकजुटता से बढ़ना: सहकार से समृद्धि को साकार करना	95

‘डाउन टू अर्थ’ से महत्वपूर्ण आलेख (जुलाई 2025) 97

संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा लैंगिक समानता पर वैश्विक पिछड़ने की चेतावनी	97
अलौह धातुओं के लिए भारत का नया ईपीआर ढांचा	98

‘इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली’ से महत्वपूर्ण आलेख (जुलाई 2025) 100

भारत में द्विभाषी पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से सेतु निर्माण	100
भारत में ऊर्जा संक्रमण की राजनीति: सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों से सबक	101

त्वरित पुनरीक्षण (क्विक रिवीजन) 102

जुलाई माह के महत्वपूर्ण दिवस	102
समाचारों में महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन	103
समाचारों में चर्चित पुरस्कार	104
समाचारों में महत्वपूर्ण शब्दावली	104
समाचारों में प्रमुख व्यक्तियों का निधन	105

जून 2025 ‘द हिंदू’ व ‘इंडियन एक्सप्रेस’ से दैनिक अभ्यास प्रश्न 106

दैनिक वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न	106
उत्तर कुंजी	119
दैनिक उत्तर-लेखन अभ्यास प्रश्न	120

आपातकाल की घोषणा के 50 वर्ष

चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उन अनगिनत व्यक्तियों के बलिदान को याद करने और सम्मान देने का संकल्प लिया, जिन्होंने आपातकाल और भारतीय संविधान की भावना को नष्ट करने के उसके प्रयास का बहादुरी से विरोध किया था। इसने 1974 में नवनिर्माण आंदोलन और संपूर्ण क्रांति अभियान के दमन के साथ शुरू हुए संवैधानिक विध्वंस के शुरुआती संकेतों को पहचाना।

मुख्य विवरण

- आम चुनावों के कारण हुए राजनीतिक बदलाव के बाद, मार्च 1977 में आपातकाल औपचारिक रूप से समाप्त हो गया। आपातकाल के दौरान सत्ता के दुरुपयोग की जाँच के लिए मई 1977 में शाह जाँच आयोग का गठन किया गया था।
- आयोग ने सरकारी शक्ति के दुरुपयोग, निवारक निरोध, प्रेस सेंसरशिप और नसबंदी अभियान की जाँच की।
- आयोग ने 1978 और 1979 के बीच तीन रिपोर्टें प्रस्तुत कीं।

राष्ट्रीय आपातकाल

- संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल को दर्शाने के लिए 'आपातकाल की उद्घोषणा' शब्द का प्रयोग किया गया है।
- उदाहरण:
 - अक्टूबर 1962 – जनवरी 1968: चीनी आक्रमण
 - दिसंबर 1971 – मार्च 1977: भारत-पाक युद्ध
 - जून 1975 – मार्च 1977: आंतरिक राजनीतिक संकट
- आधार: जब भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध और बाह्य आक्रमण (बाह्य आपातकाल) और सशस्त्र विद्रोह (आंतरिक आपातकाल) से खतरे में हो।
- 44वें संशोधन अधिनियम (1978) ने 'आंतरिक अशांति' के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द प्रतिस्थापित किया।
- 38वें संशोधन अधिनियम (1975) ने राष्ट्रपति को युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या उसके आसन्न खतरे के आधार पर विभिन्न उद्घोषणाएँ जारी करने की अनुमति दी।
- भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषित।
- प्रादेशिक विस्तार: संपूर्ण देश या उसका केवल एक भाग।
- सुरक्षा उपाय
 - मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा। (44वाँ संशोधन अधिनियम)।
 - इसे जारी होने की तिथि से एक महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए (44वाँ संशोधन अधिनियम)। मूल रूप से, अनुमोदन के लिए अनुमत अवधि दो महीने थी।
 - यदि आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा भंग हो जाती है, तो इसे पुनर्गठित लोकसभा द्वारा अपनी पहली बैठक से 30 दिनों के भीतर

अनुमोदित किया जाना चाहिए, बशर्ते कि इस बीच राज्यसभा ने इसे अनुमोदित कर दिया हो।

- अवधि: 6 महीने तक जारी रहती है, और हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से अनिश्चित काल तक बढ़ाई जा सकती है। (44वाँ संशोधन अधिनियम)।
- निरसन
 - राष्ट्रपति द्वारा: राष्ट्रीय आपातकाल को राष्ट्रपति द्वारा संसद की स्वीकृति की आवश्यकता के बिना किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।
 - संसद द्वारा
 - ◆ लोकसभा इसे जारी रखने के विरुद्ध प्रस्ताव ला सकती है।
 - ◆ यदि सदन सत्र में हो, तो लोकसभा के कुल सदस्यों का दसवाँ भाग अध्यक्ष को या अन्यथा राष्ट्रपति को लिखित अनुशंसा देता है।
 - ◆ प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 14 दिनों के भीतर एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी।
 - ◆ प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है।

राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव

- केंद्र-राज्य संबंधों पर
 - कार्यपालिका
 - ◆ केंद्र को 'किसी भी' मामले पर राज्य को कार्यकारी निर्देश देने का अधिकार है।
 - ◆ राज्य सरकारें केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती हैं, हालाँकि उन्हें निलंबित नहीं किया जाता है।
 - विधायी
 - ◆ हालाँकि किसी राज्य की विधायी शक्ति निलंबित नहीं होती है, फिर भी संसद को राज्य सूची में उल्लिखित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है।
 - ◆ राज्य के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के छह महीने बाद निष्प्रभावी हो जाते हैं।
 - ◆ यदि संसद सत्र में नहीं है, तो राष्ट्रपति राज्य के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं।
 - ◆ संसद संघ सूची से बाहर के मामलों के संदर्भ में केंद्र या उसके अधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्तियाँ प्रदान कर सकती है और उन पर कर्तव्य आरोपित कर सकती है।
 - वित्तीय
 - ◆ राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकते हैं।
 - ◆ राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को वित्त के हस्तांतरण को कम या रद्द कर सकते हैं।

- **विधानमंडल के कार्यकाल पर**
 - **लोकसभा:** संसद के कानून द्वारा एक बार में **एक वर्ष के लिए** (किसी भी अवधि के लिए) अपने सामान्य कार्यकाल (5 वर्ष) से आगे बढ़ाई जा सकती है।
 - **राज्य विधानमंडल:** संसद किसी राज्य विधान सभा के सामान्य कार्यकाल (5 वर्ष) को हर बार **एक वर्ष** (किसी भी अवधि के लिए) बढ़ा सकती है।
- **मौलिक अधिकारों पर**
 - **अनुच्छेद 358**
 - ◆ आपातकाल की पूरी अवधि के लिए अनुच्छेद 19 को स्वतः निलंबित कर देता है।
 - ◆ केवल अनुच्छेद 19 पर प्रभाव डालता है।
 - ◆ केवल बाह्य आपातकाल में लागू होता है।
 - ◆ पूरे देश पर लागू होता है।
 - **अनुच्छेद 359**
 - ◆ मौलिक अधिकारों के निलंबन के लिए राष्ट्रपति के आदेश की आवश्यकता होती है, जो पूरी अवधि या उससे कम अवधि के लिए हो सकता है।
 - ◆ **अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर** राष्ट्रपति के आदेश में उल्लिखित सभी मौलिक अधिकारों पर प्रभाव डालता है।
 - ◆ दोनों प्रकार की आपात स्थितियों (आंतरिक और बाह्य) में लागू होता है।
 - ◆ पूरे देश या उसके किसी हिस्से पर लागू होता है।

1975 के आपातकाल का भारतीय लोकतंत्र पर प्रभाव

- **मौलिक अधिकारों का निलंबन:** आपातकाल के दौरान, नागरिकों के मौलिक अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल था, पर अंकुश लगा दिया गया। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और राजनीतिक विरोधियों को बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया गया, जिससे लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएँ कमज़ोर हो गईं।
- **सत्ता का केंद्रीकरण:** आपातकाल के कारण प्रधानमंत्री और उनके करीबी सलाहकारों के हाथों में सत्ता का अभूतपूर्व संकेंद्रण हो गया। संसद और न्यायपालिका सहित लोकतांत्रिक संस्थाएँ कार्यपालिका के अधीन हो गईं, जिससे नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कमज़ोर हो गई।
- **राज्य मशीनरी का दुरुपयोग:** सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल असहमति को दबाने और जबरन नसबंदी और झुग्गी-झोपड़ियों को ढहाने जैसी अलोकप्रिय नीतियों को लागू करने के लिए किया गया। इससे राज्य संस्थाओं में जनता का विश्वास कम हुआ और अनियंत्रित कार्यकारी सत्ता के खतरे उजागर हुए।
- **जनता द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनः पुष्टि:** आपातकाल की ज्यादातियों ने जनता की तीव्र प्रतिक्रिया को जन्म दिया। 1977 के आम चुनावों में, सत्तारूढ़ कांग्रेस दल को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि जनता लोकतांत्रिक मानदंडों को महत्व देती है और उनकी रक्षा के लिए तत्पर है।
- **लोकतांत्रिक सुरक्षा उपायों को मज़बूत करना:** आपातकाल के बाद की अवधि में भविष्य में सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन हुए। उदाहरण के लिए, 44वें संशोधन ने प्रमुख नागरिक स्वतंत्रताओं को बहाल किया और किसी भी सरकार के लिए बिना किसी सख्त औचित्य के आपातकाल लागू करना कठिन बना दिया।

निष्कर्ष

1975 का आपातकाल भारतीय लोकतंत्र में एक निर्णायक क्षण था, जिसने इसकी कमज़ोरियों को उजागर किया, साथ ही इसके लोगों और संस्थाओं के लचीलेपन को

भी उजागर किया। हालाँकि इसने नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर गंभीर रूप से अंकुश लगाया, लेकिन जनता के तीव्र विरोध और अंततः लोकतांत्रिक शासन की बहाली ने संवैधानिक मूल्यों और कानून के शासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है।
2. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, भारत का संघीय ढांचा काफी हद तक एकात्मक ढांचे में परिवर्तित हो जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

(C) 2022

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक ढाँचे पर 1975 के आपातकाल के प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आपके विचार में, क्या आपातकाल के बाद लागू किए गए संवैधानिक सुरक्षा उपाय आपातकालीन प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त रहे हैं? [250 शब्द] [15 अंक]

संसदीय समितियाँ

चर्चा में क्यों: हाल ही में, लोकसभा अध्यक्ष ने संसदीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने में संसदीय समितियों के महत्व की सराहना की।

संसदीय समिति

- संसदीय समिति से तात्पर्य ऐसी समिति से है जो **सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित होती है या अध्यक्ष द्वारा मनोनीत** होती है और जो अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करती है और सदन या अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और जिसके लिए सचिवालय का प्रावधान लोकसभा सचिवालय द्वारा किया जाता है।

संसदीय समितियों के प्रकार

- अपनी प्रकृति के अनुसार, संसदीय समितियाँ दो प्रकार की होती हैं: **स्थायी समितियाँ और तदर्थ समितियाँ**।
- **स्थायी समितियाँ** स्थायी और नियमित समितियाँ होती हैं जिनका गठन समय-समय पर संसद के अधिनियम या लोकसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में किया जाता है।
- इन समितियों का कार्य सतत प्रकृति का होता है। वित्तीय समितियाँ, जिला परामर्शदात्री समितियाँ और कुछ अन्य समितियाँ स्थायी समितियों की श्रेणी में आती हैं।
- **तदर्थ समितियों की नियुक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए की जाती है** और जब वे अपना कार्य पूरा कर लेती हैं और रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती हैं, तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है।
- प्रमुख तदर्थ समितियाँ विधेयकों पर प्रवर और संयुक्त समितियाँ हैं। रेलवे कन्वेंशन समिति, संसद भवन परिसर में खाद्य प्रबंधन पर संयुक्त समिति आदि भी तदर्थ समितियों की श्रेणी में आती हैं।

विभागीय संबंधित स्थायी समितियाँ (डीआरएससी)

- मंत्रालयों को आवंटित धनराशि की जाँच में संसद की सहायता के लिए, 1993 में डीआरएससी की स्थापना की गई थी।
- ये समितियाँ अन्य प्रासंगिक नीतिगत मुद्दों का भी विश्लेषण करती हैं और संसद द्वारा उन्हें भेजे गए विधेयकों पर विचार करती हैं।
- किसी मंत्रालय या मंत्रालयों के समूह का पर्यवेक्षण 24 डीआरएससी में से एक द्वारा किया जाता है।
- इनमें राज्यसभा से 10 और लोकसभा से 21 सदस्य होते हैं।
- ये डीआरएससी एक वर्ष के कार्यकाल के लिए स्थापित की जाती हैं।

वित्तीय समितियाँ

- सार्वजनिक निधियों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने और सरकारी व्यय पर संसदीय निगरानी बनाए रखने के लिए, तीन प्रमुख वित्तीय समितियाँ गठित की गई हैं: प्राकलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति।
- लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति में प्रत्येक में 22 सदस्य होते हैं – 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से।
- प्राकलन समिति में सदन द्वारा निर्वाचित लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं।
- इन समितियों के सभी सदस्यों की नियुक्ति एक वर्ष के कार्यकाल के लिए की जाती है।

प्रशासनिक समितियाँ

- सदनों द्वारा कई समितियाँ स्थापित की गई हैं, जिनमें कार्य मंलणा समिति भी शामिल है, जो संसद के लिए दैनिक एजेंडा निर्धारित करने में सहायता करती है।

जवाबदेही समितियाँ

- डीआरएससी और वित्तीय समितियों के अलावा, तीन अन्य समितियाँ यह सुनिश्चित करती हैं कि सरकार जनता और संसद के प्रति जवाबदेह हो।
- ये समितियाँ हैं: अधीनस्थ विधान समिति, सरकारी आश्वासन समिति और याचिका समिति।

संसदीय समितियों का महत्व और कार्य

संसदीय समितियों की स्थापना प्रस्तावित कानूनों, सरकारी व्यय और नीतियों की गहन समीक्षा के लिए की गई थी, जिससे संसद पर बोझ कम करने में मदद मिली।

- **विस्तृत चर्चाएँ:** समिति चर्चाओं के कई लाभ हैं। विशेषज्ञ और इच्छुक पक्ष समितियों को विभिन्न विषयों पर सुझाव दे सकते हैं।
- **कार्यपालिका पर नियंत्रण:** ये समितियाँ सरकारी नीतियों की जाँच करती हैं और सरकार को उसके कार्यों के लिए ज़िम्मेदार ठहराती हैं, जो कार्यपालिका की शक्तियों पर नियंत्रण का काम करती है।
- **बजटीय समीक्षा:** विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ (डीआरएससी) बजट की देखरेख के लिए ज़िम्मेदार होती हैं। सभी मंत्रालय अपने खर्च का विस्तृत अनुमान समीक्षा के लिए डीआरएससी को प्रस्तुत करते हैं।
- **जनता से सुझाव प्राप्त करना:** वे सार्वजनिक याचिकाओं की समीक्षा भी करते हैं, यह स्थापित करते हैं कि सरकार द्वारा तैयार किए गए नियम संसद के अधिनियमों का अनुपालन करते हैं, और संसद के संचालन की देखरेख में सहायता करते हैं।
- **अनुसंधान सहायता और विशेषज्ञ गवाह:** समिति के सदस्य विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ बातचीत करके जटिल मुद्दों की बारीकियों और किसी नीति या कानून के संभावित प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम होते हैं।

संसदीय समितियों के कामकाज को मज़बूत करने के उपाय

- संसदीय समिति को अनिवार्य रूप से भेजा जाना: कुछ संसदीय प्रणालियों, जैसे

कि यूके, में धन विधेयकों को छोड़कर, विधेयक स्वतः ही समितियों को भेजे जाते हैं। यदि सभी विधेयकों को एक समिति को भेजा जाता, तो सभी कानूनों पर न्यूनतम संसदीय जाँच लागू होती।

- **समिति की सिफारिशों पर विचार:** समितियों की सिफारिशों पर चर्चा करना या संसद में किसी विशेष सिफारिश को अस्वीकार करने का औचित्य प्रस्तुत करना भी आवश्यक नहीं है। इन विशिष्टताओं पर सदन में चर्चा संसदीय बहस को समृद्ध और गहन बना सकती है।
- **समय और संसाधनों में वृद्धि:** समितियों को सरकारी नीतियों और कार्यों का अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए अधिक समय और संसाधन दिए जाने चाहिए। इन समितियों को उनकी जाँच, जन सुनवाई और डेटा संग्रह में सहायता के लिए धन आवंटित किया जाना चाहिए।
- **स्वतंत्रता को बढ़ावा देना:** समितियों को स्वायत्त होना चाहिए और राज्य या अन्य शक्तिशाली संगठनों के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए।
- **जन जागरूकता:** समिति के काम की पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुँच बढ़ाने के लिए जन सुनवाई आयोजित करना या रिपोर्ट प्रकाशित करना।

निष्कर्ष

संसदीय समितियाँ सूचित कानून निर्माण और कार्यपालिका की जवाबदेही के लिए आवश्यक हैं। उनकी स्वायत्तता, संसाधनों और पारदर्शिता को मजबूत करने से उनकी प्रभावशीलता बढ़ेगी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुदृढ़ होगी।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: विभिन्न संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. प्राकलन समिति में लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं।
2. लोक लेखा समिति में लोकसभा से 30 सदस्य होते हैं।
3. प्राकलन समिति में सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

(P) : 222

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में संसदीय समितियों के कामकाज का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और विधायी प्रक्रिया में उनकी भूमिका को मजबूत करने के उपाय सुझाइए। (150 शब्द) (10 अंक)

राज्यसभा के लिए नामांकन

चर्चा में क्यों: हाल ही में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के मामले में विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम, केरल भाजपा नेता सी. सदानंदन मास्टर और दिल्ली स्थित इतिहासकार मीनाक्षी जैन को राज्यसभा के लिए नामित किया।

राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान

- **मनोनीत सदस्यों की संख्या:** राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है,

जिनमें से 12 भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है, जिसमें 12 मनोनीत सदस्य हैं।

- **नामांकन के लिए योग्यताएँ:** राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों का चयन साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से किया जाता है।
- **मतदान का अधिकार:** राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार है, लेकिन वे भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान के हकदार नहीं हैं।

राज्यसभा के बारे में

- भारत की संसद में राष्ट्रपति और दो सदन होते हैं: **राज्य सभा और लोक सभा**।
- राज्यसभा एक **स्थायी** सदन है और इसका विघटन नहीं होता। इसके लगभग **एक-तिहाई सदस्य** हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं।
- यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हुए **एक संघीय सदन** के रूप में कार्य करता है।
- राज्य सभा के सभापति की घोषणा के बाद, **23 अगस्त 1954** को राज्य सभा का आधिकारिक नाम हिंदी में 'राज्य सभा' रखा गया।
- राज्य सभा का गठन पहली बार **3 अप्रैल 1952** को हुआ था और इसकी पहली बैठक **13 मई 1952** को हुई थी।
- **संरचना**
 - राज्य सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 238 निर्वाचित प्रतिनिधि और राष्ट्रपति द्वारा नामित 12 प्रतिनिधि शामिल हैं।
 - वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245 है, जिनमें 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत हैं।
 - प्रत्येक राज्य से सदस्यों की संख्या जनसंख्या के आधार पर संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार भिन्न होती है।
- **सदस्यों का कार्यकाल:** राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल छह वर्ष का होता है। उपचुनाव द्वारा निर्वाचित सदस्य, रिक्त पद के शेष कार्यकाल के लिए कार्य करता है।
- **गणपूर्ति:** राज्यसभा की बैठक के लिए, गणपूर्ति सदन के कुल सदस्यों का दसवां भाग होती है, जो **25 सदस्य** हैं।
- **सभापति:** भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं।
- **उपसभापति:** राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित। उपसभापति, सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन तब करता है जब पद रिक्त हो या जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो।
- **महासचिव:** सभापति द्वारा नियुक्त, महासचिव पीठासीन अधिकारी की सहायता करता है, सदन के अभिलेखों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, और राज्यसभा सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है।
- **राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ:** लोकसभा की तुलना में राज्यसभा को कुछ विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं।
- **राज्य सूची के मामलों पर संसद को सशक्त बनाना:** यह संसद को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है (अनुच्छेद 249)।
- **अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन:** इसमें अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति है (अनुच्छेद 312)।
- **चुनाव पद्धति:** राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की

विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है।

भारतीय लोकतंत्र में राज्यसभा का महत्व

राज्यसभा, या राज्य परिषद, भारत के संघीय संतुलन को बनाए रखने और कानून निर्माण प्रक्रिया को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- **संघीय प्रतिनिधित्व:** राज्यसभा राज्यों को राष्ट्रीय स्तर पर अपने विचार व्यक्त करने का एक मंच प्रदान करती है।
- **विधायी समीक्षा:** यह लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों की सावधानीपूर्वक जाँच करती है और सुधार सुझा सकती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कानून सुविचारित हों और जल्दबाजी में न बनाए गए हों।
- **निरंतरता सुनिश्चित करता है:** लोकसभा के विपरीत, यह एक स्थायी निकाय है। इसके एक-तिहाई सदस्य हर दो साल में सेवानिवृत्त होते हैं, इसलिए यह हमेशा कार्यरत रहता है।
- **लोकलुभावनवाद पर नियंत्रण:** राज्यसभा के सदस्य जनता द्वारा सीधे निर्वाचित नहीं होते हैं, इसलिए वे लोकलुभावन दबावों से कम प्रभावित होते हैं। इससे संतुलित और दीर्घकालिक नीति निर्माण में मदद मिलती है।
- **विशेषज्ञता और अनुभव:** विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों को राज्यसभा में नामित किया जा सकता है। उनका ज्ञान और अनुभव चर्चाओं और निर्णयों को गहराई प्रदान करता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: राज्यसभा की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है।
2. राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है।
3. भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

(P) : 212

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और सामान्य निवासी

चर्चा में क्यों: भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू किया है।

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)

- इस पहल ने किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल होने के उद्देश्य से 'सामान्य निवासी' की परिभाषा पर चर्चा शुरू कर दी है।
- विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) एक लक्षित, समयबद्ध घर-घर जाकर सत्यापन अभियान है जो बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा प्रमुख चुनावों से पहले मतदाता सूचियों को अद्यतन करने के लिए किया जाता है।
- इसका उद्देश्य मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार करने की सुविधा प्रदान करके उसकी सटीकता और समावेशिता सुनिश्चित करना है।

सामान्य निवासी

- 'सामान्य निवासी' की अवधारणा भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा मतदाता सूची तैयार करने में केंद्रीय भूमिका निभाती है, जैसा कि **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950** (लोक प्रतिनिधि अधिनियम) के प्रावधानों द्वारा अनिवार्य है।
- **परिभाषा और कानूनी आधार**
 - किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल करने के लिए, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (लोक प्रतिनिधि अधिनियम) की धारा 19 के अनुसार उस निर्वाचन क्षेत्र का 'सामान्य निवासी' होना आवश्यक है।
 - किसी व्यक्ति को केवल निर्वाचन क्षेत्र में आवासीय भवन के स्वामित्व या स्वामित्व के आधार पर 'सामान्य निवासी' नहीं माना जाता है।
 - हालाँकि, कोई व्यक्ति जो अस्थायी रूप से अपने निवास स्थान से अनुपस्थित है, वह वहाँ 'सामान्य निवासी' बना रहेगा।
 - विशिष्ट श्रेणियों के लोगों को, उनके जीवनसाथी सहित, उनके मूल निर्वाचन क्षेत्र में 'सामान्य निवासी' माना जाता है, भले ही वे कहीं और हों।
- **आवश्यकता का उद्देश्य**
 - 'सामान्य निवासी' होने की आवश्यकता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता का निर्वाचन क्षेत्र के साथ वास्तविक संदर्भ बना रहे, जिससे प्रतिनिधि जवाबदेही बनाए रखने में मदद मिलती है।
 - इसे धोखाधड़ी वाले पंजीकरणों को रोकने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है।

'सामान्य निवासी' आवश्यकता से संबंधित समस्याएँ

- 'सामान्य निवासी' शब्द यह सुनिश्चित करता है कि मतदाताओं का निर्वाचन क्षेत्र से वास्तविक संदर्भ हो, जिससे धोखाधड़ी को रोका जा सके। **गुवाहाटी उच्च न्यायालय (1999)** ने अपने फैसले में कहा था कि इसका तात्पर्य स्थायी, अभ्यस्त निवास से है, जिसका उद्देश्य वहाँ रहना है।
- यह प्रवासी मज़दूरों, लगभग 15 करोड़ लोगों के लिए चुनौतियाँ खड़ी करता है, जो काम के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, लेकिन अपने गृह क्षेत्रों से गहरा जुड़ाव बनाए रखते हैं। कई लोग अस्थायी रूप से कार्यस्थलों के पास रहते हैं, लेकिन नियमित रूप से घर लौटते हैं और जहाँ उनके परिवार रहते हैं, वहाँ मतदान करते हैं।

निष्कर्ष

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, सेवा मतदाताओं, घोषित पदाधिकारियों और अनिवासी भारतीयों को किसी निर्वाचन क्षेत्र में स्थायी रूप से न रहने के बावजूद अपना वोट बरकरार रखने की अनुमति देता है। इसी प्रकार, प्रवासी मज़दूर, जो काम के लिए बाहर जाते हैं लेकिन अपने गृह क्षेत्रों से मज़बूत संदर्भ बनाए रखते हैं, उन्हें अपना मूल मतदाता पंजीकरण बनाए रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम या चुनावी नियमों में संशोधन उनके मताधिकार को सुरक्षित रख सकते हैं। आधार लिंकेज के माध्यम से डुप्लिकेट पंजीकरणों का समाधान किया जा सकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अंतर्गत 'सामान्य निवासी' शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

- (a) किसी निर्वाचन क्षेत्र में मकान रखने वाले व्यक्ति को हमेशा सामान्य निवासी माना जाता है।

(b) अपने सामान्य निवास स्थान से अस्थायी रूप से दूर रहने वाला व्यक्ति सामान्य निवासी नहीं रह जाता।

(c) किसी निर्वाचन क्षेत्र में आदतन निवास करने वाला व्यक्ति, भले ही अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, सामान्य निवासी माना जाता है।

(d) कोई भी नागरिक, निवास स्थान की परवाह किए बिना, पंजीकरण के लिए कोई भी निर्वाचन क्षेत्र चुन सकता है।

(C) : 2019

भारत में राजनीतिक दल

चर्चा में क्यों: भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 345 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) को सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो 2019 से पिछले छह वर्षों में एक भी चुनाव लड़ने की अनिवार्य शर्त पूरी करने में विफल रहे हैं और जिनके कार्यालय कहीं भी भौतिक रूप से स्थित नहीं हैं।

मुख्य विवरण

- वर्तमान में ईसीआई के साथ पंजीकृत 2,800 से अधिक आरयूपीपी में से कई आरयूपीपी के रूप में बने रहने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करने में विफल रहे हैं। इसलिए, आयोग द्वारा ऐसे आरयूपीपी की पहचान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया और उनमें से 345 की पहचान पहले ही की जा चुकी है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी दल को अनुचित रूप से सूची से बाहर न किया जाए, संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को ऐसे आरयूपीपी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद संबंधित सीईओ द्वारा सुनवाई के माध्यम से इन दलों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा।
- किसी भी आरयूपीपी को सूची से बाहर करने के संदर्भ में अंतिम निर्णय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिया जाएगा।

भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण

- भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** की धारा 29A के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। चुनाव लड़ने के लिए किसी संघ के लिए चुनाव आयोग में पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है, लेकिन पंजीकरण से कई लाभ मिलते हैं।
- एक बार पंजीकृत होने के बाद, कोई भी राजनीतिक दल राज्य या राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा करने की दिशा में काम कर सकता है, जिससे उसे भारतीय चुनावी परिदृश्य में और अधिक लाभ और प्रमुख भूमिका प्राप्त हो सकती है।

मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल

- भारत में राजनीतिक दलों को भारत के चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर मोटे तौर पर मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त में वर्गीकृत किया गया है।
- **मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विशेषाधिकार**
 - **आरक्षित दल चिह्न:** देश भर में (राष्ट्रीय दलों के लिए) या किसी विशिष्ट राज्य के भीतर (राज्य दलों के लिए) दल के उम्मीदवारों के लिए विशेष रूप से आरक्षित एक विशिष्ट चिह्न।
 - **निःशुल्क प्रसारण समय:** आम चुनावों के दौरान राजनीतिक प्रसारण के लिए सरकारी टेलीविजन (दूरदर्शन) और रेडियो (आकाशवाणी) तक पहुँच।

- **चुनाव तिथियों और नियमों में परामर्श:** चुनाव आयोग चुनाव तिथियों और चुनावी नियमों को निर्धारित करते समय मान्यता प्राप्त दलों से परामर्श करता है।
- **स्टार प्रचारक:** मान्यता प्राप्त दल अधिक संख्या में “स्टार प्रचारकों” (मान्यता प्राप्त दलों के लिए 40 बनाम गैर-मान्यता प्राप्त दलों के लिए 20) को नामांकित कर सकते हैं, जिनके यात्रा व्यय को उम्मीदवारों के चुनाव व्यय में शामिल नहीं किया जाता है।
- **मतदाता सूची तक पहुँच:** मतदाता सूची के दो सेट निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार।
- **रियायती भूमि:** दल कार्यालयों के लिए रियायती भूमि की संभावना।
- **नामांकन के लिए एक प्रस्तावक:** अपने उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने हेतु केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है।
- **मान्यता के मानदंड:** चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के तहत, भारत निर्वाचन आयोग किसी पंजीकृत दल को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए विशिष्ट मानदंड निर्धारित करता है।
 - **राष्ट्रीय दल के लिए,** किसी दल को निम्नलिखित तीन शर्तों में से किसी एक को पूरा करना होगा:
 - ◆ उसके उम्मीदवारों ने हाल के लोकसभा या विधानसभा चुनावों में कम से कम चार राज्यों में डाले गए कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त किया हो, और पिछले लोकसभा चुनावों में दल के कम से कम 4 सांसद रहे हों।
 - ◆ उसने कम से कम तीन अलग-अलग राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों में से कम से कम 2% सीटें जीती हों।
 - ◆ उसे कम से कम चार राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो।
 - **राज्य स्तरीय दल के लिए,** दल को निम्नलिखित में से किसी एक शर्त को पूरा करना होगा:
 - ◆ वह राज्य विधानसभा के चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त करे और उस राज्य विधानसभा में कम से कम दो सीटें जीते।
 - ◆ वह उस राज्य से लोकसभा के आम चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त करे और उस राज्य से कम से कम एक लोकसभा सीट जीते।
 - ◆ वह राज्य विधानसभा के आम चुनाव में राज्य विधानसभा की कुल सीटों का कम से कम 3%, या कम से कम 3 सीटें, जो भी अधिक हो, जीते।
 - ◆ वह लोकसभा के आम चुनाव में उस राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों में से कम से कम 1 सीट जीते।
 - ◆ वह राज्य से लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों का कम से कम 8% प्राप्त करे।
- **गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल**
 - गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल वे हैं जो भारत के चुनाव आयोग में पंजीकृत हैं, लेकिन विधानसभा या आम चुनावों में राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त वोट या सीटें हासिल नहीं कर पाए हैं।
 - इनमें नए पंजीकृत दल या वे दल शामिल हैं जिन्होंने पंजीकरण के बाद से चुनाव नहीं लड़ा है।
 - पंजीकृत होने पर, गैर-मान्यता प्राप्त दलों को मान्यता प्राप्त दलों

को मिलने वाले सभी लाभ नहीं मिलते हैं। उदाहरण के लिए, उनके उम्मीदवारों को चुनाव आयोग द्वारा प्रदान किए गए ‘मुक्त प्रतीकों’ की सूची में से चुनना होता है, जो अनन्य नहीं हैं। वे अधिकतम 20 “स्टार प्रचारकों” को नामांकित कर सकते हैं।

निष्क्रिय राजनीतिक दलों के पंजीकरण रद्द करने की सिफारिशें

- **विधि आयोग ने अपनी 255वीं रिपोर्ट (2015) में,** लगातार 10 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ने पर किसी राजनीतिक दल के पंजीकरण रद्द करने के लिए संशोधनों की सिफारिश की थी।
- चुनाव आयोग ने अपने चुनावी सुधारों के ज्ञापन (2016) में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में एक संशोधन का भी सुझाव दिया था जो उसे किसी दल का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार देगा। आरयूपीपी को गैर-सूचीबद्ध करने के अलावा, इन सिफारिशों को भी लागू किया जा सकता है।

निष्कर्ष

गैर-कार्यात्मक पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) को गैर-सूचीबद्ध करना चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विधि आयोग और चुनाव आयोग द्वारा अनुशंसित पंजीकरण रद्द करने के लिए कानूनी ढाँचे को मजबूत करने से दल पंजीकरण के दुरुपयोग को रोकने और लोकतांत्रिक संस्थाओं की पवित्रता को बनाए रखने में मदद मिलेगी।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत में चुनावी सुधारों के संदर्भ में निष्क्रिय राजनीतिक दलों के पंजीकरण रद्द करने के महत्व पर चर्चा कीजिए। दलीय प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए और क्या कदम उठाए जा सकते हैं? [250 शब्द] [15 अंक]

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम (पीसीआर अधिनियम), 1955

चर्चा में क्यों: नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम (पीसीआर अधिनियम), 1955 के तहत “अस्पृश्यता” से संबंधित अपराधों के लिए दर्ज आपराधिक मामलों की संख्या में गिरावट देखी गई है। केंद्र सरकार की इस कानून के कार्यान्वयन पर 2022 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, अदालतों में लंबित मामलों की संख्या 97% से अधिक है और लगभग सभी निपटाए गए मामलों में आरोपी बरी हो गए हैं।

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम (पीसीआर अधिनियम), 1955 के कार्यान्वयन पर 2022 वार्षिक रिपोर्ट

- **मामला पंजीकरण**
 - 2022 में देश भर में पीसीआर अधिनियम के तहत कुल 13 मामले दर्ज किए गए।
 - यह 2021 में 24 और 2020 में 25 मामलों की तुलना में कमी दर्शाता है।
 - इस कानून के तहत दर्ज मामलों की संख्या 1989 के बाद से घटने लगी, जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 लागू हुआ।
- **पुलिस में लंबित मामले और आरोपपत्र**
 - 2022 तक, पुलिस के पास 51 मामले लंबित थे, जिनमें पिछले वर्षों के मामले भी शामिल हैं।

- इनमें से केवल 12 मामलों में आरोपपत्र दाखिल किए गए।
- उल्लेखनीय बात यह है कि डेटा प्रस्तुत करने वाले किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र को “अस्पृश्यता प्रवण” घोषित नहीं किया।
- **न्यायालय में लंबित मामले और उनका निपटारा**
 - न्यायालय स्तर पर अधिनियम के तहत कुल 1,242 मामले लंबित थे।
 - 2022 में न्यायालयों द्वारा निपटाए गए 31 मामलों में से:
 - ◆ 30 मामले बरी हुए।
 - ◆ केवल एक मामले में दोषसिद्धि हुई।
 - पिछली वार्षिक रिपोर्टों की समीक्षा से पता चला है कि 2019 और 2021 के बीच न्यायालयों द्वारा निपटाए गए सभी 37 पीसीआर अधिनियम के मामलों में भी बरी हुए।
- **अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन**
 - 2022 की रिपोर्ट में बताया गया है कि 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीसीआर अधिनियम के तहत 18,936 अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़ों को ₹2.5 लाख प्रति जोड़े का वित्तीय प्रोत्साहन दिया गया।
 - सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्य थे:
 - ◆ महाराष्ट्र (4,100)
 - ◆ कर्नाटक (3,519)
 - ◆ तमिलनाडु (2,217)
 - बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश और झारखंड सहित कई राज्यों ने अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहनों के संदर्भ में आँकड़े उपलब्ध नहीं कराए।

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम (पीसीआर अधिनियम), 1955

- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम (पीसीआर अधिनियम), 1955, जिसे पहले अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के रूप में जाना जाता था, “अस्पृश्यता” के प्रचार और आचरण तथा उससे उत्पन्न किसी भी अक्षमता के प्रवर्तन के लिए दंड निर्धारित करने हेतु अधिनियमित किया गया था।
- यह सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों सहित अस्पृश्यता के विभिन्न रूपों को परिभाषित करता है और संबंधित अपराधों के लिए दंड की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।
- यह अधिनियम पूरे भारत पर लागू होता है। इसके कार्यान्वयन के संदर्भ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त इनपुट के साथ एक वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट भी अनिवार्य है।

पीसीआर अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- **उद्देश्य और दायरा**
 - इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य “अस्पृश्यता” के विभिन्न रूपों को परिभाषित करना और उससे संबंधित अपराधों के लिए दंड निर्धारित करना है।
 - नागरिक अधिकारों को संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा “अस्पृश्यता” के उन्मूलन के कारण किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले किसी भी अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है।
- **निषिद्ध कार्य और दंड**
 - **धार्मिक नियोग्यताएँ लागू करना:** किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने, या पूजा करने या धार्मिक सेवा करने, या पवित्र तालाबों/कुओं/नदियों/झीलों का उसी प्रकार उपयोग करने से रोकना, जिस प्रकार उसी धर्म के अन्य लोग करते हैं।

- **सामाजिक नियोग्यताएँ लागू करना:** इसमें निम्नलिखित से संबंधित प्रतिबंध शामिल हैं:
 - ◆ किसी भी दुकान, सार्वजनिक रेस्तरां, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल तक पहुँच।
 - ◆ रेस्तरां, होटल और धर्मशाला जैसे सार्वजनिक स्थानों पर बर्तनों या वस्तुओं का उपयोग।
 - ◆ किसी भी पेशे, व्यापार, व्यवसाय या रोजगार का अभ्यास।
 - ◆ सार्वजनिक जल स्रोतों (नदी, नाला, कुआँ, तालाब, आदि), कब्रिस्तान/श्मशान घाट, स्वच्छता सुविधाओं, सड़कों या किसी अन्य सार्वजनिक स्थल का उपयोग या उन तक पहुँच।
 - ◆ आंशिक रूप से या पूर्णतः राज्य निधि से संचालित या सार्वजनिक उपयोग के लिए समर्पित स्थानों का उपयोग या उन तक पहुँच।
- **“अस्पृश्यता” से उत्पन्न अन्य अपराध:**
 - ◆ अस्पृश्यता उन्मूलन से उत्पन्न किसी भी नागरिक अधिकार के प्रयोग में बाधा डालना।
 - ◆ किसी व्यक्ति को ऐसे अधिकारों का प्रयोग करने से रोकना, उसे चोट पहुँचाना, कष्ट पहुँचाना, बाधा पहुँचाना या उसका बहिष्कार करना।
 - ◆ शब्दों, संकेतों या दृश्य रूपों द्वारा “अस्पृश्यता” के अभ्यास को उकसाना या प्रोत्साहित करना। इसमें ऐतिहासिक, दार्शनिक, धार्मिक या जाति व्यवस्था के आधार पर अस्पृश्यता का प्रचार करना या उसे उचित ठहराना शामिल है।
 - ◆ अनुसूचित जाति के किसी सदस्य का अपमान करना या अपमान करने का प्रयास करना।
 - ◆ अधिकारों के प्रयोग के प्रतिशोध या बदले के रूप में किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध कोई अपराध करना, जिसके लिए कम से कम दो वर्ष का कारावास और दो वर्ष से अधिक के कारावास पर जुर्माने से भी दंडनीय है।
 - ◆ किसी समुदाय के भीतर किसी भी अधिकार या विशेषाधिकार से वंचित करना या अस्पृश्यता का पालन करने से इनकार करने या अधिनियम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने पर किसी व्यक्ति को बहिष्कृत करना।
 - ◆ **गैरकानूनी अनिवार्य श्रम:** किसी भी व्यक्ति को “अस्पृश्यता” के आधार पर मैला ढोने, झाड़ू लगाने, शव हटाने, जानवरों की खाल उतारने या इसी तरह के अन्य काम करने के लिए मजबूर करना। इसके लिए कम से कम तीन महीने और अधिकतम छह महीने की कैद और जुर्माना हो सकता है। इस मजबूरी में सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार की धमकी भी शामिल है।

बेहतर कार्यान्वयन के लिए आगे की राह

- **कानूनी और न्यायिक तंत्र को मज़बूत करना**
 - कानून के अनुसार, अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की सक्रिय रूप से स्थापना और उपयोग करना।
 - “अस्पृश्यता” के कारण उत्पन्न विकलांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों को पर्याप्त कानूनी सहायता और सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित करना ताकि वे अपने अधिकारों का प्रभावी ढंग से पालन कर सकें।
 - आरोप-पत्र दाखिल करने और दोषसिद्धि दरों में सुधार के लिए अभियोजन शुरू करने और उसकी निगरानी के लिए विशेष रूप से अधिकारियों की नियुक्ति और उन्हें सशक्त बनाना।

सक्रिय पहचान और हस्तक्षेप

- उन क्षेत्रों की सक्रिय रूप से पहचान और घोषणा करना जहाँ व्यक्ति “अस्पृश्यता” (“अस्पृश्यता प्रवण क्षेत्र”) के कारण उत्पन्न किसी भी विकलांगता से ग्रस्त हैं और ऐसी विकलांगताओं को दूर करने के लिए लक्षित उपाय अपनाना।
- कमियों की पहचान करने और बेहतर कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाने हेतु अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन का आवधिक सर्वेक्षण करना।

डेटा संग्रह और रिपोर्टिंग में सुधार

- अधिनियम के कार्यान्वयन के सभी पहलुओं, जिनमें मामले का पंजीकरण, लंबित मामले, निपटान और अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन शामिल हैं, के संदर्भ में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से डेटा का पूर्ण और समय पर प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करना।
- केंद्र सरकार को डेटा अंतराल को दूर करने और सुसंगत रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय प्रयासों को मजबूत करना चाहिए।

जन जागरूकता और संवेदनशीलता

- पीसीआर अधिनियम और इसके द्वारा संरक्षित नागरिक अधिकारों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाएँ, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रभावित व्यक्ति अपने अधिकारों और निवारण के अवसरों से अवगत हों।
- अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहनों के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ावा देना और उसका दस्तावेजीकरण करना, यह सुनिश्चित करते हुए कि देश भर के सभी पाठ जोड़ों तक इसका लाभ पहुँचे।

निष्कर्ष

संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत निहित नागरिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करना, कानूनी जागरूकता बढ़ाना, डेटा रिपोर्टिंग में सुधार करना और राज्य की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 जैसे कानूनी सुरक्षा उपायों के बावजूद, भारत में अस्पृश्यता विभिन्न रूपों में जारी है। अधिनियम के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करें और इसके प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के उपाय सुझाएँ। [250 शब्द] [15 अंक]

फ़ोन टैपिंग संबंधी कानून

चर्चा में क्यों: हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई द्वारा एकल किए गए फ़ोन टैपिंग साक्ष्य की स्वीकार्यता को बरकरार रखा, जबकि मद्रास उच्च न्यायालय ने एक अन्य रिश्तखोरी मामले में गृह मंत्रालय द्वारा 2011 में जारी किए गए इंटरसेप्शन आदेश को रद्द कर दिया।

मुख्य विवरण: दिल्ली उच्च न्यायालय का मामला

- यह मामला कथित तौर पर भ्रष्ट तरीकों से आईटीपीओ परिसर को एक एकीकृत प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र में पुनर्विकास करने के लिए एक उप-अनुबंध हासिल करने की आरोपी की कोशिश से संबंधित है।
- 2017 में, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने इस संदेह पर उसके फ़ोन को इंटरसेप्शन करने की अनुमति दी थी कि वह एक सरकारी अधिकारी को रिश्त देने का प्रयास कर रहा था।

- न्यायमूर्ति अमित महाजन ने अपने आदेश में कहा कि चूँकि यह अनुबंध 2,149.93 करोड़ रुपये का था, “इस न्यायालय की राय में, अपराध का आर्थिक पैमाना सार्वजनिक सुरक्षा की सीमा को पूरा करता है।”
- “भ्रष्टाचार से उत्पन्न खतरे को कम करके नहीं आंका जा सकता। भ्रष्टाचार का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है और यह बुनियादी ढाँचे के विकास से लेकर संसाधन आवंटन तक, किसी भी चीज़ को प्रभावित कर सकता है। उच्च न्यायालय ने कहा, “किसी लोक सेवक द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के दुरगामी परिणाम होते हैं क्योंकि यह न केवल जनता के विश्वास को कम करता है और सार्वजनिक संस्थानों की अखंडता पर संदेह पैदा करता है, बल्कि देश की आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालकर आम जनता को संवेदनशील और असुरक्षित भी बनाता है।”

मद्रास उच्च न्यायालय के मामले के बारे में

- न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने अपने आदेश में कहा कि “सार्वजनिक आपातकाल” की व्याख्या संकीर्ण रूप से की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के मामले में, कर चोरी से निपटने का गृह मंत्रालय का उद्देश्य भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) के तहत “सार्वजनिक आपातकाल” नहीं माना जाएगा।
- अदालत ने अपने आदेश में गृह मंत्रालय के आदेश से चार महीने पहले, अप्रैल 2011 में प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा जारी एक प्रेस नोट का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि कानून “केवल कर चोरी का पता लगाने” के लिए फ़ोन-टैपिंग के ज़रिए बातचीत की निगरानी की अनुमति नहीं देता है।
- इसके अतिरिक्त, अदालत ने कहा कि फ़ोन-टैपिंग गैरकानूनी थी क्योंकि यह 1997 के एक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रियात्मक मानकों का पालन नहीं करती थी।
- एक बार फ़ोन-टैपिंग आदेश को गैरकानूनी घोषित कर दिए जाने के बाद, टैप के माध्यम से एकल की गई किसी भी जानकारी को अदालत में सबूत नहीं माना जा सकता।

फ़ोन टैपिंग पर कानून

सरकार की संचार को रोकने की शक्तियाँ तीन क़ानूनों में निहित हैं और इनके द्वारा सीमित हैं।

- भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 डाक के माध्यम से संचार को रोकने की अनुमति देता है;
- भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 का उपयोग वॉयस कॉल को टैप करने के लिए किया जाता है; और
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 व्हाट्सएप संदेशों, ईमेल आदि को रोकने का नियमन करता है।

140 साल पुराना टेलीग्राफ अधिनियम मूल रूप से टेलीग्राम को रोकने के लिए था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसमें टेलीफ़ोन पर होने वाली बातचीत को भी शामिल कर लिया गया है। अधिनियम की धारा 5(2) में कहा गया है कि राज्य और केंद्र सरकारें, “किसी भी सार्वजनिक आपात स्थिति में, या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में”, अवरोधन को अधिकृत कर सकती हैं।

नोट: भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 को निरस्त कर दिया गया है और दूरसंचार अधिनियम, 2023 अधिनियमित किया गया है।

भारत में फ़ोन निगरानी के लिए संवैधानिक और कानूनी आधार

- भारत में, फ़ोन टैपिंग के माध्यम से निगरानी संवैधानिक ढाँचे के अनुरूप होनी चाहिए जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) और निजता के अधिकार (अनुच्छेद 21) जैसे मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। इन अधिकारों में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण केवल संकीर्ण संवैधानिक आधारों पर ही अनुमत है, जैसा कि अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित है।

इनमें शामिल हैं:

- भारत की संप्रभुता और अखंडता
- राज्य की सुरक्षा
- विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संदर्भ
- सार्वजनिक व्यवस्था
- अपराध करने के लिए उकसावे को रोकना
- भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) इन प्रतिबंधों को प्रतिबंधित करती है, केवल सार्वजनिक आपातकाल के दौरान या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में, और केवल तभी जब उपरोक्त संवैधानिक आधारों में से एक पूरा हो। न्यायालयों ने दोहराया है कि मनमानी निगरानी को रोकने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए ऐसे आधारों की कड़ाई से व्याख्या की जानी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश और कानूनी ढाँचा

- पीपुल्स यूनिन फॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम भारत संघ मामले में 1997 के अपने ऐतिहासिक फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, लेकिन निगरानी शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसके अनुप्रयोग हेतु सख्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय निर्धारित किए।
- प्रमुख सुरक्षा उपायों में शामिल हैं:
 - प्राधिकरण: अवरोधन आदेश केवल केंद्र या राज्य सरकार के गृह सचिव द्वारा जारी किया जा सकता है। यह अधिकार संयुक्त सचिव से नीचे के पद के अधिकारियों को नहीं सौंपा जा सकता।
 - आवश्यकता परीक्षण: प्राधिकरण प्राधिकारी को यह मूल्यांकन करना होगा कि क्या आवश्यक जानकारी अन्य तरीकों से यथोचित रूप से प्राप्त की जा सकती है, जिससे अवरोधन अंतिम उपाय बन जाता है।
 - समीक्षा तंत्र: एक उच्च-स्तरीय समीक्षा समिति को आदेश जारी होने के दो महीने के भीतर उसका मूल्यांकन करना होगा:
 - ◆ केंद्रीय स्तर पर: कैबिनेट सचिव, विधि सचिव और दूरसंचार सचिव।
 - ◆ राज्य स्तर पर: मुख्य सचिव, विधि सचिव और एक अन्य सदस्य (गृह सचिव को छोड़कर)।
- इन सुरक्षा उपायों को भारतीय टेलीग्राफ नियमों के नियम 419ए(17) में भी शामिल किया गया है, जिससे निगरानी प्रथाओं में प्रक्रियात्मक अनुपालन और जवाबदेही की आवश्यकता पर बल मिलता है।
- यह ढाँचा राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से निजता के अधिकार, की सुरक्षा के साथ संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

दिल्ली और मद्रास उच्च न्यायालयों के विरोधाभासी निर्णयों ने फ्रोन टैपिंग कानूनों के क्रियान्वयन में स्पष्टता और एकरूपता की आवश्यकता को रेखांकित किया है। हालाँकि कुछ मामलों में निगरानी को उचित ठहराया जा सकता है, लेकिन नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए संवैधानिक सीमाओं और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में फ्रोन टैपिंग को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक और कानूनी ढाँचे पर चर्चा कीजिए। हाल के विरोधाभासी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के आलोक में, निगरानी शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। [250 शब्द] [15 अंक]

डीएनए साक्ष्य के माध्यम से आपराधिक न्याय को सुदृढ़ बनाना: सर्वोच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों: हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने डीएनए साक्ष्य के प्रबंधन को मानकीकृत करने के लिए प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों का एक सेट निर्धारित किया।

मुख्य विवरण

- इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य आपराधिक कानून में फॉरेंसिक साक्ष्य के सबसे संवेदनशील रूपों में से एक से संबंधित प्रक्रियाओं में विसंगतियों को दूर करना है।
- यह घटनाक्रम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक व्यक्ति को बरी करने के बाद सामने आया, जो 2011 में तमिलनाडु में दो व्यक्तियों की हत्या और एक पीड़िता के बलात्कार के लिए मौत की सजा का सामना कर रहा था।
- सर्वोच्च न्यायालय ने उस व्यक्ति की दोषसिद्धि को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से डीएनए साक्ष्य पर आधारित था, जो प्रक्रियात्मक कमियों के कारण अविश्वसनीय था। उदाहरण के लिए, पोस्टमार्टम खुले में किया गया था, और प्रमुख डीएनए नमूनों में उचित दस्तावेजीकरण रिकॉर्ड का अभाव था।
- सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि मौजूदा प्रोटोकॉल के बावजूद, डीएनए साक्ष्य के संग्रह और उपयोग में एक समान प्रक्रिया के अभाव ने जाँच को गंभीर रूप से प्रभावित किया होगा।

आपराधिक जाँच में डीएनए साक्ष्य कैसे मददगार होते हैं?

- डीएनए नमूनाकरण एक प्रमुख फॉरेंसिक उपकरण है जिसका उपयोग जाँच एजेंसियाँ व्यक्तियों की विशिष्ट आनुवंशिक विशेषताओं के आधार पर उनकी पहचान करने के लिए करती हैं। आपराधिक जाँच में, यह संदिग्धों को अपराध स्थलों पर पाए गए जैविक साक्ष्यों—जैसे रक्त, वीर्य, लार या बाल—से जोड़ने में मदद करता है।
- अपराध स्थल से लिए गए डीएनए नमूने की तुलना संदिग्ध या पीड़ित से लिए गए संदर्भ नमूने से की जाती है। यदि पर्याप्त आनुवंशिक संकेतकों में मिलान होता है, तो साक्ष्य को अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है और यह दोषसिद्धि सुनिश्चित करने, न्याय सुनिश्चित करने और गलत गिरफ्तारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के संदर्भ में, जाँच की गुणवत्ता में सुधार, उचित प्रक्रिया को बनाए रखने और मुकदमों की सटीकता बढ़ाने में डीएनए साक्ष्य का उपयोग लगातार महत्वपूर्ण होता जा रहा है।

आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में

- आपराधिक न्याय नीतियों और संगठनों की एक प्रणाली है जिसका उपयोग राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारें सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने, अपराध को रोकने और नियंत्रित करने, और कानून तोड़ने वालों को दंडित करने के लिए करती हैं।
- कानून प्रवर्तन जैसे- पुलिस और अभियोजक, अदालतें, बचाव पक्ष के वकील, और स्थानीय जेलें और कारागार इन कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार केंद्रीय एजेंसियाँ हैं, जो दोषी पाए गए लोगों की गिरफ्तारी, आरोप लगाने, न्यायनिर्णयन और दंड की प्रक्रियाओं की देखरेख करती हैं।
- आपराधिक न्याय प्रशासन की आवश्यकता राज्य द्वारा लोगों और समुदायों की सुरक्षा के लिए आवश्यक मानवीय आचरण के उच्च मानक लागू करने के निर्णय से उत्पन्न हुई। यह अपराध के जोखिम को कम करके और समाज द्वारा प्रवर्तित नियमों और कानूनों का उल्लंघन करने वालों को पकड़कर, उन पर मुकदमा चलाकर, उन्हें दोषी ठहराकर और सजा देकर प्रवर्तन के माध्यम से अपने सुरक्षा लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करता है।

डीएनए साक्ष्य प्रबंधन पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में डीएनए और अन्य जैविक सामग्रियों के संग्रह, संरक्षण और प्रसंस्करण में एकरूपता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं:

- **संग्रहण:** जैविक नमूनों का संग्रह प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। नमूनों को छेड़छाड़-रोधी कंटेनरों में सील किया जाना चाहिए और उन पर आवश्यक विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिए।
- **दस्तावेजीकरण:** पारदर्शिता बनाए रखने के लिए चिकित्सा पेशेवर, जाँच अधिकारी और एक स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर सहित उचित दस्तावेजीकरण अनिवार्य है।
- **परिवहन और भंडारण:** नमूनों को 48 घंटों के भीतर फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं में पहुँचाया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियों में संग्रहित किया जाना चाहिए जो उनके क्षरण को रोकें।
- **पहुँच नियंत्रण:** कार्यवाही शुरू होने से पहले निचली अदालत की मंजूरी के बिना नमूनों को खोला, बदला या दोबारा सील नहीं किया जा सकता।
- **अभिरक्षा श्रृंखला:** अदालत में साक्ष्य की अखंडता और स्वीकार्यता सुनिश्चित करने के लिए हैंडलिंग और स्थानांतरण के प्रत्येक चरण का एक विस्तृत लॉग बनाए रखा जाना चाहिए।

डीएनए साक्ष्य पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का महत्व

- डीएनए साक्ष्य के संचालन में वैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ और छेड़छाड़-रोधी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश महत्वपूर्ण हैं। वे इस बात पर ज़ोर देते हैं कि संग्रह से लेकर परीक्षण तक की पूरी श्रृंखला मज़बूत होनी चाहिए, जिससे संदूषण, क्षरण या छेड़छाड़ के जोखिम समाप्त हो जाएँ।
- देश भर में प्रक्रियाओं का मानकीकरण करके, इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य फॉरेंसिक प्रक्रियाओं में एकरूपता लाना, विश्लेषण और रिपोर्टिंग में विसंगतियों को कम करना, और आपराधिक जाँच और मुकदमों में डीएनए साक्ष्य की विश्वसनीयता और स्वीकार्यता को बढ़ाना है। यह आपराधिक न्याय प्रणाली की अखंडता को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

निष्कर्ष

डीएनए साक्ष्य पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार का प्रतीक हैं। मानकीकृत, पारदर्शी और वैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करके, इन उपायों का उद्देश्य फॉरेंसिक साक्ष्यों की विश्वसनीयता में सुधार करना, न्याय की लुटियों को रोकना और उचित प्रक्रिया एवं निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों को बनाए रखना है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: डीएनए साक्ष्य पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया दिशानिर्देशों के आलोक में, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने और भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में फॉरेंसिक साक्ष्य की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसके प्रभावी कार्यान्वयन में क्या चुनौतियाँ शेष हैं? [250 शब्द] [15 अंक]

डिजिटल उपनिवेशवाद

चर्चा में क्यों: हाल ही में, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति ने डिजिटल उपनिवेशवाद के बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की।

डिजिटल उपनिवेशवाद

- “डिजिटल उपनिवेशवाद” उन तरीकों को संदर्भित करता है जिनसे धनी राष्ट्र और निगम कम विकसित देशों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए आर्थिक लाभ, डेटा निष्कर्षण और तकनीकी प्रभुत्व का उपयोग करते हैं।
- यह डिजिटल आधिपत्य, नवाचार और जुड़ाव की वक्रपट्टा में लिपटे होने के बावजूद, अतीत की साम्राज्यवादी रणनीति की याद दिलाता है।

उपनिवेशवाद एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ एक शक्तिशाली देश अक्सर बसावट, आर्थिक प्रभुत्व और सांस्कृतिक अधिरोपण के माध्यम से एक कमजोर क्षेत्र को नियंत्रित और उसका शोषण करता है। इसमें राजनीतिक शासन, संसाधनों का दोहन और स्थानीय संस्थाओं का दमन शामिल है, जो आमतौर पर उपनिवेशवादियों की कीमत पर उपनिवेशवादियों को लाभ पहुँचाता है।

डिजिटल उपनिवेशवाद का प्रभाव

- **बाहरी निर्भरता:** देश, विदेशी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपनाते हुए डेटा पर नियंत्रण छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए, कई विकासशील देश माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, गूगल क्लाउड और अमेज़न वेब सर्विसेज (AWS) जैसे ग्लोबल नॉर्थ-आधारित व्यवसायों की क्लाउड सेवाओं पर निर्भर हैं।
- **स्थानीय उद्योगों और नवाचार का ह्रास:** बाहरी स्रोतों पर निर्भरता स्थानीय रचनात्मकता को दबा देती है। उदाहरण के लिए, कैब सेवा प्लेटफॉर्म ने शहरी बाज़ारों के एक बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया है, जिससे स्थानीय कैब ड्राइवर्स को बेदखल करते हुए भारी कमीशन मिल रहा है।
- **डेटा गोपनीयता:** खनिजों की चोरी करने के बजाय, आज के डिजिटल उपनिवेशवादी डेटा चुरा रहे हैं। विदेशी कंपनियाँ स्थानीय विनियमन या लाभ-साझाकरण के बिना भारी मात्रा में व्यवहारिक और व्यक्तिगत डेटा एकत्र करके गोपनीयता और नागरिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। इसका एक उदाहरण जिम्बाब्वे जैसे देशों में चीन द्वारा चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग है, जहाँ उपयोगकर्ताओं की जानकारी या सहमति के बिना चीनी एआई सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए लाखों तस्वीरों का उपयोग किया जाता है।
- **डिजिटल संप्रभुता का अभाव:** मेजबान देशों को अक्सर अपने नागरिकों के बारे में जानकारी प्राप्त करना मुश्किल लगता है क्योंकि महत्वपूर्ण सेवाएँ राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर स्थित होती हैं। उदाहरण के लिए, फ़ेसबुक और गूगल जैसी वेबसाइटों से उपयोगकर्ता डेटा तक वैध पहुँच प्राप्त करने के लिए देशों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संधियाँ आवश्यक हैं।
- **सांस्कृतिक साम्राज्यवाद:** यह स्थानीय संस्कृतियों को हाशिए पर डालने और सोशल मीडिया तथा सर्च इंजन के माध्यम से विकसित देशों के विश्वदृष्टिकोण को बढ़ावा देने की प्रथा है।
- **संचार अवसंरचना पर विदेशी नियंत्रण:** मोबाइल नेटवर्क से लेकर पानी के नीचे इंटरनेट केबल तक, देश अक्सर महत्वपूर्ण संचार अवसंरचना के निर्माण और रखरखाव के लिए विदेशी व्यवसायों पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए, अफ्रीका के 70% से अधिक 4G नेटवर्क का निर्माण चीनी दूरसंचार कंपनी हुआवेई द्वारा किया गया है।

आगे की राह

- **घरेलू नवाचार को प्रोत्साहित करें और आयात पर कम निर्भरता:** स्थानीय तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्रों का समर्थन और डिजिटल बुनियादी ढाँचे में निवेश विकासशील देशों की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसमें स्थानीय स्वामित्व वाली क्लाउड सेवाओं और डेटा केंद्रों का समर्थन, स्थानीय सामग्री के उत्पादन को प्रोत्साहित करना और अप्रतिबंधित इंटरनेट पहुँच की वकालत करना शामिल है। उदाहरण के लिए, इंडिया स्टैक और ओएनडीसी (डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क)।

- **ओपन-सोर्स समाधानों को बढ़ावा:** बड़ी कंपनियों द्वारा संचालित स्वामित्व वाली प्रणालियों के प्रभुत्व को ओपन-सोर्स तकनीक द्वारा काफी हद तक कम किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करने के अलावा कि स्थानीय संगठनों को महंगे लाइसेंस की आवश्यकता के बिना उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक पर पूर्ण नियंत्रण हो, यह डिजिटल संप्रभुता का समर्थन करता है।
- **मजबूत डेटा संप्रभुता कानून को बढ़ावा:** देश शोषण को रोक सकते हैं, संवेदनशील डेटा को देश से बाहर जाने से रोक सकते हैं, और डेटा संप्रभुता की रक्षा करने वाली नीतिगत पहलों का समर्थन करके देशों को अपने डिजिटल संसाधनों पर नियंत्रण बनाए रखने में सहायता कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 को अपनाना, जो व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करता है।
- **क्षमता निर्माण और कौशल हस्तांतरण में संलग्न होना:** देश डिजिटल साक्षरता के माध्यम से स्थानीय प्रतिभा को बढ़ावा देकर और आत्मनिर्भर और संधारणीय डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में समुदायों की सहायता करके विदेशी ज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं।

निष्कर्ष

डिजिटल उपनिवेशवाद राष्ट्रीय संप्रभुता, नवाचार और सांस्कृतिक पहचान के लिए एक मौन किन्तु शक्तिशाली खतरा है। इसका मुकाबला करने के लिए, राष्ट्रों को स्थानीय तकनीकों को बढ़ावा देकर, मजबूत डेटा कानूनों को लागू करके और अपने लोगों की सेवा करने वाले समावेशी, नैतिक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके अपने डिजिटल स्थानों पर नियंत्रण स्थापित करना होगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: डेटा गोपनीयता, राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थानीय नवाचार पर डिजिटल उपनिवेशवाद के प्रभाव पर चर्चा कीजिए। वैश्विक दक्षिण में डिजिटल संप्रभुता प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप सुझाइए। [250 शब्द] [15 अंक]

राजभाषा विभाग के 50 वर्ष

चर्चा में क्यों: हाल ही में, राजभाषा विभाग ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई।

मुख्य विवरण

- राजभाषा विभाग, राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के साथ-साथ संविधान में राजभाषाओं से संबंधित प्रावधानों के कार्यान्वयन का प्रभारी है।
- इसकी स्थापना जून 1975 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र विभाग के रूप में की गई थी।
- इस विभाग का नेतृत्व गृह मंत्री करते हैं। विभाग के अंतर्गत चार मुख्य कार्यालय हैं।
 - केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
 - केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो
 - क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय
 - संसदीय राजभाषा समिति
- **भारतीय भाषा अनुवादक मंच:** हिंदी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के बीच अनुवाद को आसान बनाने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा 6 जून, 2025 को शुरू किया गया।

हिंदी के प्रचार-प्रसार और कार्यान्वयन के लिए संस्थागत उपाय

- राजभाषा विभाग हिंदी में किए जाने वाले पत्राचार की मात्रा के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करता है।
- 1976 में स्थापित, संसदीय राजभाषा समिति हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट देती है।
- दस से अधिक केंद्रीय सरकारी कार्यालयों वाले प्रत्येक शहर में एक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की जाती है और हिंदी में पुस्तकें लिखने वाले सरकारी कर्मचारियों को नकद पुरस्कार दिए जाते हैं।
- अपने कार्यालयों में हिंदी को लागू करने के लिए, सभी सार्वजनिक उपक्रमों और केंद्र सरकार के कार्यालयों को हिंदी प्रकोष्ठ स्थापित करने होंगे।
- हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, विभाग पूरे वर्ष कई कार्यक्रम आयोजित करता है।

हिंदी दिवस

- हर साल 14 सितंबर को, हिंदी दिवस हिंदी को भारतीय संघ सरकार की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिलने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
- 14 सितंबर, 1949 को हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा बनी।

“आधिकारिक भाषा” शब्द सरकार द्वारा प्रशासन, संचार और आधिकारिक अभिलेखों के लिए प्रयुक्त भाषा/भाषाओं को दर्शाता है।

भारत में भाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 120:** संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा; हालाँकि, सदन का अध्यक्ष किसी भी सदस्य को, जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी बात ठीक से व्यक्त नहीं कर सकता, सदन को अपनी मातृभाषा में संबोधित करने की अनुमति दे सकता है।
- **अनुच्छेद 210:** विधानमंडल में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा; हालाँकि, सदन का अध्यक्ष किसी भी सदस्य को, जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी बात ठीक से व्यक्त नहीं कर सकता, सदन को अपनी मातृभाषा में संबोधित करने की अनुमति दे सकता है।
- **अनुच्छेद 343:** संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।
- **अनुच्छेद 346:** यदि दो या अधिक राज्य इस बात पर सहमत हों कि ऐसे राज्यों के बीच संचार की राजभाषा हिंदी भाषा होनी चाहिए, तो ऐसे संचार के लिए उस भाषा का उपयोग किया जा सकता है।
- **अनुच्छेद 348:** किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उस राज्य में मुख्य पीठ वाले उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी भाषा या राज्य के किसी राजकीय प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किसी अन्य भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकेगा।
- **अनुच्छेद 350:** प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ या राज्य में प्रयुक्त किसी भी भाषा में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का हकदार होगा।
- **अनुच्छेद 350A:** प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी का यह प्रयास होगा कि भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान की जाएँ।
- **अनुच्छेद 350B:** इस संविधान के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदत्त सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जाँच करना विशेष अधिकारी का कर्तव्य होगा।
- **अनुच्छेद 351:** संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के प्रसार को

बढ़ावा दे और उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।

- **भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची:** भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता देती है। ये भाषाएँ हैं: असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: राजभाषा विभाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका प्रशासन गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
2. हाल ही में, राजभाषा विभाग में भारतीय भाषा अनुवादक मंच की स्थापना की गई।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

(C) : 2020

सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867

चर्चा में क्यों: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 का उल्लंघन करते हुए अवैध सट्टेबाजी अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के आरोप में अभिनेताओं, टेलीविजन होस्टों, सोशल मीडिया प्रभावितों और YouTubers सहित 29 व्यक्तियों के खिलाफ प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की है।

मुख्य विवरण

- **शुरू की गई कार्रवाई:** ईडी ने अभिनेताओं, टेलीविजन होस्टों, सोशल मीडिया प्रभावितों और यूट्यूबर्स सहित 29 व्यक्तियों के खिलाफ प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत आती है।
- **मामले की उत्पत्ति:** यह जाँच तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में राज्य पुलिस द्वारा दर्ज कम से कम पाँच अलग-अलग प्राथमिकी (एफआईआर) पर आधारित है। ये प्राथमिकी पंजागुट्टा, मियापुर, साइबराबाद, सूर्यापेट और विशाखापत्तनम में दर्ज की गईं।
- **मुख्य आरोप:** यह मामला बड़े पैमाने पर धन शोधन के संदिग्ध प्लेटफार्मों के कथित भुगतान किए गए प्रचारों से जुड़ा है। ईडी का मानना है कि इन व्यक्तियों को कौशल-आधारित खेलों के रूप में प्रच्छन्न अनुप्रयोगों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त वित्तीय मुआवजा मिला, लेकिन कथित तौर पर जुए को बढ़ावा दिया।

- **जाँच का दायरा:** जाँचकर्ता अपराध की आय का पता लगाने और यह समझने पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि इन प्रचार सौदों के माध्यम से कितना धन शोधन किया गया हो सकता है।

- ईडी जाँच का दायरा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त शिकायतें और एफआईआर भी एकत्र कर रहा है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे संभावित आपराधिक दायित्व के बारे में निष्कर्ष निकालने से पहले प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान और इरादे के स्तर का आकलन करें।

सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867

- **अधिनियमन तिथि:** यह अधिनियम 25 जनवरी, 1867 को अधिनियमित किया गया था।
- **मूल अनुप्रयोग:** यह मूल रूप से संयुक्त प्रांत, पूर्वी पंजाब, दिल्ली और मध्य प्रांत जैसे क्षेत्रों के लिए था।
- **विस्तार शक्ति:** अधिनियम की धाराएँ 13 और 17 संपूर्ण “उक्त राज्यों” पर लागू होती हैं, और राज्य सरकारों को आधिकारिक अधिसूचना द्वारा अन्य धाराओं को विशिष्ट शहरों, कस्बों, उपनगरों, रेलवे स्टेशनों, घरों और ऐसे स्टेशनों के तीन मील के दायरे में आने वाले स्थानों तक विस्तारित करने का अधिकार है।
- **सामान्य जुआघर:** किसी भी घर, चारदीवारी से घिरा घेरा, कमरा या स्थान जहाँ ताश, पासे, मेज या जुआ खेलने के अन्य उपकरण रखे जाते हैं या उनका उपयोग उस व्यक्ति के लाभ या लाभ के लिए किया जाता है जो उसका स्वामी है, उस पर कब्जा करता है, उसका उपयोग करता है या उसे रखता है। यह लाभ उपकरणों या स्थान के उपयोग के लिए शुल्क से, या अन्यथा, प्राप्त हो सकता है।
- **निषिद्ध कार्य:** यह उन मालिकों या अधिभोगियों पर लागू होता है जो किसी परिसर को सामान्य जुआघर के रूप में खोलते, रखते या उपयोग करते हैं, या जानबूझकर दूसरों को इसका उपयोग करने की अनुमति देते हैं। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो ऐसे स्थानों का प्रबंधन करते हैं, व्यवसाय संचालन में सहायता करते हैं, या जुआ खेलने के लिए अग्रिम धनराशि देते हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

- (a) यह पूरे भारत में सभी प्रकार के जुए को वैध बनाता है।
(b) यह सार्वजनिक जुआघरों के संचालन पर प्रतिबंध लगाता है और अपराधियों को दंडित करता है।
(c) यह बिना किसी अपवाद के सभी भारतीय राज्यों में समान रूप से लागू है।
(d) यह अधिनियम ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था।

(C) : 2020

बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था

चर्चा में क्यों: सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत के बाद कहा कि जैसे-जैसे दुनिया बहुध्रुवीय होती जा रही है, भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्य विवरण

- सिंगापुर भारत की एक ईस्ट नीति में एक प्रमुख साझेदार है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर की अपनी सिंगापुर समकक्ष विवियन बालाकृष्णन के साथ बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान स्थापित अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की।
- निवेश, औद्योगिक पार्क, सेमीकंडक्टर, बुनियादी ढाँचे, कौशल विकास और कनेक्टिविटी में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई।
- दोनों देश जल्द ही नई दिल्ली में तीसरे भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करेंगे।
- दोनों पक्षों ने आसियान, हिंद-प्रशांत और वैश्विक विकास पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।

नोट: भारत-सिंगापुर संबंधों का विस्तृत विवरण पत्रिका के जनवरी 2025 अंक में उपलब्ध है।

अंतराष्ट्रीय संबंधों में ध्रुवीकरण

- **एकध्रुवीयता:** एक ही देश के पास प्रबल शक्ति होती है और उसका कोई विश्वसनीय प्रतिद्वंद्वी नहीं होता।
- **द्विध्रुवीयता:** दो लगभग समान महाशक्तियाँ प्रभुत्व रखती हैं, गठबंधन और प्रभाव क्षेत्र बनाती हैं।
- **बहुध्रुवीयता:** महत्वपूर्ण शक्ति के तीन या अधिक केंद्र एक साथ मौजूद होते हैं, जिनमें से प्रत्येक वैश्विक परिणामों को आकार देने में सक्षम होता है।

एक बहुध्रुवीय वैश्विक प्रणाली का उदय

- **ऐतिहासिक विकास:** शीतयुद्ध के बाद के युग में अमेरिकी आधिपत्य के तहत एकध्रुवीय स्थिति देखी गई, और 21वीं सदी की शुरुआत से, शक्ति धीरे-धीरे कम होती गई।
 - **आर्थिक बदलाव:** उभरते बाजार अब वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (2023) का लगभग 59% हिस्सा हैं, और अकेले ब्रिक्स व्यापार और तेल निर्यात में लगभग 40% का योगदान देता है।
 - **तकनीकी प्रतिस्पर्धात्मकता:** 5G और AI में चीन की प्रगति, भारत की IT क्षमता और यूरोप की हरित प्रौद्योगिकियों ने नवाचार केंद्रों में विविधता ला दी है।
 - **संस्थागत विविधीकरण:** ब्रिक्स+, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक और विस्तारित G20 सदस्यता जैसे नए मंच व्यापक निर्णय लेने की प्रक्रिया को दर्शाते हैं।

• बहुध्रुवीयता के प्रमुख चालक

➤ उभरती शक्तियाँ

- ◆ **चीन:** दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, बेल्ट एंड रोड की वैश्विक उपस्थिति।
- ◆ **भारत:** तीव्र विकास, डिजिटल सेवाओं में अग्रणी, जनसांख्यिकीय लाभांश।
- ◆ **ब्राज़ील और रूस:** संसाधन लाभ उठाने वाले क्षेत्रीय दिग्गज।

➤ क्षेत्रीय संगठन

- ◆ दक्षिण पूर्व एशिया में आसियान की केंद्रीयता।
- ◆ अफ्रीकी संघ का बढ़ता आर्थिक एकीकरण।

➤ वैश्विक दक्षिण अभिकथन

- ◆ अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संरचनात्मक सुधारों की बढ़ती माँग।
- ◆ संप्रभु समानता और विकास एजेंडा पर ज़ोर।

• चुनौतियाँ और प्रक्षेप पथ

- **विखंडन के जोखिम:** अनेक "व्यवस्थाएँ" संकटों के प्रति सामूहिक प्रतिक्रिया में बाधा डाल सकती हैं।
- **शक्ति प्रतिस्पर्धा:** अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता और रूस की यूरेशियाई महत्वाकांक्षाएँ क्षेत्रीय तनावों को बढ़ावा देती हैं।
- **लचीलेपन के अवसर:** मुद्रा-आधारित गठबंधन (जैसे, जलवायु समझौते, स्वास्थ्य सुरक्षा) ध्रुवों को पाट सकते हैं।

बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में भारत की भूमिका

• सामरिक स्वायत्तता और बहु-संरेखण

- **गुटनिरपेक्षता से बहु-संरेखण:** शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेतृत्व से लेकर विभिन्न गुटों के बीच व्यावहारिक जुड़ाव तक।
- **मुद्रा-आधारित साझेदारियाँ**
 - ◆ हिंद-प्रशांत सुरक्षा के लिए क्वाड (ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका)।
 - ◆ आर्थिक शासन सुधार के लिए ब्रिक्स+ और G20।
- **सॉफ्ट पावर आउटरीच:** अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में वैक्सीन कूटनीति, तकनीकी निर्यात, सांस्कृतिक पहल।

• जुड़ाव के प्रमुख क्षेत्र

➤ सुरक्षा और रक्षा

- ◆ भारत ने औपचारिक गठबंधनों के बिना भी अमेरिकी रक्षा संबंधों को गहरा किया है।
- ◆ रूस, फ्रांस और जापान के साथ संयुक्त अभ्यास।

➤ आर्थिक कूटनीति

- ◆ भारत ऋण राहत और सतत वित्त पोषण के मामले में G20 में नेतृत्व प्रदान करता है।

- ◆ **एक्ट ईस्ट नीति:** आसियान के साथ साझेदारी और क्षेत्रीय आपूर्ति-श्रृंखला विविधीकरण।

➤ वैश्विक शासन सुधार

- ◆ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए अभियान।
- ◆ वैश्विक दक्षिण के लिए समावेशी जलवायु वित्त और ऋण पुनर्गठन की वकालत।

• वैश्विक दक्षिण की आवाज़ के रूप में भारत

- बहुपक्षीय मंचों पर ऋण राहत, समान वैक्सीन पहुँच और जलवायु न्याय का समर्थन करता है।
- वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर सुरक्षा संबंधी अनिवार्यताओं के विरुद्ध चीन के साथ आर्थिक निर्भरता को संतुलित करता है।
- विकास साझेदारी को प्रदर्शित करने के लिए G20 और SCO की अध्यक्षता (2023) का लाभ उठाता है।

निष्कर्ष

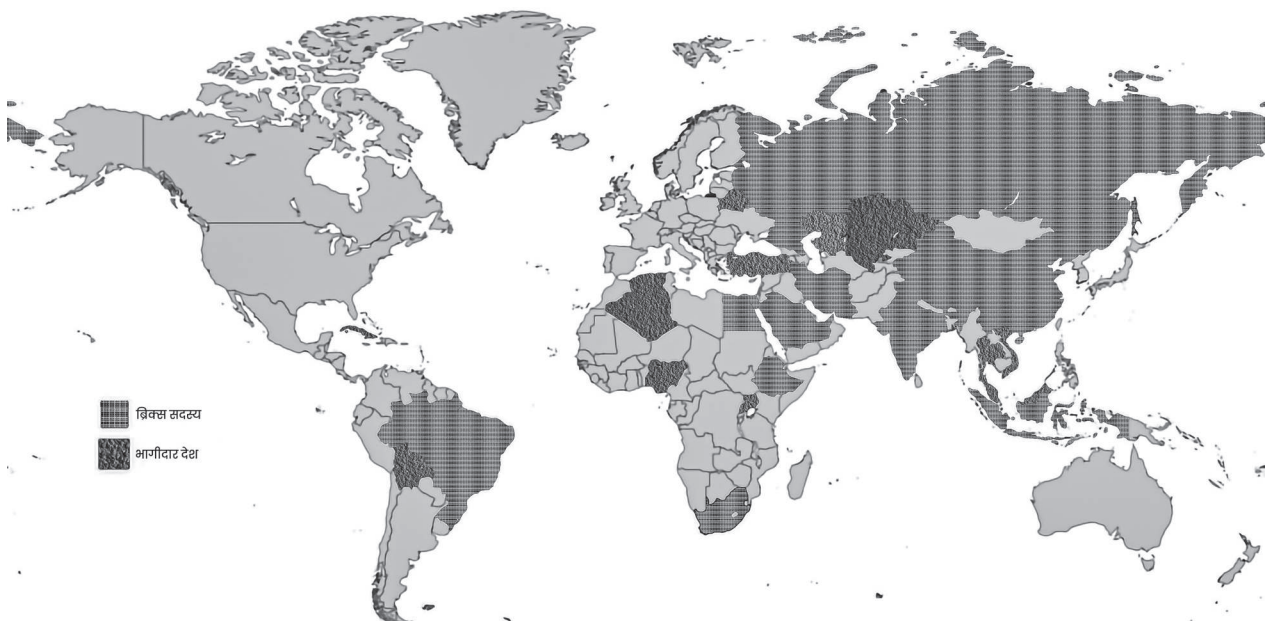
एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में परिवर्तन, पारंपरिक पश्चिमी आधिपत्य से शक्तियों के एक व्यापक समूह की ओर प्रसार को दर्शाता है, जो उभरते बाजारों में आर्थिक विकास, तकनीकी विविधीकरण और संस्थागत बहुलवाद द्वारा संचालित है। जहाँ बहुध्रुवीयता अधिक प्रतिनिधि और संतुलित वैश्विक शासन के अवसर प्रदान करती है, वहीं यह विखंडन और तीव्र प्रतिद्वंद्विता के जोखिम भी उत्पन्न करती है। भारत के लिए, यह बदलाव बहु-संरक्षण को आगे बढ़ाने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और एक अधिक न्यायसंगत अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को आकार देने में अपनी भूमिका को बढ़ाने के लिए रणनीतिक स्थान प्रदान करता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: उभरती हुई बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के प्राथमिक चालक और प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं? बहुध्रुवीयता वैश्विक शक्ति गतिशीलता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को व्यापक रूप से कैसे नया रूप देती है? [250 शब्द] [15 अंक]

ब्रिक्स



17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों: हाल ही में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संयुक्त घोषणापत्र की मुख्य विशेषताएँ

- **वैश्विक दक्षिण सहयोग पर संयुक्त घोषणापत्र:** 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संयुक्त घोषणापत्र पर रियो डी जेनेरियो में भाग लेने वाले देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। "अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ बनाना" शीर्षक वाला यह दस्तावेज़, अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने, बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने और एक अधिक न्यायसंगत विश्व व्यवस्था की दिशा में काम करने के लिए समूह की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
- **बहुपक्षवाद:** ब्रिक्स के सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लक्ष्यों और सिद्धांतों सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने के साथ-साथ बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इसके अतिरिक्त, यह दस्तावेज़ विकासशील देशों—विशेषकर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के देशों—से अंतर्राष्ट्रीय निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और संस्थानों में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह करता है।
- **वित्त:** 11 देशों ने वित्तीय क्षेत्र में उभरते और विकासशील देशों की विश्व बैंक और आईएमएफ में हिस्सेदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता:** देशों ने अपने संयुक्त घोषणापत्र में स्वीकार किया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रगति को और अधिक समृद्ध भविष्य की ओर ले जाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है।
- **जलवायु परिवर्तन:** देशों ने COP30 से पहले उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के लिए दीर्घकालिक धन जुटाने के एक नए तरीके के रूप में ट्राॅपिकल फ़ॉरेस्ट फ़ॉरेवर फ़ंड (TFFF) को स्वीकार किया और संभावित भागीदारों से महत्वाकांक्षी योगदान को प्रोत्साहित किया।
- **शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना:** उभरते देशों के विकास के लिए पर्याप्त धन की कीमत पर दुनिया भर में सैन्य खर्च में तेज़ी से वृद्धि की वर्तमान प्रवृत्ति नेताओं को चिंतित करती है।
- **स्वास्थ्य:** वैश्विक स्वास्थ्य प्रशासन को मज़बूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता और सहयोग को बढ़ावा देना।

- दुनिया की ग्यारह सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएँ, जिन्हें सामूहिक रूप से ब्रिक्स कहा जाता है, वैश्विक व्यापार का लगभग 29.5%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 40% और विश्व की 49.5% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- 2009 में, पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था।
- 2010 में न्यूयॉर्क में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में, दक्षिण अफ्रीका को जोड़कर ब्रिक्स को ब्रिक्स में बदलने का निर्णय लिया गया था।
- मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात 1 जनवरी, 2024 को ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य बन गए, जिससे संगठन का और विस्तार हुआ।
- इंडोनेशिया जनवरी 2025 में ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया, जबकि बेलारूस, बोलीविया, कज़ाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज़्बेकिस्तान को भागीदार के रूप में शामिल किया गया।
- ब्रिक्स सहयोग दो तरीकों से काम करता है: साझा हितों के विषयों पर परामर्श के लिए नेताओं और मंत्रियों के बीच बैठकें और विभिन्न क्षेत्रों, जैसे व्यापार, वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि, पर्यावरण, ऊर्जा, श्रम, आपदा प्रबंधन, भ्रष्टाचार-विरोधी, नशा-विरोधी, आदि में वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बैठकें।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल होने वाला नवीनतम सदस्य बना।
2. 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में आयोजित किया गया।
3. BRCIS में 11 सदस्य देश शामिल हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

(c) : 2024

कलादान मल्टी मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना (KMMTTP)

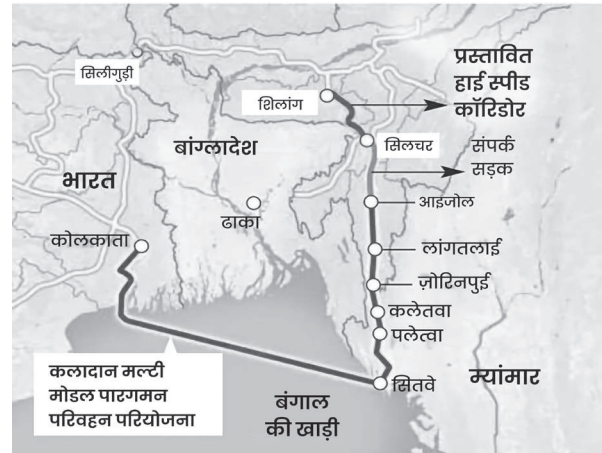
चर्चा में क्यों: केंद्रीय जहाजरानी मंत्री के अनुसार, भारत और म्यांमार के बीच महत्वाकांक्षी कलादान परियोजना, जिसका उद्देश्य देश के बाकी हिस्सों से पूर्वोत्तर की दूरी कम करना है, 2027 तक शुरू हो जाएगी।

परियोजना के बारे में

- कलादान मल्टी मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना (KMMTTP) भारत और म्यांमार के बीच एक महत्वपूर्ण संयुक्त पहल है।
- इसे भारत के पूर्वी बंदरगाहों से म्यांमार और फिर म्यांमार के रास्ते भारत के उत्तर-पूर्वी हिस्से तक माल भेजने के लिए एक मल्टी मॉडल परिवहन मार्ग स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
- **घटक**
 - **समुद्री मार्ग (कोलकाता से सित्तवे):** यह 539 किलोमीटर लंबा मार्ग भारत के कोलकाता बंदरगाह को बंगाल की खाड़ी के रास्ते म्यांमार के सित्तवे बंदरगाह से जोड़ता है। परियोजना का यह भाग पूरा हो चुका है और चालू है।
 - **अंतर्देशीय जलमार्ग (सित्तवे से पलेत्वा):** यह 158 किलोमीटर लंबा

खंड म्यांमार के काचिन राज्य में सित्तवे से पलेत्वा तक कलादान नदी पर अवस्थित है। इसमें नदी की तल-शोधन और पलेत्वा में 300 टन की नौकाओं को संभालने के लिए जेटी सुविधाओं का निर्माण शामिल है। नदी का यह हिस्सा भी पूरा हो चुका है।

- **सड़क मार्ग (पलेत्वा से भारत-म्यांमार सीमा):** इसमें पलेत्वा से ज़ोरिनपुई तक सड़क का निर्माण शामिल है, जो मिज़ोरम में भारत-म्यांमार सीमा पर स्थित है।



भारत के लिए परियोजना का महत्व

- **पूर्वोत्तर तक वैकल्पिक पहुँच:** यह परियोजना भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र तक पहुँचने के लिए एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक मार्ग प्रदान करती है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षेत्र की वर्तमान प्राथमिक पहुँच संकरे सिलीगुड़ी गलियारे से होकर गुजरती है, जो गंभीर आर्थिक और रणनीतिक चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है और अस्थिरता के प्रति संवेदनशील हो सकता है।
- **आर्थिक विकास और एकीकरण:** उत्पादों के लिए एक समुद्री मार्ग खोलकर, इससे पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है। यह परियोजना भारत और म्यांमार के बीच आर्थिक, वाणिज्यिक और रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देगी।
- **कम दूरी और यात्रा समय:** इस परियोजना से आइज़ोल और कोलकाता के बीच की दूरी 700 किलोमीटर कम होने का अनुमान है।
- **रणनीतिक स्वायत्तता और बांग्लादेश पर निर्भरता में कमी:** इस परियोजना का महत्व बढ़ गया है, खासकर बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों में आई गिरावट के बीच।
 - यह माल को बांग्लादेश के रास्ते पारगमन पर निर्भर हुए बिना विशाखापत्तनम और कोलकाता से पूर्वोत्तर तक पहुँचने की अनुमति देता है, जो महत्वपूर्ण है क्योंकि बांग्लादेशी मार्गों का उपयोग करने की पिछली योजनाएँ बांग्लादेशी सरकार में बदलाव के कारण रुक गई हैं।
 - यह परियोजना क्षेत्र में संभावित भू-रणनीतिक चुनौतियों को दूरकर करते हुए भारत की पूर्वोत्तर से निरंतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करती है।

अन्य कनेक्टिविटी परियोजनाएँ

- **भारत-म्यांमार-थाईलैंड लिपक्षीय राजमार्ग**

- म्यांमार में तामू, कलेवा और मांडले होते हुए मोरेह (मणिपुर) को माई सोत (थाईलैंड) से जोड़ने वाला 1,360 किलोमीटर लंबा चार-लेन राजमार्ग।
- यह पूर्वोत्तर को दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ एकीकृत करने की भारत की एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है।

- **अगरतला-अखौरा रेल लिंक**
 - अगरतला (लिपुरा) को अखौरा (बांग्लादेश) से जोड़ने वाला 15 किलोमीटर लंबा सीमा-पार रेल लिंक।
 - पूर्वोत्तर को चटगाँव और मोंगला बंदरगाहों तक सीधी रेल पहुँच प्रदान करता है।
- **अंतर्देशीय जल पारगमन एवं व्यापार प्रोटोकॉल (PIWTT)**
 - भारत और बांग्लादेश के बीच निर्दिष्ट जलमार्गों (NW-1, NW-2, NW-16) पर जहाजों की आवाजाही को सक्षम बनाता है।
 - असम और लिपुरा को कोलकाता/हल्दिया से जोड़ता है, जिससे स्थलीय मार्गों पर निर्भरता कम होती है।
- **भारत-भूटान रेलवे लिंक (कोकराझार-गेलेफू)**
 - कोकराझार (असम) से गेलेफू (भूटान) तक लगभग 69 किलोमीटर लंबी रेल लाइन प्रस्तावित है।
 - भूटान को उसकी पहली रेलवे पहुँच प्रदान करता है और पड़ोस प्रथम नीति के तहत सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देता है।
- **री-तिहुम रोड (मिज़ोरम-म्यांमार)**
 - भारत द्वारा रीचिन राज्य, म्यांमार से तिहुम तक 80 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण।
 - निर्बाध सड़क संपर्क के लिए कलेवा-यांग्मी और मोरेह-तामू उन्नयन का पूरक है।
- **इम्फाल-मोरेह रेलवे (प्रस्तावित)**
 - जिरीबाम-इम्फाल रेल परियोजना को म्यांमार सीमा पर मोरेह तक विस्तारित करने के लिए नियोजित ब्रॉड-गेज लाइन।
 - विस्तार के बाद, यह कलाय/तामू के माध्यम से ट्रांस-एशियन रेलवे नेटवर्क से जुड़ सकता है।
- **शिलांग-सिलचर हाई-स्पीड कॉरिडोर**
 - बांग्लादेश को बायपास करते हुए 167 किलोमीटर लंबा चार-लेन राजमार्ग, जो मेघालय की राजधानी को असम से जोड़ेगा और ज़ोरिनपुई (मिज़ोरम) में कलादान कॉरिडोर से जोड़ेगा।
- **पश्चिम बंगाल-बांग्लादेश अंतर्देशीय जलमार्ग पहुँच**
 - भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र द्वारा बांग्लादेश के माध्यम से जलमार्गों और स्थलीय मार्गों (जैसे, सुतारकंडी-शिओला, अगरतला-अखौरा) के माध्यम से चटगाँव और मोंगला बंदरगाहों का उपयोग करने के लिए समझौते।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: कलादान बहु-मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना (KMMTTP) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका उद्देश्य पूर्वी भारतीय राज्य मिज़ोरम को म्यांमार के सित्तवे बंदरगाह से जोड़ना है।
2. इस परियोजना में म्यांमार के माध्यम से भारत और थाईलैंड के बीच सड़क, नदी और रेल संपर्क शामिल है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

(e) 2022

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KMMTTP) को भारत के पूर्वोत्तर के लिए एक रणनीतिक जीवनरेखा माना जाता है। क्षेत्रीय संपर्क और रणनीतिक स्वायत्तता बढ़ाने में इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। साथ ही, उन चुनौतियों का भी परीक्षण कीजिए जो इसके समय पर पूरा होने में बाधा बन सकती हैं। [250 शब्द] [15 अंक]

ईरान का परमाणु कार्यक्रम और IAEA

चर्चा में क्यों: हाल ही में, ईरान के राष्ट्रपति ने देश को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ अपने सहयोग को निलंबित करने का आदेश दिया, क्योंकि अमेरिकी और इज़राइली हवाई हमलों ने उसके सबसे महत्वपूर्ण परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया था।

मुख्य विवरण

- ईरान ने 2015 में प्रतिबंधों में राहत के बदले में अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमति व्यक्त की थी, जिससे उसे यूरेनियम को 3.67% तक संवर्धित करने की अनुमति मिली, जो एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बिजली देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन हथियार-ग्रेड यूरेनियम के लिए आवश्यक 90% सीमा से काफी कम है।
- ईरान के यूरेनियम भंडार में भी भारी कमी की गई, उसके सेंट्रीफ्यूज के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया, और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तेहरान पर IAEA की और निगरानी रखी गई।
- समझौते के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता का मूल्यांकन मुख्य रूप से IAEA द्वारा किया गया था।
- हालाँकि, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने 2018 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान वाशिंगटन को एकतरफ़ा समझौते से बाहर कर दिया था, यह दावा करते हुए कि यह बहुत सरल था और उन्होंने ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और व्यापक मध्य पूर्व में चरमपंथी संगठनों को उसके समर्थन की अनदेखी की।
- ईरान वर्तमान में 60% तक संवर्द्धन कर रहा है (IAEA के अनुसार), जो हथियार-स्तर के स्तर से बस एक छोटा तकनीकी कदम दूर है।
- उसके पास कई परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री भी है।
- उपरोक्त जटिलताओं के कारण हाल ही में ईरान, इज़राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संघर्ष हुआ।

वैश्विक सुरक्षा पर प्रभाव

- **सत्यापन और निगरानी में कमी:** इस निलंबन से ईरान की परमाणु गतिविधियों पर नज़र रखने की IAEA की क्षमता में भारी कमी आएगी, जिससे कार्यक्रम की शांतिपूर्ण प्रकृति की गारंटी देना और भी मुश्किल हो सकता है।
- **तनाव में वृद्धि:** इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप ईरान और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है, जिसके परिणामस्वरूप ईरान के विरुद्ध अतिरिक्त प्रतिबंध या अन्य कार्रवाई हो सकती है।
- **परमाणु हथियार विकास का जोखिम:** इस बात की चिंता बढ़ रही है कि ईरान IAEA की निगरानी के बिना अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को गति दे सकता है, जिससे एक जोखिमपूर्ण क्षेत्रीय परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है।
- **क्षेत्रीय अस्थिरता:** यदि ईरान अन्य देशों से संभावित खतरों या दबाव के जवाब में आगे कार्रवाई करने के लिए दबाव महसूस करता है, तो यह स्थिति क्षेत्र को अस्थिर कर सकती है।
- **वैश्विक व्यापार व्यवधान:** लाल सागर और होर्मुज जलडमरूमध्य में नौवहन प्रभावित होगा।

- **भारत के लिए:** चाबहार बंदरगाह के संचालन को खतरे में डाल सकता है, ईरान और इजराइल के बीच राजनयिक संबंधों को बनाए रखना आदि।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA)

- परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करने और परमाणु हथियारों के विकास सहित किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए इसके उपयोग को रोकने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के तहत एक स्वतंत्र अंतर-सरकारी संगठन के रूप में की गई थी।
- इसकी स्थापना 1957 में संयुक्त राष्ट्र के "शांति के लिए परमाणु" संगठन के रूप में की गई थी।
- यह UNGA और UNSC दोनों को रिपोर्ट करता है और इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में है।
- एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण विश्व बनाने के इसके प्रयासों के लिए इसे 2005 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला।
- भारत IAEA के संस्थापक सदस्यों में से एक है, जिसके वर्तमान में 178 सदस्य देश हैं।
- **अधिदेश:**
 - शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा अनुप्रयोगों को प्रोत्साहित करना।
 - यह सुनिश्चित करना कि किसी भी परमाणु सामग्री का सैन्य उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग न हो।
 - विकिरण सुरक्षा, परमाणु सुरक्षा और संरक्षा के मानकों को प्रोत्साहित करना।
 - दुनिया भर में परमाणु प्रौद्योगिकी अनुसंधान, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करना।

निष्कर्ष

ईरान द्वारा IAEA के साथ सहयोग स्थगित करने से वैश्विक परमाणु निगरानी कमजोर होती है और क्षेत्रीय तनाव बढ़ता है। यह परमाणु अप्रसार सुनिश्चित करने और वैश्विक सुरक्षा बनाए रखने के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय तंत्रों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसकी स्थापना 1957 में संयुक्त राष्ट्र के तहत एक स्वतंत्र अंतर-सरकारी संगठन के रूप में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और इसके सैन्य उपयोग को रोकने के लिए की गई थी।
2. यह केवल संयुक्त राष्ट्र महासभा को रिपोर्ट करता है और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

(e) :2122

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: परमाणु अप्रसार सुनिश्चित करने में IAEA की भूमिका पर चर्चा कीजिए और ईरान द्वारा सहयोग स्थगित करने के क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों का परीक्षण कीजिए। [150 शब्द] [10 अंक]

भारत-अफ्रीका संबंध

चर्चा में क्यों: घाना की संसद को दिए अपने ऐतिहासिक संबोधन में, प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसी समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक संस्थागत सुधारों की वकालत की।

भारत-अफ्रीका संबंधों के बारे में

- **ऐतिहासिक और साझा मूल्य:** यह संबंध केवल रणनीतिक चिंताओं या आर्थिक लाभों के बजाय भावनात्मक बंधन और एकजुटता पर आधारित है। दोनों क्षेत्रों का उपनिवेशवाद और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का इतिहास रहा है।
- **विकास साझेदारी और क्षमता निर्माण:** भारत स्थानीय क्षमता निर्माण और आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र पर केंद्रित मांग-संचालित और समावेशी दृष्टिकोण के माध्यम से अफ्रीका के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
- **वित्तीय सहायता:** भारत ने अफ्रीकी देशों को 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता प्रदान की है, जिसमें स्वास्थ्य उपकरण, एम्बुलेंस, जयपुर फुट कृत्रिम अंग और खाद्यान्न शामिल हैं। भारत ने विविध विकास परियोजनाओं के लिए 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता देने का भी वादा किया है, जिसके तहत 42 अफ्रीकी देशों में 189 परियोजनाएँ क्रियान्वित या प्रारंभिक अवस्था में हैं।
- **व्यापार और आर्थिक सहयोग:** व्यापार एक आधारशिला रहा है, पिछले एक दशक में द्विपक्षीय आदान-प्रदान लगभग 103 अरब डॉलर तक पहुँच गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के अनुसार, भारत-अफ्रीका व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2023-24 में लगभग 83.34 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगा। भारत अफ्रीका में पाँचवाँ सबसे बड़ा निवेशक भी है, जिसका संघीय निवेश 75 अरब डॉलर से अधिक है।
- **शिक्षा और कौशल विकास:** आईआईटी ज़ांजीबार, युगांडा में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, रवांडा में उद्यमिता विकास केंद्र, और विभिन्न आईटी और प्रशिक्षण केंद्र जैसी पहल शिक्षा और क्षमता निर्माण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जो 21वीं सदी के लिए अफ्रीकियों को शिक्षित करने पर अफ्रीकी संघ के फोकस के साथ संरेखित हैं।
- **स्वास्थ्य पहल:** भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान 32 अफ्रीकी देशों को लगभग 150 टन चिकित्सा सहायता प्रदान की और भारत की 'वैक्सिन मैत्री' पहल का एक प्रमुख लाभार्थी रहा। भारत चिकित्सा उपकरण और कैन्सर उपचार मशीनें भी प्रदान करता है।
- **अवसंरचना विकास:** भारत ने 43 अफ्रीकी देशों में 206 परियोजनाएँ पूरी कर ली हैं, 65 परियोजनाएँ प्रगति पर हैं तथा 81 परियोजनाएँ तैयारी के चरण में हैं, जिनमें पेयजल, सिंचाई, विद्युत संयंत्र और रेलवे अवसंरचना शामिल हैं।
- **सुरक्षा और समुद्री सहयोग:** भारत नाइजीरिया, इथियोपिया और तंजानिया में रक्षा अकादमियों की स्थापना में योगदान दे रहा है। भारत सभी देशों के लाभ के लिए महासागरों को खुला और मुक्त रखने के लिए अफ्रीकी देशों के साथ भी काम करता है।
- **वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद:** भारत एजुल्विनी सहमति के अनुरूप, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित वैश्विक संस्थाओं में अफ्रीकी लोगों के अधिक प्रतिनिधित्व की वकालत करता है। अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान, भारत ने अफ्रीकी संघ को पूर्ण सदस्यता प्रदान करने का समर्थन किया था।

संबंधों में उभरती चुनौतियाँ

- **अपर्याप्त परिवहन अवसंरचना:** औपनिवेशिक विरासत के परिणामस्वरूप परिवहन नेटवर्क का विकास हुआ है जो मुख्य रूप से संसाधन-समृद्ध क्षेत्रों को बंदरगाहों से जोड़ता है, जिससे अफ्रीका के अलावा अन्य महाद्वीपों के साथ मजबूत संबंध बनते हैं, तथा पूरे महाद्वीप में एकीकृत बाजार में बाधा उत्पन्न होती है।

- **खाद्य सुरक्षा चुनौतियाँ:** अफ्रीका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 20% होने और आधी से ज़्यादा आबादी को रोज़गार देने के बावजूद, अफ्रीका खाद्य सुरक्षा के मुद्दे से जूझ रहा है और अनाज के आयात पर 27 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च कर रहा है। अधिकांश खाद्य उत्पादन छोटे किसानों से आता है।
- **व्यापक अफ्रीकी जटिलताएँ:** अफ्रीका को ऋण, आंतरिक कलह, राजनीतिक अस्थिरता और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- **वैश्विक स्वास्थ्य असमानताएँ:** कोविड-19 महामारी ने वैक्सीन रंगभेद और याता प्रतिबंधों जैसे मुद्दों को उजागर किया है, जिसने अफ्रीका को असमान रूप से प्रभावित किया है, जिससे मजबूत वैश्विक साझेदारी की आवश्यकता पर बल मिलता है।
- **कम अंतर-अफ्रीकी व्यापार:** 2021 में अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (AfCFTA) के शुभारंभ के बावजूद, अंतर-अफ्रीकी व्यापार 2022 में केवल 13.2%, 2023 में 14.9% और 2024 में 15.5% था। समझौते का उद्देश्य इसे महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देना है, लेकिन कार्यान्वयन बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

आगे की राह

- **AfCFTA के कार्यान्वयन में सहयोग:** व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में समान चुनौतियों का सामना करने के अपने अनुभव को देखते हुए, भारत AfCFTA के कार्यान्वयन और सुधार में अफ्रीकी देशों की सहायता करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। इसमें व्यापार बाधाओं को दूर करके अंतर-अफ्रीकी व्यापार को बढ़ावा देना शामिल है।
- **परिवहन अवसंरचना में निवेश:** भारत और AfCFTA हस्ताक्षरकर्ता देश औपनिवेशिक विरासत से उबरने और एकीकृत बाज़ार को सुगम बनाने के लिए परिवहन अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं।
- **कृषि-तकनीक पहलों की वकालत:** भारत अपने विशाल अनुभव का लाभ

अफ्रीकी छोटे किसानों के लिए कृषि-तकनीक पहलों की वकालत करने, उत्पादन, उपज की भविष्यवाणी, और मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य पर नज़र रखने के लिए ड्रोन और एआई जैसी आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए उठा सकता है।

- **डिजिटल सार्वजनिक वस्तुएँ और एकीकृत बाज़ार:** भारत, अफ्रीका में एकीकृत महाद्वीपीय कृषि बाज़ार बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि बाज़ार योजना (ई-नाम) जैसी पहलों को लागू करने में सहायता कर सकता है। भारत की डिजिटल जैसी सेवाएँ व्यापारिक दस्तावेज़ों को सुव्यवस्थित करने में मदद कर सकती हैं।
- **हरित विकास और सतत विकास:** भारत और अफ्रीका विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से "स्वच्छ और हरित" साझेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं और नीली अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
- **क्षेत्रीय संपर्क:** भारत और जापान को शामिल करते हुए अफ्रीका एशिया ग्रोथ कॉरिडोर (एएजीसी) जैसी पहल का उद्देश्य अफ्रीका के एजेंडा 2063 के साथ संरेखित करते हुए क्षेत्रीय संपर्क और एकीकरण को बढ़ावा देना है।
- **निरंतर राजनयिक विस्तार और लोगों के बीच संबंध:** भारत अफ्रीका में 46 मिशनो के साथ अपनी राजनयिक उपस्थिति का विस्तार कर रहा है। लोगों के बीच संबंध एक महत्वपूर्ण आयाम हैं, क्योंकि भारत 33 अफ्रीकी देशों को ई-वीज़ा सुविधाएँ प्रदान कर रहा है और 2021 में 23,000 से अधिक और 2024 तक लगभग 40,000 अफ्रीकी छात्र भारत में अध्ययन करेंगे।

निष्कर्ष

साझा इतिहास और एकजुटता पर आधारित भारत-अफ्रीका संबंध, व्यापार, बुनियादी ढाँचे, कृषि-तकनीक, डिजिटल नवाचारों, हरित ऊर्जा और लोगों के बीच संबंधों को शामिल करते हुए एक व्यापक साझेदारी के रूप में विकसित हो रहे हैं। संपर्क बढ़ाकर, AfCFTA का समर्थन करके और सतत विकास को बढ़ावा देकर, यह साझेदारी अफ्रीका के आर्थिक एकीकरण को गति प्रदान कर सकती है और साथ ही दोनों क्षेत्रों के लिए समावेशी और सुदृढ़ विकास सुनिश्चित कर सकती है।

समाचार में देश: घाना

- घाना पश्चिम अफ्रीका में स्थित है और कोट डी आइवरी (आइवरी कोस्ट) और टोगो के बीच स्थित है।
- इसकी उत्तरी सीमा बुर्किना फासो देश से लगती है और दक्षिणी सीमा गिनी की खाड़ी से लगती है।
- इस भूदृश्य में मुख्य रूप से मैदान और निचले पठार हैं जो पश्चिम में वर्षा वनों से तथा पूर्व में वोल्टा झील से ढके हैं।
- आधिकारिक नाम: घाना गणराज्य
- सरकार का स्वरूप: संवैधानिक लोकतंत्र
- राजधानी: अक्रा
- मुद्रा: सेडी



यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: अफ्रीका के आर्थिक एकीकरण को मज़बूत करने की भारत की रणनीति के मुख्य तत्व क्या हैं? भारत-अफ्रीका सहयोग बढ़ने से किन विशिष्ट क्षेत्रों को सबसे ज़्यादा लाभ होगा? [250 शब्द] [15 अंक]

भारत-अर्जेंटीना संबंध

चर्चा में क्यों: हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जेवियर माइली के बीच उच्च स्तरीय वार्ता के बाद, भारत और अर्जेंटीना महत्वपूर्ण खनिजों, शेल गैस, रक्षा निर्माण, अंतरिक्ष, टेलीमेडिसिन, डिजिटल स्वास्थ्य और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए।

मुख्य विवरण

- **व्यापार और आर्थिक संबंधों को मज़बूत करना:** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने हाल ही में भारत-अर्जेंटीना व्यापार क्षेत्र में विविधता लाने पर सहमति व्यक्त की, जिसका उद्देश्य पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करना और समग्र आर्थिक सहयोग को मज़बूत करना है। अर्जेंटीना वर्तमान में बड़े आर्थिक सुधारों के दौर से गुज़र रहा है, जिससे भारत के साथ आर्थिक तालमेल के अवसर पैदा हो रहे हैं।
- **ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिज सहयोग:** अर्जेंटीना के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शेल गैस और चौथा सबसे बड़ा शेल तेल भंडार है, जो इसे भारत के लिए एक संभावित दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदार बनाता है। लिथियम, तांबा और दुर्लभ मृदा जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के अर्जेंटीना के समृद्ध भंडार भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के संयुक्त उद्यम, KABIL, ने खनिज अन्वेषण के लिए अर्जेंटीना में रियायतें हासिल कर ली हैं।
- **रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग:** भारत ने उपग्रह विकास, प्रक्षेपण सेवाओं और क्षमता निर्माण सहित रक्षा निर्माण और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अपनी विशेषज्ञता की पेशकश की। दोनों देश सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और रक्षा उत्पादन में सहयोग की संभावनाएँ तलाशना चाहते हैं।
- **स्वास्थ्य सेवा और डिजिटल सहयोग:** भारत ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) में अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए, टेलीमेडिसिन, डिजिटल स्वास्थ्य समाधान और लागत प्रभावी स्वास्थ्य सेवा वितरण में सहयोग का प्रस्ताव रखा। भारतीय डिजिटल समाधान और आईटी विशेषज्ञता अर्जेंटीना को सेवा वितरण और समावेशन में सुधार करने में मदद कर सकती है।
- **व्यापक रणनीतिक जुड़ाव:** नेताओं ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई, जो रणनीतिक संरक्षण का आधार बना।

भारत के लिए महत्व

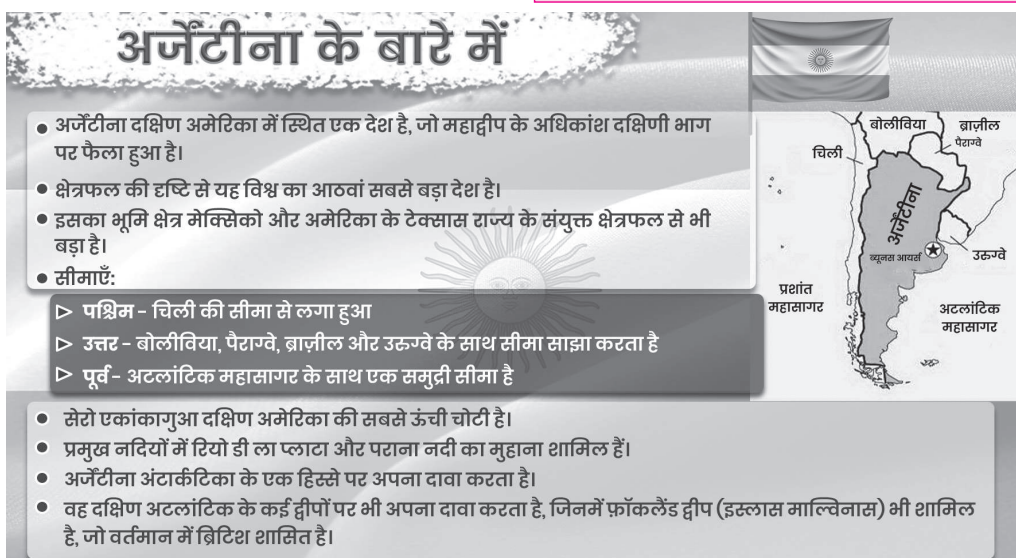
- अर्जेंटीना के साथ संबंधों को मज़बूत करना भारत की ऊर्जा सुरक्षा, खनिज

आपूर्ति श्रृंखलाओं और लैटिन अमेरिका में रणनीतिक उपस्थिति को मज़बूत करता है।

- यह साझेदारी बदलती भू-राजनीतिक गतिशीलता के बीच वैश्विक साझेदारियों में विविधता लाने के भारत के प्रयासों का पूरक है।
- अर्जेंटीना के साथ जुड़ाव तेज़ी से सुधरती अर्थव्यवस्था में भारत के प्रौद्योगिकी निर्यात, स्वास्थ्य कूटनीति और बुनियादी ढाँचे के सहयोग के लिए भी रास्ते खोलता है।

भारत-अर्जेंटीना संबंध

- फरवरी 2019 में अर्जेंटीना के तत्कालीन राष्ट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान भारत-अर्जेंटीना राजनयिक संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ा दिया गया। दोनों देशों ने 3 फरवरी 2024 को अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे किए। द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 2024 के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- **आर्थिक संबंध:** भारत-अर्जेंटीना द्विपक्षीय व्यापार 2019 से 2022 तक तीन वर्षों में दोगुने से अधिक हो गया, जो 2022 में 6.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के शिखर पर पहुँच गया। 2021 और 2022 दोनों में, भारत अर्जेंटीना का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। 2024 में, नई सरकार के तहत बेहतर मौसम और अधिक स्थिर अर्थव्यवस्था के साथ, व्यापार ने अपनी गति पुनः प्राप्त की, जो 33% बढ़कर 5.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
- **तकनीकी एवं विकास सहयोग:** भारत, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए अर्जेंटीना को प्रतिवर्ष 40-45 ITEC छात्रवृत्तियाँ प्रदान करता है, जिनमें अब तक 300 से अधिक ITEC पूर्व छात्र शामिल हैं। अर्जेंटीना ने भारत की अंतरिक्ष प्रशिक्षण पहलों में भी भाग लिया है, जिनमें इसरो का उन्नति कार्यक्रम और IIT कानपुर द्वारा संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम शामिल हैं।
- **सांस्कृतिक संबंध:** भारतीय संस्कृति, योग, ध्यान, दर्शन, अध्यात्म, नृत्य और संगीत के प्रति प्रशंसा और प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आर्ट ऑफ़ लिविंग, ब्रह्मकुमारी, रामकृष्ण मिशन, श्री सत्य साई बाबा, भक्ति मार्ग, शिवानंद योग और इस्कॉन जैसे भारतीय संगठनों के असाधारण अनुयायी हैं।
- **भारतीय समुदाय:** अर्जेंटीना में लगभग 2600 अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के लोग हैं। इनमें से अधिकांश राजधानी ब्यूनस आयर्स में रहते हैं, जिनमें भारतीय कंपनियों और कॉन्सिजेंट टेक्नोलॉजीज, आईबीएम, जेपी मॉर्गन आदि जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ काम करने वाले पेशेवर शामिल हैं।



यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: अर्जेंटीना के साथ भारत की साझेदारी ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सहयोग और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग के लिए एक रणनीतिक अवसर प्रदान करती है। भारत की व्यापक विदेश नीति के उद्देश्यों के संदर्भ में भारत-अर्जेंटीना संबंधों के महत्व पर चर्चा कीजिए। [250 शब्द] [15 अंक]

भारत-भूटान साझेदारी विकास समीक्षा

चर्चा में क्यों: हाल ही में, भारत और भूटान ने 2024-2029 के लिए नई दिल्ली के ₹10,000 करोड़ के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की "पूर्ण स्पेक्ट्रम" समीक्षा की।

भारत-भूटान संबंध

- संबंधों की शुरुआत:** 1949 की मैत्री और सहयोग संधि, जिसे फरवरी 2007 में अद्यतन किया गया था, भारत-भूटान संबंधों का मूलभूत आधार है।
- विकास के लिए साझेदारी:** भारत और भूटान ने 1971 में देश की पहली पंचवर्षीय योजना के बाद से भूटानी सरकार और लोगों के लक्ष्यों के अनुरूप सामाजिक-आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम किया है।
- वाणिज्य और व्यापार:** आयात के स्रोत और निर्यात के गंतव्य के रूप में, भारत लगातार भूटान का शीर्ष व्यापारिक भागीदार रहा है। भारत और भूटान का व्यापार 2014 से लगभग तिगुना हो गया है, जो 2014-15 में 484 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2022-23 में 1615 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। व्यापार, वाणिज्य और पारगमन पर भारत-भूटान समझौता भूटान को तीसरे देशों से वस्तुओं के शुल्क-मुक्त पारगमन की अनुमति देता है और दोनों देशों के बीच एक मुक्त व्यापार व्यवस्था बनाता है।
- निवेश:** भारत, भूटान में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का शीर्ष स्रोत बना हुआ है, जो कुल FDI के आधे से अधिक के लिए ज़िम्मेदार है।
- मुद्रा विनिमय सुविधा:** नवंबर 2022 में, RBI और रॉयल मॉनेटरी ऑथॉरिटी (RMA) ने SAARC मुद्रा विनिमय व्यवस्था के तहत 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के INR समकक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किए। RBI द्वारा शुरू किए गए SAARC देशों के लिए मुद्रा विनिमय व्यवस्था (FCSA) 2024-2027 के नए ढाँचे के तहत भूटान को 1500 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है।
- फिनटेक:** भूटान में RuPay कार्ड दो चरणों में पेश किया गया था। पहला चरण 2019 में शुरू हुआ और भारतीय बैंकों द्वारा जारी RuPay कार्ड से भूटान में भुगतान करने की अनुमति दी गई। 2020 में, भूटानी बैंकों द्वारा जारी RuPay कार्ड को भारत में भुगतान विधियों के रूप में स्वीकार करने की अनुमति देने के लिए दूसरा चरण शुरू किया गया। दोनों देशों के बीच कैशलेस लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए, भारत का भारत इंटरफेस फॉर मनी (BHIM) ऐप 2021 में भूटान में पेश किया गया।
- ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग:** जलविद्युत के क्षेत्र में, दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। भारत सरकार ने अब तक भूटान में कुल 2136 मेगावाट की चार बड़ी जलविद्युत परियोजनाएँ (HEP) बनाई हैं।
- अंतरिक्ष क्षेत्र:** भारत और भूटान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पहला उपग्रह, भारत-भूटान SAT, दोनों देशों द्वारा विकसित किया गया था और 26 नवंबर, 2022 को श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था।

- सीमा पार संपर्क:** तीसरे देशों के नागरिकों सहित अन्य लोगों के लिए भारत और भूटान के बीच यात्रा को आसान बनाने के लिए दर्रा में एक आब्रजन जॉच चौकी स्थापित की गई थी।
- शिक्षा और क्षमता निर्माण:** भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों में नामांकित 1000 से अधिक भूटानी छात्रों को हर साल राजदूत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- भारत-भूटान सांस्कृतिक संपर्क फाउंडेशन:** शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पहलों के माध्यम से, यह फाउंडेशन भारत और भूटान के लोगों के बीच बेहतर संचार को बढ़ावा देता है।
- तीर्थयात्रा:** कई भूटानी तीर्थयात्री भारत में बौद्ध स्थलों, जैसे बोधगया, राजगीर, नालंदा, सिक्किम, उदयगिरि और सारनाथ, की यात्रा करते हैं।

भारत के लिए भूटान का महत्व

- भू-रणनीतिक महत्व:** भूटान अपनी अनुकूल स्थिति के कारण भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी सीमाएँ चीन और भारत दोनों से लगती हैं। भूटान भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को सुरक्षा गारंटी भी प्रदान करता है।
- पर्यावरण सहयोग:** चूंकि दोनों देश हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को साझा करते हैं, इसलिए वे संरक्षण, आपदा राहत और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पर सहयोग कर सकते हैं।
- सांस्कृतिक संबंध:** भारत और भूटान के बीच एक मज़बूत सांस्कृतिक संबंध है। भारत की संस्कृति का भूटान के धर्म, भाषा और रीति-रिवाजों पर गहरा प्रभाव है।
- जलविद्युत सहयोग:** द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग का आधार भूटान के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी जलविद्युत सहयोग है, जो भारत को स्वच्छ ऊर्जा और भूटान को आर्थिक समृद्धि प्रदान करता है।
- मानसून प्रभाव और बाढ़ प्रबंधन:** मानसून के मौसम में असम और बंगाल की सुरक्षा के लिए, भूटान भारत को नदी प्रवाह के वास्तविक समय के आंकड़े और बाढ़ की पूर्व चेतावनी देता है।
- उग्रवाद-विरोधी कवच:** भूटान में शरण लेने वाले पूर्वोत्तर उग्रवादियों से निपटने के लिए, भारत और भूटान ने 2003 में ऑपरेशन ऑल क्लियर जैसे सहयोगी अभियान चलाए हैं।

निष्कर्ष

भारत-भूटान संबंध विश्वास, विकास और साझा रणनीतिक हितों का उदाहरण हैं। उभरते क्षेत्रों में गहराता सहयोग क्षेत्रीय स्थिरता को मज़बूत करेगा और भारत की 'पड़ोस प्रथम' नीति को मज़बूत करेगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: "भारत-भूटान संबंध विश्वास, पारस्परिक लाभ और रणनीतिक अभिसरण पर आधारित क्षेत्रीय सहयोग के एक सफल मॉडल का प्रतिनिधित्व करते हैं।" विकास साझेदारी और भू-रणनीतिक महत्व के संदर्भ में इस संबंध की उभरती रूपरेखा का परीक्षण कीजिए। [250 शब्द] [15 अंक]

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO)

चर्चा में क्यों: हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) परिषद के 134वें सत्र में भाग लिया।

मुख्य विवरण

- भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) से भारतीय जलक्षेत्र में संचालित विदेशी ध्वज वाले कंटेनर जहाजों से जुड़ी सभी समुद्री घटनाओं की गहन जाँच और वैश्विक समीक्षा करने का आग्रह किया।
- हाल की समुद्री घटनाओं से गंभीर सुरक्षा चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं, जो अघोषित खतरनाक माल के साथ-साथ संरचनात्मक और स्थिरता संबंधी समस्याओं का परिणाम हैं।
- भारत ने लिथियम-आयन बैटरी पैकेजिंग, भंडारण और निगरानी के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक वस्तुओं (IMDG) से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया।
- अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के विकास को बढ़ावा देने, मानकीकरण को बढ़ाने और दुनिया भर में कंटेनर जहाज संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले परिचालन मानदंडों को सुदृढ़ करने के लिए, भारत ने ऐसी घटनाओं की IMO के नेतृत्व में जाँच स्थापित करने का भी सुझाव दिया।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन

- संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय नौवहन की सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाने के लिए कार्रवाई करने हेतु उत्तरदायी है।
- वैश्विक नौवहन उद्योग विनियमों के विकास पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव है।
- मुख्यालय:** लंदन
- सदस्य:** IMO में 175 सदस्य देश और तीन सहयोगी सदस्य शामिल हैं।

IMO की संरचना

- सभा, IMO के सर्वोच्च शासी निकाय के रूप में कार्य करती है।
- परिषद के 40 सदस्यों का चयन सभा द्वारा दो वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है।
- कार्यकारी शाखा के रूप में, IMO परिषद संगठन के संचालन, विशेष रूप से प्रदूषण नियंत्रण और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्रों में, की देखरेख के लिए उत्तरदायी है।
- अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संहिताएँ, प्रस्ताव और दिशानिर्देश IMO की पाँच समितियों और अनेक उपसमितियों द्वारा विकसित और अपनाए जाते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की भूमिका और अधिदेश

- नौवहन क्षेत्र के विनियमों का ढाँचा:** वैश्विक वाणिज्य के लिए बिना किसी भेदभाव के नौवहन सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल सरकारों को भेदभावपूर्ण कार्रवाइयों और अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- नौवहन सुरक्षा और संरक्षा:** इस महत्वपूर्ण उद्योग की सुरक्षा, पर्यावरणीय सुदृढ़ता, ऊर्जा दक्षता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए, IMO विनियम अंतर्राष्ट्रीय नौवहन के हर पहलू को संबोधित करते हैं, जिसमें जहाज का डिज़ाइन, निर्माण, उपकरण, मानव संसाधन, संचालन और निपटान शामिल हैं।
- नए जहाज निर्माण मानक:** मानकों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संपूर्ण मानक IMO द्वारा निर्धारित कार्यात्मक आवश्यकताओं और सुरक्षा उद्देश्यों को पूरा करते हैं।
- समुद्री डकैती के विरुद्ध कदम:** IMO समुद्र में समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती को रोकने के लिए भी कार्य करता है, इसके लिए वह ऐसी नीतियों को लागू करता है जिनमें कानून प्रवर्तन एजेंसियों, बंदरगाह कर्मचारियों और नाविकों के प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण में मदद करना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन में, यह आरोपी अपराधियों को न्याय के कठघरे में लाता है।
- समुद्री हताहतों और दुर्घटनाओं की जाँच:** अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO)

अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में होने वाली दुर्घटनाओं और हताहतों की निगरानी और जाँच करता है। यह यह भी सुनिश्चित करता है कि दुर्घटनाओं की जाँच, विश्लेषण और रिपोर्टिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुपालन में की जाए।

- समुद्री प्रदूषण:** कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए, IMO ने शिपिंग को कार्बन-मुक्त करने की एक साहसिक योजना की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त, इसने व्यापारिक जहाजों के लिए 0.5% से अधिक सल्फर युक्त ईंधन जलाना अवैध बना दिया है।

निष्कर्ष

खतरनाक माल जैसे उभरते जोखिमों को उजागर करके और कड़े अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों पर जोर देकर, भारत एक सुरक्षित और अधिक सुरक्षित समुद्री भविष्य को आकार देने में एक सक्रिय हितधारक के रूप में अपनी स्थिति बनाता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- IMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।
- इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

(B) : 2020

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) में भारत की सक्रिय भागीदारी उसके बढ़ते समुद्री हितों और उभरते सुरक्षा जोखिमों पर चिंताओं को उजागर करती है। वैश्विक समुद्री शासन में IMO की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और 134वें IMO परिषद सत्र में भारत के हालिया प्रस्तावों का मूल्यांकन कीजिए। [250 शब्द] [15 अंक]

रासायनिक हथियार निषेध संगठन (OPCW)

चर्चा में क्यों: रासायनिक हथियार निषेध संगठन (OPCW) ने भारत के राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार अभिसमय (NACWC) के सहयोग से, 1 से 3 जुलाई तक वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में एशिया के सदस्य देशों के राष्ट्रीय प्राधिकरणों की 23वीं क्षेत्रीय बैठक आयोजित की।

मुख्य परिणाम

- क्षमता निर्माण और ज्ञान के आदान-प्रदान में वृद्धि:** यह बैठक राष्ट्रीय प्राधिकरणों के क्षमता निर्माण के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए एक वार्षिक मंच के रूप में कार्य करती है। इसने प्रतिभागियों को रासायनिक हथियार अभिसमय के कार्यान्वयन से संबंधित अनुभवों, सूचनाओं और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया।
- कार्यान्वयन चुनौतियों और समाधानों पर चर्चा:** प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय कार्यान्वयन चुनौतियों पर चर्चा की और अभिसमय के तहत दायित्वों के अनुपालन हेतु मुद्दों और समाधानों पर विचार-विमर्श किया।
- क्षेत्रीय और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना:** बैठक में हुई बातचीत से द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलने और एशिया में राष्ट्रीय प्राधिकरणों के बीच नेटवर्क को मजबूत करने की संभावना है। व्यापक संभावना यह है कि तीन दिवसीय बैठक सीडब्ल्यूसी के कार्यान्वयन में एशियाई देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करेगी।

- **वैश्विक निरस्त्रीकरण अधिदेश का सुदृढ़ीकरण:** बैठक में रासायनिक हथियारों के सत्यापन योग्य और स्थायी उन्मूलन की देखरेख करने वाले वैश्विक प्राधिकरण के रूप में रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन (ओपीसीडब्ल्यू) के निरंतर प्रयासों पर जोर दिया गया, जिससे वैश्विक रासायनिक निरस्त्रीकरण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और मज़बूत हुई, जिसके लिए उसे 2013 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था।

रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन (ओपीसीडब्ल्यू)

- ओपीसीडब्ल्यू रासायनिक हथियार अभिसमय का कार्यान्वयन निकाय है।
- ओपीसीडब्ल्यू की स्थापना 29 अप्रैल 1997 को रासायनिक हथियार अभिसमय के लागू होने पर हुई थी।
- इसका उद्देश्य रासायनिक हथियारों से मुक्त विश्व का निर्माण करना है।
- ओपीसीडब्ल्यू के 193 सदस्य देश हैं। ये वे देश हैं जिन्होंने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं।
- ओपीसीडब्ल्यू की निगरानी में दुनिया के घोषित रासायनिक हथियारों के 100% भंडार नष्ट कर दिए गए हैं।
- 2013 में, ओपीसीडब्ल्यू को रासायनिक हथियारों के उन्मूलन के अपने व्यापक प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

रासायनिक हथियार अभिसमय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में भारत की भूमिका

- भारत इस अभिसमय का मूल हस्ताक्षरकर्ता है।
- एनएसीडब्ल्यूसी भारत का राष्ट्रीय निकाय है जो रासायनिक हथियार अभिसमय के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।
- 2024 में, एनएसीडब्ल्यूसी ने दुनिया भर में कार्यान्वयन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ओपीसीडब्ल्यू के मेंटरशिप/पार्टनरशिप कार्यक्रम के तहत केन्या के राष्ट्रीय प्राधिकरण का सफलतापूर्वक मार्गदर्शन किया।
- भारत का सबसे पुराना रासायनिक उद्योग संघ, भारतीय रासायनिक परिषद (आईसीसी), एनएसीडब्ल्यूसी के साथ मिलकर काम करता है।
- 2024 में, आईसीसी को ओपीसीडब्ल्यू-द हेग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पहली बार था जब किसी रासायनिक उद्योग निकाय को यह सम्मान प्राप्त हुआ। इस पुरस्कार ने अभिसमय के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और भारत में उद्योग-व्यापी सुरक्षा और संरक्षा प्रथाओं में सुधार लाने में आईसीसी के योगदान को मान्यता दी।

यपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: रासायनिक हथियार निषेध संगठन (ओपीसीडब्ल्यू) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ओपीसीडब्ल्यू की स्थापना 1997 में रासायनिक हथियार अभिसमय को लागू करने और रासायनिक हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के लिए की गई थी।
2. इसके 193 सदस्य देश हैं और 2013 में इसे रासायनिक हथियारों को खत्म करने के प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही

(c) उत्तर:

इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC)

चर्चा में क्यों: इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) ने ईरान, सीरिया और लेबनान पर हाल ही में हुए इजराइली हमलों की कड़ी निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया।

OIC विदेश मंत्रियों की 51वीं परिषद की बैठक

- OIC विदेश मंत्रियों की परिषद का 51वाँ सत्र 21-22 जून को इस्तांबुल, तुर्की में आयोजित किया गया।
- OIC ने ईरान, सीरिया और लेबनान पर हाल ही में हुए इज़राइली हमलों की कड़ी निंदा की। इस्तांबुल घोषणापत्र में इन हमलों को "अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय संप्रभुता का घोर उल्लंघन" बताया गया।
 - विश्व शक्तियों से इस आक्रामकता को रोकने और इज़राइल को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया गया।
- OIC सत्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा फोर्ब्स, नताज़ और इस्फ़हान में ईरानी परमाणु स्थलों पर अमेरिकी B-2 स्टीथ बॉम्बर के सफल हमलों की घोषणा के साथ हुआ।
 - इस्तांबुल में प्रतिनिधियों ने इन अमेरिकी हमलों की निंदा की और इन्हें इस बात का और सबूत माना कि अनियंत्रित पश्चिमी कार्रवाइयाँ क्षेत्रीय अस्थिरता और संघर्ष के जोखिम को बढ़ा सकती हैं।
- फ़िलिस्तीनी अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता: ओआईसी बैठक का मुख्य उद्देश्य फ़िलिस्तीनी अधिकारों के लिए समर्थन की पुनः पुष्टि करना था, जो संगठन के संस्थापक मिशन को दर्शाता है।
- इस्तांबुल घोषणापत्र में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर पर हाल ही में किए गए सैन्य हमलों की विशेष रूप से निंदा की गई।
- ओआईसी ने सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया और भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) सहित मौजूदा संधियों का सम्मान करने की आवश्यकता पर बल दिया।

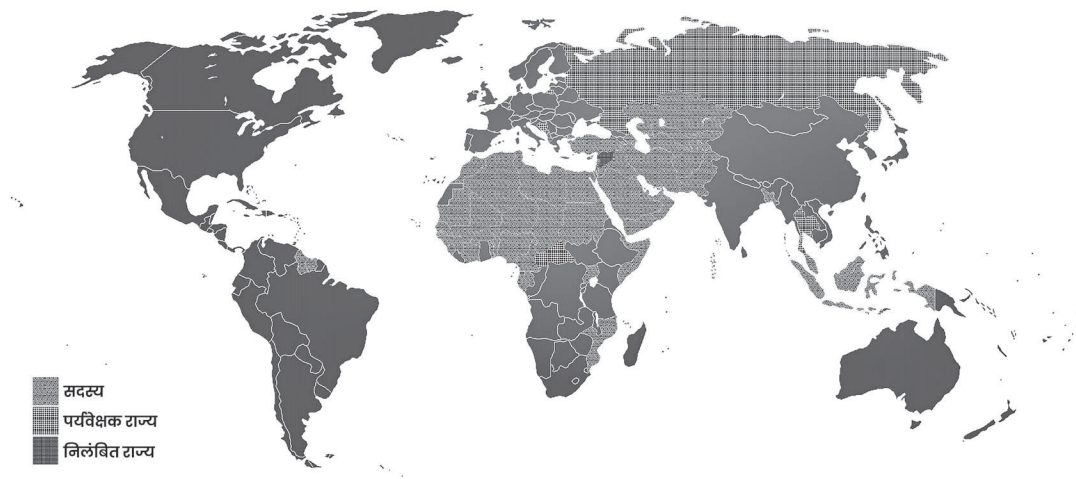
इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC)

- इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) स्वयं को "मुस्लिम जगत की सामूहिक आवाज़" के रूप में प्रस्तुत करता है।
- यह संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन है, जिसके चार महाद्वीपों में फैले 57 सदस्य हैं।
- इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) का मुख्यालय सऊदी अरब के जेद्दा में स्थित है।
- **अवलोकन और मिशन:** OIC मुस्लिम जगत के हितों की रक्षा और संरक्षण के लिए प्रयासरत है। इसका मिशन दुनिया के विभिन्न लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना भी है।
- **स्थापना और विकास**
 - **स्थापना:** OIC की स्थापना 25 सितंबर 1969 को मोरक्को के रबात में एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय के बाद हुई थी।
 - **उत्प्रेरक:** इसकी स्थापना यरुशलम में अल-अक्सा मस्जिद में आगजनी के बाद हुई थी।
 - **सचिवालय:** 1970 में, जेद्दा में इस्लामिक विदेश मंत्रियों के सम्मेलन (ICFM) की पहली बैठक में संगठन के महासचिव की अध्यक्षता में जेद्दा में एक स्थायी सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया।
- **चार्टर:** पहला OIC चार्टर 1972 में तीसरे ICFM सत्र द्वारा अपनाया गया था। इस चार्टर ने संगठन के उद्देश्यों और सिद्धांतों को निर्धारित किया, जिसका उद्देश्य सदस्य राज्यों के बीच एकजुटता और सहयोग को मजबूत करना था।

➤ OIC का वर्तमान चार्टर 13-14 मार्च 2008 को डाकर (Dakar) में आयोजित ग्यारहवें इस्लामिक शिखर सम्मेलन द्वारा अपनाया गया था,

जो 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप OIC की भावी इस्लामी कार्रवाई के लिए आधारशिला के रूप में कार्य करता है।

- भारत न तो सदस्य है और न ही पर्यवेक्षक राज्य।



**यूपीएससी से पहले
अपना मूल्यांकन स्वयं करें**

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए दैनिक उत्तर लेखन शुरू करें
द्वारा चहल एकेडमी: सामाजिक रूप से एक जिम्मेदार संस्थान

क्यू आर कोड स्कैन करें



**प्रतिदिन प्रश्न को सुबह 10 बजे तथा मॉडल उत्तर
रात 9 बजे अपलोड किया जाएगा
(सोमवार से शनिवार)**

भारतीय फिनटेक क्षेत्र

चर्चा में क्यों: केंद्रीय वित्त मंत्री ने भारत की फिनटेक कंपनियों से आह्वान किया है कि वे देश के कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों को केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी से कहीं बढ़कर देखें, और कहा कि ये “नए बाज़ार बनाने” का एक अवसर हैं।

मुख्य विवरण

- वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा आयोजित डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2025 में, वित्त मंत्री ने ग्रामीण मांग के पुनरुद्धार और निरंतर वृद्धि पर प्रकाश डाला और इन क्षेत्रों में हितधारकों की बढ़ती भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया।
- वित्त मंत्री ने फिनटेक कंपनियों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को ऋण उपलब्ध कराने में अपनी भूमिका का विस्तार करने का आग्रह किया, जो रोजगार और आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
- मंत्री ने डिजिटल भुगतान नवाचार में भारत के वैश्विक नेतृत्व को भी रेखांकित किया और कहा कि कई उन्नत अर्थव्यवस्थाएं डिजिटल भुगतान अपनाने की गति में पिछड़ रही हैं और भारत के साथ सहयोग की मांग कर रही हैं।
 - यह फिनटेक-संचालित वित्तीय समावेशन और डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक मानक के रूप में देश की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है, जो ग्रामीण आर्थिक पुनरोद्धार और MSME सशक्तिकरण के व्यापक लक्ष्यों के साथ संरेखित है।

फिनटेक क्षेत्र के बारे में

- फिनटेक का तात्पर्य प्रौद्योगिकी-संचालित वित्तीय नवाचारों से है जो नए व्यावसायिक मॉडल, अनुप्रयोग, प्रक्रियाएँ, उत्पाद या सेवाएँ बनाते हैं जिनका वित्तीय बाज़ारों, संस्थानों और सेवा वितरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
- भारत फिनटेक क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है, फिनटेक कंपनियों की संख्या के मामले में दुनिया भर में तीसरे स्थान पर है (2024 तक लगभग 10,200, तीन वर्षों में पाँच गुना वृद्धि) और डिजिटल भुगतान की मात्रा में वैश्विक स्तर पर अग्रणी है।

फिनटेक क्षेत्र के विकास में प्रमुख सक्षमकर्ता

- तकनीकी प्रगति जैसे कि इंडियास्टैक (आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर सहित), लो कास्ट इंटरनेट, एआई, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग और उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफेस का विकास।
- सरकारी पहल और नियामक सहायता, जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), डिजिटल इंडिया और एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई), जिन्होंने वित्तीय समावेशन और डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया है।
- एक फलता-फूलता स्टार्टअप इकोसिस्टम और स्मार्टफोन और इंटरनेट की बढ़ती पहुँच। महत्वपूर्ण निवेश प्रवाह, हालाँकि हाल ही में “फंडिंग विंटर” रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में फिनटेक की भूमिका

- किसानों को बाज़ारों से जोड़ना: किसानों को बाज़ारों से बेहतर ढंग से जोड़ने के लिए नवाचारों की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, एग्रीटेक समाधान कृषि सलाह, कृषि इनपुट और बाज़ार संपर्क को बेहतर बना सकते हैं, जिससे फसल की पैदावार में वृद्धि और इनपुट लागत में कमी हो सकती है।
- वंचित वर्गों को ऋण प्रदान करना: फिनटेक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को ऋण प्रदान करने में आवश्यक हैं, जिन्हें अक्सर औपचारिक ऋण इतिहास या संपार्श्विक की कमी के कारण ऋण अंतराल का सामना करना पड़ता है।
- डिजिटल भुगतान का विस्तार: ग्रामीण और अर्ध-शहरी भारत में डिजिटल भुगतान को अपनाने में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, और 2023 में UPI लेनदेन में वर्ष-दर-वर्ष 118% की वृद्धि देखी गई है। फिनटेक कंपनियाँ स्थानीय किराना स्टोर और छोटे व्यापारियों के साथ साझेदारी करके डिजिटल बैंकिंग संवाददाताओं (BCs) का लाभ उठा रही हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान और ऋण जैसी वित्तीय सेवाओं का विस्तार किया जा सके।
- सरकारी पहलों का समर्थन: फिनटेक कंपनियाँ प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) और इंडिया स्टैक जैसी सरकारी पहलों में एक पूरक भूमिका निभाती हैं, जो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में फिनटेक के सामने आने वाली चुनौतियाँ

- डिजिटल डिवाइड और बुनियादी ढाँचा: ग्रामीण भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की बड़ी संख्या होने के बावजूद, शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम औसत आय, कम विकसित डिजिटल बुनियादी ढाँचे और कम डिजिटल और वित्तीय साक्षरता के कारण फिनटेक सेवाओं तक पहुँच अभी भी कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्टफोन की पहुँच कम है, और सामर्थ्य एक प्रमुख चुनौती है।
- कम वित्तीय साक्षरता: भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, व्यापक वित्तीय साक्षरता का अभाव रखता है। 2023 में, केवल 27% भारतीय वयस्कों और 16.7% छात्रों को वित्त की बुनियादी समझ थी, जिससे इसे अपनाने में बाधा उत्पन्न हो रही है क्योंकि उपयोगकर्ता लाभों और जोखिमों के बारे में संशयी या अनभिज्ञ हो सकते हैं।
- साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: वित्तीय सेवाओं के बढ़ते डिजिटलीकरण के कारण साइबर धोखाधड़ी और साइबर अपराधों में भी वृद्धि हुई है।
- एकीकृत रणनीति और नियामक तंत्र का अभाव: फिनटेक केंद्र अपेक्षाकृत नए हैं, जिसके कारण सुसंगत अखिल भारतीय और राज्यवार रणनीतियों, परिभाषित लक्ष्यों और एकसमान नियामक तंत्रों का अभाव है। इससे नियामक अनिश्चितताएँ पैदा हो सकती हैं और पूरे देश में कुशल समर्थन में बाधा आ सकती है।
- मानवीय और संस्थागत क्षमताएँ: मजबूत डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढाँचे, कुशल मानव संसाधन, विकास पूँजी और माँग सृजन के लिए संपर्कों की उपस्थिति में असमानताएँ हैं, जिसके कारण एकसमान विकास के बजाय स्थानीय स्तर पर विकास में तीव्रता आ रही है।
- अनौपचारिक ऋण व्यवहार और संपार्श्विक का अभाव: औपचारिक ऋण

इतिहास या संपार्श्विक के अभाव के कारण एमएसएमई का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अनौपचारिक ऋण प्रथाओं पर निर्भर है, जिससे पारंपरिक ऋणदाताओं के लिए जोखिम भरा और फिनटेक के लिए अपने ऋण को औपचारिक रूप देना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

- **ऑफ़लाइन चैनलों को प्राथमिकता:** कई ग्राहक, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, अभी भी बीमा जैसी सेवाओं के लिए ऑफ़लाइन चैनलों को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि जटिल उत्पादों के लिए सहायता की आवश्यकता होती है और डिजिटल लेनदेन में सुरक्षा और गोपनीयता की चिंता होती है।

आगे की राह

- **नीति और नियामक सहायता**

- **एकीकृत रणनीति:** राज्य सरकारों को फिनटेक की ताकत और क्षमताओं को रेखांकित करते हुए श्वेत पत्र प्रकाशित करने चाहिए, जिसके बाद एक केंद्रीय ढांचे के आधार पर राज्य फिनटेक नीति के अंतर्गत विस्तृत, समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए।
- **विनियमों को सुव्यवस्थित करना:** सरकार और नियामक निकायों को विनियमों को सुव्यवस्थित करना चाहिए, बुनियादी ढाँचागत सहायता प्रदान करनी चाहिए और नवाचार-अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि फिनटेक को फलने-फूलने में सक्षम बनाया जा सके और साथ ही उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

- **वित्तीय समावेशन और साक्षरता को बढ़ाना**

- **डिजिटल ऑनबोर्डिंग और उत्पाद:** वित्तीय रूप से वंचित लोगों की ज़रूरतों के अनुरूप उपयुक्त वित्तीय उत्पाद डिज़ाइन करें, डिजिटल ऑनबोर्डिंग पर ध्यान केंद्रित करें और निवेश को बढ़ावा दें। इसमें माइक्रोलोन, बाइट-साइड बीमा और सैशे एसआईपी शामिल हैं।
- **बहुभाषी वित्तीय साक्षरता:** बहुभाषी वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दें और अंतर-क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए मज़बूत शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करें। फिनटेक, शैक्षिक ब्लॉग, स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर वीडियो और डिजिटल पॉकेट मनी ऐप जैसे नवीन माध्यमों से जागरूकता फैलाने में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं।

- **डिजिटल बुनियादी ढाँचे और साइबर सुरक्षा को मज़बूत करना**

- **डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा (DPI):** सुरक्षित, कागज़ रहित, नकद रहित और उपस्थिति-रहित लेनदेन के लिए DPI (जैसे आधार, UPI, खाता एग्रीगेटर) का निरंतर लाभ उठाना, जिससे ग्राहक ऑनबोर्डिंग लागत भी कम होती है।
- **साइबर सुरक्षा उपाय:** सरकार को, फिनटेक कंपनियों के साथ साझेदारी में, नियमित रूप से मूल्यांकन करना चाहिए साइबर सुरक्षा उपायों को अपनाएँ और फिनटेक साइबर परिदृश्य में पर्याप्त नियंत्रण लागू करें।
- **मज़बूत तकनीकी संरचना:** डेटा उल्लंघनों और साइबर हमलों जैसे बाहरी खतरों को रोकने के लिए एक मज़बूत तकनीकी संरचना का निर्माण करें।

- **नवाचार और बाज़ार विस्तार को बढ़ावा देना**

- **नए बाज़ार:** फिनटेक को कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में नए बाज़ारों के रूप में अवसरों का सक्रिय रूप से लाभ उठाना चाहिए, वहाँ पुनर्जीवित और स्थायी माँग को पहचानते हुए।
- **वैकल्पिक ऋण मूल्यांकन:** गिग-वर्कर्स, छोटे किसानों और महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों जैसे वंचित वर्गों के लिए वैकल्पिक ऋण मूल्यांकन पद्धतियों का विकास और उपयोग करें, जिनके पास अक्सर पारंपरिक ऋण इतिहास या संपार्श्विक का अभाव होता है।
- **पारिस्थितिकी तंत्र सहयोग:** वंचितों तक वित्तीय पहुँच को तीव्र करने के लिए बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और बिगटेक के बीच सहयोग को

बढ़ावा दें। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) वित्तीय समावेशन में तीव्रता लाने के लिए बैंकों को फिनटेक कंपनियों के साथ नए गठजोड़ तलाशने के लिए प्रोत्साहित करता है।

- **वैश्विक विस्तार:** भारत के फिनटेक नवाचारों में वैश्विक सार्वजनिक वस्तु बनने की क्षमता है, जो अन्य उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को लाभान्वित करेंगे और भारतीय कंपनियों के लिए नए बाज़ार खोलेंगे। भारतीय कंपनियों को अपने सफल मॉडलों को विदेशों में निर्यात करने का लक्ष्य रखना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत का फिनटेक क्षेत्र मज़बूत विकास का अनुभव कर रहा है, जिससे देश डिजिटल भुगतान और वित्तीय नवाचार में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित हो रहा है, जो व्यापक वित्तीय समावेशन के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में, अत्यंत महत्वपूर्ण है। साइबर सुरक्षा खतरों, डिजिटल विभाजन और कम वित्तीय साक्षरता जैसी चुनौतियों के बावजूद, फिनटेक, सरकार और नियामकों के बीच निरंतर सहयोग, रणनीतिक नीतिगत समर्थन और बुनियादी ढाँचे के विकास के साथ, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे यह क्षेत्र बाधाओं को दूर करने, नवाचार को बढ़ावा देने और विकसित भारत 2047 विजन में महत्वपूर्ण योगदान करने में सक्षम होगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: तकनीकी नवाचार और सरकारी पहल सामूहिक रूप से भारत के फिनटेक विकास और वित्तीय समावेशन को कैसे आकार दे रहे हैं? [150 शब्द]
[10 अंक]

लघु वित्त बैंकों के लिए प्राथमिकता ऋण मानदंड

चर्चा में क्यों: हाल ही में, RBI ने लघु वित्त बैंकों (FSB) के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण मानदंडों को आसान बनाया, जिससे कम जोखिम वाले क्षेत्रों में ₹41,000 करोड़ का पुनर्आवंटन संभव हो सका।

मुख्य विवरण

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने लघु वित्त बैंकों (FSB) के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) लक्ष्य में ढील दी है, जिससे पुनर्आवंटन के लिए लगभग ₹41,000 करोड़ की राशि उपलब्ध हो सकती है।
- यह राशि 31 मार्च, 2025 तक FSB की बैलेंस शीट पर कुल अग्रिम राशि का लगभग 15% है (केयरएज के अनुमान के अनुसार)।
- इस कदम से FSB अपने धन को कम जोखिम वाले और अधिक लाभ देने वाले क्षेत्रों जैसे सुरक्षित खुदरा ऋण, आवास वित्त और MSMEs की ओर पुनर्निर्देशित कर सकेंगे।
- दिशानिर्देशों में ढील से FSB को संपत्ति पर ऋण (LAP), वाहन ऋण, व्यक्तिगत ऋण और म्यूचुअल फंड द्वारा समर्थित ऋण जैसे क्षेत्रों में अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने में भी मदद मिलेगी।
- इस पुनर्आवंटन से जोखिम-समायोजित रिटर्न में सुधार और लघु वित्त बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता प्रोफ़ाइल को मज़बूत करने की संभावना है, जिससे अधिक स्थिर और विविध ऋण वृद्धि में योगदान मिलेगा।

लघु वित्त बैंकों (FSB) के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) दिशानिर्देशों में प्रमुख परिवर्तन

• पूर्व ढाँचा

➤ लघु वित्त बैंकों को अपने समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (ANBC) का 75% प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए आवंटित करना आवश्यक था।

◆ 40%: कृषि और सूक्ष्म उद्यमों जैसी प्रमुख PSL श्रेणियों को अनिवार्य ऋण।

◆ 35%: बैंक के रणनीतिक लाभ के आधार पर विभिन्न PSL उप-क्षेत्रों में लचीले ढंग से लगाया जा सकता है।

• नया ढाँचा (वित्त वर्ष 2025-26 से प्रभावी)

➤ कुल PSL दायित्व अब ANBC के 60% तक कम हो गया है।

◆ 40%: चिन्हित PSL क्षेत्रों को ऋण देने के लिए अनिवार्य बना हुआ है।

◆ 20%: लचीला हो गया है और अब इसे गैर-PSL सुरक्षित ऋण श्रेणियों, जैसे आवास या वाहन ऋण, के लिए आवंटित किया जा सकता है।

लघु वित्त बैंक

• भारत में लघु वित्त बैंक, भारत सरकार के मार्गदर्शन में RBI द्वारा निर्मित बैंकिंग का एक विशिष्ट खंड हैं।

• यह अवधारणा नचिकेत मोर समिति (2013) द्वारा प्रस्तावित की गई थी और बाद में RBI द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत इसे लागू किया गया।

• इन्हें मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों, लघु व्यवसाय इकाइयों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और असंगठित संस्थाओं सहित असेवित और अल्पसेवित वर्गों तक बुनियादी बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करके वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

• लघु वित्त बैंकों (FSB) को सभी प्रकार की जमाएँ स्वीकार करने की अनुमति है और वे मुख्य रूप से क्षेत्रीय रूप से केंद्रित परिचालन मॉडल का उपयोग करके छोटे-छोटे ऋण प्रदान करते हैं।

• उन्हें म्यूचुअल फंड, बीमा और पेंशन योजनाओं जैसे वित्तीय उत्पादों का वितरण करने की भी अनुमति है, हालांकि बिना किसी जोखिम के वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए, उनकी कम से कम 25% शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित होनी चाहिए।

• इसके अलावा, लघु एवं मध्यम उद्यम (FSB) को अपने कुल ऋण पोर्टफोलियो का कम से कम 50% सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को आवंटित करना आवश्यक है। स्थापना के समय, उनकी न्यूनतम निवल संपत्ति ₹100 करोड़ होनी चाहिए, जिसे पाँच वर्षों के भीतर ₹200 करोड़ तक बढ़ाया जाना चाहिए।

• इसके अतिरिक्त, उन्हें जोखिम-भारित परिसंपत्तियों के आधार पर 15% का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) बनाए रखना आवश्यक है।

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण

• प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा विनियमित एक पहल है जो बैंकों को अपने ऋण का एक हिस्सा अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों को आवंटित करने का आदेश देती है।

• ये क्षेत्र समावेशी आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अक्सर पर्याप्त ऋण का अभाव होता है। उदाहरणों में कृषि, MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम), शिक्षा, आवास और सूक्ष्म वित्त शामिल हैं।

- लागू: वाणिज्यिक बैंक - जिनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB), लघु वित्त बैंक (FSB), और स्थानीय क्षेत्र बैंक (LAB) शामिल हैं - साथ ही प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (UCB), वेतनभोगी बैंकों को छोड़कर।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न 1. लघु वित्त बैंकों (FSB) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. लघु वित्त बैंकों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत लाइसेंस प्राप्त है और इन्हें बिना किसी ऋण प्रतिबंध के सार्वभौमिक बैंकों के रूप में कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

2. लघु वित्त बैंकों के विचार की सिफारिश नचिकेत मोर समिति ने एमएसएमई और छोटे किसानों जैसे वंचित वर्गों के बीच वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए की थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

(9) : 2022

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: “RBI द्वारा लघु वित्त बैंकों (FSB) के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) मानदंडों में हाल ही में दी गई ढील का उद्देश्य वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाना है।” संशोधित PSL ढाँचे और भारत के बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र में FSB की भूमिका के आलोक में इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। [250 शब्द] [15 अंक]

भारत का बढ़ता विदेशी ऋण

चर्चा में क्यों: हाल ही में, भारत का विदेशी ऋण मार्च 2025 के अंत तक बढ़कर 736 अरब डॉलर या सकल घरेलू उत्पाद का 19.1% हो गया, जो एक वर्ष पहले 668.8 अरब डॉलर या सकल घरेलू उत्पाद का 18.5 प्रतिशत था।

मुख्य विवरण

- **डॉलर की बढ़ती कीमतों का प्रभाव:** भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार, भारतीय रुपये और अन्य मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर की वृद्धि का मूल्य प्रभाव 5.3 अरब डॉलर था। यदि मूल्यांकन प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा गया होता, तो मार्च 2025 के अंत तक विदेशी ऋण 72.9 बिलियन डॉलर बढ़ जाता, जबकि मार्च 2024 के अंत में यह 67.5 बिलियन डॉलर था।
- **दीर्घकालिक ऋण:** मार्च 2025 के अंत में, दीर्घकालिक ऋण (जिसे एक वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि वाले ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है) की कुल राशि 601.9 बिलियन डॉलर थी, जो मार्च 2024 के अंत की तुलना में 60.6 बिलियन डॉलर अधिक थी।
- **अल्पकालिक ऋण:** कुल विदेशी ऋण में अल्पकालिक ऋण (मूल रूप से एक वर्ष की परिपक्वता अवधि वाला) का अनुपात मार्च 2024 के अंत में 19.1% से घटकर मार्च 2025 के अंत में 18.3% हो गया।
- **मुद्रा के अनुसार वितरण:** भारत के विदेशी ऋण का सबसे बड़ा हिस्सा ऋण—54.2%—अभी भी अमेरिकी डॉलर में तय किया गया था। भारतीय रुपये

(31.1%), येन (6.2%), विशेष आहरण अधिकार (4.6%), और यूरो (3.2%) में व्यक्त ऋण इसके बाद आते हैं।

- **श्रेणीवार वितरण:** कुल विदेशी ऋण का 34%, ऋण सबसे बड़ा घटक बना रहा, इसके बाद मुद्रा और जमा (22.8%), व्यापार ऋण और अग्रिम (17.8%), और ऋण प्रतिभूतियाँ (17.7%) का स्थान रहा।

बाह्य ऋण

- यह केंद्र सरकार या निगमों (बाह्य वाणिज्यिक ऋण सहित) द्वारा विदेशी स्रोतों से ऋण ली गई धनराशि को संदर्भित करता है, आमतौर पर अमेरिकी डॉलर या एसडीआर जैसी मुद्राओं में।
- स्रोतों में विदेशी वाणिज्यिक बैंक, आईएमएफ और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान या विदेशी सरकारें शामिल हो सकती हैं।

बढ़ते कर्ज से जुड़े मुद्दे

- **विदेशी मुद्रा भंडार:** ऐसे कर्ज की अदायगी विदेशी मुद्राओं में की जाती है, जिससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ता है, खासकर अगर निर्यात से होने वाली आय कम हो जाती है।
- **वैश्विक अनिश्चितता:** मुद्रास्फीतिजनित मंदी का वैश्विक खतरा भारत के निर्यात की मांग को कम कर सकता है जिससे ऋण सेवा अनुपात प्रभावित हो सकता है।
- **आर्थिक स्थिरता:** मुद्रा अवमूल्यन, निवेशकों के विश्वास में गिरावट और आर्थिक अस्थिरता, ये सभी अत्यधिक कर्ज के परिणामस्वरूप हो सकते हैं, जिससे संप्रभु ऋण संकट पैदा हो सकता है।
- **भारत में बढ़ती मुद्रास्फीति:** लंबे समय तक मुद्रास्फीति ब्याज दरों को और बढ़ा देती है, जिससे विकास धीमा हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के मुकाबले विदेशी ऋण का अनुपात बढ़ जाता है।

प्रभावी बाह्य ऋण प्रबंधन के समाधान

- **नीति समन्वय:** वित्त मंत्रालय, RBI, नीति आयोग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतिनिधियों के साथ एक राष्ट्रीय ऋण समन्वय समिति का गठन करें ताकि बाह्य ऋण का राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों और व्यापक आर्थिक स्थिरता के साथ संरेखण सुनिश्चित किया जा सके।
- **नियामक ढाँचा:** बाह्य वाणिज्यिक ऋण (ECB) के लिए अनुमोदन तंत्र को सरल और केंद्रीकृत करें, ताकि पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित हो। वैश्विक वित्तीय रुझानों के अनुरूप ECB और FPI नियमों को नियमित रूप से अद्यतन करना।
- **परिचालन रणनीति:** सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, डायस्पोरा बॉन्ड और बहुपक्षीय स्रोतों के माध्यम से ऋण में विविधता लाना। पुनर्भुगतान संकटों को कम करने के लिए उचित मुद्रा और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करना।
- **लेखांकन और पारदर्शिता:** एक व्यापक बाह्य ऋण रजिस्टर बनाना जिसमें केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य ऋणों का ऋण-वार डेटा शामिल हो ताकि आकस्मिक देनदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सके।
- **सांख्यिकीय निगरानी:** वैश्विक वित्तीय बदलावों से उत्पन्न होने वाली कमजोरियों का आकलन करने के लिए एआई-आधारित उपकरणों का उपयोग करना।

निष्कर्ष

भारत का बाह्य ऋण, हालांकि वर्तमान में स्थायी सीमा के भीतर है, इसके लिए विविध ऋण, मजबूत नीति समन्वय, बढ़ी हुई पारदर्शिता और प्रभावी जोखिम न्यूनीकरण के माध्यम से विवेकपूर्ण प्रबंधन की आवश्यकता है ताकि समष्टि आर्थिक स्थिरता और वैश्विक झटकों के विरुद्ध लचीलापन बनाए रखा जा सके।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत का बढ़ता विदेशी ऋण व्यापक आर्थिक चुनौतियों और नीतिगत अनिवार्यताओं, दोनों को जन्म देता है। इसके कारणों, संबंधित जोखिमों पर चर्चा कीजिए और भारत में सतत विदेशी ऋण प्रबंधन के लिए एक व्यापक रणनीति सुझाइए। [250 शब्द] [15 शब्द]

वैश्विक क्षमता केंद्र (GCCs)

चर्चा में क्यों: भारत सरकार देश में वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCC) के विकास को और तीव्र करने के लिए व्यापक नीतिगत हस्तक्षेपों पर काम कर रही है, और वर्तमान में ऐसे 1,800 से ज़्यादा केंद्र कार्यरत हैं।

वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC)

- वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) रणनीतिक इकाइयाँ हैं जो प्रौद्योगिकी, प्रतिभा और नवाचार के माध्यम से किसी संगठन के वैश्विक संचालन का समर्थन करती हैं।
- ये पूर्ण स्वामित्व वाले और एकीकृत केंद्र हैं, जो आमतौर पर प्रतिभा-समृद्ध स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं, ताकि महत्वपूर्ण मूल्य और बौद्धिक संपदा (आईपी) का प्रबंधन सहयोगी, वितरित टीमों का उपयोग करके किया जाता है।
- GCC को कैप्टिव सेंटर, ग्लोबल इन-हाउस सेंटर (जीआईसी), ग्लोबल टीम या ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर के रूप में भी जाना जाता है।
- ये केवल लागत केंद्र या लागत अंतरपणन और बैंक-ऑफिस समर्थन के स्रोत से विकसित होकर रणनीतिक संस्थाओं में बदल गए हैं जो व्यवसाय के विकास, चपलता और मूल्य सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

भारत में वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCC) की स्थिति

- विकास और रणनीतिक महत्व भारत में GCC में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है, जो माध्यमिक सहायक भूमिकाओं से आगे बढ़कर भारतीय तकनीकी क्षेत्र और प्रमुख तकनीकी केंद्रों में प्रभावशाली खिलाड़ी बन गए हैं।
 - अब वे अपने मूल संगठनों के साथ गहराई से एकीकृत हैं, रणनीतिक परिसंपत्तियों के रूप में कार्य कर रहे हैं जो डिजिटल प्रतिभाओं तक व्यापक पहुँच प्रदान करते हैं।
 - इस विकास ने उन्हें एकल कार्य, श्रम अंतरपणन और लागत-बचत केंद्रों से बहु कार्य, क्षेत्रीय क्षमता और वैश्विक रूप से एकीकृत उत्कृष्टता केंद्रों में परिवर्तित होते देखा है।
 - आज के GCC विभिन्न परिपक्वता स्तरों पर काम कर रहे हैं, बुनियादी बैंक-एंड समर्थन से लेकर अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को आगे बढ़ाने और उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) के रूप में व्यापक पोर्टफोलियो का संचालन करने तक।
- **राजस्व:** अनुमान है कि GCC 2030 तक 121 बिलियन डॉलर का राजस्व उत्पन्न करेंगे, जो भारत के वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3.5% होगा, जिसमें निर्यात से 102 बिलियन डॉलर की प्राप्ति की संभावना है।
- **रोज़गार:** 2018-19 और 2023-24 के बीच, GCC ने 600,000 से अधिक नए रोज़गार सृजित किए, जिससे कुल रोज़गार 1.6 मिलियन से अधिक हो गया।

भारत में वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCC) के विकास में चुनौतियाँ

- कार्यबल और बाज़ार की गतिशीलता
 - कार्यबल की चपलता और लचीलापन: एक प्रमुख चुनौती एक ऐसे चपल

और लचीले कार्यबल की आवश्यकता से आगे रहना है जो नए परिवर्तनों और चुनौतियों के साथ शीघ्रता से अनुकूलन करने में सक्षम हो।

- **तीव्र बाज़ार प्रतिस्पर्धा:** जैसे-जैसे बाज़ार प्रतिस्पर्धा तीव्र होती है, GCC को आगे बने रहने के लिए निरंतर नवाचार और सुधार करना होगा।
- **ग्राहकों की बदलती अपेक्षाएँ:** GCC को ग्राहकों की बदलती माँगों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए अपनी रणनीतियों को अनुकूलित करने की आवश्यकता है।
- **विशिष्ट कौशल विकास:** पारंपरिक व्यावसायिक कार्यों से आगे बढ़कर इंजीनियरिंग अनुसंधान एवं विकास, एआई और उभरती प्रौद्योगिकियों की ओर बढ़ने के लिए विशिष्ट कौशल के निरंतर विकास की आवश्यकता होती है।
- **आंतरिक और वित्तीय बाधाएँ**
 - **आंतरिक संगठनात्मक समर्थन जुटाना:** प्रतिभा, प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतियों को सक्षम बनाने वाले GCC के निर्माण के लिए आंतरिक संगठनात्मक समर्थन प्राप्त करना एक चुनौती हो सकती है।
 - **डिजिटल उद्यम परिवर्तन:** डिजिटल उद्यम परिवर्तन की ओर बदलाव के लिए संचालन में डिजिटल प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों का एकीकरण आवश्यक है, जिससे जटिलता बढ़ जाती है।
 - **बढ़ी हुई वित्तीय जटिलताएँ:** अस्थिर बाज़ार वित्तीय जटिलताओं को बढ़ा सकते हैं, जिससे परिचालन दक्षता और विकास प्रभावित होता है।
 - **बढ़ती लागतों का प्रबंधन:** मूल्यवर्धन करने वाली विशिष्ट क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, GCCs बढ़ती समग्र लागतों से भी निपट रहे हैं।
- **सरकारी सहभागिता और भौगोलिक एकाग्रता**
 - **राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सीमित सहभागिता:** प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में GCC की सहभागिता सीमित रही है, जो इन "जीत-जीत" अवसरों का लाभ उठाने के लिए तीव्र निर्णय लेने की प्रक्रियाओं की आवश्यकता को दर्शाता है।
 - **प्रमुख केंद्रों में संकेंद्रण:** केवल 3-4 प्रमुख केंद्रों में GCC का संकेंद्रण उनके भौगोलिक विस्तार और अन्य क्षेत्रों में प्रतिभा के पूर्ण उपयोग को सीमित करता है।
 - **आउटरीच रणनीतियाँ:** अमेरिकी कंपनियों से परे अन्य देशों में GCC के विस्तार के साथ, भारत को वैश्विक खिलाड़ियों की एक विस्तृत श्रृंखला को आकर्षित करने के लिए उन्नत आउटरीच रणनीतियों की आवश्यकता है।

आगे की राह

- **रणनीतिक विकास और नवाचार**
 - **निरंतर पुनर्आविष्कार:** GCC को परिचालन के मूल्य को अधिकतम करने और विकास की संभावनाओं को उजागर करने के लिए अपनी रणनीतियों का निरंतर पुनर्आविष्कार करना चाहिए।
 - **मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ना:** उद्यमों को GCC को मूल्य श्रृंखला में और ऊपर ले जाने, भविष्य के नेतृत्व के अवसर पैदा करने और उनके समग्र प्रभाव को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
 - **साझेदार पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाना:** GCC बाहरी पारिस्थितिकी तंत्रों और रणनीतिक साझेदारियों के साथ सहयोग करके नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं।
- **प्रतिभा विकास और प्रतिधारण**
 - **उन्नत कौशल का पोषण:** उत्पाद विकास और प्रबंधन, एआई, साइबर इंजीनियरिंग, एज कंप्यूटिंग और सिंथेटिक बायोलॉजी जैसे क्षेत्रों में उन्नत कौशल के पोषण पर ध्यान केंद्रित करना।

- **प्रतिभा जीवनचक्र प्रबंधन:** मानव संसाधन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, कर्मचारी जुड़ाव को बढ़ाने और कर्मचारी यात्रा के दौरान दक्षता बढ़ाने के लिए AI-सक्षम उपकरणों का उपयोग करना।
- **परिचालन उत्कृष्टता और डिजिटल परिवर्तन**
 - **डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि:** डेटा की पूरी क्षमता का उपयोग करके डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि और रणनीतिक विकास के साथ संगठनों को सशक्त बनाना।
 - **ईएसजी क्षमताएँ:** वैश्विक ईएसजी एजेंडे में योगदान करने के लिए ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) क्षमताओं को सक्रिय रूप से विकसित करना, क्योंकि यह एक रणनीतिक व्यावसायिक प्राथमिकता बन रही है।
 - **प्रौद्योगिकी एकीकरण:** प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने, निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए AI, मशीन लर्निंग और एनालिटिक्स जैसी उन्नत तकनीकों को एकीकृत करना।

निष्कर्ष

भारत के GCC नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के प्रमुख चालक हैं। नीतिगत समर्थन और डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से कौशल अंतराल, भौगोलिक संकेन्द्रण और परिचालन चुनौतियों का समाधान करने से भारत को उच्च-मूल्य क्षमता केंद्रों में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने में मदद मिल सकती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारतीय GCC के सतत विकास और विस्तार में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? भारत भविष्य में वैश्विक नेतृत्व और मूल्य सृजन के लिए अपने GCC का सर्वोत्तम लाभ कैसे उठा सकता है? [250 शब्द] [15 अंक]

भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम

चर्चा में क्यों: मेटा द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम ने पिछले एक दशक में तेजी से वृद्धि देखी है, जिसमें शुरुआती चरण के वित्तपोषण, डिजिटल पहुँच और उपभोक्ता समृद्धि में वृद्धि हुई है। मेट्रो और गैर-मेट्रो दोनों क्षेत्रों में।

भारत में स्टार्टअप

- भारत तीव्रता से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है, जिसमें 30 जून, 2024 तक 1,40,803 से अधिक उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं।
- यह इकोसिस्टम बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली-एनसीआर जैसे मेट्रो केंद्रों तक फैला हुआ है, और जयपुर, इंदौर और अहमदाबाद जैसे टियर II और III शहरों में तीव्रता से फल-फूल रहा है, जो इसकी गहरी पहुँच और परिपक्वता को दर्शाता है।

भारत का स्टार्टअप क्षेत्र क्यों फल-फूल रहा है?

- **तीव्र विकास पथ**
 - 2015-16 में लगभग 400 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप से अप्रैल 2024 तक 128,000 से अधिक, जो एक दशक से भी कम समय में 320 गुना वृद्धि दर्शाता है।
 - यूनिर्कॉर्न की संख्या 110 को पार कर गई, जिनमें से 50% से अधिक निजी इक्विटी और उद्यम पूंजी द्वारा समर्थित हैं।

- **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को सक्षम बनाना**
 - आधार, एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI), और डिजिटलकर ने पहचान, भुगतान और दस्तावेज़ीकरण में घर्षण को कम किया है, जिससे फिनटेक और डिजिटल सेवाओं को बल मिला है।
 - व्यापक स्मार्टफोन और ब्रॉडबैंड की पहुँच, 800 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं तक पहुँच, ने ऐप-आधारित स्टार्टअप के लिए बाजार तक पहुँच का विस्तार किया है।
 - **मज़बूत फंडिंग इकोसिस्टम**
 - पीई/वीसी फंडिंग 2015 में 19.7 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2021 में 77.07 बिलियन डॉलर के शिखर पर पहुँच गई; अकेले 2024 की शुरुआत में, स्टार्टअप्स ने 49.54 बिलियन डॉलर जुटाए।
 - स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स (FFS): ₹11,688 करोड़ प्रतिबद्ध, 151 वैकल्पिक निवेश फंडों के माध्यम से ₹81,000 करोड़ के कुल पूल को उत्प्रेरित करता है।
 - **फलता-फूलता टैलेंट पूल और अकादमिक-उद्योग संदर्भ**
 - प्रमुख संस्थान (IIT, IIM, IIIT) सालाना 24,000 से ज़्यादा पीएचडी स्नातक तैयार करते हैं, जो AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और अंतरिक्ष में डीप-टेक उद्यमों को बढ़ावा देते हैं।
 - इनक्यूबेटर और एक्सेलेरेटर (देश भर में 1,200 से ज़्यादा) मार्गदर्शन, नेटवर्किंग और प्रोटोटाइपिंग सहायता प्रदान करते हैं।
 - **अनुकूल जनसांख्यिकी और बाज़ार**
 - एक युवा, तकनीक-प्रेमी आबादी (औसत आयु 28 वर्ष) और बढ़ता मध्यम वर्ग फिनटेक, एडटेक, हेल्थ-टेक और ई-कॉमर्स में नवीन उत्पादों की मांग को बढ़ावा देता है।
 - टियर II/III शहरों में 50% स्टार्टअप हैं, जो नए उपभोक्ता खंडों को खोल रहे हैं और भौगोलिक संकेन्द्रण को कम कर रहे हैं।
- भारत में स्टार्टअप्स के विकास की चुनौतियाँ**
- **पूँजी तक सीमित पहुँच**
 - डीप-टेक उद्यमों को दीर्घकालिक वित्तपोषण की आवश्यकता होती है; धरेलू फंड अक्सर त्वरित निकासी पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
 - 2024 में स्टार्टअप फंडिंग का 75% अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से था, जो विदेशी पूँजी पर निर्भरता को दर्शाता है।
 - **नियामक और अनुपालन संबंधी जटिलताएँ**
 - विभिन्न राज्य-स्तरीय विनियमों, लाइसेंसिंग और कर व्यवस्थाओं से निपटने में लगने वाला समय और बाज़ार में पहुँचने की लागत बढ़ जाती है।
 - पर्यावरण और श्रम कानून स्व-प्रमाणन पहले मौजूद हैं, लेकिन जागरूकता और अनुपालन असमान बने हुए हैं।
 - **प्रतिभा अधिग्रहण और प्रतिधारण**
 - एआई/एमएल, डेटा विज्ञान और उत्पाद विकास में कुशल पेशेवरों की उच्च माँग प्रतिभा की कमी का कारण बनती है।
 - अनुभवी नियुक्तियों के लिए स्थापित तकनीकी दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा से मुआवज़ा लागत बढ़ जाती है।
 - **उभरते केंद्रों में अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा:** महानगरों के बाहर स्टार्टअप क्लस्टर्स में अक्सर सह-कार्यस्थल, अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं और विश्वसनीय बिजली या रसद नेटवर्क का अभाव होता है।
 - **शासन और नैतिक आचरण:** हाल की कॉर्पोरेट विफलताएँ (बायजू, भारतपे)

मज़बूत स्व-नियमन, पारदर्शिता और पेशेवर बोर्डों की आवश्यकता को उजागर करती हैं।

सरकारी पहल

- **स्टार्टअप इंडिया पहल (2016)**
 - **सरलीकरण और सहायता:** SPICe+ एकल खिड़की कंपनी निगमन; त्वरित पेटेंट परीक्षा; श्रम/पर्यावरण कानूनों के तहत स्व-प्रमाणन।
 - वित्तपोषण सहायता और प्रोत्साहन
 - ◆ सिडबी द्वारा प्रबंधित फंड ऑफ फंड्स (₹10,000 करोड़ का कोष) सेबी-पंजीकृत एआईएफ में सह-निवेश करेगा।
 - ◆ **कर छूट:** 3-वर्षीय लाभ कर छूट (धारा 80-IAC); एआईएफ में निवेश के लिए पूंजीगत लाभ कर में छूट।
 - **उद्योग-अकादमिक साझेदारी:** अटल टिंकरिंग लैब्स और इनक्यूबेशन केंद्रों के साथ अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए।
- **स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस)**
 - **उद्देश्य:** एआईएफ के माध्यम से प्रारंभिक चरण के वित्तपोषण को उत्प्रेरित करना, जिससे उन्हें मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में एफएफएस के योगदान से कम से कम दोगुना निवेश करने की आवश्यकता होगी।
 - **प्रभाव:** 151 एआईएफ के माध्यम से ₹11,688 करोड़ की प्रतिबद्धता, 1,173 स्टार्टअप्स को समर्थन और ₹81,000 करोड़ कुल पूंजी जुटाना।
- **स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS) (2021):** अवधारणा के प्रमाण और प्रोटोटाइप विकास के लिए ₹20 लाख तक का अनुदान; ₹50 लाख तक के परिवर्तनीय डिबेंचर।
- **अटल इनोवेशन मिशन (AIM) (2016):** प्रारंभिक STEM कौशल को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना; स्टार्टअप्स को इनक्यूबेट करने के लिए अटल इनक्यूबेशन केंद्रों को वित्त पोषित करना प्रारंभिक पूंजी और मेंटरशिप के साथ।
- **समृद्ध योजना (2021):** वीसी/एंजल्स के साथ प्रति स्टार्टअप ₹40 लाख तक का सह-निवेश; कॉर्पोरेट त्वरक और डीप-टेक नेटवर्क तक पहुँच।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट संरक्षण के लिए समर्थन (SIP-EIT) (2014):** वैश्विक आईपी अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए प्रति पेटेंट आवेदन ₹15 लाख तक की प्रतिपूर्ति।
- **सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM):** DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स के लिए सरकारी खरीदारों को उत्पाद/सेवाएँ बेचने हेतु प्राथमिकता पहुँच और निविदा मानदंडों में छूट।
- **SPICe+ सरलीकृत कंपनी निगमन (2020):** लॉन्च में तेजी लाने के लिए PAN, TAN, GST, EPFO, और बैंक खाता पंजीकरण के साथ निगमन के लिए एकल फ़ॉर्म।
- **स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी योजना (CGSS):** गारंटी ट्रस्ट के माध्यम से संपार्श्विक-मुक्त ऋण, बैंक ऋण को प्रोत्साहित करने के लिए 2 करोड़ रुपये तक के सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी को कवर करते हैं।

निष्कर्ष

भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम डिजिटल बुनियादी ढाँचे, वित्त पोषण में वृद्धि और युवा प्रतिभाओं के आधार पर एक वैश्विक अग्रणी के रूप में उभरा है। पूंजी पहुँच, नियमन, प्रतिभा और बुनियादी ढाँचे में कमियों को दूर करना गति बनाए रखने और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

डिजिटल भुगतान इंटेलेजेंस प्लेटफॉर्म (DPIP)

चर्चा में क्यों: डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए, प्रमुख सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों को RBI के पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन में एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के रूप में डिजिटल भुगतान इंटेलेजेंस प्लेटफॉर्म (DPIP) विकसित करने के लिए शामिल किया गया है।

डिजिटल भुगतान इंटेलेजेंस प्लेटफॉर्म (DPIP)

- डिजिटल भुगतान इंटेलेजेंस प्लेटफॉर्म (DPIP) एक आगामी रियल-टाइम, AI-सक्षम डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) है, जिसे डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी में खतरनाक वृद्धि से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह प्लेटफॉर्म भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा भारत के प्रमुख सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ मिलकर विकसित किया जा रहा है।
- इस पहल को एक शीर्ष नियामक और उद्योग प्राथमिकता माना जाता है और आने वाले महीनों में इसके लागू होने की संभावना है।

DPIP की आवश्यकता

- DPIP का विकास भारत में डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी और साइबर अपराधों में उल्लेखनीय और चिंताजनक वृद्धि की प्रतिक्रिया में हुआ है।
- धोखाधड़ी के बढ़ते आंकड़े: भारतीय बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गई कुल धोखाधड़ी वित्त वर्ष 2025 में लगभग तीन गुना बढ़कर 36,014 करोड़ रुपये हो गई, जो वित्त वर्ष 2024 में 12,230 करोड़ रुपये थी।
- उच्च साइबर अपराध शिकायतें और नुकसान: 2024 के केवल पहले नौ महीनों में, भारत में 17 लाख से अधिक साइबर अपराध शिकायतें दर्ज की गईं, जिससे 11,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।
- विकसित होता खतरा परिदृश्य और प्रणालीगत कमज़ोरियाँ
 - ओटीटी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को अपर्याप्त निगरानी के कारण धोखाधड़ी की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में पहचाना गया, जिससे उनके विनियमन की आवश्यकता पर बल दिया गया।
 - भारत में डिजिटल वित्तीय सेवाओं को तीव्रता से अपनाने के लिए साइबर सुरक्षा में समान कदम उठाना आवश्यक है ताकि धोखेबाज़ों को प्रणालीगत खामियों का फ़ायदा उठाने से रोका जा सके।

DPIP का उद्देश्य और मुख्य कार्य

DPIP का प्राथमिक उद्देश्य धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन को मज़बूत करना और वास्तविक समय में खुफिया जानकारी साझा करने और डेटा विश्लेषण को सक्षम करके धोखाधड़ी वाले डिजिटल लेनदेन को रोकना है।

- वास्तविक समय में पता लगाना और ब्लॉक करना:** यह धोखाधड़ी वाले लेनदेन का वास्तविक समय में पता लगाने और ब्लॉक करने में सक्षम बनाएगा।
- क्रॉस-इंस्टीट्यूशनल डेटा शेयरिंग:** यह प्लेटफॉर्म विभिन्न घोटाले के रूझानों, म्युल खातों और अवांछित डोमेन पर क्रॉस-बैंक डेटा शेयरिंग की सुविधा प्रदान करेगा। यह धोखेबाज़ों के खिलाफ़ सामूहिक बचाव की अनुमति देता है।
- मौजूदा उपकरणों के साथ एकीकरण:** DPIP मौजूदा धोखाधड़ी का पता लगाने वाले उपकरणों जैसे MuleHunter.ai और डोमेन ब्लैकलिस्ट के साथ एकीकृत होगा ताकि उनकी प्रभावशीलता बढ़ाई जा सके।
- समन्वित प्रतिक्रियाएँ:** यह बैंकों, दूरसंचार कंपनियों और नियामकों के बीच समन्वित प्रतिक्रियाओं का समर्थन करेगा, जिससे वित्तीय अपराधों के खिलाफ़ एक एकीकृत मोर्चा तैयार होगा।
- धोखाधड़ी के पैटर्न की शीघ्र पहचान:** विभिन्न स्रोतों से डेटा एकत्र और

विश्लेषण करके, DPIP धोखाधड़ी के पैटर्न की शीघ्र पहचान करने में मदद करेगा, जिसका उद्देश्य धोखाधड़ी को पहले चरण में ही रोकना है।

- ग्राहक सुरक्षा और विश्वास:** अंततः, इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य ग्राहकों के नुकसान को कम करना और भारत के तीव्रता से बढ़ते डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में विश्वास बढ़ाना है।
- उन्नत प्रौद्योगिकियाँ:** यह प्लेटफॉर्म भुगतान संबंधी धोखाधड़ी को रोकने के लिए उन्नत तकनीकों का लाभ उठाएगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: डिजिटल भुगतान इंटेलेजेंस प्लेटफॉर्म (DPIP) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- DPIP का उद्देश्य भुगतान संबंधी धोखाधड़ी का पता लगाकर और उसे रोककर डिजिटल भुगतानों की सुरक्षा और विश्वास को बढ़ाना है।
- यह प्लेटफॉर्म भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

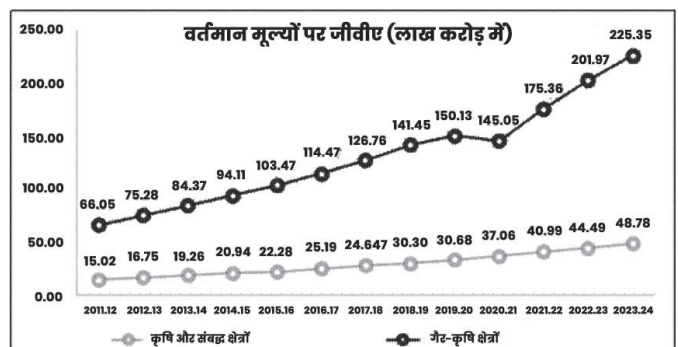
(ए) 2122

कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकीय रिपोर्ट

चर्चा में क्यों: हाल ही में, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने "कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकीय रिपोर्ट (2011-12 से 2023-24)" का वार्षिक प्रकाशन जारी किया।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ

- कृषि जीवीए:** कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में वर्तमान मूल्यों पर लगभग 225% की वृद्धि दर्ज की गई, जो 2011-12 के ₹1,502 हजार करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹4,878 हजार करोड़ हो गया।



- उत्पादन का सकल मूल्य:** स्थिर मूल्यों पर, कृषि और संबंधित क्षेत्र का सकल उत्पादन मूल्य (GVO) 2011-12 में ₹1,908 हजार करोड़ से लगातार बढ़कर 2023-24 में ₹2,949 हजार करोड़ हो गया, जो कुल मिलाकर 54.6% की वृद्धि दर्शाता है।

- **क्षेत्रवार GVO:** 1,595 हजार करोड़ के GVO के साथ, फसल क्षेत्र कृषि और संबंधित क्षेत्रों के कुल GVO (स्थिर मूल्यों पर) में सबसे बड़ा हिस्सा बना हुआ है, जो 2023-2024 में 54.1% होगा।
- **अनाज:** अनाजों में, केवल गेहूँ और धान 2023-2024 में सभी अनाजों के GVO का लगभग 85% हिस्सा होंगे (स्थिर मूल्यों पर)। 2023-2024 में अनाजों के GVO (स्थिर मूल्यों पर) का लगभग 53 प्रतिशत पाँच राज्यों से आया: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और हरियाणा।
- **बागवानी:** 2023-2024 में स्थिर मूल्यों पर केले (47.0 हजार करोड़) का GVO फल समूह में आम (46.1 हजार करोड़) से आगे निकल गया है।
- **सब्जियों का उत्पादन:** 2011-12 से 2023-24 तक, आलू सबसे ज़्यादा GVO (स्थिर मूल्यों पर) वाला सब्जी समूह बना हुआ है।
- **फूलों की खेती:** स्थिर मूल्यों पर फूलों की खेती में GVO में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो 2011-12 में ₹17.4 हजार करोड़ से लगभग दोगुनी होकर 2023-24 में ₹28.1 हजार करोड़ हो गई।
- **मसाले:** 2023-2024 में मसालों के GVO में मध्य प्रदेश 19.2% की हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पर पहुँच गया, जिसके बाद गुजरात और कर्नाटक क्रमशः 16.6% और 15.5% के साथ दूसरे स्थान पर रहे।
- **पशुधन क्षेत्र:** पशुधन उत्पादों का GVO कृषि और संबंधित गतिविधियों के उन क्षेत्रों में से एक है जो सबसे तीव्रता से विस्तार कर रहा है, जो 2011-12 में ₹488 हजार करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹919 हजार करोड़ हो गया है।

हालाँकि इसका हिस्सा 2011-12 में 67.2% से घटकर 2023-24 में 65.9% हो गया है, फिर भी दूध इस उद्योग में एक प्रमुख स्थान बनाए हुए है।

- **वानिकी और लॉगिंग:** "वानिकी और लॉगिंग" क्षेत्र मध्यम लेकिन स्थिर रूप से बढ़ा, 2011-12 में ₹149 हजार करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹227 हजार करोड़ हो गया।
- **मत्स्य पालन और जलीय कृषि:** 2011-12 में 4.2% से 2023-24 में 7.0% तक इसके योगदान में पर्याप्त वृद्धि के साथ, "मत्स्य पालन और जलीय कृषि" उप-क्षेत्र भारत के कृषि जीवीओ में अधिक से अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है।
- 2011-12 और 2023-24 के बीच, अंतर्देशीय मछली का अनुपात 57.7% से घटकर 50.2% हो गया, जबकि समुद्री मछली का अनुपात 42.3% से बढ़कर 49.8% हो गया।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व

- **सकल घरेलू उत्पाद में योगदान:** कृषि और संबंधित उद्योग 2025 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 17-18% हिस्सा होंगे और देश की आर्थिक स्थिरता के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, अभी भी आवश्यक हैं।
- **रोजगार सृजन:** कृषि और संबंधित उद्योग जैसे वानिकी, मत्स्य पालन और पशुपालन भारत की आधी से अधिक श्रम शक्ति को रोजगार देते हैं।
- **खाद्य सुरक्षा:** भारत चावल, गेहूँ और दालों जैसी प्रमुख फसलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) घरेलू उपभोग के लिए खाद्यान्न की निरंतर आपूर्ति की गारंटी देती है और देश को विश्व खाद्य आपूर्ति में उतार-चढ़ाव से बचाती है।
- **कच्चे माल का स्रोत:** कई उद्योग, विशेष रूप से कृषि आधारित उद्योग, अपने कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर हैं जैसे कपड़ा (जूट और कपास), चीनी (गन्ना), खाद्य प्रसंस्करण (अनाज, फल और सब्जियाँ)।
- **निर्यात आय:** भारत दुनिया भर में मसालों और चावल के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। कृषि उत्पादों का निर्यात भारत के व्यापार संतुलन को बढ़ाता है और साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार में भी वृद्धि करता है।

- **सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व:** "मकर संक्रांति", "बैशाखी" और "ओणम" जैसे कृषि गतिविधियों से जुड़े त्योहार कृषि पद्धतियों से प्रभावित हैं।

आगे की राह

- खंडित भूमि जोत और घटती उत्पादकता।
- मानसून पर निर्भरता, जो इसे जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील बनाती है।
- आधुनिक तकनीक और ऋण तक पहुँच का अभाव।

हालाँकि, डिजिटल कृषि, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी पहलों के साथ। इन योजनाओं में विकास और स्थायित्व की अपार संभावनाएँ हैं।

निष्कर्ष

कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की आधारशिला बनी हुई है, न केवल सकल घरेलू उत्पाद में योगदान के संदर्भ में, बल्कि आजीविका, खाद्य सुरक्षा और उद्योगों के लिए कच्चे माल के प्राथमिक स्रोत के रूप में भी। ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन और निर्यात संवर्धन में इसकी भूमिका इसे देश की सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए अपरिहार्य बनाती है। आधुनिकीकरण और विविधीकरण आवश्यक होने के साथ-साथ, संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए इसके सांस्कृतिक और सामाजिक सार को बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: हाल ही में जारी एनएसओ रिपोर्ट के संदर्भ में, कृषि क्षेत्र की संरचना में बदलाव, विशेष रूप से फसलों, बागवानी, पशुधन और जलीय कृषि के संदर्भ में, का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। [250 शब्द] [15 अंक]

सतत विकास के लिए निजी पूंजी जुटाना

चर्चा में क्यों: भारत के वित्त मंत्री ने स्पेन के सेविले में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित चौथे विकास के लिए वित्तपोषण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (FFD4) में निजी पूंजी जुटाने के लिए एक सात-सूत्रीय रणनीति का प्रस्ताव रखा।

मुख्य विवरण

- भारत के वित्त मंत्री ने कहा कि निजी पूंजी जुटाना विकास के लिए अनिवार्य है, उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सात-सूत्रीय रणनीति का प्रस्ताव रखा, जिसमें बेहतर अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग पद्धतियाँ शामिल हैं जो भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की संरचनात्मक ताकत और दीर्घकालिक लचीलेपन को दर्शाती हैं।
- वित्त मंत्री ने मुख्य भाषण में कहा, "निजी निवेश एक उत्प्रेरक शक्ति है - पूंजी को मुक्त करना, उत्पादकता को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना और तकनीकी कठोरता लाना - ये सभी समावेशी, सतत आर्थिक विकास के लिए आवश्यक हैं।"
- हाल के वर्षों में, निजी निवेश में उत्साहजनक वृद्धि हुई है, जिसे पारंपरिक स्रोतों के साथ-साथ नवीन वित्तीय साधनों के उदय का समर्थन प्राप्त है।
- हालाँकि, निजी पूंजी जुटाना आवश्यकता से काफी कम है, और निम्न और मध्यम आय वाले देशों को अनुपातहीन रूप से बहुत कम हिस्सा मिल रहा है।
- यह निवेश बाधाओं को दूर करने और वित्तीय प्रवाह को विकास प्राथमिकताओं के साथ बेहतर ढंग से संरेखित करने के लिए लक्षित प्रयासों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सतत विकास के वित्तपोषण के लिए सात-सूत्री रणनीति

- **घरेलू वित्तीय बाजारों को मजबूत करना:** मजबूत घरेलू वित्तीय बाजार निवेश की नींव हैं। भारत ने अपनी बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे और उद्योग को वित्तपोषित करने के लिए पूंजी बाजारों को गहरा करने में निवेश किया है। नियामक ढांचे बाजार की जरूरतों के साथ विकसित हुए हैं - निवेशक सुरक्षा को नवाचार और लचीलेपन के साथ संतुलित करते हुए दीर्घकालिक निवेश के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करते हुए।
- **जोखिम धारणा को कम करने के लिए संस्थागत सुधार:** संस्थागत सुधारों के माध्यम से कथित जोखिमों का समाधान करना महत्वपूर्ण है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं को अक्सर उच्च जोखिम धारणाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे वित्तपोषण लागत बढ़ जाती है और निवेश में बाधा आती है। भारत ने स्वतंत्र नियामकों की स्थापना, पारदर्शी बोली प्रक्रियाओं को लागू करने, अनुबंधों का मानकीकरण और व्यापार करने में आसानी में सुधार करके इसका समाधान किया है।
- **निवेश के अवसरों का विस्तार:** निवेश के अवसरों का विस्तार करना आवश्यक है। अच्छी तरह से तैयार, जोखिम-मुक्त और निवेश-तैयार परियोजना पाइपलाइनों की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। भारत का नवीकरणीय ऊर्जा रूपांतरण - 2014 में 2.8 गीगावाट स्थापित सौर क्षमता से 110 गीगावाट से अधिक - स्पष्ट राष्ट्रीय लक्ष्यों, सुव्यवस्थित खरीद और सरकार समर्थित जोखिम शमन द्वारा संभव हुआ।
- **प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए मिश्रित वित्त का लाभ उठाना:** मिश्रित वित्त का विस्तार किया जाना चाहिए। निजी निवेश को जोखिम-मुक्त करने के लिए सार्वजनिक और रियायती वित्त का लाभ उठाकर, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, थीमैटिक बॉन्ड और प्रभाव निवेश उपकरण जैसे उपकरण बाजार की विफलताओं का समाधान करते हैं और वाणिज्यिक पूंजी को जलवायु, स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता जैसे क्षेत्रों में प्रवाहित करते हैं। ये मॉडल पारदर्शी, मापने योग्य और स्थानीय संदर्भों के अनुरूप होने चाहिए।
- **एमडीबी और डीएफआई की बढ़ी हुई भूमिका:** बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) और विकास वित्त संस्थानों (डीएफआई) को एक मजबूत सक्षमकारी भूमिका निभानी होगी। कई सतत विकास परियोजनाओं में प्रारंभिक व्यावसायिक व्यवहार्यता का अभाव होता है, जिससे प्रारंभिक चरण के निजी निवेश में बाधा आती है। एमडीबी और डीएफआई रियायती वित्त, गारंटी, ऋण संवर्द्धन और परियोजना तैयारी सहायता के माध्यम से इस अंतर को पाट सकते हैं - जोखिम-वापसी प्रोफाइल में सुधार कर सकते हैं और निजी पूंजी को आकर्षित कर सकते हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग पद्धतियों में सुधार:** उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) की संरचनात्मक शक्तियों और दीर्घकालिक लचीलेपन को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए क्रेडिट रेटिंग पद्धतियों को विकसित किया जाना चाहिए। वर्तमान सॉवरेन रेटिंग अक्सर प्रमुख बुनियादी बातों को कम करके आंकती हैं। उदाहरण के लिए, भारत की सॉवरेन रेटिंग उसकी व्यापक आर्थिक स्थिरता को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं करती है।
- **समावेशी विकास के लिए एमएसएमई को सशक्त बनाना:** जमीनी स्तर पर पूंजी उपलब्ध कराने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को समर्थन की आवश्यकता है। समावेशी विकास के इन इंजनों को ऋण, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण के साथ-साथ सरलीकृत अनुपालन ढाँचों तक पहुँच की आवश्यकता है। भारत की पहलों—ऋण गारंटी और संकटकालीन वित्तपोषण से लेकर ई-कॉमर्स निर्यात केंद्रों तक ने एमएसएमई की साख में सुधार किया है और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण को बढ़ावा दिया है।

निष्कर्ष

संयुक्त राष्ट्र एफएफडी4 सम्मेलन में प्रस्तुत भारत की सात-सूत्री रणनीति, समावेशी

और सतत विकास के लिए निजी पूंजी जुटाने के देश के सक्रिय दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। संरचनात्मक बाधाओं को दूर करके, घरेलू और वैश्विक वित्तीय तंत्रों को बढ़ाकर और एमएसएमई को सशक्त बनाकर, इस रणनीति का उद्देश्य निजी निवेश को विकासवात्मक प्राथमिकताओं के साथ जोड़ना है - जो विशेष रूप से उन उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में वित्तीय कमी का सामना कर रही हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में समावेशी और सतत आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में निजी निवेश की भूमिका का परीक्षण कीजिए।
[150 शब्द] [10 अंक]

यूपीआई का अंतर्राष्ट्रीयकरण

चर्चा में क्यों: हाल ही में, नामीबिया ने भारत के UPI पर आधारित एक डिजिटल भुगतान प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया।

एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI)

- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) बनाया, जो एक भुगतान प्रणाली के लिए एक प्लेटफॉर्म है।
- ग्राहक यहाँ विभिन्न बैंकों में अपने सभी खातों तक पहुँच और उन्हें संग्रहीत कर सकते हैं, साथ ही उनका उपयोग करके लेनदेन भी कर सकते हैं।
- एक भुगतान पहचानकर्ता, जैसे कि एक आभासी पता या खाता संख्या और IFS कोड के संयोजन का उपयोग करके, UPI स्मार्टफ़ोन का उपयोग करके किसी भी दो पक्षों के बीच धन हस्तांतरण को सक्षम बनाता है।
- निर्धारित भुगतान अनुरोधों के माध्यम से, यह प्रणाली उपयोगकर्ताओं को सहज पीयर-टू-पीयर लेनदेन, व्यापारी भुगतान और धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करते हुए लचीलापन प्रदान करती है।

UPI को क्या विशिष्ट बनाता है?

- **24/7 पहुँच:** वर्ष के हर दिन, चौबीसों घंटे मोबाइल डिवाइस के माध्यम से तत्काल धन हस्तांतरण प्रदान करता है।
- **एकीकृत बैंकिंग:** एकीकृत बैंकिंग पहुँच की बदौलत उपयोगकर्ता एक ही मोबाइल एप्लिकेशन से कई बैंक खातों तक पहुँच सकते हैं।
- **सुरक्षित और आसान भुगतान:** एक-क्लिक 2-कारक प्रमाणीकरण प्रदान करता है, जो सुरक्षित, एक-क्लिक लेनदेन और नियामक अनुपालन की गारंटी देता है।
- **बढ़ी हुई गोपनीयता:** लेनदेन एक आभासी पते का उपयोग करके किए जाते हैं, जिससे खाता संख्या या IFSC कोड जैसी निजी जानकारी प्रकट करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
- **QR कोड एकीकरण:** QR कोड स्कैनिंग के माध्यम से भुगतान को सरल बनाकर त्वरित और सुरक्षित लेनदेन को सक्षम बनाता है।
- **विभिन्न भुगतान विकल्प:** इसमें स्कैन-एंड-पे क्षमताएँ, ओवर-द-काउंटर लेनदेन और उपयोगिता बिल भुगतान शामिल हैं।

UPI का वैश्विक विस्तार

- UPI और RuPay के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तीव्रता से विस्तार के साथ, भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण गति पकड़ रही है।

- भारतीय प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स गठबंधन के वैश्विक विस्तार के हिस्से के रूप में UPI के विकास की पुरजोर वकालत की है। यह अनुमान है कि यह पहल धन प्रेषण प्रवाह को और मजबूत करेगी, वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाएगी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्र में भारत की छवि को ऊँचा उठाएगी।



यूपीआई के अंतर्राष्ट्रीयकरण का महत्व

- अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार:** भारत और अन्य देशों के बीच व्यापार को तीव्र और सरल सीमा-पार भुगतानों द्वारा बढ़ावा दिया जा सकता है।
- मानकीकरण और अंतर-संचालन:** यूपीआई का अधिक उपयोग अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली की अंतर-संचालन क्षमता को प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे वित्तीय प्रौद्योगिकियों के साथ वैश्विक एकीकरण आसान हो सकता है।
- ‘डिजिटल’ कूटनीति:** प्रौद्योगिकी में सहयोग भारत की साख और प्रभाव को बढ़ाएगा।

निष्कर्ष

जैसे-जैसे यूपीआई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहा है, यह नागरिकों को सशक्त बना रहा है, आर्थिक अवसरों में सुधार कर रहा है, डिजिटल भुगतान के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है, और विश्व वित्तीय प्रणाली में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत कर रहा है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: निम्नलिखित देशों पर विचार करें: (यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025)

1. संयुक्त अरब अमीरात
2. फ्रांस
3. जर्मनी
4. सिंगापुर
5. बांग्लादेश

उपर्युक्त में से भारत के अलावा ऐसे कितने देश हैं जहाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी भुगतान UPI के अंतर्गत स्वीकार किए जाते हैं?

- (a) केवल दो
- (b) केवल तीन
- (c) केवल चार
- (d) उपर्युक्त सभी

(Q) : 2025

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: डिजिटल कूटनीति और आर्थिक एकीकरण के लिए भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) के अंतर्राष्ट्रीयकरण के महत्व पर चर्चा करें। यह मॉडल एक वैश्विक फिनटेक नेता के रूप में भारत की आकांक्षाओं का समर्थन कैसे कर सकता है? [250 शब्द] [15 अंक]

आपदा बॉन्ड (कैट बॉन्ड्स)

चर्चा में क्यों: हाल ही में, कैट बॉन्ड चर्चा में थे क्योंकि 2025 में रिकॉर्ड तोड़ निर्गम और निवेशकों की मांग देखी गई है, जो पिछले वर्षों से भी अधिक है, जो बढ़ते जलवायु जोखिमों और वैकल्पिक पुनर्बीमा समाधानों की आवश्यकता के कारण है।

कैट बॉन्ड क्या है?

- आपदा बॉन्ड (कैट बॉन्ड) एक विशिष्ट हाइब्रिड वित्तीय साधन है जो बीमा और ऋण को जोड़ता है, जो आपदा बीमा जोखिम को निवेशकों को हस्तांतरित करता है, जो उच्च प्रतिफल अर्जित करते हैं लेकिन यदि कोई निर्दिष्ट आपदा आती है तो अपना मूलधन खोने का जोखिम उठाते हैं।
- भूकंप, तूफान, बाढ़ और अन्य चरम घटनाएँ आपदा बॉन्ड के अंतर्गत कवर की जाती हैं।
- ये उच्च-प्रतिफल ऋण साधन बीमाकर्ताओं को पूंजी जुटाने में मदद करने के लिए हैं ताकि वे प्राकृतिक आपदा या अन्य आपदा की स्थिति में दावों को कवर कर सकें।
- जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता के परिणामस्वरूप, विनाशकारी जोखिम के प्रबंधन और बीमा बाजारों की स्थिरता बनाए रखने में कैट बॉन्ड का महत्व बढ़ गया है।

आपदा बॉन्ड कैसे काम करते हैं?

- कैट बॉन्ड एक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) के माध्यम से काम करते हैं जो प्रायोजक (आमतौर पर एक बीमा या पुनर्बीमा कंपनी) और निवेशकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है।
- कैट बॉन्ड के संचालन के लिए एक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) निवेशकों और प्रायोजक के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, जो आमतौर पर एक बीमा या पुनर्बीमा व्यवसाय होता है।
- निवेशक अपना मूलधन एसपीवी में लगाते हैं, जो आमतौर पर सुरक्षित, अल्पकालिक प्रतिभूतियों (जैसे अमेरिकी ट्रेजरी) में निवेश करता है, प्रायोजक एसपीवी को प्रीमियम का भुगतान करता है।
- निवेशकों को उनका मूलधन और ब्याज भुगतान वापस मिल जाता है, जिनका प्रतिफल आमतौर पर पारंपरिक बॉन्ड की तुलना में अधिक होती है, अगर बॉन्ड की अवधि के दौरान कोई बड़ी आपदा नहीं आती है, जो आमतौर पर एक से तीन वर्ष की होती है।
- फिर भी, यदि कोई योग्य आपदा आती है, तो निवेशक अपना पूरा या आंशिक मूलधन खो सकते हैं, और प्रायोजक बीमा दावों के निपटान के लिए एसपीवी से धन ले सकता है।

क्या भारत को कैट बॉन्ड की आवश्यकता है?

- जैसे-जैसे चक्रवातों और वनाग्नि की तीव्रता बढ़ती है, यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आपदा जोखिम इन जलवायु परिवर्तन के समय में बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए लाभहीन हो सकता है।
- परिणामस्वरूप, माँग में गिरावट आती है और प्रीमियम बढ़ता है, जो तनावग्रस्त आपदा पीड़ित के लिए जोखिम को बढ़ाता है।

- दक्षिण एशिया में चक्रवात, बाढ़, वनाग्नि, और विनाशकारी भूकंप जैसी अप्रत्याशित और बढ़ती चरम मौसम संबंधी घटनाओं की आवृत्ति के कारण भारत अब आपदा जोखिम के प्रति अधिक संवेदनशील है।
- आपदा के बाद पुनर्निर्माण के लिए, भारत को अपने सार्वजनिक धन को सुरक्षित रखना होगा।

कैट बॉन्ड के लाभ

- **विविधीकरण:** जोखिम उठाने वाले निवेशक आपदा जोखिम वक्र को विविधीकरण के लिए सबसे आकर्षक पाते हैं क्योंकि भूवैज्ञानिक या जलवायु संबंधी खतरे परस्पर अनन्य होते हैं और वित्तीय जोखिम वक्र से असंबंधित होते हैं।
- **बीमा फर्मों के लिए:** पारंपरिक वार्षिक पुनर्बीमा अनुबंधों के विपरीत, कैट बॉन्ड पूरी तरह से संपार्श्विक (अर्थात, आसानी से सुलभ निधियों द्वारा समर्थित) और आमतौर पर बहुवर्षीय पुनर्बीमा कवरेज का वैकल्पिक स्रोत प्रदान करते हैं (बीमा कंपनियों के लिए बीमा)। इसके अतिरिक्त, वे बीमाकर्ताओं को उन विशिष्ट जोखिमों को स्थानांतरित करने में सहायता करते हैं जिनका पारंपरिक तरीकों से पुनर्बीमा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- **निवेशकों के लिए:** चूंकि कैट बॉन्ड के रिटर्न का आमतौर पर पारंपरिक वित्तीय बाजारों के रिटर्न से बहुत कम संदर्भ होता है, इसलिए वे आकर्षक रिटर्न प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, 2008 के वित्तीय संकट के दौरान कैट बॉन्ड ने अन्य निश्चित-आय निवेशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया।

कैट बॉन्ड के नुकसान

- **संकीर्ण मानदंड:** किसी बड़ी आपदा की स्थिति में भी, एक खराब डिज़ाइन वाले कैट बॉन्ड के परिणामस्वरूप कोई भुगतान नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि 6.5 मिलियन तीव्रता की कोई घटना घटती है और उससे महत्वपूर्ण क्षति होती है, तो किसी विशेष गिड के लिए 6.6 मिलियन तीव्रता की सीमा के लिए बनाया गया भूकंप कैट बॉन्ड विफल हो सकता है।
- **मूलधन का नुकसान:** किसी ट्रिगरिंग घटना की स्थिति में मूलधन के नुकसान की संभावना निवेशकों के लिए मुख्य जोखिम है।
- **जलवायु परिवर्तन का जोखिम:** प्राकृतिक आपदाएँ लगातार और गंभीर होती जा रही हैं, जिससे निवेशकों के बीच इसका आकर्षण प्रभावित हो रहा है।
- **तरलता का जोखिम:** कैट बॉन्ड के लिए, द्वितीयक बाजार तुलनात्मक रूप से अद्रव्य हो सकता है।

आगे की राह

- **नीतिगत और नियामक सहायता:** सेबी और आईआरडीएआई कैट बॉन्ड के लिए एक भारतीय नियामक ढांचा विकसित करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं।
- **पायलट परियोजनाएँ:** उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों (जैसे तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, और पूर्वोत्तर भारत) में पायलट कैट बॉन्ड कार्यक्रम शुरू करना।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी):** संयुक्त जोखिम प्रबंधन के लिए, सार्वजनिक और निजी दोनों बीमा कंपनियों को शामिल करना।
- **ईएसजी निवेशों के साथ एकीकरण:** कैट बॉन्ड को हरित निवेश और सतत वित्त पोर्टफोलियो के एक घटक के रूप में उजागर करना।
- **क्षमता निर्माण:** भारतीय निवेशकों, नियामकों और बीमा कंपनियों को आपदा मॉडलिंग और जोखिम संरचना प्रशिक्षण प्रदान करना।

निष्कर्ष

कैट बॉन्ड बढ़ते आपदा जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक समयोचित समाधान प्रस्तुत करते हैं, वित्तीय सुरक्षा, विविधीकरण और लचीलापन प्रदान करते हैं। सही नीतिगत

प्रोत्साहन और संरचनात्मक सुरक्षा उपायों के साथ, ये भारत की जलवायु-जोखिम प्रबंधन रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न 1. आपदा बांड (कैट बांड) जारी करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

- (a) बीमाकर्ताओं से आपदा जोखिम को निवेशकों को हस्तांतरित करना
- (b) अंतर्राष्ट्रीय कैट गठबंधन की वित्तपोषण पहल
- (c) ब्याज दर में उतार-चढ़ाव से बचाव के लिए
- (d) इनमें से कोई नहीं

(B) : 2020

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत की आपदा प्रबंधन रणनीति में आपदा बांड की प्रासंगिकता, लाभों और सीमाओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इनके प्रभावी रूप से अपनाए जाने हेतु नीतिगत उपाय सुझाइए। [250 शब्द] [15 अंक]

सागरमाला वित्त कॉर्पोरेशन लिमिटेड

चर्चा में क्यों: केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री (MoPSW) ने समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड (SMFCL) का उद्घाटन किया।

सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड (SMFCL) की स्थापना और परिवर्तन

- सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड (SDCL) का रूपांतरण: SMFCL का गठन निष्क्रिय सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड (SDCL) को एक पूर्ण NBFC में परिवर्तित करके किया गया।
- एसडीसीएल के बोर्ड ने मई में नाम परिवर्तन को मंजूरी दे दी, शेयरधारकों ने भी इसका अनुसरण किया, और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 19 जून, 2025 को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया।
- **स्थिति:** एसएमएफसीएल एक मिनी रत्न, श्रेणी-I, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है।

औचित्य और वित्तीय कमियों का समाधान

- एसएमएफसीएल का निर्माण भारत के समुद्री क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही वित्तीय चुनौतियों का प्रत्यक्ष समाधान है, जिसे पूंजी-गहन, धीमी गति से लाभ देने वाला, खंडित और वाणिज्यिक और नियामक जोखिमों से ग्रस्त माना जाता है, जिससे यह पारंपरिक ऋणदाताओं के लिए अनाकर्षक हो जाता है।
- **वित्तीय कमियों को पाटना:** एसएमएफसीएल का प्राथमिक कार्य उन महत्वपूर्ण वित्तीय कमियों को पाटना है जहाँ वाणिज्यिक बैंक और निवेशक हिचकिचाते हैं। समुद्री क्षेत्र, भारत के व्यापार में लगभग 95% योगदान देने के बावजूद, बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण का 2% से भी कम प्राप्त करता है।
- **एंकर फाइनेंसर:** इसे एक एंकर फाइनेंसर के रूप में कार्य करने, निवेशों को जोखिम मुक्त करने और समुद्री-विशिष्ट वित्तपोषण संरचना का मानकीकरण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **अन्य डीएफआई से सबक:** इसके कार्य की तुलना सफल विकास वित्त संस्थानों (डीएफआई) जैसे रेलवे के लिए भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) और बिजली के लिए आरईसी लिमिटेड और पीएफसी (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) से की जाती है, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों को केवल

बजटीय सहायता पर निर्भर हुए बिना विस्तार करने में सक्षम बनाया। यह कदम उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों के लिए डीएफआई की एक नई पीढ़ी बनाने की व्यापक सरकारी प्रवृत्ति का हिस्सा है, जो लंबी अवधि की परियोजनाओं में बाजार वित्त की सीमाओं और सार्वजनिक बैंकों के जोखिम से बचने को स्वीकार करता है।

प्रमुख विशेषताएँ और वित्तीय तंत्र

- एसएमएफसीएल को एक रणनीतिक वित्तपोषक के रूप में देखा जाता है जिसके कार्यों में महत्वपूर्ण लचीलापन हो।

- दीर्घकालिक परियोजनाओं का वित्तपोषण: इसका उद्देश्य दीर्घकालिक

बंदरगाह, तटीय और नीली अर्थव्यवस्था परियोजनाओं का वित्तपोषण करना है।

- वित्तीय साधन:** एनबीएफसी रुपया और विदेशी मुद्रा दोनों बॉन्ड जारी कर सकता है, हरित या नीली वित्तीय साधन तैयार कर सकता है, और इक्विटी विंडो, अधीनस्थ ऋण और गारंटी को मिलाकर मिश्रित वित्तीय व्यवस्थाएँ प्रदान कर सकता है। इसमें एक समुद्री-विशिष्ट अवसररचना निवेश ट्रस्ट (इनविट) और वैश्विक ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और शासन)-केंद्रित निवेशकों को लक्षित एक ब्लू बॉन्ड के प्रस्ताव शामिल हैं।
- विविध ऋण क्षेत्र:** एसएमएफसीएल हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला को ऋण दे सकता है, जिनमें शामिल हैं:
 - सार्वजनिक एजेंसियाँ और विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी)।
 - निजी कंपनियाँ और पीपीपी (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) संघ।
 - समुद्री स्टार्ट-अप और बंदरगाह-संबंधी बुनियादी ढांचा विकासकर्ता।
 - शिपिंग कंपनियाँ, एमएसएमई और समुद्री शैक्षणिक संस्थान।
 - जलमार्ग और मछली पकड़ने वाले जहाज संचालक।

- ऋण अवधि:** यह अल्पकालिक (एक वर्ष तक), मध्यम अवधि (1-3 वर्ष), और दीर्घकालिक (3-15 वर्ष) ऋण प्रदान करेगा।
- प्रारंभिक पूँजी और धन उगाहना:** इसकी प्रारंभिक अधिकृत पूँजी 1,000 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है, जिसे बॉन्ड जारी करने और तृतीय-पक्ष इक्विटी भागीदारी के माध्यम से बढ़ाने का विकल्प है। एसएमएफसीएल अगले छह महीनों में बॉन्ड और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) जैसे बाजार ऋणों और बैंकों से ₹4,000 करोड़ की राशि जुटाने की अपनी पहली किश्त पूरी करने की योजना बना रही है।
- प्रारंभिक चरण के प्रस्ताव:** समीक्षाधीन परियोजनाओं में तूतीकोरिन के निकट एक शीत भंडारण रसद पार्क, कोच्चि में जहाजों के लिए हरित पुनर्निर्माण और ब्रह्मपुत्र एवं गंगा जलमार्गों पर अंतर्देशीय नौका संचालकों के लिए पूंजीगत व्यय सहायता शामिल है। इसकी योजना शिपयार्ड विस्तार परियोजनाओं, तटीय और अंतर्देशीय जलमार्ग विकास, ड्रेजिंग और तटीय आर्थिक क्षेत्रों (सीईजेड) के अंतर्गत औद्योगिक विकासकर्ताओं को वित्तपोषित करने की भी है।

सामरिक महत्व और विजन

- एसएमएफसीएल भारत की व्यापक समुद्री महत्वाकांक्षाओं और राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों में एक प्रमुख साधन के रूप में स्थापित है।
- राष्ट्रीय विजन के साथ संरेखण:** यह समुद्री अमृत काल विजन 2047 और भारत को एक अग्रणी वैश्विक समुद्री शक्ति और विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के साथ पूर्णतः संरेखित है।
- सामरिक क्षेत्रों के लिए समर्थन:** सामान्य बुनियादी ढांचे के अलावा, एसएमएफसीएल जहाज निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, क्रूज पर्यटन और समुद्री शिक्षा जैसे सामरिक क्षेत्रों का समर्थन करेगा, जिससे भारत के विजन को और मजबूती मिलेगी।
- एकीकृत समुद्री विकास:** एसएमएफसीएल की स्थापना खंडित बंदरगाह नीति

से एकीकृत समुद्री विकास की ओर बदलाव का संकेत देती है, जिसमें पूंजी वास्तुकला को इस विजन के केंद्र में रखा गया है।

- राष्ट्रीय रसद दक्षता:** यह उन परियोजनाओं को सक्षम बनाएगा जो सतत विकास, नवाचार और राष्ट्रीय रसद दक्षता में योगदान देंगी।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड (SMFCL) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- SMFCL भारत की पहली समुद्री क्षेत्र समर्पित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) है।
- इसे जून 2025 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के साथ एक NBFC के रूप में पंजीकृत किया गया था।
- SMFCL बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत एक मिनी रत्न, श्रेणी-I, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

(C) : 2024

भारत के प्राकृतिक गैस टैरिफ सुधार

चर्चा में क्यों: भारत के स्वच्छ और अधिक कुशल ऊर्जा परिदृश्य की ओर संक्रमण को मजबूत करने के उद्देश्य से एक निर्णायक कदम उठाते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ विनियम, 2025 में दूसरे संशोधन को मंजूरी दे दी है।

प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ विनियमों में महत्वपूर्ण सुधार

- एकीकृत टैरिफ क्षेत्रों का सरलीकरण**
 - पीएनजीआरबी ने एकीकृत टैरिफ क्षेत्रों की संख्या तीन से घटाकर दो कर दी है, जिससे देश भर में प्राकृतिक गैस परिवहन प्रणाली सरल हो गई है।
 - यह पहल एक अधिक न्यायसंगत टैरिफ संरचना सुनिश्चित करने और प्राकृतिक गैस तक पहुँच में सुधार लाने के लिए डिज़ाइन की गई है, विशेष रूप से पहले से कम सेवा वाले क्षेत्रों में।
- एकीकृत क्षेत्रीय टैरिफ लाभ का विस्तार**
 - उपभोक्ताओं पर केंद्रित एक कदम के तहत, जोन 1 के एकीकृत क्षेत्रीय टैरिफ का लाभ देश भर में संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) और पाइप प्राकृतिक गैस (पीएनजी) घरेलू खंडों तक बढ़ा दिया गया है।
 - इससे शहरी घरों और परिवहन नेटवर्क के लिए प्राकृतिक गैस अधिक किफायती होने की संभावना है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा को व्यापक रूप से अपनाने में मदद मिलेगी।
- दीर्घकालिक गैस खरीद का अधिदेश**
 - टैरिफ को स्थिर करने और आपूर्ति में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए, पीएनजीआरबी ने पाइपलाइन ऑपरेटरों को अपने वार्षिक सिस्टम-उपयोग गैस का कम से कम 75% दीर्घकालिक अनुबंधों (न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि के साथ) के माध्यम से खरीदने का अधिदेश दिया है।
 - इस उपाय का उद्देश्य खरीद जोखिम को कम करना, लेनदेन लागत को

कम करना और अंततः उपभोक्ताओं और निवेशकों दोनों के लिए अधिक पूर्वानुमानित और किफायती टैरिफ प्रदान करना है।

● पाइपलाइन विकास रिज़र्व की शुरुआत

- पीएनजीआरबी ने एक समर्पित पाइपलाइन विकास रिज़र्व की शुरुआत की है, जो पाइपलाइन संस्थाओं से होने वाली आय का उपयोग करता है जो 75% उपयोग मानकों से अधिक है भविष्य के विस्तार के लिए धन मुहैया कराता है।
- इन कर-मुक्त आय का 50% पुनर्निवेश किया जाएगा बुनियादी ढांचे के विकास में, जबकि शेष 50% टैरिफ समायोजन के माध्यम से उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। यह विकास के लिए एक प्रदर्शन-आधारित, आत्मनिर्भर मॉडल तैयार करता है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी)

- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) का गठन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 की संख्या 19) के तहत किया गया था, जिसे 31 मार्च 2006 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया था।
- यह अधिनियम पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंधित विशिष्ट गतिविधियों में लगे उपभोक्ताओं और संस्थाओं के हितों की रक्षा करने और प्रतिस्पर्धी बाजारों को बढ़ावा देने और उससे जुड़े या उससे संबंधित मामलों के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड की स्थापना का प्रावधान करता है।
- इसके अलावा, जैसा कि अधिनियम में निहित है, बोर्ड को पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस (कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को छोड़कर) के शोधन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण, विपणन और बिक्री को विनियमित करने का भी अधिकार दिया गया है ताकि देश के सभी भागों में पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस की निर्बाध और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
- बोर्ड के कार्य
 - संस्थाओं के बीच निष्पक्ष व्यापार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना।
 - संस्थाओं को पंजीकृत करना:
 - ◆ अधिसूचित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन करना और, केंद्र सरकार के संविदात्मक दायित्वों के अधीन, प्राकृतिक गैस;
 - ◆ तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनलों की स्थापना और संचालन करना;
 - ◆ विनियमों द्वारा निर्दिष्ट क्षमता से अधिक पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों या प्राकृतिक गैस के लिए भंडारण सुविधाएं स्थापित करना।

➤ संस्थाओं को निम्नलिखित के लिए अधिकृत करना:

- ◆ एक सामान्य वाहक या अनुबंध वाहक रखना, बनाना, संचालित करना या विस्तार करना
- ◆ शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाना, निर्माण करना, संचालित करना या विस्तार करना
- सामान्य वाहक या अनुबंध वाहक के लिए परिवहन दरों को विनियमित करना।
- पाइपलाइन पहुँच कोड के अनुसार संस्थाओं के बीच निष्पक्ष व्यापार और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क तक पहुँच को विनियमित करना।
- विनियमों द्वारा निर्धारित शुल्क और अन्य प्रभार लगाना।
- पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंधित गतिविधियों पर जानकारी का एक डेटा बैंक बनाए रखना।
- विनियमों द्वारा, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंधित गतिविधियों में सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विनिर्देशों को निर्धारित करना, जिसमें डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र से संबंधित पाइपलाइन और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का निर्माण और संचालन शामिल है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा अनुमोदित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ विनियम, 2025 में दूसरे संशोधन की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है?

- (a) एक नए प्राकृतिक गैस उत्पादन अधिनियम का प्रवर्तन
- (b) एकीकृत टैरिफ क्षेत्रों की संख्या तीन से घटाकर दो करना
- (c) अल्पकालिक अनुबंधों से गैस खरीद का विस्तार
- (d) विशिष्ट देशों से प्राकृतिक गैस का अनिवार्य आयात

(q) : 2025

तटीय जीवन और गर्म होती दुनिया

चर्चा में क्यों: बढ़ते समुद्र स्तर और तेज़ तूफ़ानों के साथ, जलवायु परिवर्तन तटीय क्षेत्रों को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। भारत के तटों पर रहने वाले लाखों लोगों के लिए, यह संकट अब भविष्य का तनाव नहीं है - यह अभी सामने आ रहा है।

जलवायु परिवर्तन और तटीय जीवन

- शहरी और आर्थिक केंद्र:** पृथ्वी पर लगभग 40% लोग तट से 100 किलोमीटर या उससे कम दूरी पर रहते हैं। वैश्विक उत्पादन का 70% से अधिक हिस्सा समुद्र तटों पर या उनके आसपास होता है, जहाँ कई बड़े शहर, बंदरगाह और पर्यटन स्थल स्थित हैं।
- बढ़ती घटनाएँ:** समुद्र का बढ़ता जलस्तर, खारे पानी का अतिक्रमण, और अनियंत्रित विकास के संघर्षी प्रभाव उन समुदायों को उजाड़ रहे हैं जो ऐतिहासिक रूप से पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तटों पर कृषि, मछली पकड़ने और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर रहे हैं।
- समुद्र तल में वृद्धि:** 1901 और 2018 के बीच, समुद्र तल औसतन 15-25 सेमी या 1-2 मिमी प्रति वर्ष की दर से बढ़ा; 2013-2022 के दशक के दौरान, यह दर बढ़कर 4.62 मिमी प्रति वर्ष हो गई, जिससे तटीय समुदायों की आजीविका खतरे में पड़ गई।
- जबरन पलायन:** इसके परिणामस्वरूप, विस्थापित लोगों को पर्याप्त सरकारी सहायता या कानूनी सुरक्षा के बिना अस्थिर शहरी श्रम बाजारों में धकेला जा रहा है।
- छोटे द्वीपीय विकासशील देश:** बड़ी संख्या में छोटे द्वीपीय विकासशील देशों (एसआईडीएस) का भूभाग समुद्र तल से केवल कुछ दर्जन सेंटीमीटर ऊपर है। बढ़ते हुए समुद्र के कारण इन देशों के निवासियों को सुरक्षा के लिए अन्य देशों में भागने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।
- तटीय पारिस्थितिकी तंत्र:** चूँकि प्रवाल विरंजन और भित्तियों का विनाश जल तापमान के एक निश्चित बिंदु से ऊपर बढ़ने के कारण होता है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग प्रवाल भित्तियों के लिए एक गंभीर खतरा बन गई है।
- मत्स्य पालन:** सदी के मध्य तक अम्लता 0.06 से 0.34 pH तक बढ़ सकती है। कई समुद्री जीवों को नए वातावरण में समायोजित होने में होने वाली कठिनाई के परिणामस्वरूप मछली उत्पादकता और विविधता को बहुत नुकसान होगा।

पर्यावरण बनाम विकास

- औद्योगिक और बुनियादी ढाँचे का विस्तार:** ऊर्जा परियोजनाओं और वाणिज्यिक जलीय कृषि से लेकर विभिन्न कार्यक्रमों के तहत बंदरगाह विकास तक, उद्योग और बुनियादी ढाँचे के विकास से पारिस्थितिक क्षरण में वृद्धि हुई है।
- पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश:** आर्द्रभूमि, रेत के टीले और मैंग्रोव वन, जो कभी तटीय समुदायों की रक्षा करते थे, बुनियादी ढाँचे के लिए लगातार साफ किए जा रहे हैं।
- पर्यावरणीय मंजूरीयों में खामियाँ:** कई परियोजनाओं की पर्यावरणीय मंजूरीयों में संघर्षी जलवायु जोखिमों की अनदेखी की गई है, जिसके परिणामस्वरूप एक ऐसा विकास मॉडल सामने आया है जो सामाजिक और पारिस्थितिक कमजोरियों को और बढ़ा देता है।

- विस्थापन:** शहरी क्षेत्रों में, विस्थापित आबादी घरेलू कामगारों, ईंट भट्ठा मजदूरों और निर्माण श्रमिकों के रूप में असंगठित क्षेत्र में तेजी से समाहित हो रही है। प्रणालीगत श्रम शोषण अक्सर इन प्रवासन पैटर्न का परिणाम होता है।
- बार-बार होने वाली आपदाएँ:** प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह की आपदाओं ने भूमि खनन, पर्वतों में दरार डालने और नदियों पर बाँध बनाने जैसी बुनियादी ढाँचे में सुधार जैसी विकास परियोजनाओं के परिणामस्वरूप अधिक क्षति पहुँचाई है।
- ग्लोबल वार्मिंग:** ग्रीनहाउस गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन और तीव्र औद्योगीकरण ने ग्लोबल वार्मिंग में योगदान दिया है।

जलवायु विस्थापन पर कानूनी खामियाँ

- विशिष्ट कानूनों का अभाव:** यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा जीवन और सम्मान के अधिकार की गारंटी दी गई है, धीमी गति से शुरू होने वाली जलवायु आपदाओं से विस्थापित लोगों के अधिकारों को किसी भी कानून द्वारा विशेष रूप से संबोधित नहीं किया गया है।
- सामाजिक-आर्थिक ढाँचे का बहिष्कार:** विस्थापन के सामाजिक-आर्थिक पहलुओं को मौजूदा ढाँचों जैसे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, और तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचनाओं द्वारा पर्याप्त रूप से ध्यान में नहीं रखा गया है। ये ढाँचे या तो पर्यावरण संरक्षण या आपदा प्रतिक्रिया तक ही सीमित हैं।
- विशिष्ट योजनाओं का अभाव:** संवेदनशीलता को स्वीकार करते हुए, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) और राज्य कार्य योजनाओं में विस्थापित लोगों के पुनर्वास या उन्हें कार्यबल में एकीकृत करने के लिए विशिष्ट योजनाएँ सम्मिलित नहीं हैं।
- कार्यान्वयन का अभाव:** एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (1987) और भारतीय पर्यावरण कानूनी कार्रवाई परिषद बनाम भारत संघ (1996) के मामलों में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पर्यावरण न्याय न्यायशास्त्र ने पर्यावरण और मौलिक मानवाधिकारों के बीच घनिष्ठ संबंध को स्वीकार किया। हालाँकि, इन विचारों को जलवायु विस्थापन पर एक मजबूत, समुदाय-केंद्रित कानूनी ढाँचे में रूपांतरित करने में अभी भी कमी है।

अधिकार-आधारित ढाँचे की ओर

- नीति एकीकरण:** यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय प्रवासन और शहरी नियोजन नीतियाँ जलवायु प्रवासियों को मान्यता दें। उचित पर्यावास, रोज़गार, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अधिकार-आधारित रणनीति की आवश्यकता है।
- श्रम संहिताएँ:** यह आवश्यक है कि श्रम संहिताओं को जलवायु प्रवासियों के लिए विशेष रूप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए अद्यतन किया जाए, विशेष रूप से उन उद्योगों में जहाँ अनौपचारिकता प्रचलित है, जैसे निर्माण और घरेलू काम।
- तटीय क्षेत्र प्रबंधन:** इसी तरह, सामुदायिक अधिकारों और पारिस्थितिक स्थिरता को निजी हितों से आगे रखने के लिए तटीय क्षेत्र प्रबंधन की पुनर्परीक्षा की आवश्यकता है।

- **रोज़गार की स्थितियाँ:** जलवायु विस्थापन के कारण उत्पन्न नई कमजोरियों का समाधान करना भारत की सतत विकास लक्ष्य 8.7 को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता के लिए आवश्यक है, जिसमें जबरन श्रम को समाप्त करने और जलवायु शरणार्थियों सहित सभी के लिए सभ्य काम की गारंटी देने का आह्वान किया गया है।

निष्कर्ष

तटीय समुदायों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाना न केवल एक पर्यावरणीय अनिवार्यता है - यह न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की परीक्षा भी है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: तटीय समुदायों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और जलवायु-जनित विस्थापन से निपटने के लिए मौजूदा कानूनी और नीतिगत ढाँचों का मूल्यांकन कीजिए। भारत की जलवायु सहनशीलता को मज़बूत करने के लिए अधिकार-आधारित दृष्टिकोण सुझाइए। [250 शब्द] [15 अंक]

कृत्रिम वर्षा (क्लाउड सीडिंग)

चर्चा में क्यों: हाल ही में, दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए पहली बार कृत्रिम वर्षा का उपयोग करने की योजना बनाई है।

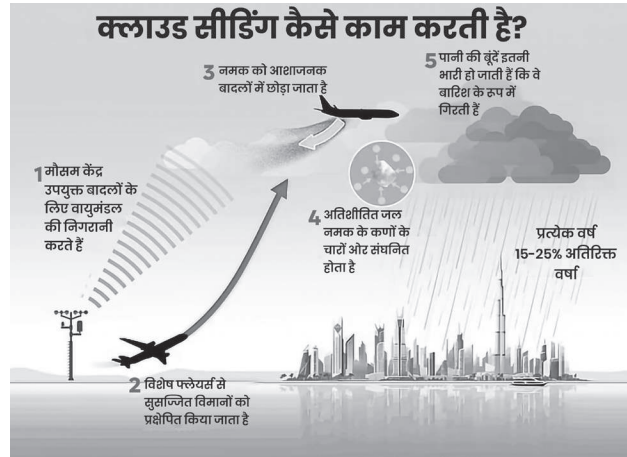
मुख्य विवरण

- दिल्ली के पहले कृत्रिम वर्षा प्रयोग के संदर्भ में, इस परियोजना का शीर्षक है "प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण न्यूनीकरण के विकल्प के रूप में क्लाउड सीडिंग का मूल्यांकन"।
- इस परियोजना का नेतृत्व आईआईटी कानपुर कर रहा है।
- उन्होंने एक विशेष सीडिंग फॉर्मूलेशन विकसित किया है जिसमें सिल्वर आयोडाइड नैनोकणों, आयोडीन युक्त नमक और सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है। यह मिश्रण नमी युक्त बादलों में बूंदों के निर्माण को तेज करके वर्षा को उत्प्रेरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- दिल्ली परीक्षणों के लिए, संशोधित सेसना विमान का उपयोग फ्लेयर-आधारित प्रणालियों के माध्यम से सीडिंग मिश्रण को फैलाने के लिए किया जाएगा।
- प्रत्येक विमान उड़ान लगभग 90 मिनट तक चलेगी और लगभग 100 वर्ग किलोमीटर हवाई क्षेत्र को कवर करेगी, विशेष रूप से उत्तर-पश्चिम और बाहरी दिल्ली में।
- बीजापोषण के लिए सबसे उपयुक्त बादल प्रकार निम्बोस्ट्रेटस है, जो आमतौर पर जमीन से 500 से 6,000 मीटर ऊपर बनता है।

कृत्रिम वर्षा (क्लाउड सीडिंग)

- कृत्रिम वर्षा, जिसे क्लाउड सीडिंग भी कहा जाता है, एक मौसम संशोधन तकनीक है जिसे कृत्रिम वर्षा को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह विशिष्ट रसायनों, जिन्हें संचनन या बर्फ के नाभिक के रूप में जाना जाता है, को नमी से भरे बादलों में फैलाकर काम करता है।
- ये नाभिक जल वाष्प के संचनन के लिए एक आधार प्रदान करते हैं या बर्फ के टुकड़ों के निर्माण के लिए, जिससे पानी की बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल के निर्माण

को बढ़ावा मिलता है जो इतने भारी हो जाते हैं कि बारिश या बर्फ के रूप में गिर सकते हैं।



कृत्रिम वर्षा के लाभ

- **वायु प्रदूषण का फैलाव:** यह वायुमंडल में धूल, धुँएँ, धुंध और विभिन्न रसायनों की सांद्रता को कम करके वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। दिल्ली में इस पर विचार करने का मुख्य कारण यही है।
- **जल आपूर्ति में वृद्धि:** यह वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा में उल्लेखनीय सुधार कर सकता है। इसमें सर्दियों में अधिक बर्फबारी और पहाड़ों पर बर्फ के ढेर का विस्तार सम्मिलित है, जो समुदायों के लिए प्राकृतिक जल आपूर्ति का पूरक है। दीर्घकालिक परियोजनाओं ने बर्फ के ढेर में 10% या उससे अधिक की वृद्धि दिखाई है।
- **कृषि लाभ:** नमी प्रदान करके, यह कृषि को लाभ पहुँचा सकता है और फसल वृद्धि को बढ़ावा दे सकता है।
- **मौसम नियंत्रण:** यह मौजूदा मौसम की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है, न केवल बारिश कराकर, बल्कि विनाशकारी ओलावृष्टि और तूफानों से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए जल वाष्प को नियंत्रित करके भी। इसका उपयोग कृषि में ओलावृष्टि के प्रबंधन और हवाई अड्डों की दृश्यता में सुधार के लिए कोहरे को साफ करने के लिए किया जाता है।
- **वनाग्नि प्रबंधन:** कृत्रिम वर्षा का उपयोग अग्निशमन और वनाग्नि बुझाने में एक उपकरण के रूप में किया जा सकता है।
- **शुष्क स्थानों को रहने योग्य बनाना:** यह शुष्क क्षेत्रों को अधिक रहने योग्य बनाने में योगदान दे सकता है। उदाहरण के लिए, संयुक्त अरब अमीरात कृषि क्षमताओं का विस्तार करने और अत्यधिक गर्मी से निपटने के लिए इस तकनीक का सक्रिय रूप से उपयोग करता है।
- **जलविद्युत:** जलविद्युत कंपनियाँ वसंत ऋतु में जल प्रवाह को बढ़ाने के लिए क्लाउड सीडिंग का उपयोग कर सकती हैं।
- **सूखा शमन:** यह सूखे का एक संभावित समाधान है, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश सूखा शमन के लिए वर्षा के दौरान जल उपयोग को अधिकतम करने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं।

चिंताएँ और चुनौतियाँ

- **मौसम संबंधी निर्भरता:** क्लाउड सीडिंग के सफल होने के लिए, उपयुक्त मौसम संबंधी परिस्थितियाँ आवश्यक हैं, विशेष रूप से नमी से भरे बादलों की उपस्थिति, जो हमेशा उपलब्ध या पूर्वानुमानित नहीं होते। यदि तूफानी प्रणालियाँ लंबे समय तक अनुपस्थित रहती हैं, तो क्लाउड सीडिंग संभव नहीं है।
- **प्रभावशीलता और पूर्वानुमान:** यह कोई अचूक या गारंटीकृत समाधान नहीं है। इसकी प्रभावशीलता परियोजना दर परियोजना अलग-अलग होती है।

- **संभावित रूप से हानिकारक रसायन:** सिल्वर आयोडाइड जैसे रसायनों का उपयोग पौधों को संभावित रूप से प्रभावित कर सकता है, हालाँकि उनके दीर्घकालिक प्रभावों पर अध्ययन सीमित हैं। सिल्वर आयोडाइड स्थलीय और जलीय जीवन के लिए विषाक्त हो सकता है।
- **आयोडिज्म:** सिल्वर आयोडाइड मनुष्यों में आयोडिज्म नामक एक प्रकार का आयोडीन विषाक्तता पैदा कर सकता है, जिसके लक्षणों में बहती नाक, सिरदर्द, त्वचा पर चकत्ते, एनीमिया और दस्त सम्मिलित हैं।
- **जलवायु पैटर्न में बदलाव:** ऐसी चिंताएँ हैं कि कृत्रिम बारिश अंततः जलवायु पैटर्न को बदल सकती है। यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया, तो क्लाउड सीडिंग से अवांछनीय या विनाशकारी मौसम की स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं, जैसे बाढ़, तूफान, या ओलावृष्टि का जोखिम।
- **वायु प्रदूषण में योगदान:** सिल्वर आयोडाइड कणों से वायुमंडल में कणीय पदार्थों की सांद्रता बढ़ सकती है और संभावित रूप से अन्य प्रदूषकों को सक्रिय कर सकती है, जिससे स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो सकता है।
- **संदूषण जोखिम:** सिल्वर आयोडाइड और अन्य रसायनों का गलत उपयोग पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन सकता है, जिससे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है।
- **उच्च लागत:** कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने की प्रक्रिया बहुत महंगी है।

आगे की राह

- **निरंतर अनुसंधान और समझ:** व्यापक क्लाउड सीडिंग को अपनाने से पहले वैज्ञानिक जाँच और व्यापक अनुसंधान में गहनता से जुटना आवश्यक है।
- इसके दीर्घकालिक परिणामों, विशेष रूप से वायु प्रदूषण के संबंध में, की गहन समझ और इससे जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के विरुद्ध संभावित लाभों का मूल्यांकन आवश्यक है।
- **शमन रणनीतियाँ:** रसायनों के संचालन और उपयोग में कड़े प्रोटोकॉल और एहतियाती उपायों को लागू करके संदूषण के जोखिमों से निपटना और उन्हें कम करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- **नैतिक विचार और संतुलन:** क्लाउड सीडिंग पर चल रही बहस, प्रगति और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ से होने वाले संभावित नुकसानों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।
 - सरकारों और निजी कंपनियों को इसके फायदे और नुकसान का सावधानीपूर्वक आकलन करना चाहिए, कुछ देश इसे अपना रहे हैं जबकि अन्य सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: क्लाउड सीडिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. क्लाउड सीडिंग में सिल्वर आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड जैसे पदार्थों को बादलों में फैलाकर वर्षा को प्रेरित किया जाता है।
2. यह केवल मानसून के मौसम में क्यूम्युलोनिम्बस बादलों पर ही प्रभावी होता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

(ए) - १५६

प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम में घड़ियाल और स्लॉथ भालू

चर्चा में क्यों: राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (SCNIBWL) की स्थायी समिति ने केंद्र के प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम में घड़ियाल और स्लॉथ भालू को सम्मिलित करने की सिफारिश की है, जिसका उद्देश्य गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों और पर्यावासों का संरक्षण करना है।

घड़ियाल के बारे में

- **वैज्ञानिक नाम:** गैवियलिस गैगेटिकस
- **लंबाई:** 3-6 मीटर (नर), 2.5-4 मीटर (मादा)
- **वजन:** 150-250 किलोग्राम
- **जनसंख्या:** लगभग 800
- **संरक्षण स्थिति**
 - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I
 - IUCN की लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त
- **पर्यावास और वितरण**
 - घड़ियाल गहरी, तेज़ बहने वाली नदियों को पसंद करते हैं; हालाँकि, वयस्क घड़ियाल नदियों की शांत जल शाखाओं (झीलों) और नदी के मोड़ों और संगमों पर गहरे गड्ढों (कुंडों) के अपेक्षाकृत वेग-मुक्त जलीय वातावरण में भी देखे गए हैं।
 - ऐतिहासिक रूप से, घड़ियाल भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान व नेपाल के दक्षिणी भाग की नदी प्रणालियों में पाए जाते थे। आज, वे केवल भारत और नेपाल के जल में ही जीवित हैं। इनकी जीवित आबादी गंगा नदी प्रणाली की सहायक नदियों में पाई जा सकती है: गिरवा (उत्तर प्रदेश), सोन (मध्य प्रदेश), रामगंगा (उत्तराखंड), गंडक (बिहार), चंबल (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान) और महानदी (उड़ीसा)।



स्लॉथ भालू के बारे में

- **वैज्ञानिक नाम:** मेलुरसस उर्सिनस (Melursus ursinus)
- **आकार:** स्लॉथ भालू 5 से 6 फीट (1.5 से 2 मीटर) लंबे, कंधे तक 2 से 3 फीट (0.5 से 1 मीटर) ऊँचे, और औसतन 200 से 300 पाउंड (90 से 140 किलोग्राम) वजन के होते हैं।
- **मूल पर्यावास**
 - स्लॉथ भालू विभिन्न प्रकार के शुष्क और नम वनों और कुछ ऊँचे घास के मैदानों में रहते हैं, जहाँ चट्टानें, बिखरी हुई झाड़ियाँ और वृक्ष आश्रय प्रदान करते हैं।
 - उनके क्षेत्र में भारत, श्रीलंका और दक्षिणी नेपाल सम्मिलित हैं। ऐतिहासिक रूप से, स्लॉथ भालू बांग्लादेश और भूटान में भी देखे गए हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि क्या स्लॉथ भालू अभी भी इन देशों के जंगलों में मौजूद हैं।
- **भोजन संबंधी आदतें:** दीमक और चींटियों को खाने वाले जानवरों के रूप में, स्लॉथ भालू को मायमेंकोफैगस माना जाता है।

- जब पेड़ों पर फल लगते हैं, आमतौर पर मानसून के मौसम में, स्लॉथ भालू आम, अंजीर, आबनूस और अन्य फलों के साथ-साथ फूलों का भी सेवन करते हैं।
- **सामाजिक संरचना:** स्लॉथ भालू को एकाकी माना जाता है, हालाँकि जब संसाधन प्रचुर मात्रा में होते हैं तो उन्हें कभी-कभी समूहों में भी देखा जा सकता है।
- **संरक्षण**
 - IUCN की लाल सूची में सम्मिलित
 - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I

वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास

- केंद्र प्रायोजित व्यापक योजना
- **घटक:**
 - **संरक्षित क्षेत्र समर्थन:** कर्मचारियों की क्षमता निर्माण, बुनियादी ढांचे और वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, संरक्षण और सामुदायिक अभयारण्यों के प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना।
 - **संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीव:** निजी, सामुदायिक और बहु-उपयोगी भूमि पर पर्यावासों और गलियारों का संरक्षण ताकि परिदृश्य संपर्क बनाए रखा जा सके और संघर्ष को कम किया जा सके।
 - **प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम:** 22 गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों (16 स्थलीय, 6 जलीय) के लिए पुनर्प्राप्ति योजनाएँ, जिनमें प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलीफेंट, प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट लायन उप-योजनाएँ सम्मिलित हैं।
 - **प्रौद्योगिकी और नवाचार:** गश्त के लिए M-STrIPES मोबाइल ऐप की तैनाती, व्यापक कैमरा-ट्रैप नेटवर्क, AI-आधारित प्रजातियों की पहचान, और स्थानांतरण निर्णयों के लिए संरक्षण आनुवंशिकी।
 - **सामुदायिक भागीदारी और पारिस्थितिकी विकास:** वैकल्पिक आजीविका परियोजनाएँ, पारिस्थितिकी पर्यटन, पर्यटन राजस्व से लाभ साझा करना और वन्यजीव पर्यावासों के स्थानीय प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास (IDWH) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है।
2. यह योजना केवल राष्ट्रीय उद्यानों और बाघ अभयारण्यों को कवर करती है।
3. यह संरक्षित क्षेत्रों से समुदायों के स्वेच्छिक स्थानांतरण में भी सहायता प्रदान करती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

(Q) - 2122

शैल अपक्षय (ईआरडब्ल्यू) तकनीक

चर्चा में क्यों: जलवायु परिवर्तन से संघर्ष के एक अभिनव प्रयास में, भारतीय चाय बागानों ने हाल ही में कृषि भूमि के बड़े हिस्से पर संवर्धित शैल अपक्षय (ईआरडब्ल्यू) तकनीक लागू की है।

संवर्धित शैल अपक्षय (ईआरडब्ल्यू) क्या है?

- ईआरडब्ल्यू में प्राकृतिक अपक्षय प्रक्रियाएँ सम्मिलित हैं जिनमें बेसाल्ट और ग्लौकोनाइट जैसी सिलिकेट चट्टानों को पृथ्वी की सतह पर फैलाया जाता है।
- इन चट्टानों में पाए जाने वाले सिलिकेट खनिज वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके बाइकार्बोनेट बनाते हैं, जिसे बाद में समुद्र में ले जाया जाता है।
- समुद्र का बाइकार्बोनेट समुद्री जल की अम्लता को कम करता है, जिससे फाइटोप्लांकटन को लाभ होता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है।
- इस प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए चट्टान के पदार्थ का अपघटन किया जाता है, जो प्राकृतिक अपक्षय जैसा ही है, लेकिन कहीं अधिक तेज़ है।
- चूँकि ईआरडब्ल्यू सैकड़ों वर्षों तक मृदा में कार्बन संग्रहीत कर सकता है, यह वायुमंडलीय CO₂ के स्तर को कम करने और जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को कम करने के लिए एक उपयोगी तकनीक है।

ईआरडब्ल्यू तकनीक के लाभ

- **CO₂ का निष्कासन:** एक अमेरिकी अध्ययन के अनुसार, चार वर्ष की अवधि में, एक हेक्टेयर भूमि पर प्रति वर्ष 50 टन बेसाल्ट डालने से प्रति हेक्टेयर 10.5 टन तक कार्बन डाइऑक्साइड हटाया जा सकता है।
- **मृदा उर्वरता:** ईआरडब्ल्यू सूखे, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण के जोखिम को कम करके, साथ ही मृदा जल धारण क्षमता में सुधार करके और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाकर मृदा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकता है।
- **रसायन मुक्त खेती:** ईआरडब्ल्यू बारीक पिसी हुई चट्टानों और खनिजों को खेतों में वितरित करके मृदा की अम्लता को संतुलित करने में मदद कर सकता है, जिससे कृत्रिम उर्वरकों का उपयोग किए बिना फसल की पैदावार बढ़ जाती है।
- **समुद्री pH स्तर:** यह समुद्री pH स्तर को बढ़ाकर तटीय उत्पादकता को भी बढ़ा सकता है, जिससे समुद्री जीवन पर CO₂ के नकारात्मक प्रभावों का मुकाबला करने में मदद मिलती है।
- **लागत प्रभावी:** यह प्रक्रिया कम खर्चीली है, क्योंकि बेसाल्ट प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और अक्सर उत्खनन के उपोत्पाद के रूप में उपलब्ध होता है।

चुनौतियाँ

- **चरों का प्रभाव:** चट्टानों का आकार और प्रकार, जलवायु की आर्द्रता और तापमान, मृदा का प्रकार, और भूमि प्रबंधन, ये सभी दूर प्रभावित करते हैं।
- **वित्तपोषण:** हटाए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की सटीक मात्रा निर्धारित करने के लिए बुनियादी शोध करने हेतु अधिक वित्तपोषण की आवश्यकता है।
- **भारी धातुएँ:** कुछ चट्टानें जो जल्दी खराब हो जाती हैं, उनमें संभावित रूप से हानिकारक भारी धातुओं की उच्च सांद्रता होती है।
- **प्रभाव की सटीकता:** गलत माप के परिणामस्वरूप अवशोषित कार्बन का अधिक अनुमान लगाया जाता है। यदि कोई व्यवसाय अपने उत्सर्जन को "प्रतिशुद्धित" करने के लिए ईआरडब्ल्यू क्रेडिट खरीदता है, तो वह वायुमंडल में कुल मिलाकर अधिक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सकता है। लेकिन यह प्रक्रिया अपेक्षा से कम कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है।

निष्कर्ष

संक्षेप में, संवर्धित शैल अपक्षय एक आशाजनक तकनीक है जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने, वायुमंडलीय CO₂ के स्तर को बहुत कम करने और मृदा की उर्वरता बढ़ाने की क्षमता है। हालाँकि इस प्रक्रिया का विस्तार अभी भी महंगा है, लेकिन ईआरडब्ल्यू के लाभ स्पष्ट हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न 1. संवर्धित शैल अपक्षय (ईआरडब्ल्यू) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ईआरडब्ल्यू तकनीक में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए मृदा पर पिसे हुए कार्बोनेट चट्टानों को फैलाना सम्मिलित है।
2. ईआरडब्ल्यू बाइकार्बोनेट के निर्माण की ओर ले जाता है, जो समुद्री अम्लीकरण को कम करने में मदद करता है।
3. ईआरडब्ल्यू में प्रयुक्त बेसाल्ट, अक्सर उत्खनन का एक उपोत्पाद होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

(9) -2024

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में जलवायु परिवर्तन शमन और सतत कृषि के संदर्भ में संवर्धित शैल अपक्षय (ईआरडब्ल्यू) तकनीक के महत्व पर चर्चा कीजिए। [250 शब्द] [15 अंक]

CITES के 50 वर्ष

चर्चा में क्यों: वन्य जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) 1 जुलाई 2025 को अपने लागू होने के 50 वर्ष पूरे कर रहा है।

CITES के बारे में

- **संदर्भ**
 - द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में विदेशी जीवों, पौधों और उनके व्युत्पन्नों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नाटकीय वृद्धि देखी गई।
 - इस अनियमित व्यापार ने कई प्रजातियों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया, जिससे वे विलुप्त होने के कगार पर पहुँच गईं।
 - IUCN ने बहुपक्षीय संधि का प्रस्ताव रखा, जिस पर 1973 में हस्ताक्षर किए गए और 1975 में यह लागू हुई।
 - आज, CITES में 184 पक्ष हैं, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सफल संरक्षण समझौतों में से एक बनाता है।



उद्देश्य और तंत्र

- CITES का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनके अस्तित्व के लिए खतरा न बने। यह परमिट और प्रमाणपत्रों की एक प्रणाली के माध्यम से संचालित होता है जो तीन परिशिष्टों में सूचीबद्ध प्रजातियों के व्यापार के लिए आवश्यक हैं:
 - **परिशिष्ट I:** विलुप्त होने के खतरे में प्रजातियाँ। व्यापार केवल असाधारण परिस्थितियों में ही अनुमत है।
 - **परिशिष्ट II:** ऐसी प्रजातियाँ जो आवश्यक रूप से खतरे में न हों, लेकिन यदि व्यापार को विनियमित नहीं किया जाता है तो खतरे में पड़ सकती हैं।
 - **परिशिष्ट III:** कम से कम एक ऐसे देश में संरक्षित प्रजातियाँ जिसने व्यापार को नियंत्रित करने में अन्य पक्षों से सहायता मांगी है।
- जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) द्वारा प्रशासित, CITES 40,000 से अधिक जंगली जानवरों और पौधों की प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है, जिसमें जीवित नमूने और वन्यजीव-व्युत्पन्न उत्पाद सम्मिलित हैं।

उपलब्धियाँ

- **वन्यजीव तस्करी पर नियंत्रण:** CITES ने हाथी (हाथीदांत), बाघ (खाल, हड्डियाँ), गैंडा (सींग) और पैंगोलिन (शल्क) जैसी प्रतिष्ठित प्रजातियों के अवैध व्यापार को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- **वैश्विक नीतिगत प्रभाव:** CITES के निर्णयों ने राष्ट्रीय कानूनों और प्रवर्तन तंत्रों को आकार दिया है। इसने समन्वित कार्रवाई को सुगम बनाने के लिए सीमाओं के पार कानूनों के सामंजस्य को बढ़ावा दिया है।
- **सीमा शुल्क और प्रवर्तन निकायों के साथ एकीकरण:** CITES अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए इंटरपोल, विश्व सीमा शुल्क संगठन और संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी) के साथ मिलकर काम करता है।
- **डिजिटल नवाचार:** ई-परमिटिंग प्रणालियों की शुरुआत, डीएनए बारकोडिंग का उपयोग, और वन्यजीव निगरानी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तैनाती ने इसके संचालन को आधुनिक बनाया है।

भारत और CITES

भारत 1976 से CITES का एक पक्षकार रहा है और वन्यजीव संरक्षण का एक प्रबल समर्थक है। इस कन्वेंशन ने भारत के संरक्षण ढाँचे को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है।

उठाए गए प्रमुख कदम:

- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** CITES के दायित्वों के साथ सामंजस्य स्थापित किया गया।
- **राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड और डब्ल्यूसीसीबी:** प्रवर्तन को मजबूत किया गया।

- ऑपरेशन सेव कूर्मा, ऑपरेशन शिखर और ऑपरेशन थंडरबर्ड: तस्करी के खिलाफ CITES के नेतृत्व में समन्वित प्रवर्तन कार्रवाई।
- भारत ने हाल ही में CITES COP में इंडियन स्टार कछुए को सूचीबद्ध करने और शीशम (डालबर्गिया प्रजाति) के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

आगे की राह

- जलवायु-संवेदनशील प्रजातियों को सम्मिलित करना: जलवायु-प्रेरित प्रवास और पर्यावास हानि से प्रभावित प्रजातियों पर विचार किया जाना चाहिए।
- ऑनलाइन व्यापार का कड़ा नियमन: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अवैध वन्यजीव बिक्री का केंद्र बन गए हैं।
- सामुदायिक सहभागिता: स्थानीय समुदायों को स्थायी उपयोग और लाभ-साझाकरण के माध्यम से संरक्षण में हितधारक बनाया जाना चाहिए।
- मज़बूत वित्त पोषण और क्षमता निर्माण: विकासशील देशों को CITES को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए समर्थन की आवश्यकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. CITES का प्रारूप IUCN के सदस्यों की एक बैठक में पारित एक प्रस्ताव के परिणामस्वरूप तैयार किया गया था।
2. CITES कन्वेंशन के सदस्य राज्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है।
3. CITES का प्रशासन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1 (c) केवल 2 और 3
(b) केवल 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

(P) -2022

द्वितीयक प्रदूषक

चर्चा में क्यों: ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र (CREA) के एक अध्ययन में कहा गया है कि द्वितीयक प्रदूषक, विशेष रूप से अमोनियम सल्फेट, जो वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) और अमोनिया (NH₃) के बीच अभिक्रिया से उत्पन्न होता है, भारत के लगभग एक-तिहाई सूक्ष्म कण पदार्थ (PM_{2.5}) प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है।

मुख्य विवरण

- CREA के निष्कर्ष उपग्रह-डेटा इमेजरी और मॉडलिंग विश्लेषण के संयोजन से सामने आए हैं।
- प्रदूषण की सीमा-पार प्रकृति के कारण, प्रमुख उत्सर्जन स्रोतों से उनकी निकटता के बावजूद, कई शहरों में अमोनियम सल्फेट की व्यापक उपस्थिति देखी गई है।
- CREA के अध्ययन में कहा गया है कि राष्ट्रीय औसत अमोनियम सल्फेट की सांद्रता 11.9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ है, जो PM_{2.5} द्रव्यमान का लगभग 34% है।
- अमोनियम सल्फेट निर्माण का मुख्य कारक और भारत में SO₂ उत्सर्जन का 60% से अधिक कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न होता है।

- रिपोर्ट में द्वितीयक PM_{2.5} के निर्माण को रोकने के लिए ताप विद्युत संयंत्रों में प्रलू गैस डिसल्फराइजेशन (FGD) प्रणालियों को लागू करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया है।
- अमोनियम सल्फेट के अलावा, अमोनियम नाइट्रेट जैसे अन्य द्वितीयक प्रदूषक भी PM_{2.5} द्रव्यमान में 50% तक का महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

द्वितीयक प्रदूषक

- द्वितीयक प्रदूषक वे प्रदूषक हैं जो वायुमंडल में बनते हैं। ये प्रदूषक किसी स्रोत (जैसे वाहन या बिजली संयंत्र) से सीधे उत्सर्जित नहीं होते। बल्कि, ये इन स्रोतों से उत्सर्जित प्रदूषकों के वायुमंडल में अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करके एक नया प्रदूषक बनाने के परिणामस्वरूप बनते हैं।
- द्वितीयक प्रदूषक चिंताजनक हैं क्योंकि ये कई विभिन्न यौगिकों से बन सकते हैं। प्रकाश-रासायनिक धुंध की घटना

प्राथमिक प्रदूषकों की हवा में मौजूद अन्य अणुओं जैसे आणविक ऑक्सीजन, जल और हाइड्रोकार्बन के साथ परस्पर क्रिया का परिणाम है।

- ये मिलकर पीले बादल बनाते हैं जो मनुष्यों के लिए हानिकारक हैं। प्रकाश-रासायनिक धुंध विभिन्न द्वितीयक प्रदूषकों जैसे ओज़ोन, पेरॉक्सीएसिल नाइट्रेट्स (PANs) और नाइट्रिक अम्ल से बनी होती है।
- विभिन्न प्रकार के द्वितीयक प्रदूषकों में सम्मिलित हैं:
 - ओज़ोन (O₃)
 - सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल (अम्लीय वर्षा के घटक)
 - कणिकीय पदार्थ
 - नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO₂)
 - पेरॉक्सीएसिल नाइट्रेट्स (PANs)

प्राथमिक प्रदूषक

- प्राथमिक प्रदूषक किसी भी प्रकार के प्रदूषक होते हैं जो सीधे पर्यावरण में प्रवेश करते हैं। ये द्वितीयक प्रदूषकों से भिन्न होते हैं क्योंकि द्वितीयक प्रदूषकों का निर्माण वायुमंडल में होता है, जबकि प्राथमिक प्रदूषकों का नहीं।
- प्राथमिक प्रदूषक कई स्रोतों से उत्सर्जित हो सकते हैं, जिनमें कार, कोयला आधारित बिजली संयंत्र, प्राकृतिक गैस संयंत्र, बायोमास दहन, प्राकृतिक जंगल की आग, ज्वालामुखी और कई अन्य सम्मिलित हैं।
- प्राथमिक प्रदूषकों के प्रभाव चिंताजनक हैं क्योंकि ये मनुष्यों, जानवरों और पौधों के लिए हानिकारक हो सकते हैं।
- द्वितीयक प्रदूषकों के निर्माण में इनका योगदान भी चिंताजनक है, क्योंकि यही कारण है कि हानिकारक जमीनी स्तर पर ओज़ोन और विभिन्न प्रकार के स्मॉग बनते हैं, खासकर नई दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले शहरों में।
- प्राथमिक प्रदूषकों के प्रकारों में सम्मिलित हैं:
 - नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO_x)
 - कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)
 - वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOCs)
 - सल्फर ऑक्साइड (SO_x)
 - कणिकीय पदार्थ (PM)
 - पारा

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन-से द्वितीयक वायु प्रदूषक हैं?

1. ओजोन (O_3)
2. सल्फ्यूरिक अम्ल (H_2SO_4)
3. कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)
4. पेट्रोक्सीएसिल नाइट्रेट (PAN)

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए:

- | | |
|--------------------|---------------------|
| (a) केवल 1 और 2 | (c) केवल 2 और 3 |
| (b) केवल 1, 2 और 4 | (d) केवल 1, 3 और 4. |

(q) - १५६

ढोल (एशियाई जंगली कुत्ता)

चर्चा में क्यों: भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक नए अध्ययन के अनुसार, ढोल, या एशियाई जंगली कुत्ता (क्यूऑन अल्पाइनस), जिसे स्थानीय रूप से विलुप्त माना जाता था, असम के काजीरंगा-कार्बी आंगलॉग लैंडस्केप (KKAL) में वापस आ गया है।

मुख्य विवरण

- जर्नल ऑफ श्रेटंड टैक्सा में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन ने एक वन्यजीव गलियारे में ढोल (एशियाई जंगली कुत्ते) की उपस्थिति की पुष्टि की है जहाँ पहले उन्हें विलुप्त माना जाता था। यह पुनर्खोज संकटग्रस्त प्रजातियों को सहारा देने में वन गलियारों के पारिस्थितिक महत्व को रेखांकित करती है।
- भारत के वन्यजीव पर्यावास के नुकसान, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन से बढ़ते खतरों का सामना कर रहे हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान के विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि बाघों और हाथियों की तरह ढोलों को भी बड़े, अछूते पर्यावासों की आवश्यकता होती है, और उनकी उपस्थिति इन भू-दृश्यों के स्वास्थ्य और संपर्क को दर्शाती है।
- यह निष्कर्ष वन्यजीव कार्य योजना और जैव विविधता लक्ष्यों के तहत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ तालमेल बिठाते हुए वन्यजीव गलियारों के संरक्षण और पुनर्स्थापन की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, विशेष रूप से कम ज्ञात मांसाहारियों के लिए जिन्हें अक्सर मुख्यधारा के संरक्षण प्रयासों में अनदेखा कर दिया जाता है।

एशियाई जंगली ढोल के बारे में

- एशियाई जंगली कुत्ते, जिन्हें 'ढोल' भी कहा जाता है, कुत्ता परिवार के जंगली सदस्य हैं, जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में पाए जाते हैं।
- इनका एक विशिष्ट जंग-लाल कोट और एक झाड़ीदार पूंछ होती है जिसका सिरा काला होता है।
- मातृसत्तात्मक झुंडों में रहते हुए, ये अत्यधिक समन्वित शिकारी होते हैं और शिकार की आबादी को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे वन पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है।
- दुनिया में केवल 1000-2000 वयस्क, परिपक्व (प्रजनन करने में सक्षम) जीव बचे हैं, इसलिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) द्वारा 'लुप्तप्राय' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ढोल बहुत सामाजिक होते हैं और 2-24 व्यक्तियों के परिवारों या 'झुंडों' में रहते हैं।



- ये अत्यधिक मुखर जानवर भी होते हैं, और एक-दूसरे के साथ बातचीत करते समय और शिकार के दौरान संवाद करने के लिए ध्वनियों का उपयोग करते हैं। ये अपनी अनोखी सीटी की आवाज़ के लिए जाने जाते हैं, जिसके कारण इन्हें 'सीटी बजाने वाले कुत्ते' भी कहा जाता है।
- ढोल पर्यावास के प्रति संवेदनशील होते हैं और आमतौर पर संरक्षित जंगलों में पाए जाते हैं। वे बहुत शर्मिले और छिपने वाले भी होते हैं, और अत्यधिक मानवीय व्यवधान वाले क्षेत्रों से बचते हैं।
- दक्षिण, मध्य और दक्षिण-पूर्व एशिया में पाए जाने वाले ढोल भारत के पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, मध्य क्षेत्रों और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: एशियाई जंगली ढोल (क्यूऑन अल्पाइनस) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ढोल को IUCN द्वारा संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह खुले घास के मैदानों वाले पर्यावासों को पसंद करता है।
2. भारत में, यह पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, मध्य भारत और उत्तर-पूर्व के कुछ हिस्सों जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- | | |
|------------|----------------------|
| (a) केवल 1 | (c) 1 और 2 दोनों |
| (b) केवल 2 | (d) न तो 1 और न ही 2 |

(q) - १५६

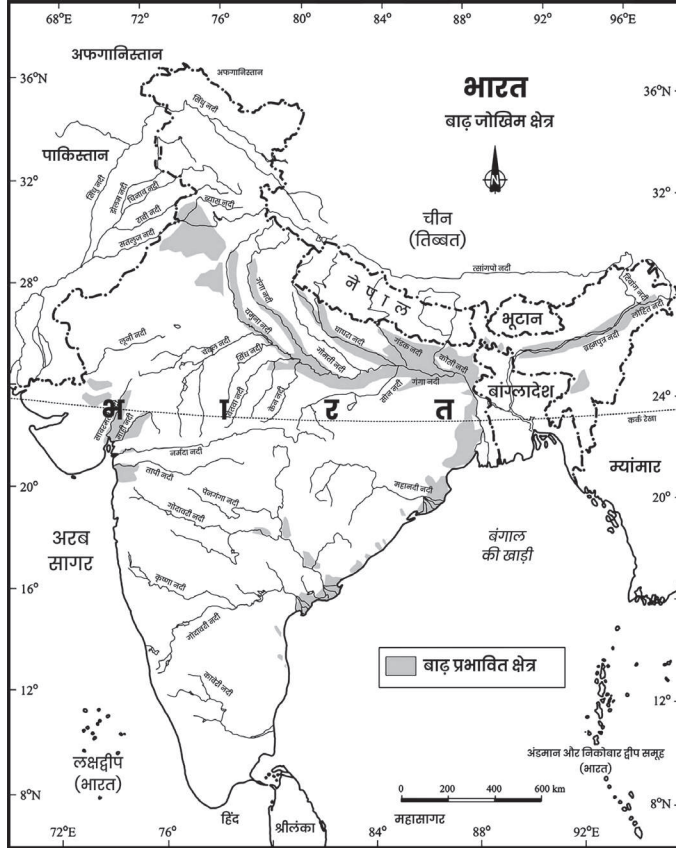
सी-फ्लड प्लेटफॉर्म

चर्चा में क्यों: हाल ही में, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने एकीकृत जलप्लावन पूर्वानुमान प्रणाली, सी-फ्लड (C-FLOOD) का उद्घाटन किया।

मुख्य विवरण

- सी-फ्लड नामक एक वेब-आधारित उपकरण जल स्तर का पूर्वानुमान और बाढ़ के जलप्लावन मानचित्र प्रदान करता है, जिसमें गाँव स्तर तक आने वाली बाढ़ के दो दिन पहले का पूर्वानुमान भी सम्मिलित है।
- यह परियोजना भारत के बाढ़ प्रबंधन और आपदा प्रतिक्रिया ढाँचे को मज़बूत करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है।
- यह परियोजना राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM) के तहत क्रियान्वित की गई है और इसकी देखरेख इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा की गई है।
- इसे केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), जल संसाधन विभाग, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण (डीओडब्ल्यूआर, आरडी एवं जीआर), जल शक्ति मंत्रालय और संवर्धित कंप्यूटिंग विकास केंद्र (सी-डैक), पुणे द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
- यह प्लेटफॉर्म एक एकीकृत प्रणाली के रूप में कार्य करेगा जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संगठनों के बाढ़ मॉडलिंग परिणामों को एकीकृत करेगा, और आपदा प्रबंधन अधिकारियों को एक संपूर्ण निर्णय-समर्थन उपकरण प्रदान करेगा।

- सी-फ्लड प्लेटफॉर्म परिष्कृत 2-डी हाइड्रोडायनामिक मॉडलिंग का उपयोग करके बाढ़ की स्थितियों का अनुकरण करता है।
- महानदी बेसिन के लिए सिमुलेशन सी-डैक पुणे में एनएसएम के तहत उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग (एचपीसी) बुनियादी ढांचे पर किए जाते हैं, जिसमें गोदावरी और तापी बेसिन के निष्कर्षों को एकीकृत किया जाता है, जिन्हें राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) द्वारा राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी) के भाग के रूप में विकसित किया गया था।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन आपातकालीन प्रतिक्रिया पोर्टल (एनडीईएम) भविष्य में उपयोग के लिए पूर्वानुमानों को सम्मिलित करेगा।



यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: सी-फ्लड प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- सी-फ्लड प्लेटफॉर्म परिष्कृत 3-डी हाइड्रोडायनामिक मॉडलिंग का उपयोग करके बाढ़ की स्थितियों का अनुकरण करता है।
- सी-फ्लड 3 दिन पहले जल स्तर की भविष्यवाणी और बाढ़ जलप्लावन मानचित्र प्रदान करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

(P) - 2122

ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा बांध का निर्माण

चर्चा में क्यों: चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर 167.8 अरब डॉलर की लागत से बनने वाले बांध का निर्माण औपचारिक रूप से शुरू कर दिया है, जो अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के करीब है।

बांध के बारे में

- अवस्थिति:** यह बांध दक्षिण-पूर्वी तिब्बत के न्यिंग्ची शहर में ब्रह्मपुत्र नदी के निचले इलाकों में बनाया जा रहा है, विशेष रूप से न्यिंग्ची के मेनलिंग जलविद्युत स्टेशन के बांध स्थल पर।
 - इसे मोटुओ जलविद्युत स्टेशन भी कहा जाता है और इसे तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र (टीएआर) के मेडोग काउंटी के ग्रेट बेंड क्षेत्र में बनाने की योजना है।
 - इस स्थल को एक विशाल घाटी में स्थित बताया गया है, जो दुनिया की सबसे गहरी और ज़मीन पर सबसे लंबी घाटी है, जहाँ यारलुंग त्सांगपो नदी नामचा बरवा पर्वत के चारों ओर एक तीव्र यू-टर्न लेती है, जिससे ऊँचाई में उल्लेखनीय गिरावट आती है।
- अनुमोदन और प्रारंभ:** इस परियोजना को 25 दिसंबर, 2024 को मंजूरी दी गई और इसे चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया। निर्माण औपचारिक रूप से जुलाई 2025 में एक शनिवार को शुरू हुआ, जब चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग भूमिपूजन समारोह में सम्मिलित हुए।
- इसे दुनिया की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना माना जाता है और संभावना है कि यह यांग्त्ज़ी नदी पर बने रिकॉर्ड तोड़ श्री गॉर्जेंस बांध को भी छोटा कर देगी।

भारत के लिए चिंताएँ

- निचली धारा की आबादी पर संभावित प्रभाव:**
 - इस बाँध का भारत और बांग्लादेश में निचली धारा के लाखों लोगों पर संभावित रूप से गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
 - नदी प्रणाली के किनारे रहने वाले समुदायों को नदी प्रणाली के बारे में अपना पारंपरिक ज्ञान, आपदाओं की बढ़ती घटनाओं के कारण, अब निरर्थक लग सकता है।
 - यह बाँध अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में जनजातियों और उनकी आजीविका के लिए एक "अस्तित्वगत खतरा" पैदा करता है, जिससे कृषि समुदाय प्रभावित होते हैं।
- जल प्रवाह नियंत्रण और मोड़**
 - विशेषज्ञ और अधिकारी चिंतित हैं कि नया बाँध, चीन को सीमा पार यारलुंग त्सांगपो को नियंत्रित करने या मोड़ने का अधिकार देगा।
 - तिब्बती पठार में इन नदियों पर नियंत्रण, चीन को भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभावी रूप से नियंत्रण प्रदान करता है।
- जल स्तर और मानसून पैटर्न पर प्रभाव**
 - ऐसी आशंका है कि बाँध के पूरा होने के बाद सियांग और ब्रह्मपुत्र नदियाँ "काफी सूख" सकती हैं।
 - ऐसे विशाल जलविद्युत बाँध के लिए मुख्य जल स्रोत को बनाए रखने के लिए बारहमासी प्रवाह को अवरुद्ध करने से नदी बेसिन के सतही जल स्तर, समग्र मानसून पैटर्न और भूजल प्रणालियों पर विनाशकारी परिणाम होंगे।
- आपदा जोखिम में वृद्धि**
 - विशाल जलविद्युत बाँधों के हस्तक्षेप से आपदाओं की गति और घटना में वृद्धि हुई है।
 - ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) का खतरा है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय में बढ़ गया है।

• पर्यावरणीय और पारिस्थितिक चिंताएँ

- पर्यावरणविदों ने पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील तिब्बती पठार पर ऐसी विशाल परियोजनाओं के अपरिवर्तनीय प्रभाव के बारे में चेतावनी दी है।
- यह बांध समग्र हिमालयी जैवक्षेत्र/पारिस्थितिकी क्षेत्र की संवेदनशील पारिस्थितिकी को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, जिससे अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध तिब्बती घाटियों में बाढ़ आ सकती है।

• पारदर्शिता और सहयोग का अभाव

- भारत ने इस परियोजना के बारे में चीन के साथ बार-बार चिंताएँ जताई हैं और बीजिंग से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि निचले प्रवाह वाले राज्यों के हितों को नुकसान न पहुँचे।
- भारत ने "पारदर्शिता की आवश्यकता और निचले प्रवाह वाले देशों के साथ परामर्श" पर जोर दिया है।
- न तो भारत और न ही चीन ने 2014 के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के गैर-नौवहन उपयोग कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका अर्थ है कि नदी प्रणालियों पर प्रथम-उपयोगकर्ता अधिकार गैर-प्रवर्तनीय हैं।

• भू-राजनीतिक और सामरिक निहितार्थ

- यह परियोजना ब्रह्मपुल नदी बेसिन में चीन और भारत के बीच एक गहन भू-राजनीतिक शक्ति प्रक्षेपण और एक "आमने-सामने" का हिस्सा है।
- विशाल बांधों को संप्रभुता के महत्वपूर्ण चिह्न और राष्ट्र-राज्य नियंत्रण के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।
- चीन और भारत के बीच लंबित भूमि सीमा विवाद, ब्रह्मपुल नदी बेसिन के गहन सुरक्षाकरण से जुड़ा हुआ है, जिससे यह रणनीतिक रुख अपनाने के लिए एक सक्रिय स्थल बन गया है।

निष्कर्ष:

भारत ऊपरी सियांग में अपनी सबसे बड़ी बांध परियोजना बनाने की योजना बना रहा है ताकि चीन के बांध से अचानक पानी छोड़े जाने पर बफर के रूप में काम किया जा सके और बाढ़ को रोका जा सके। हालाँकि, "बांध के बदले बांध" वाला दृष्टिकोण पूरे हिमालयी तटवर्ती/ जलवायु तंत्र को आपदाग्रस्त बना सकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: ब्रह्मपुल नदी पर चीन द्वारा बनाए जा रहे विशाल बांध के भू-राजनीतिक और पर्यावरणीय प्रभाव क्या हैं? यह विशाल जलविद्युत परियोजना निचले देशों और क्षेत्रीय स्थिरता को कैसे प्रभावित करेगी? [250 शब्द] [15 अंक]

खराई ऊँट

चर्चा में क्यों: गुजरात तट पर समुद्री ज्वार में फँसे 33 दुर्लभ खराई ऊँटों के झुंड को बचाया गया।

खराई ऊँट के बारे में

- खराई ऊँट भारत के गुजरात राज्य की एक उल्लेखनीय नस्ल है, जो मरुस्थलीय और तटीय दोनों पारिस्थितिक तंत्रों के लिए अपनी असाधारण अनुकूलन क्षमता के लिए जानी जाती है।
- इसका नाम, "खारा", जिसका स्थानीय भाषा में अर्थ खारा होता है, कठोर खारे

रेगिस्तानी वातावरण और अत्यधिक खारे तटीय जल में पनपने की इसकी क्षमता को दर्शाता है।

- इस अनोखे अनुकूलन के कारण इसे "तैरने वाला ऊँट" की उपाधि मिली है, क्योंकि यह लंबी दूरी तक पानी में चलकर मैंग्रोव चरने की असाधारण क्षमता रखता है।
- वर्तमान में गुजरात खराई ऊँटों का विशेष निवास स्थान है।

पारिस्थितिक अनुकूलन और पर्यावास

- **अद्वितीय अनुकूलन:** खराई ऊँट ने कच्छ के रण की कठोर परिस्थितियों और क्षेत्र के उथले, अत्यधिक खारे तटीय जल के साथ अद्वितीय रूप से अनुकूलन किया है। इसे पनपने के लिए खारे पानी, ज्वारीय प्रवाह और जंगली मुहाना पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता होती है।
- **वितरण:** नवीनतम जनगणना के अनुसार, गुजरात में लगभग 6,200 खराई ऊँट हैं। इनमें से लगभग 2,200 मुख्य रूप से कच्छ क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिनमें लखपत, अब्दासा, मुंद्रा और भचाऊ सम्मिलित हैं, जबकि बाकी मुख्य रूप से दक्षिण गुजरात में, विशेष रूप से आलिया बेट के पास पाए जाते हैं।
- **मैंग्रोव पर निर्भरता:** उनके अस्तित्व और आहार का एक महत्वपूर्ण पहलू खारे पानी में तैरकर मैंग्रोव वनों तक पहुँचने की उनकी क्षमता है। ये वन तटरेखा को कटाव से बचाने और जैव विविधता को सहारा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। मैंग्रोव महत्वपूर्ण कार्बन सिंक के रूप में भी काम करते हैं और ऊँटों के लिए प्राथमिक चारे का काम करते हैं।

सांस्कृतिक महत्व और आजीविका

- **पारंपरिक संरक्षण:** खराई ऊँट को ऐतिहासिक रूप से गुजरात की खारी और फकीरानी जाट जनजातियों द्वारा 400 से अधिक वर्षों से संरक्षित किया जाता रहा है, जिन्होंने इसकी आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखा है। मालधारी समुदाय, जो एक पारंपरिक पशुपालक समूह है, ने इन ऊँटों को अपनी आजीविका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया है और दूध, मांस और परिवहन के लिए इन पर निर्भर हैं।
- **घटता आर्थिक मूल्य (पारंपरिक):** जहाँ पारंपरिक रूप से दूध और परिवहन के लिए इन पर निर्भर रहा है, वहीं आधुनिक परिवहन विधियों ने इनके पारंपरिक आर्थिक मूल्य को कम कर दिया है।
- **पारिस्थितिक संरक्षक:** इन ऊँट चरवाहों का पारंपरिक ज्ञान और प्रथाएँ इन पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण में समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। उन्हें मैंग्रोव और खाड़ियों के पारिस्थितिक संरक्षक के रूप में देखा जाता है, जो जानवरों के लिए सर्वोत्तम प्रवासी मार्गों को जानते हैं।

वैज्ञानिक मान्यता और आनुवंशिक विशिष्टता

- **विशिष्ट नस्ल मान्यता:** 2015 में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने खराई ऊँट को एक विशिष्ट नस्ल के रूप में मान्यता दी, इसकी अनूठी विशेषताओं और अनुकूलन क्षमता को स्वीकार करते हुए, जो इसे कच्छ ऊँट जैसी अन्य ऊँट नस्लों से अलग करती हैं।
- **आधिकारिक प्रमाणन:** हरियाणा के करनाल स्थित राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (NBAGR) ने खराई ऊँट को भारत की नौवीं ऊँट नस्ल के रूप में आधिकारिक रूप से प्रमाणित किया। यह इसकी आनुवंशिक विविधता और महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका को संरक्षित करने के महत्व को रेखांकित करता है।
- **आनुवंशिक अध्ययन:** हाल के वैज्ञानिक अध्ययनों ने गुजरात में ऊँट नस्लों में महत्वपूर्ण आनुवंशिक विविधता का खुलासा किया है, जिसमें खराई नस्ल के विशिष्ट आनुवंशिक समूहों की पहचान की गई है और इसके अद्वितीय आनुवंशिक लक्षणों पर प्रकाश डाला गया है जो इसे लवणीय और शुष्क वातावरण में जीवित रहने में सक्षम बनाते हैं।

आर्थिक मूल्य और उत्पाद

- **पोषण संबंधी और चिकित्सीय दूध:** खराई ऊँट का दूध न केवल पोषक तत्वों से भरपूर होता है, बल्कि इसमें चिकित्सीय गुण भी होते हैं। मधुमेह, एलर्जी और ऑटिज़म जैसी बीमारियों के इलाज की इसकी क्षमता पर शोध किया जा रहा है। इसमें मानव दूध के समान एंटीबॉडी होते हैं, जो इसे आसानी से पचने योग्य और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए फायदेमंद बनाते हैं। इस दूध को आयरन, विटामिन सी से भरपूर होने और इंसुलिन जैसे गुणों के लिए महत्व दिया जाता है, जो मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए फायदेमंद है।
- **डेयरी उद्योग का बढ़ता महत्व:** खराई ऊँट डेयरी उद्योग में, विशेष रूप से अपने उच्च पोषण मूल्य के कारण, पहचान प्राप्त कर रहे हैं। यह लैक्टोज असहिष्णुता या डेयरी एलर्जी वाले लोगों के लिए लाभदायक है।

खतरे: पर्यावास हानि और पर्यावरणीय क्षरण

- **औद्योगिक गतिविधियाँ:** मैंग्रोव पर्यावास औद्योगिक गतिविधियों, विशेष रूप से नमक भंडारों और बंदरगाहों के विस्तार से खतरे में हैं। इन गतिविधियों के कारण मैंग्रोव वनों का विनाश हो रहा है और प्राकृतिक चरागाह क्षेप सिक्कड़ रहे हैं।
- **अवैध संचालन:** अदालती आदेशों के बावजूद, अवैध नमक उत्पादन और खाड़ियों पर अतिक्रमण बेरोकटोक जारी है। बुलडोजर, आग और अवैध तटबंधों ने मैंग्रोव के विशाल क्षेत्रों को नष्ट कर दिया है, ज्वारीय प्रवाह को बाधित किया है और समुद्री जीवन को नष्ट कर दिया है।
- **जलवायु परिवर्तन:** समुद्र का बढ़ता स्तर और बदलते मौसम पैटर्न उनके नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को और अधिक खतरे में डाल रहे हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में पाई जाने वाली नस्ल 'खराई ऊँट' की क्या विशिष्टताएँ हैं?

1. यह समुद्री जल में तीन किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है।
2. यह मैंग्रोव चरकर जीवित रहता है।
3. यह जंगली में रहता है और इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1 और 2 (c) केवल 1 और 3
(b) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

(ए) - 2022

मक्का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य

चर्चा में क्यों: भारत का लक्ष्य 2047 तक अपने मक्का उत्पादन को मौजूदा 42.3 मिलियन टन से दोगुना करके 86 मिलियन टन करना है।

मुख्य विवरण:

- भारत की औसत मक्का उत्पादकता 3.7 टन प्रति हेक्टेयर है।
- पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्य राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन करते हैं।
- मक्का की खेती आर्थिक लाभ, न्यूनतम पानी की आवश्यकता और उच्च पोषण मूल्य के कारण होती है।

- मक्का को इसके प्रचुर पोषण मूल्य के कारण "अनाजों की रानी" कहा जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और खनिज सम्मिलित हैं।

मक्का उत्पादन दोगुना करने के कारण:

- मक्का भारत में उच्च आर्थिक महत्व की एक वस्तु है।
- अन्य प्रमुख वस्तुओं की तुलना में इसकी मांग और उत्पादन तेज़ी से बढ़ रहा है।
- भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) द्वारा आयोजित 11वें मक्का शिखर सम्मेलन में उच्च उपज देने वाली, गैर-आनुवंशिक रूप से संशोधित बीज किस्मों की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

नोट: पिछले अनुमान के अनुसार, भारत को 2025 से 50 मिलियन टन (एम प्लांट) के अनुसार मक्का अनाज (चारा क्षेत्र में 32 मिलियन टन + औद्योगिक क्षेत्र में 15 मिलियन टन + उत्पादन के रूप में 2 मिलियन टन + बीज के लिए 1 मिलियन टन) की आवश्यकता होगी।

चुनौतियाँ

- उपज का प्रचलन।
- आधुनिक उत्पादन तकनीकों को कम अपनाना।

समय की आवश्यकता

- **तकनीकी उन्नति:** मज़बूत तकनीकी और नीतिगत हस्तक्षेप जैसे, किस्म विकास और विविधीकरण, कटाई के बाद की बुनियादी सुविधाओं को मज़बूत करना, मूल्य स्थिरीकरण तंत्र, विस्तार प्रणाली को सुव्यवस्थित करना, संकर बीज वितरण तंत्र को बढ़ाना, आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों पर उपयुक्त नीति।
- **आधुनिक तकनीकें:** आधुनिक खेती और संरक्षण पद्धतियों को अपनाना, जिनमें संरक्षण कृषि तकनीकें, जर्मप्लाज्म में तनाव प्रतिरोधक क्षमता का समावेश, नए उपकरणों के माध्यम से प्रजनन प्रक्रिया में तेज़ी लाना सम्मिलित हैं।

उपाय:

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने मक्का की 265 किस्में (77 संकर और 35 जैव फोर्टिफाइड) विकसित की हैं।
- पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों को पानी की अधिक खपत वाली धान की खेती से मक्का की खेती की ओर रुख करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
- मक्का की कीमतों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के आसपास वृद्धि की संभावना है।
- त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम (QMDP)
- बढ़ती माँग-आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए सहयोगात्मक प्रयास किए जा रहे हैं।

आगे की राह

- भारत के विकसित कृषि संकल्प अभियान ने ग्यारह हज़ार से ज़्यादा वैज्ञानिकों को प्रयोगशालाओं और खेतों के बीच संपर्क बढ़ाने में ग्रामीणों की सहायता के लिए नियुक्त किया है, जिससे मक्का उत्पादकों को सहायता मिल रही है।
- मक्का रणनीति में इथेनॉल मिश्रण (E30), पोल्ट्री फीड, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के उपयोग में वृद्धि और पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे उत्तरी राज्यों में धान उगाने वाले क्षेत्रों को संधारणीय मक्का की खेती के लिए परिवर्तित करना सम्मिलित है।

भारत के ऊर्जा परिवर्तन में एआई की भूमिका

चर्चा में क्यों: अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के अनुसार, बढ़ती अर्थव्यवस्था और तेज़ी से बढ़ते शहरी परिदृश्य के साथ तालमेल बिठाते हुए, भारत की ऊर्जा माँग बढ़ रही है, और 2030 तक खपत दोगुनी होने की संभावना है।

मुख्य विवरण

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (स्टैमिल) भारत के सतत ऊर्जा संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभर रहा है, जिसका उद्देश्य कृत्रिम ऊर्जा की माँग को प्रतिष्ठित रूप से पूरा करना है, सम्मिलित निजीकरण को कम करना, ऊर्जा सुरक्षा और वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है।
- भारत की ऊर्जा संसाधनों की क्षमता 2030 तक होने का अनुमान है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म जल क्षमता और 2070 तक नेट-जीरो का लक्ष्य है।

ऊर्जा परिवर्तन में संरचना की भूमिका

- ऊर्जा प्रबंधन का अनुकूलन:** हिमालयी पशुपालन और अवशेष संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। यह सौर और पवन ऊर्जा के लिए वास्तविक समय एशिया, दोष का पता लगाने और उत्पादन में अनुकूलन में मदद करता है।
- एसोसिएट्स और एसोसिएट्स में बढ़ोतरी:** मशीन लर्निंग मॉडल स्टूडियो में उत्पाद और माँग में बढ़ोतरी- प्रस्ताव की भविष्यवाणी की जाती है, जिससे एसोसिएट्स एनर्जी स्प्लाई को बढ़ावा दिया जा सकता है और कमी को रोका जा सकता है। आर्किटेक्चरल-संचालित वायरलेस ब्लूटूथ उपकरणों का पता लगाना और आयाम और वितरण (टीएडडी) आईआईटी को कम करके ऊर्जा प्रवाह को अनुकूलित करना है, जो वर्तमान में भारत में कुल बिजली का 20% -30% है।
- उपभोक्ता-संबंधी अनुप्रयोग:** एआई ऊर्जा खपत की वास्तविक समय निगरानी और माँग प्रतिक्रिया को समायोजित करने तक विस्तारित है, जिससे अपव्यय और लागत में उल्लेखनीय कमी आती है। खपत पैटर्न का विश्लेषण करके, एआई ऊर्जा-कुशल व्यवहारों को प्रोत्साहित करता है, व्यस्त समय में तनाव को कम करता है और ऑफ-पीक उपयोग को बढ़ावा देता है, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षमता है, क्योंकि यहाँ माँग में उतार-चढ़ाव और पीक लोड अधिक हैं।
- पूर्वानुमानित विश्लेषण और अनुकूलन:** एआई एल्गोरिदम टरबाइन ब्लेड के कोण और सौर पैनल के अभिविन्यास जैसे तत्वों को गतिशील रूप से समायोजित करके दक्षता बढ़ाते हैं, जिससे लागत में कमी और प्रदर्शन में सुधार होता है। यह माँग, आपूर्ति और मूल्य निर्धारण पूर्वानुमानों के लिए पूर्वानुमानित विश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन को भी अनुकूलित करता है।
- उन्नत सामग्री और डिज़ाइन:** एआई-संचालित प्रगति सौर पैनलों, बैटरियों और पवन टरबाइन घटकों के लिए कुशल सामग्रियों की खोज में योगदान करती है। जनरेटिव एआई (जेनएआई) उन्नत पवन टरबाइन डिज़ाइन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, इष्टतम सौर पैनल व्यवस्था और नवीन ऊर्जा भंडारण समाधानों को सक्षम बनाता है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा में अनुसंधान एवं विकास में तेज़ी आती है।

- जटिल समस्या समाधान:** जेनएआई, क्वांटम कंप्यूटिंग (क्यूसी) और उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग (एचपीसी) का संयोजन ऊर्जा क्षेत्र की अत्यधिक जटिल समस्याओं को हल कर सकता है जो पहले असाध्य थीं, और यह पैमाना, गति और सटीकता प्रदान करता है।
- महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का एकीकरण:** एआई आधुनिक ऊर्जा अवसंरचना के “तंत्रिका तंत्र” के रूप में कार्य करता है, जो बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (बीईएसएस) और हाइब्रिड नवीकरणीय आर्किटेक्चर के साथ एकीकृत होकर ऊर्जा प्रणाली में विश्वसनीयता, मापनीयता और सामर्थ्य सुनिश्चित करता है।

परिवर्तन में एआई की भूमिका का सामाजिक आयाम

- असमानताओं का समाधान:** एआई को एकीकृत करने की दिशा में परिवर्तन से असमानताएँ बढ़ने का खतरा है, खासकर कम सेवा वाले क्षेत्रों में। शहरी केंद्रों से परे एआई को प्रभावी बनाने के लिए, इसे अविश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति और अपर्याप्त तकनीकी सहायता जैसी विशिष्ट ग्रामीण चुनौतियों का समाधान करना होगा।
- नैतिक चिंताएँ:** निष्पक्षता और नौकरी पर पड़ने वाले प्रभावों जैसी नैतिक चिंताओं का समाधान आवश्यक है। एआई की प्रगति के साथ-साथ, यूनाइटेड किंगडम की तरह, स्वचालन से प्रभावित श्रमिकों के लिए नौकरी पर प्रभाव आकलन और पुनर्प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होने चाहिए।
- सामुदायिक सहभागिता और कार्यबल का पुनः कौशलीकरण:** भारत भर में एक न्यायसंगत ऊर्जा परिवर्तन के लिए सामुदायिक सहभागिता और कार्यबल का पुनः कौशलीकरण महत्वपूर्ण है। सरकारी समर्थन, निजी निवेश और सामुदायिक सहभागिता से युक्त एक सहयोगात्मक प्रयास यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि एआई के लाभ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संधारणीय और सुलभ हों।

चुनौतियाँ

- डेटा गुणवत्ता और बुनियादी ढाँचा:** चुनौतियों में डेटा गुणवत्ता और सीमित एआई बुनियादी ढाँचा शामिल हैं। खंडित डेटा प्रणालियाँ ऊर्जा पूर्वानुमान और ग्रिड अनुकूलन में एआई के उपयोग में बाधा डालती हैं। भारत में अधिकांश राज्य ग्रिड पुराने हो चुके हैं, जिनमें सीमित रीयल-टाइम दृश्यता और कमज़ोर पूर्वानुमान क्षमता है।
- वित्तीय बाधाएँ:** छोटी उपयोगिताएँ उच्च अग्रिम लागत और एआई अपनाने के लिए सीमित सरकारी समर्थन से जूझ रही हैं।
- नीति और नियामक ढाँचे:** सहायक नीति ढाँचों और दिशानिर्देशों का अभाव एआई प्रौद्योगिकियों में निवेश को कमज़ोर करता है। ज़िम्मेदार एआई परिनियोजन के लिए नियामक ढाँचे आवश्यक हैं, लेकिन अक्सर तकनीकी प्रगति से पीछे रह जाते हैं, जिसके लिए एआई अनुप्रयोगों के लिए सटीक निर्देशों की आवश्यकता होती है। राज्यों में असंगत नीतियाँ, विशेष रूप से खुली पहुँच, बैंकिंग और भूमि आवंटन से संबंधित, निवेशकों के लिए अनिश्चितता बढ़ाती हैं।
- कौशल की कमी:** एआई और डेटा विश्लेषण विशेषज्ञों की कमी है, जो इस क्षेत्र की एआई समाधानों का लाभ उठाने की क्षमता को सीमित करती है। एआई

विशेषज्ञों की मांग में तेज़ी से वृद्धि, ऊर्जा क्षेत्र में कुशल पेशेवरों की भारी कमी के कारण, भर्ती में बाधा उत्पन्न कर रही है, जिनमें एकीकरण इंजीनियर, एआई विशेषज्ञ और भंडारण योजनाकार शामिल हैं।

- **साइबर सुरक्षा जोखिम:** बढ़ते साइबर सुरक्षा जोखिम मज़बूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को उजागर करते हैं। एआई प्रणालियाँ प्रतिकूल हमलों के प्रति संवेदनशील होती हैं जो ऊर्जा प्रणालियों की विश्वसनीयता को बाधित कर सकती हैं।

आगे की राह

- **तकनीकी प्रगति और बुनियादी ढाँचा**
 - ऊर्जा प्रबंधन और रीयल-टाइम डेटा संग्रहण को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट मीटर के साथ-साथ एआई-संचालित सॉफ़्टवेयर और डेटा संग्रहण के लिए मज़बूत क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म का कार्यान्वयन आवश्यक है।
 - बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (बीईएसएस) और हाइब्रिड नवीकरणीय आर्किटेक्चर में निवेश आधारभूत है। भारत को एकीकृत नीतिगत ढाँचों, स्थिर विनियमों और व्यवहार्य व्यावसायिक मॉडलों की आवश्यकता है जो भंडारण को एक रणनीतिक ग्रिड परिसंपत्ति के रूप में देखें।
 - प्रभावी हाइब्रिडाइज़ेशन के लिए उन्नत पूर्वानुमान उपकरण, समय-आधारित टैरिफ़ संरचनाएँ और नियामक ढाँचे आवश्यक हैं जो दृढ़, प्रेषण योग्य नवीकरणीय ऊर्जा को पुरस्कृत करें।
- **मानव विशेषज्ञता और क्षमता निर्माण**
 - ऊर्जा पेशेवरों के बीच मशीन-लर्निंग विशेषज्ञता के लिए जर्मनी के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसी पहलों के माध्यम से एक कुशल कार्यबल का विकास महत्वपूर्ण है।
 - स्वचालन से प्रभावित श्रमिकों के लिए कार्य प्रभाव आकलन और पुनर्प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यक हैं।
- **व्यापक नीति ढाँचे**
 - निवेशकों की अनिश्चितता को दूर करने के लिए सभी राज्यों में स्पष्ट और सुसंगत नीतियाँ स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है।
 - सरकारों और नियामक एजेंसियों को एआई अनुप्रयोगों को लागू करने के लिए सटीक निर्देश विकसित और स्थापित करने होंगे।
 - सिंगापुर के निवेशों के उदाहरण के रूप में, एआई अनुप्रयोगों में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) के लिए समर्थन, नवाचार को बढ़ावा देगा।
- **साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण:** संभावित खतरों से संवेदनशील डेटा की सुरक्षा के लिए मज़बूत साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करना आवश्यक है।
- **प्रणाली-स्तरीय एकीकरण:** भारत को एकाकी सोच से प्रणाली-स्तरीय एकीकरण की ओर स्थानांतरित होने की आवश्यकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एआई को अपनाने के प्राथमिक लाभ और मौजूदा बाधाएँ क्या हैं? कौन सी रणनीतियाँ भारत के लिए एक न्यायसंगत और संधारणीय एआई-संचालित ऊर्जा परिवर्तन सुनिश्चित कर सकती हैं? [250 शब्द] [15 अंक]

लेनाकैपावीर दवा

चर्चा में क्यों: अमेरिकी FDA ने एचआईवी रोकथाम दवा लेनाकैपावीर को मंजूरी दी।

लेनाकैपावीर (येज़ुगो/सनलेन्का) के बारे में

- **लेनाकैपावीर**, गिलियड साइंसेज द्वारा विकसित एक नया कैप्सिड अवरोधक है, जिसे दिसंबर 2022 में अमेरिका, यूरोपीय संघ और कनाडा में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सनलेन्का नाम से बहु-औषधि प्रतिरोधी एचआईवी के उपचार के लिए अनुमोदित किया गया था।
- 18 जून, 2025 को, अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने यौन संचारित एचआईवी की रोकथाम के लिए, कम से कम 35 किलोग्राम वजन वाले वयस्कों और किशोरों में प्री-एक्सपोज़र प्रोफ़िलैक्सिस (PrEP) के लिए इंजेक्टैबल लेनाकैपावीर (ब्रांड नाम येज़ुगो) को मंजूरी दी। यह दुनिया भर में पहली बार साल में दो बार इस्तेमाल होने वाला PrEP विकल्प है।
- नैदानिक परीक्षणों (उद्देश्य-1 और उद्देश्य-2) ने लगभग 100% प्रभावकारिता दिखाई – सिसजेंडर महिलाओं में लगभग 96% और पुरुषों के साथ यौन संदर्भ रखने वाले पुरुषों और अन्य लिंग-विविध आबादी में 100%।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 14 जुलाई, 2025 को दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें दुनिया भर में एक अतिरिक्त PrEP विकल्प के रूप में इंजेक्टैबल लेनाकापाविर को मान्यता दी गई।

एचआईवी और PrEP को समझना

- **एचआईवी (ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस)** प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है, जो बिना उपचार के एड्स (एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम) में बदल सकता है।
- **PrEP (प्री-एक्सपोज़र प्रोफ़िलैक्सिस)** उन निवारक एंटीरेट्रोवायरल दवाओं को संदर्भित करता है जो संक्रमण के उच्च जोखिम वाले एचआईवी-नकारात्मक व्यक्तियों द्वारा ली जाती हैं।
- लेनाकापाविर की स्वीकृति से पहले, PrEP के नियमों में प्रतिदिन ली जाने वाली **टूवाडा/टीडीएफ़-आधारित गोलियाँ**, घटना-संचालित PrEP और हर 2 महीने में दिए जाने वाले **कैबोटेग्राविर (एप्रेट्यूड)** जैसे लंबे समय तक काम करने वाले इंजेक्शन शामिल थे।

भारतीय संदर्भ और सरकारी पहल

लाइसेंसिंग और जेनेरिक दवाएँ

- 2024 के अंत में, भारतीय दवा कंपनियों (डॉ. रेड्डीज़ और एमक्योर सहित) ने जेनेरिक लेनाकैपाविर के उत्पादन के लिए गिलियड के साथ रॉयल्टी-मुक्त लाइसेंसिंग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका लक्ष्य 120 संसाधन-सीमित देशों (नियामक अनुमोदन लंबित) में वितरण करना है।
- अनुमान बताते हैं कि आयातित ब्रांडेड इंजेक्शनों के लिए संभावित भारतीय वार्षिक मूल्य लगभग ₹24 लाख (US\$28,000) से घटकर ₹200-₹300 हो सकता है।

राष्ट्रीय कार्यक्रम और कानून

- स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन भारत का **राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO)** 1992 से क्षेत्रीय रोकथाम और नियंत्रण समितियों के माध्यम से एचआईवी/एड्स नीति और कार्यान्वयन का नेतृत्व कर रहा है।
- हालाँकि PrEP अभी तक NACO के सार्वजनिक कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं है, फिर भी पायलट चर्चाएँ और हितधारक वकालत जारी है।
- 2017 में, मानव इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस और एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम लागू किया गया था, जो भारत में एचआईवी/एड्स से पीड़ित या प्रभावित लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच, परामर्श और गैर-भेदभाव के अधिकारों की गारंटी देता है।

जन स्वास्थ्य पहल

- बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित **आह्वान पहल** (2003-2011) ने लक्षित हस्तक्षेपों (कंडोम प्रचार, यौन संचारित संक्रमण (एसटीआई) उपचार, सहकर्मि शिक्षा) के माध्यम से एचआईवी संचरण को कम करने के लिए भारतीय गैर सरकारी संगठनों और सरकारी निकायों के साथ साझेदारी में काम किया और सामुदायिक स्तर पर संक्रमण दर को लगभग 50% तक कम करने में मदद की, जिससे लक्षित राज्यों में संभवतः 6,00,000 मामलों को रोका जा सका।
- NACO की वर्तमान रणनीतियों** में रोकथाम आउटरीच, परीक्षण शिविर, एआरटी वितरण, रक्त सुरक्षा निगरानी और आईसीएमआर तथा टीचएड्स जैसे भागीदारों के साथ कलंक-विरोधी शिक्षा शामिल है।

आगे की राह

- जेनेरिक लेनाकापाविर के लिए भारतीय नियामक अनुमोदन और राष्ट्रीय PrEP कार्यक्रमों में संभावित समावेशन की प्रतीक्षा है।
- वकालत करने वाले समूह तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हैं: मूल्य में कमी, कमजोर समुदायों तक समान पहुँच, और बुनियादी ढाँचे का विस्तार।
- आवाहन जैसी पहलों, मौजूदा NACO ढाँचों, कानूनी सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों के निरंतर प्रयास, लेनाकापाविर को प्रभावी ढंग से एकीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा लेनाकापाविर का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

- इन्फ्लूएंजा के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रोटीएज़ अवरोधक
- एचआईवी की रोकथाम और उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक कैप्सिड अवरोधक
- तपेदिक के लिए एक टीका संभावनावार
- COVID-19 के लिए एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी

(9) : 2022

लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV)

चर्चा में क्यों: हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV) के निर्माण और संचालन हेतु ₹511 करोड़ मूल्य का प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (ToT) सौदा प्राप्त हुआ है।

लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV)

- लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV) एक 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है जिसमें तीन ठोस प्रणोदन चरण और एक द्रव प्रणोदन-आधारित वेग ट्रिमिंग मॉड्यूल (VTM) एक टर्मिनल चरण के रूप में होता है।
- SSLV का व्यास 2 मीटर और लंबाई 34 मीटर है, और इसका उत्पादन भार लगभग 120 टन है।

- SSLV सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 500 किमी की समतल कक्षा में लगभग 500 किलोग्राम वजन की उपग्रह को प्रक्षेपित करने में सक्षम है।
- एसएसएलवी की प्रमुख विशेषताएं हैं कम लागत, कम टर्नअराउंड समय, कई उपग्रहों को समायोजित करने में लचीलापन, मांग पर प्रक्षेपण व्यवहार्यता, न्यूनतम प्रक्षेपण बुनियादी ढाँचे की आवश्यकताएं आदि।

अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- अंतरिक्ष क्षेत्र को उदार बनाया गया है और निजी क्षेत्र को संपूर्ण अंतरिक्ष गतिविधियाँ संचालित करने की अनुमति दी गई है।
- अंतरिक्ष क्षेत्र में गैर-सरकारी संस्थाओं (एनजीई) की गतिविधियों को बढ़ावा देने, अधिकृत करने और उनकी निगरानी के लिए अंतरिक्ष विभाग में **भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe)** की स्थापना की गई है।
- एक समृद्ध अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए, विभिन्न हितधारकों द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों को नियामक निश्चितता प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023 तैयार की गई है।
- IN-SPACe द्वारा निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं की भी घोषणा और कार्यान्वयन किया गया है, जैसे कि **सीड फंड योजना, मूल्य निर्धारण सहायता नीति, मेंटरशिप सहायता, तकनीकी केंद्र, एनजीई के लिए डिज़ाइन लैब, अंतरिक्ष क्षेत्र में कौशल विकास, इसरो सुविधा उपयोग सहायता, एनजीई को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के सभी हितधारकों को जोड़ने के लिए IN-SPACe डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण आदि।**
- अंतरिक्ष स्टार्ट-अप की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर आज लगभग 266 हो गई है।
- IN-SPACe द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए दशकीय दृष्टिकोण और रणनीति की भी घोषणा की गई है, जिससे समग्र अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को समर्थन देने के लिए समर्पित 1,000 करोड़ रुपये के वेंचर कैपिटल (VC) फंड की स्थापना को मंजूरी दी है।
- IN-SPACe ने गैर-सरकारी संस्थाओं (NGE) के साथ लगभग 71 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि ऐसे NGE द्वारा परिकल्पित अंतरिक्ष प्रणालियों और अनुप्रयोगों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके, जिससे प्रक्षेपण यान और उपग्रहों के निर्माण में उद्योग की भागीदारी बढ़ने की संभावना है।
- भारतीय NGE द्वारा विदेशी पूंजी तक पहुँच को आसान बनाने के लिए, केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए संशोधित FDI नीति लागू की है।
- IN-SPACe ने सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के अंतर्गत भू-अवलोकन (EO) प्रणाली की स्थापना की पहल की है। गैर-सरकारी संस्थाओं (NGE) से अभिरुचि पत्र (EOI) आमंत्रित किए गए हैं।
- भारतीय संस्थाओं को लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV) का प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है और चयनित बोलीदाताओं से RFP पर प्रतिक्रिया आमंत्रित की गई है।
- IN-SPACe द्वारा NGE को भारतीय कक्षीय संसाधन उपलब्ध कराने के अवसर की घोषणा की गई है। एक भारतीय इकाई का चयन किया गया है।

भारतीय अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र का महत्व

- आर्थिक प्रभाव और विकास:** भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जिसका वर्तमान मूल्य 8.4 बिलियन डॉलर है, अगले दस वर्षों में बढ़कर 44 बिलियन डॉलर हो जाने का अनुमान है। यह वृद्धि अपने वर्तमान स्तर पर ही रहने का अनुमान है।

2033 तक इस 44 बिलियन डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने में निजी क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला माना जा रहा है।

- 2023 में वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष कंपनियों में अकेले निजी क्षेत्र का निवेश 12.5 बिलियन डॉलर था।
- बढ़ी हुई निजी भागीदारी से निवेश आकर्षित होने और अंतरिक्ष में राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं में तेज़ी आने की संभावना है।
- इससे भारत में और अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) भी आएगा।

• तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता

- बदले हुए FDI मानदंड बढ़ी कंपनियों को स्वतंत्र रूप से निवेश करने और नई तकनीकों की खोज करने की अनुमति देते हैं।
- इससे आधुनिक तकनीकों का हस्तांतरण संभव होगा, जिससे भारत का निजी क्षेत्र और अधिक आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होगा।
- 'मेक इन इंडिया' अभियान, 'आत्मनिर्भर भारत' के साथ मिलकर, देश में अधिक विनिर्माण सुविधाओं के माध्यम से मूल्यवर्धन करके घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देता है।
- निजी क्षेत्र धन और प्रतिभा लाता है, जिससे "प्रतिभा पलायन" जैसी समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलती है।

• वैश्विक एकीकरण और प्रतिस्पर्धात्मकता

- भारतीय उद्योगों को वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में एकीकरण के अधिक अवसर प्राप्त होंगे, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता और बाजार अभिविन्यास में वृद्धि होगी।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी की ओर कदम भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख अंतरिक्ष यात्री देशों के समान श्रेणी में रखता है।
- यह भारत के बढ़ते बाजार स्थान और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आगे बढ़ने की उसकी मंशा का एक शक्तिशाली संदेश देता है।

• राजनीतिक और सामाजिक बाह्यताएँ

- तकनीकी बढ़त के अलावा, निजी क्षेत्र की कंपनियों से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के राजनीतिक परिदृश्य को बदलने की संभावना है।
- घरेलू स्तर पर, अधिक कंपनियाँ वैश्विक भागीदारों के साथ सहयोग और प्रतिस्पर्धा करेंगी, जिससे कुशल कार्यप्रणाली को बढ़ावा मिलेगा।
- सकारात्मक बाह्य प्रभावों में प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, रोज़गार सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा देना शामिल है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. SSLV को इसरो द्वारा 500 किलोग्राम तक के पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) तक ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
2. SSLV को काफ़ी कम समय लगता है और इसे एक सप्ताह से भी कम समय में असेंबल किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

(c) :2022

श्री पैरेंट बेबी

चर्चा में क्यों: माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट (MRT), एक अत्याधुनिक प्रजनन विधि है जो वंशानुगत माइटोकॉन्ड्रियल रोगों के प्रसार को रोकने के लिए तीन लोगों के डीएनए को जोड़ती है, जिसके परिणामस्वरूप यूके में कम से कम आठ बच्चों का जन्म हुआ है।

मुख्य विवरण

- यह तकनीक माँ के अंडे में दोषपूर्ण माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर दाता से प्राप्त स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया को प्रतिस्थापित करके माइटोकॉन्ड्रियल दोषों से जुड़ी गंभीर और अक्सर घातक स्थितियों को रोकती है।
- इन शिशुओं में अपने जैविक माता-पिता के नाभिकीय डीएनए के अलावा, एक महिला दाता से प्राप्त माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की थोड़ी मात्रा होती है।

माइटोकॉन्ड्रिया

- द्वि-झिल्ली से घिरे कोशिकांग, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, लगभग सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिकाद्रव्य में मौजूद होते हैं।
- इन्हें आमतौर पर "कोशिका का पावरहाउस" कहा जाता है क्योंकि ये अधिकांश एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट (एटीपी) उत्पन्न करते हैं, जो कोशिकीय घटनाओं के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है।

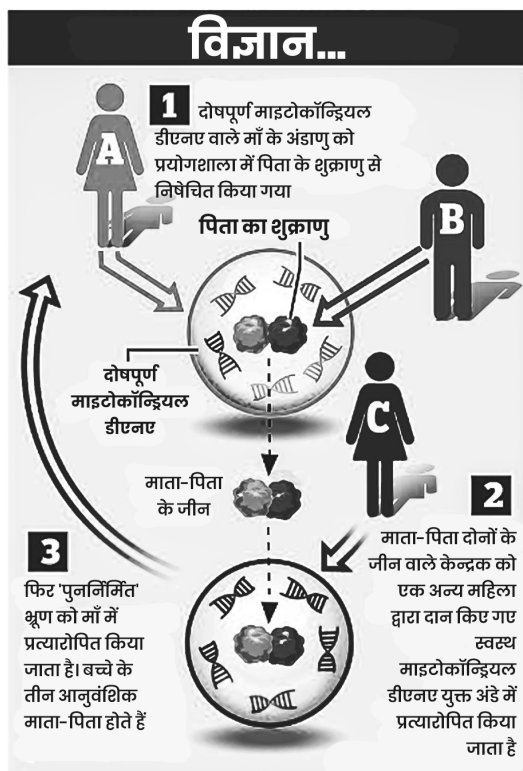
माइटोकॉन्ड्रियल रोग

- लैंगिक प्रजनन के दौरान, पिता का mtDNA नष्ट हो जाता है, और केवल माता का mtDNA ही संतानों में स्थानांतरित होता है।
- जब कोई माता रोगजनक उत्परिवर्तन के लिए समद्रव्य होती है, तो उसकी प्रत्येक संतान के mtDNA में समान उत्परिवर्तन होगा।
- विषमद्रव्य माता की संतान में रोगजनक, उत्परिवर्तित mtDNA की अलग-अलग मात्रा होगी, कुछ उत्परिवर्तित और कुछ सामान्य।
- यद्यपि माइटोकॉन्ड्रियल जीव विज्ञान की जटिलता के कारण mtDNA रोग रोगी दर रोगी बहुत भिन्न हो सकते हैं, फिर भी ये अक्सर अपंगकारी, प्रगतिशील और प्रारंभिक जीवन में घातक होते हैं।
- मांसपेशियों में कमजोरी, अत्यधिक थकावट, दौरे, विकास में देरी, हृदय संबंधी समस्याएं और जठरांत्र संबंधी विकार mtDNA रोग के विशिष्ट लक्षण हैं।
- चूंकि इन बीमारियों में अक्सर अन्य बीमारियों के समान लक्षण दिखाई देते हैं, इसलिए निदान चुनौतीपूर्ण हो सकता है और परीक्षण के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जिसमें आनुवंशिक, चयापचय और मांसपेशी परीक्षण शामिल हो सकते हैं।

माइटोकॉन्ड्रियल प्रतिस्थापन तकनीकें

- माइटोकॉन्ड्रियल प्रतिस्थापन चिकित्सा (MRT) का उद्देश्य माताओं से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए (mtDNA) विकारों के संचरण को रोकना है।
- MRT का उपयोग करके इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) में इच्छित माँ के nDNA को उसके अंडकोशिका या युग्मनज से, जिसमें उत्परिवर्तित mtDNA होता है, निकालकर उसे एक महिला प्रदाता के अंडकोशिका या युग्मनज में स्थानांतरित किया जाता है, जिसमें गैर-रोगजनक mtDNA होता है।

विज्ञान...



- अंडकोशिका दान करने वाली महिला में उत्परिवर्तित, हानिकारक mtDNA का कोई व्यक्तिगत इतिहास, पारिवारिक इतिहास या आनुवंशिक प्रमाण नहीं होना चाहिए।
- इन विधियों का उपयोग करके, इच्छुक माताएँ अपने हानिकारक mtDNA को विरासत में प्राप्त किए बिना अपने nDNA को साझा करने वाले बच्चे को जन्म दे सकती हैं।
- परिणामस्वरूप, माता, पिता और दाता महिला, सभी अपना डीएनए बच्चे को देते हैं। फिर भी, बच्चे के आनुवंशिक स्वरूप का 1% से भी कम हिस्सा दाता से आता है।
- अभी तक, यूके में MRT के माध्यम से जन्मे शिशु स्वस्थ हैं और उनमें माइटोकॉन्ड्रियल रोग के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं।
- डॉक्टरों के अनुसार, शुरुआती निष्कर्ष “काफी आशाजनक” हैं, लेकिन अधिक व्यापक दीर्घकालिक निगरानी की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी (MRT) प्रजनन चिकित्सा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी छलांग है, जो परिवारों को घातक माइटोकॉन्ड्रियल रोगों के संचरण को रोकने का अवसर प्रदान करती है। हालाँकि नैतिक रूप से विवादास्पद होने के बावजूद, ब्रिटेन में सख्त नियमों के तहत इसकी शुरुआती सफलता इस बात पर ज़ोर देती है कि कैसे विज्ञान, निगरानी के साथ मिलकर, बिना किसी कष्ट के जीवन दे सकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी (MRT) की प्रक्रिया और मातृवंशीय माइटोकॉन्ड्रियल रोगों की रोकथाम में इसकी प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए। [250 शब्द] [15 अंक]

सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना

चर्चा में क्यों: यूनाइटेड किंगडम ने आधिकारिक तौर पर सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना शुरू की है, जो एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य रासायनिक संश्लेषण का उपयोग करके पूरी तरह से मानव डीएनए का निर्माण करना है।

मुख्य विवरण

- यूके की एक प्रयोगशाला में, एक साहसिक वैज्ञानिक प्रयोग अपने पहले चरण में है – एक ऐसा प्रयोग जो मौलिक रूप से हमारे रोगों के उपचार, जीवन की समझ और यहाँ तक कि मानव होने के अर्थ को भी पुनर्परिभाषित कर सकता है।
- दुनिया की सबसे बड़ी चिकित्सा संस्था द्वारा समर्थित, शोधकर्ता मानव डीएनए के अणु-दूर-अणु खंड बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जो सिंथेटिक जीव विज्ञान में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है।
- समर्थकों के लिए, यह ऐतिहासिक संभावनाएँ रखता है – असाध्य बीमारियों से लड़ने और मानव जीनोम को अभूतपूर्व विस्तार से समझने की दिशा में एक संभावित छलांग।
- हालाँकि, आलोचकों के लिए, यह नैतिक चिंताओं को जन्म देता है, जिसमें डिज़ाइनर मानव और सिंथेटिक जीवन के निर्माण के बारे में आशंकाएँ शामिल हैं, जो मज़बूत अंतर्राष्ट्रीय जैव-नैतिक निगरानी की माँग करती हैं।

सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना के बारे में

- सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना (SynHG) का उद्देश्य रासायनिक रूप से संश्लेषित डीएनए का उपयोग करके एक संपूर्ण मानव जीनोम का डिज़ाइन और निर्माण करना है, जो पढ़ने से “लिखने” वाले जीवन की ओर बदलाव का प्रतीक है।
- इस परियोजना का नेतृत्व एलिसन इस्टीव्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज, केंट, मैनचेस्टर और इंपीरियल कॉलेज लंदन सहित प्रमुख संस्थानों द्वारा किया जा रहा है।
- इसे वेलकम ट्रस्ट द्वारा समर्थित किया गया है, जिसने £10 मिलियन की प्रारंभिक निधि प्रदान की है।
- प्रारंभिक चरण में पहले पूर्णतः सिंथेटिक मानव गुणसूत्र का निर्माण शामिल है।
- इस पहल का एक अनूठा पहलू “केयर-फुल सिंथेसिस” कार्यक्रम को शामिल करना है, जो एक समर्पित सामाजिक विज्ञान घटक है जो सिंथेटिक जीनोम अनुसंधान के नैतिक, कानूनी और सामाजिक निहितार्थों की जाँच करने के लिए हितधारकों को शामिल करता है।

मानव जीनोम परियोजना

- मानव जीनोम परियोजना (HGP) एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पहल थी जिसका उद्देश्य संपूर्ण मानव डीएनए, जिसमें उसमें निहित सभी जीन शामिल हैं, का मानचित्रण और अनुक्रमण करना था।
- यह जैविक अनुसंधान के इतिहास में सबसे बड़ा सहयोगात्मक प्रयास है। इसका प्रस्ताव अमेरिकी सरकार ने 1984 में रखा था और इसकी योजना 1990 में शुरू हुई और उसी वर्ष आधिकारिक रूप से इसका शुभारंभ हुआ।
- यह परियोजना 2003 में पूरी हुई। इसका प्राथमिक उद्देश्य सभी 20,000-25,000 मानव जीनों की पहचान और मानचित्रण करना तथा भौतिक और कार्यात्मक दोनों दृष्टिकोणों से मानव डीएनए का निर्माण करने वाले अरबों रासायनिक क्षार युग्मों का सटीक क्रम निर्धारित करना था।

भारत की पहली आदिवासी जीनोम परियोजना

चर्चा में क्यों: हाल ही में, गुजरात ने वंशानुगत बीमारियों से निपटने के लिए भारत की पहली आदिवासी जीनोम परियोजना शुरू की।

मुख्य विवरण

- जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना, राज्य के 17 जिलों के जनजातीय समुदायों से संबंधित 2,000 लोगों के जीनोम अनुक्रमण हेतु सरकार की एक पहल है।
- परियोजना का शीर्षक:** “गुजरात में जनजातीय जनसंख्या के लिए संदर्भ जीनोम डेटाबेस का निर्माण”
- कार्यान्वयन:** गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र (GBRC)।
- मुख्य उद्देश्य:** सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और कुछ वंशानुगत कैंसर सहित आनुवंशिक विकारों की शीघ्र पहचान और केंद्रित उपचार, इस पहल के मुख्य लक्ष्य होंगे।

परियोजना का महत्व

- जनजातीय स्वास्थ्य:** विज्ञान और परंपरा के बीच की खाई को पाटकर, यह परियोजना हमारे जनजातीय समुदायों के लिए एक स्वस्थ और समृद्ध भविष्य

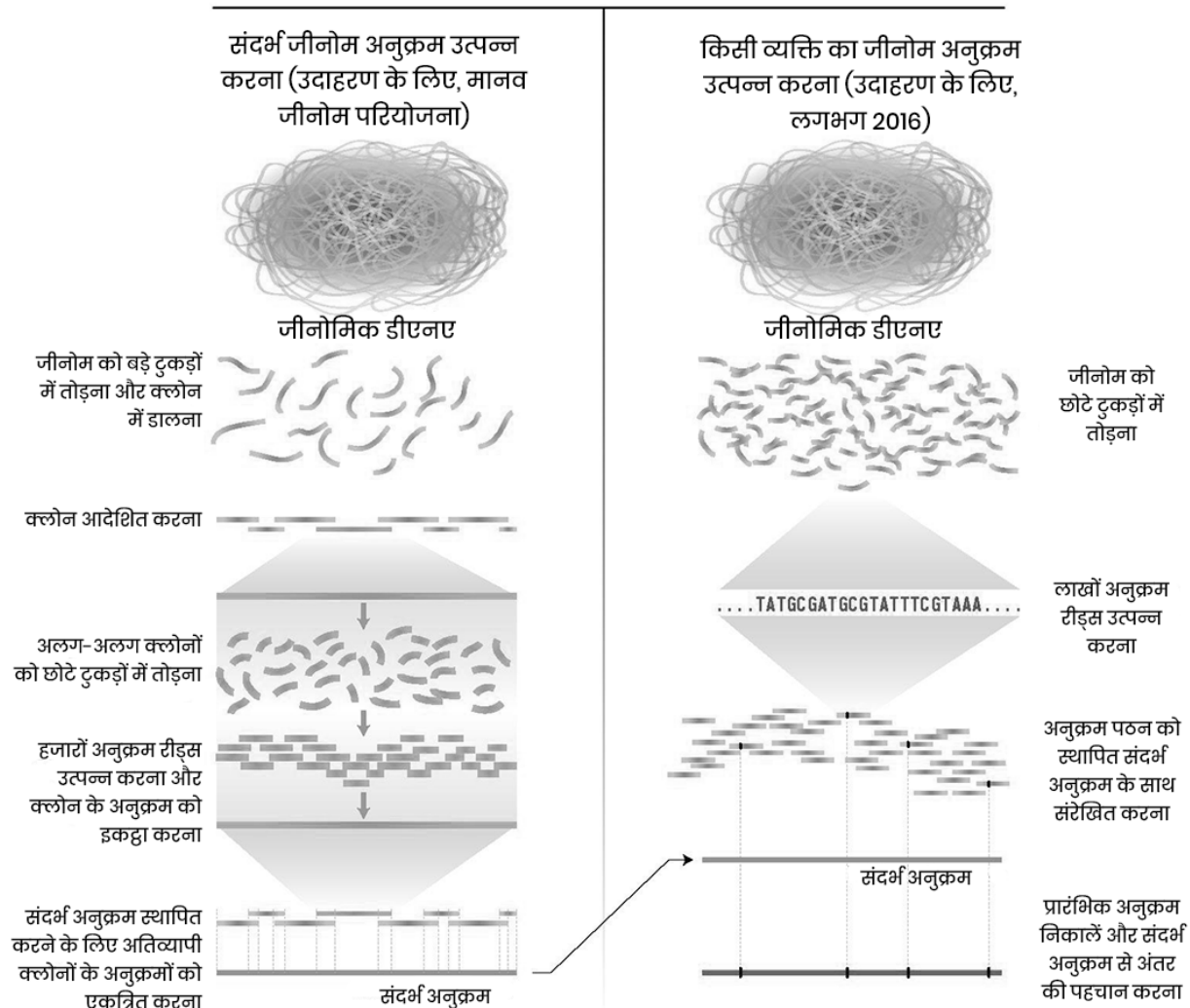
की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। यह जनजातीय स्वास्थ्य में दीर्घकालिक सुधार लाने में मदद करेगी।

- स्वास्थ्य अवसंरचना:** एकलित आनुवंशिक जानकारी का उपयोग प्राकृतिक प्रतिरक्षा के संकेतकों का पता लगाने और व्यक्तिगत उपचार योजनाएँ बनाने में सहायता के लिए भी किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना में आनुवंशिक डेटा व्याख्या, अनुक्रमण और नमूना संग्रह के लिए अत्याधुनिक अवसंरचना शामिल होगी।

जीनोम अनुक्रमण का अनुप्रयोग:

- औषधि खोज:** नवीन चिकित्सीय लक्ष्यों की खोज, रोगों के आनुवंशिक आधार को समझने और रोग उत्पन्न करने वाले उत्परिवर्तनों की पहचान में सहायता करता है।
- अनुकूलित औषधि:** यह प्रत्येक व्यक्ति की औषधियों के प्रति प्रतिक्रिया का पूर्वानुमान लगाकर, सर्वोत्तम संभव औषधि चयन को संभव बनाकर और दुष्प्रभावों को न्यूनतम करके व्यक्तिगत चिकित्सा को संभव बनाता है।
- प्रसवपूर्व जाँच:** इसका उपयोग भ्रूण में किसी भी आनुवंशिक असामान्यता या विकार की जाँच के लिए भी किया गया है।
- विकारों का मूल्यांकन:** आनुवंशिक दृष्टिकोण से, किसी विशेष अंग के रोगों के बजाय, जीनोम अनुक्रमण का उपयोग दुर्लभ विकारों, विकारों की पूर्वशर्तों और यहाँ तक कि कैंसर का मूल्यांकन करने के लिए किया गया है।

मानव जीनोम अनुक्रमण



निष्कर्ष

गुजरात की जनजातीय जीनोम परियोजना, आनुवंशिक विकारों का शीघ्र पता लगाने और व्यक्तिगत उपचार समाधानों को आगे बढ़ाकर जनजातीय स्वास्थ्य सेवा में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: हाल ही में, किस भारतीय राज्य ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना शुरू की?

- (a) गुजरात (b) छत्तीसगढ़
(c) झारखंड (d) असम

(e) :2122

एडफाल्सीवैक्स

चर्चा में क्यों: भारत एडफाल्सीवैक्स नामक एक स्वदेशी बहु-चरणीय मलेरिया वैक्सीन विकसित कर रहा है।

मुख्य विवरण

- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) अपने RMRC, भुवनेश्वर के माध्यम से, NIMR और DBT NII के सहयोग से, एडफाल्सीवैक्स नामक एक नवीन पुनः संयोजक काइमेरिक बहु-चरणीय मलेरिया वैक्सीन विकसित कर रहा है।
- एडफाल्सीवैक्स को प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम के दो महत्वपूर्ण चरणों – प्री-एरिथ्रोसाइटिक (यकृत) चरण और यौन (संचरण) चरण – को लक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, इस प्रकार, इसका उद्देश्य व्यक्तियों की सुरक्षा और सामुदायिक संचरण को कम करना है।
- आशाजनक पूर्व-नैदानिक परीणाम पशु मॉडलों में उच्च प्रभावकारिता, संभावित दीर्घकालिक प्रतिरक्षा और कम प्रतिरक्षा परिहार जोखिम दर्शाते हैं।
- यह टीका लैक्टोकोकस लैक्टिस को उत्पादन मंच के रूप में उपयोग करता है – खाद्य-ग्रेड और स्केलेबल, और इसका निर्माण कमरे के तापमान पर नौ महीने से अधिक समय तक स्थिर रहता है, जिससे रसद आसान हो जाती है।

बहु-चरणीय मलेरिया टीका – एडफाल्सीवैक्स के बारे में

- टीका प्रकार:** यह एक काइमेरिक पुनः संयोजक टीका है, जो मलेरिया परजीवी के विभिन्न चरणों से प्रतिजनी घटकों को मिलाकर दोहरी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है।
- लक्ष्य:**
 - प्री-एरिथ्रोसाइटिक (यकृत) चरण:** व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूर्ण-लेबाई वाले सीएसपी (सर्कमस्पोरोज़ोइट प्रोटीन) का उपयोग करना।
 - यौन (संचरण) चरण:** इसमें Pfs230 और Pfs48/45 (जिसे कभी-कभी Pro6C भी कहा जाता है) का मिश्रण शामिल है, जिसे मच्छरों में परजीवी के विकास को रोकने और संचरण को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- प्लेटफॉर्म:** यह सुरक्षित फिटकरी सहायक और स्केलेबल लैक्टोकोकस लैक्टिस उत्पादन का उपयोग करता है – एक ऐसा संयोजन जो स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ाता है।

लाभ:

- व्यापक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया और स्थायित्व।
- तापीय स्थिरता कोल्ड-चेन की आवश्यकता को कम करती है।
- कम उत्पादन लागत व्यापक पहुँच को सक्षम बनाती है।
- लाइसेंसिंग मॉडल मेक इन इंडिया के तहत तेज़ी से विस्तार को बढ़ावा देता है।

प्रारंभिक परीक्षा विशेष

मलेरिया: रोग अवलोकन

- कारण:** मलेरिया एक जानलेवा परजीवी रोग है जो प्लास्मोडियम प्रजाति (विशेष रूप से फाल्सीपेरम और विवेक्स) के कारण होता है और संक्रमित मादा एनोफिलीज़ मच्छरों के काटने से फैलता है।
- लक्षण और गंभीरता:** लक्षणों में बुखार, ठंड लगना, सिरदर्द, थकान, मतली शामिल हैं; गंभीर मामलों में दौरे पड़ सकते हैं, अंग विफलता, मस्तिष्क मलेरिया या मृत्यु हो सकती है।

वैश्विक बोझ:

- हाल के वर्षों में दुनिया भर में लगभग 249-263 मिलियन मामले और लगभग 600,000 मौतें हुईं, मुख्यतः उप-सहारा अफ्रीका में, लेकिन एशिया और लैटिन अमेरिका में भी काफी संख्या में मौतें हुईं।

भारत की प्रगति:

- भारत में मामले 2015 के 11.69 लाख (1.17 मिलियन) से तेज़ी से घटकर 2023 में 2.27 लाख हो गए, और इसी तरह मृत्यु दर भी ~384 से घटकर ~83 हो गई।

भारत 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की उच्च बोझ से उच्च प्रभाव (HBHI) श्रेणी से बाहर आ गया, जो उल्लेखनीय कमी का संकेत है।

दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में, 2022 तक, उप-सहारा अफ्रीका के बाहर भारत में 65% से अधिक मामले और 52% मौतें हुईं।

उन्मूलन रणनीति:

- भारत का मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय ढाँचा (2016-2030) 2027-2030 तक मलेरिया-मुक्त स्थिति का लक्ष्य रखता है, जिसमें छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे उच्च-दबाव वाले राज्यों में गहन रणनीतियाँ अपनाई गई हैं।

सारांश

- एडफाल्सीवैक्स एक आशाजनक बहु-चरणीय मलेरिया वैक्सीन संभावनावार के रूप में उभर कर सामने आया है—जिसे सुरक्षित, कम लागत वाली और तापीय रूप से स्थिर तकनीक के माध्यम से व्यक्तियों की सुरक्षा और संचरण को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- प्रतिष्ठित भारतीय अनुसंधान निकायों द्वारा समर्थित, यह जल्द ही व्यावसायीकरण और नैदानिक परीक्षणों के लिए तैयार है।
- इस बीच, भारत के मजबूत उन्मूलन प्रयासों से मलेरिया के बोझ में नाटकीय कमी आई है, जिससे मलेरिया मुक्त राष्ट्र का लक्ष्य पहुँच के भीतर आ गया है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: एडफाल्सीवैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन संभावनावार है जिसे आईसीएमआर ने डीबीटी-एनआईआई के सहयोग से विकसित किया है।
2. यह वैक्सीन प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम के प्री-एरिथ्रोसाइटिक और संचरण दोनों चरणों को लक्षित करती है।
3. इसके लिए mRNA COVID-19 टीकों के समान -70°C के अति-शीत भंडारण की आवश्यकता होती है।
4. इस टीके का उत्पादन केंद्र लैक्टोकोकस लैक्टिस है, जो एक खाद्य-ग्रेड जीवाणु है।
5. एडफाल्सीवैक्स की प्रति खुराक अनुमानित लागत वर्तमान में उपलब्ध मलेरिया टीकों जैसे आरटीएसएस की तुलना में काफी कम है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

- (a) केवल 1, 2 और 4 (b) केवल 1, 2, 4 और 5
(c) केवल 1, 3, 4 और 5 (d) 1, 2, 3, 4 और 5

(9) : 2020

अर्बोवायरल रोग

चर्चा में क्यों: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने डेंगू, चिकनगुनिया, ज़िका और पीत ज्वर जैसे संदिग्ध या पुष्ट अर्बोवायरल रोगों से पीड़ित रोगियों की देखभाल करने वाले स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की सहायता के लिए नए दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं। यह पहली बार है जब WHO ने इन चारों रोगों को कवर करने वाले वैश्विक दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं।

अर्बोवायरल रोगों के बारे में

- अर्बोवायरल रोग **मच्छरों और टिक्स** जैसे आर्थ्रोपोड्स के काटने से मनुष्यों में फैलने वाले विषाणुओं के कारण होने वाले संक्रमण हैं।
- ये रोग कई तरह के लक्षण पैदा कर सकते हैं, जिनमें **हल्का बुखार और चकत्ते से लेकर गंभीर मस्तिष्क सूजन और रक्तस्राव तक** शामिल हैं।
- सामान्य अर्बोवायरल रोगों में चिकनगुनिया, डेंगू, पीत ज्वर और ज़िका शामिल हैं, जो मुख्य रूप से एडीज़ प्रजाति के मच्छरों, विशेष रूप से एडीज़ एजिप्टी और एडीज़ एल्बोपिक्टस द्वारा फैलते हैं।
- ये रोग दुनिया भर में, विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, व्यापक रूप से पाए जाते हैं और प्रकोप और महामारी का कारण बन सकते हैं, साथ ही एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय भी बन सकते हैं।
- इन रोगों की रोकथाम और नियंत्रण विषाणुओं और उनके वाहकों की निगरानी के साथ-साथ मच्छरों के काटने से सुरक्षा पर निर्भर करता है।

डेंगू

- **कारण:** फ्लेविविरिडे वर्ग से संबंधित चार डेंगू विषाणु सीरोटाइप (ऑर्थोफ्लेविवायरस डेंगू 1-4) में से किसी एक से संक्रमण।
- **लक्षण:** अधिकांश संक्रमित व्यक्ति लक्षणहीन होते हैं, लेकिन लक्षण वाले मामलों में आमतौर पर अचानक तेज़ बुखार, शरीर में दर्द, जोड़ों का दर्द, पशु-कक्षीय सिरदर्द, चकत्ते और मतली का अनुभव होता है। लक्षण आमतौर पर 2-7 दिनों तक रहते हैं, जो ज्वर के चरण से शुरू होते हैं।

- **उपचार:** कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार मौजूद नहीं है; दर्द और बुखार के प्रबंधन के लिए दवाओं का उपयोग किया जाता है। रक्तस्राव के जोखिम के कारण आमतौर पर गैर-स्टेरायडल सूजनरोधी दवाओं (एनएसएआईडी) से परहेज किया जाता है।
- **रोकथाम:** मच्छरों के काटने से बचना और समुदाय स्तर पर मच्छरों के वाहकों में कमी लाना। टीके उपलब्ध हैं, लेकिन उनका उपयोग सीमित है।

चिकनगुनिया

- **कारण:** टोगाविरिडे वर्ग के चिकनगुनिया वायरस (अल्फावायरस चिकनगुनिया) से संक्रमण।
- **लक्षण:** आधे से ज़्यादा संक्रमित मरीजों में लक्षण दिखाई देते हैं, आमतौर पर बुखार और गंभीर, कभी-कभी अक्षम कर देने वाला जोड़ों का दर्द। शुरुआत आमतौर पर मच्छर के काटने के 4-8 दिन बाद होती है।
- **उपचार:** कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार नहीं; दवाएँ दर्द और बुखार को नियंत्रित करती हैं। अमेरिका और यूरोप में एक टीका स्वीकृत है, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य उपयोग के लिए व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है।

ज़िका

- **कारण:** फ्लेविविरिडे परिवार के ज़िका वायरस (ऑर्थोफ्लेविवायरस ज़िकाएन्स) से संक्रमण।
- **लक्षण:** ज़्यादातर संक्रमित व्यक्ति बिना लक्षण वाले होते हैं। लक्षण वाले मामलों में आमतौर पर खुजली, नेत्रश्लेष्मलाशोथ, बुखार, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों का दर्द, अस्वस्थता और सिरदर्द के साथ दाने दिखाई देते हैं, जो 2-7 दिनों तक रहते हैं।
- **संचरण:** मुख्यतः एडीज़ मच्छरों द्वारा, लेकिन गर्भावस्था, यौन संपर्क और रक्त आधान के दौरान माँ से भ्रूण में संचरण के माध्यम से भी।
- **उपचार:** वर्तमान में कोई टीका या एंटीवायरल उपलब्ध नहीं है।

पीत ज्वर

- **कारण:** फ्लेविविरिडे वर्ग के पीत ज्वर विषाणु (ऑर्थोफ्लेविवायरस फ्लेवी) से संक्रमण।
- **संचरण:** संक्रमित मच्छरों, मुख्यतः एडीज़, हेमागोगस और सबेथेस प्रजातियों के काटने से।
- **लक्षण:** कई मामलों में लक्षण नहीं दिखाई देते। लक्षण वाले मामलों में आमतौर पर बुखार, मांसपेशियों में दर्द (पीठ दर्द), सिरदर्द, भूख न लगना और मतली या उल्टी होती है, जो 3-4 दिनों में ठीक हो जाती है।
- **रोकथाम:** टीकाकरण सबसे प्रभावी निवारक उपाय है, जो आजीवन प्रतिरक्षा प्रदान करता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: अर्बोवायरल रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. ये मच्छरों, टिक्स और सैंडफ्लाई जैसे आर्थ्रोपोड्स के माध्यम से फैलने वाले वायरस के कारण होते हैं।
2. डेंगू, चिकनगुनिया और पीत ज्वर अर्बोवायरल रोगों के उदाहरण हैं।
3. अर्बोवायरस बिना किसी वाहक की भागीदारी के सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

(e) १२८

नोबल रॉट की घटना और कवक गुणसूत्र का रहस्य

चर्चा में क्यों: सिचुआन विश्वविद्यालय और ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया है कि बोट्राइटिस कवक का क्लोन नहीं बनाया जा सकता।

वाइन निर्माण में नोबल रॉट (बोट्राइटिस सिनेरिया)

- परिभाषा और कार्य: 'नोबल रॉट', बोट्राइटिस सिनेरिया नामक कवक का एक प्रतिष्ठित नाम है। यह अंगूरों को संक्रमित करता है, उनकी त्वचा में प्रवेश करता है और वाष्पीकरण के माध्यम से अंगूरों से पानी निकल जाता है और वे सिकुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया के कारण अंगूरों में शर्करा और स्वाद की सांद्रता बढ़ जाती है।
- कटाई और लागत: अंगूरों के केवल एक छोटे प्रतिशत में ही चयनात्मक संक्रमण होने के कारण, प्रभावित अंगूरों को हाथ से तोड़ना पड़ता है, जिससे यह प्रक्रिया श्रमसाध्य हो जाती है और उत्पादन लागत में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।

गुणसूत्र विसंगति

- सामान्य जैविक सिद्धांत: अधिकांश जंतुओं, पौधों और कवकों में, कोशिका के केंद्रक में आमतौर पर सभी जीवों के गुणसूत्रों के एक या एक से अधिक पूर्ण समूह होते हैं। यह गुण क्लोनिंग जैसी प्रक्रियाओं के लिए मौलिक है, जहाँ सभी डीएनए निर्देशों वाले केंद्रक का उपयोग एक नए जीव के विकास के लिए किया जा सकता है।
- अपवाद: इस स्थापित सिद्धांत के विपरीत, बोट्राइटिस सिनेरिया (उत्कृष्ट सड़न) और एक अन्य कवक, स्क्लेरोटिनिया स्क्लेरोटियोरम, का क्लोन नहीं बनाया जा सकता है।
- हालिया खोज
 - सिचुआन विश्वविद्यालय और ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक ऐसी खोज की है जो स्थापित गुणसूत्र जीव विज्ञान को चुनौती देती है: इन कवकों में, किसी भी एकल केंद्रक में गुणसूत्रों का पूरा समूह नहीं होता है।
 - इसके बजाय, गुणसूत्र समूह दो या अधिक केंद्रकों में वितरित होता है, और किसी भी एक केंद्रक में गुणसूत्रों का केवल एक उपसमूह होता है।

बोट्राइटिस कवक

- बोट्राइटिस कवक, विशेष रूप से प्रजाति परिसर बोट्राइटिस सिनेरिया, अवसरवादी रोगजनक हैं जो कई नर्सरी फसलों को, विशेष रूप से टंडे, नम क्षेत्रों में, गंभीर नुकसान पहुँचाते हैं।
- रूप: गहरे भूरे रंग के डंठलों के सिरे पर हल्के भूरे या लगभग रंगहीन बीजाणुओं के समूह 10x हैड लेंस से आसानी से देखे जा सकते हैं। मृत पादप ऊतक पर स्क्लेरोटिया नामक छोटी काली विश्राम संरचनाएँ भी दिखाई दे सकती हैं।
- पोषक क्षेत्र: बोट्राइटिस रोग, विशेष रूप से बी. सिनेरिया के कारण होने वाले, सजावटी, फल और सब्जी फसलों को प्रभावित करने वाले सबसे आम और व्यापक रूप से फैले रोगों में से हैं। यह नर्सरी फसलों में सबसे आम रोग है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: बोट्राइटिस कवक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- बोट्राइटिस सिनेरिया एक परिगलित कवक है जो मुख्य रूप से पौधों को संक्रमित करता है, जिससे ग्रे मोल्ड रोग होता है।
- यह गर्म और शुष्क परिस्थितियों में पनपता है, जो बीजाणुओं के अंकुरण को सुगम बनाते हैं।
- यह कवक कुछ खास वाइन बनाने वाले अंगूरों में "नोबल रॉट" उत्पन्न करके अंगूर की खेती में भी लाभकारी भूमिका निभा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

(c) १२८

काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन

चर्चा में क्यों: परमाणु ऊर्जा बोर्ड ने गुजरात में दो स्वदेश निर्मित 700 मेगावाट क्षमता वाले रिएक्टरों को परिचालन लाइसेंस प्रदान किया है।

मुख्य विवरण

- परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) ने गुजरात में काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन की इकाई 3 और 4 के लिए पाँच वर्षीय परिचालन लाइसेंस को मंजूरी दे दी है।
- दोनों इकाइयाँ स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट क्षमता वाले दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) हैं, जो भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

एईआरबी लाइसेंस अनुमोदन से विवरण

- इकाइयाँ: केएपीएस-3 और केएपीएस-4
- क्षमता: 700 मेगावाट प्रत्येक
- स्थान: काकरापार, गुजरात
- विकासकर्ता एवं संचालक: भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल)
- तकनीक: स्वदेशी पीएचडब्ल्यूआर (जनरेशन III+)
- महत्व:
 - पहली बार एईआरबी ने स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित रिएक्टरों को परिचालन लाइसेंस जारी किया है।
 - वर्षों की व्यापक सुरक्षा समीक्षा, नियामक जाँच और कमीशनिंग जाँच के बाद।
 - अंतर्राष्ट्रीय परमाणु मानकों के अनुपालन में परिचालन सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है।
 - भू-राजनीतिक महत्व:
 - आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करता है।
 - भारत की ऊर्जा सुरक्षा और स्वदेशी प्रौद्योगिकी आधार को मजबूत करता है।

दाबयुक्त भारी जल रिएक्टरों (PHWR) के बारे में

- **डिज़ाइन:** दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम और मंदक व शीतलक दोनों के रूप में भारी जल (D₂O) का उपयोग करते हैं।
- **लाभ:**
 - गैर-समृद्ध यूरेनियम का उपयोग किया जा सकता है, जिससे ईंधन की लागत कम होती है।
 - भारी जल के कारण बेहतर न्यूट्रॉन अर्थव्यवस्था प्रदान करता है।
 - मॉड्यूलर और स्केलेबल – भारतीय बुनियादी ढाँचे के लिए उपयुक्त।
- **भारतीय नवाचार:**
 - भारत ने छोटे दाबयुक्त भारी जल रिएक्टरों (220 मेगावाट) से शुरुआत की, बाद में इसे 540 मेगावाट और अब 700 मेगावाट (IPHWR-700) तक बढ़ाया गया।
 - IPHWR-700 डिज़ाइन में निष्क्रिय क्षय ऊष्मा निष्कासन, नियंत्रण स्प्रे सिस्टम और दोहरी नियंत्रण दीवारें जैसी उन्नत सुरक्षा सुविधाएँ शामिल हैं।

प्रारंभिक परीक्षा विशेष

भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का अवलोकन

- भारत का परमाणु कार्यक्रम डॉ. होमी भाभा द्वारा तैयार की गई लि-चरणीय रणनीति का अनुसरण करता है, जिसे भारत के विशाल थोरियम भंडार और सीमित यूरेनियम के उपयोग के लिए तैयार किया गया है।

चरण I: प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करने वाले PHWR

वर्तमान बेड़े में 220, 540 और 700 MWe PHWR शामिल हैं। प्लूटोनियम को उपोत्पाद के रूप में उत्पादित करता है।

चरण II: फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBR)

चरण I से प्लूटोनियम का उपयोग करता है। जितना ईंधन की खपत होती है, उससे अधिक ईंधन उत्पन्न करता है। उदाहरण: कलपक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) (कमीशनिंग चरण में)।

चरण III: थोरियम-आधारित रिएक्टर

यूरेनियम-233 के उत्पादन के लिए थोरियम-232 का उपयोग। प्रचुर मात्रा में थोरियम का उपयोग करके ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य।

निष्कर्ष

- KAPS-3 और KAPS-4 का परिचालन लाइसेंस भारत की परमाणु यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रिएक्टर डिज़ाइन और सुरक्षा प्रबंधन में भारत की तकनीकी क्षमताओं की पुष्टि करता है।
- घरेलू स्तर पर निर्मित 700 मेगावाट क्षमता वाले PHWR न केवल आत्मनिर्भरता प्रदर्शित करते हैं, बल्कि भारत के कार्बन-तटस्थ भविष्य की ओर बढ़ने के साथ एक मापनीय, स्वच्छ ऊर्जा समाधान भी प्रदान करते हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत के स्वदेशी 700 मेगावाट क्षमता वाले दाबयुक्त भारी जल रिएक्टरों (पीएचडब्ल्यूआर) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. काकरापार स्थित 700 मेगावाट क्षमता वाले दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर भारत के पहले ऐसे रिएक्टर हैं जिनका डिज़ाइन, निर्माण और लाइसेंस पूरी तरह से स्वदेशी रूप से किया गया है।

2. भारत में दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर ईंधन के रूप में संवर्धित यूरेनियम और शीतलक एवं मंदक दोनों के रूप में हल्के जल का उपयोग करते हैं।
3. काकरापार इकाई 3 और 4 का चालू होना भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के पहले चरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
4. भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल) वह नियामक प्राधिकरण है जिसने इन रिएक्टरों को परिचालन लाइसेंस प्रदान किया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 4
(c) केवल 1, 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

(B) : 2022

एमवीआईएस प्रणाली

चर्चा में क्यों: रेल उद्योग में सेवा दक्षता में सुधार और रखरखाव को स्वचालित बनाने के लिए, भारतीय रेलवे ने हाल ही में डीएफसीसीआईएल के साथ एक एआई/एमएल-आधारित निरीक्षण प्रणाली लागू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

मुख्य विवरण

- एमवीआईएस प्रणाली दुर्घटनाओं और सेवा व्यवधानों को रोकने, मैन्युअल निरीक्षणों को कम करने और ट्रेन संचालन सुरक्षा में व्यापक सुधार लाने का लक्ष्य रखती है।
- भविष्य के लिए तैयार रेल अवसंरचना के निर्माण और रेल सुरक्षा के डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर है।

मशीन विज्ञान-आधारित निरीक्षण प्रणाली (एमवीआईएस)

- मशीन विज्ञान-आधारित निरीक्षण प्रणाली (एमवीआईएस) चलती ट्रेनों के अंडरकैरिज की उच्च-रिज़ॉल्यूशन तस्वीरें लेने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग (एआई/एमएल) का उपयोग करके लटके हुए, ढीले या गायब घटकों जैसी विसंगतियों का स्वचालित रूप से पता लगाती है।
- इसके बाद, यह प्रणाली वास्तविक समय में संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचित करती है, जिससे त्वरित कार्रवाई और निवारक उपाय करने में सुविधा होती है।
- यह दुर्घटनाओं और सेवा व्यवधानों को रोकने, ट्रेन संचालन सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि और मैन्युअल निरीक्षण में कमी लाने का वादा करता है।
- वैगन, कोच, वंदे भारत, मेट्रो, ईएमयू और एलआरटी सभी एमवीआईएस द्वारा कवर किए जाते हैं।

एमवीआईएस प्रणाली की विशेषताएँ

- एमवीआईएस ज़ोन में प्रवेश करने और जाने वाली ट्रेनों का पता लगाया जाता है।
- डेटा एकत्र करने के लिए कैमरा और प्रकाश व्यवस्था स्वचालित रूप से चालू और बंद हो जाती है।
- कैमरा-आधारित प्रणाली का उपयोग करके, साइड और अंडर व्यू से कच्चा डेटा एकत्र और संग्रहीत किया जाता है।
- कैमरों द्वारा उत्पन्न डेटा का उपयोग करके दोष की पहचान।
- डैशबोर्ड पर जानकारी प्रदर्शित होती है, जिसमें ट्रेन का विवरण और दोषों की छवियाँ शामिल हैं।

लाभ

- वैगन की स्थिति और संख्या का उपयोग करके दोषों (उत्पन्न अलर्ट) का शीघ्र पता लगाना।
- परिसंपत्तियों की स्थिति का प्रमाण प्रदान करना।
- यार्ड में प्रवेश करते और बाहर निकलते समय रेक की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- GUI और SMS अलर्ट का उपयोग करके वैगन की स्थिति पर वास्तविक समय में नज़र रखी जाती है।
- दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल सूचनाएँ प्रदान करना।
- एक उन्नत प्रबंधन सूचना प्रणाली प्रदर्शित करने वाला डैशबोर्ड।

निष्कर्ष

एमवीआईएस प्रणाली एआई और स्वचालन के माध्यम से रेलवे सुरक्षा के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम है। वास्तविक समय में दोषों का पता लगाने और मैन्युअल निरीक्षण को कम करके, यह परिचालन दक्षता, दुर्घटना निवारण और बुनियादी ढाँचे की विश्वसनीयता को बढ़ाता है।

ब्लैक होल विलय

चर्चा में क्यों: गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशालाओं के एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क ने दो ब्लैक होल के विलय का पता लगाने की सूचना दी है, जो इस प्रकार की घटना में अब तक देखे गए सबसे बड़े ब्लैक होल हैं।

खोज का अवलोकन

- **घटना की प्रकृति:** वैज्ञानिकों ने दो ब्लैक होल के विलय से संकेत प्राप्त किए हैं, जो वास्तव में अरबों वर्ष पहले घटित हुई घटना है। GW231123 नामक यह खोज असाधारण है क्योंकि इसमें इस प्रकार की घटना में देखे गए सबसे बड़े ब्लैक होल शामिल हैं।
- **पता लगाने की विधि:** GW231123 से गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता LVK वेधशालाओं के नेटवर्क द्वारा लगाया गया था।
- **संकेत विशेषताएँ:** पाया गया संकेत अविश्वसनीय रूप से छोटा था, केवल एक सेकंड के दसवें हिस्से तक चला, और शुरुआत में वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना। हालाँकि, यह आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत द्वारा विलय करने वाले ब्लैक होल के लिए अनुमानित तरंगरूप से मेल खाता था।
- **शामिल ब्लैक होल**
 - **विलय करने वाले ब्लैक होल का द्रव्यमान:** विलय करने वाले दो ब्लैक होल बहुत बड़े थे, जिनमें से एक सूर्य से 140 गुना अधिक विशाल था और दूसरा 100 गुना बड़ा था।
 - **परिणामी ब्लैक होल:** इनके विलय के परिणामस्वरूप एक नया ब्लैक होल बना, जिसका आकार सूर्य के आकार का लगभग 225 गुना होने का अनुमान है।
 - **विशिष्ट विशेषताएँ:** अपने विशाल द्रव्यमान के अलावा, ये ब्लैक होल अविश्वसनीय रूप से तेज़ गति से घूम रहे थे, जिससे संकेतों की व्याख्या करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया था। यह विशेषता एक संभावित रूप से जटिल निर्माण इतिहास का संकेत देती है।

ब्लैक होल

- ब्लैक होल बहुत छोटे स्थानों में एकत्रित पदार्थ का विशाल संकेंद्रण होते हैं।

ब्लैक होल इतना सघन होता है कि उसकी सतह के ठीक नीचे, घटना क्षितिज, गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि कुछ भी, यहाँ तक कि प्रकाश भी, उससे बच नहीं सकता।

- घटना क्षितिज पृथ्वी या सूर्य जैसी कोई सतह नहीं है। यह एक सीमा है जिसमें ब्लैक होल बनाने वाला सारा पदार्थ समाहित होता है।

ब्लैक होल के प्रकार

- **ब्लैक होल को आमतौर पर उनके द्रव्यमान के अनुसार तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:** तारकीय द्रव्यमान, अतिभारी और मध्यम द्रव्यमान।
- **तारकीय**
 - जब सूर्य के द्रव्यमान से आठ गुना अधिक द्रव्यमान वाले किसी तारे का ईंधन समाप्त हो जाता है, तो उसका केंद्र ढह जाता है, वापस उछलता है और सुपरनोवा के रूप में विस्फोटित हो जाता है।
 - जो कुछ पीछे बचता है वह विस्फोट से पहले तारे के द्रव्यमान पर निर्भर करता है।
 - यदि यह सीमा के निकट था, तो यह एक शहर के आकार का, अतिसघन न्यूट्रॉन तारा बनाता है।
 - यदि इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 20 गुना या उससे अधिक होता, तो तारे का केंद्र एक तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल में ढह जाता।
 - इन नवजात पिंडों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के कुछ से लेकर सैकड़ों गुना तक हो सकता है, जो सुपरनोवा की शुरुआत के समय तारे के द्रव्यमान पर निर्भर करता है।
 - तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल तारों और अन्य ब्लैक होल से टकराव के माध्यम से द्रव्यमान प्राप्त करना जारी रख सकते हैं।

• अतिभारी

- हमारी आकाशगंगा सहित लगभग हर बड़ी आकाशगंगा के केंद्र में एक अतिभारी ब्लैक होल होता है।
- इनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लाखों से लेकर अरबों गुना तक होता है।
- हालाँकि उनकी उत्पत्ति रहस्यमय है, वैज्ञानिक जानते हैं कि अतिविशाल ब्लैक होल अपने तारकीय द्रव्यमान वाले रिश्तेदारों और न्यूट्रॉन तारों जैसी छोटी वस्तुओं से पोषण पाकर बढ़ सकते हैं। आकाशगंगाओं के टकराने पर वे अन्य अतिविशाल ब्लैक होल के साथ विलीन भी हो सकते हैं।

• मध्यम

- वैज्ञानिकों का सिद्धांत है कि आकारों का एक सातत्य मौजूद होना चाहिए, जिससे पता चलता है कि ब्रह्मांडीय समय में तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल के बीच टकराव से मध्यम द्रव्यमान वाले ब्लैक होल बने होंगे।
- इन “लापता कड़ी” ब्लैक होल का आकार सूर्य के द्रव्यमान के लगभग सौ से लेकर लाखों गुना तक होने की संभावना है।

• आदिम

- वैज्ञानिकों का सिद्धांत है कि आदिम ब्लैक होल ब्रह्मांड के जन्म के बाद पहले सेकंड के दौरान बने थे। इस क्षणभंगुर क्षण के दौरान, गर्म पदार्थ के पॉकेट इतने सघन रहे होंगे कि ब्लैक होल में सिमट गए।
- सैद्धांतिक निर्माण के 13.8 अरब वर्ष बाद भी, आदिकालीन ब्लैक होल के अस्तित्व का कोई निश्चित प्रमाण अभी तक नहीं मिला है।

डिजिटल गिरफ्तारी

चर्चा में क्यों: हाल ही में, पश्चिम बंगाल की एक अदालत ने नौ लोगों को डिजिटल अरेस्ट स्कैम में शामिल होने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

मुख्य विवरण

- यह भारत में और पश्चिम बंगाल में इस तरह की पहली सज़ाओं में से एक है। 70 वर्षीय पीड़ित ने ₹1 करोड़ गँवा दिए और लगभग सात दिनों तक डिजिटल रूप से गिरफ्तार रहा। 6 नवंबर, 2024 को पीड़ित ने कल्याणी, रानाघाट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित के अनुसार, एक व्हाट्सएप कॉल करने वाले ने, जिसने स्वयं को अंधेरी पुलिस स्टेशन, मुंबई का सब इंस्पेक्टर हेमराज कोली बताया, उसे विभिन्न खातों में पैसे जमा करने के लिए कहा।
- यह पाया गया कि कॉल कंबोडिया से की गई थीं, और कई खातों के माध्यम से पैसे निकाले गए थे जिनके मालिक देश भर में फैले हुए थे। लेकिन बाद में पुलिस को पता चला कि कॉल कंबोडिया के रास्ते भेजे जा रहे थे, लेकिन उनका स्रोत भारत था।
- सभी 9 आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66सी और 66डी के तहत दोषी ठहराया गया है।

डिजिटल गिरफ्तारी के बारे में

- डिजिटल गिरफ्तारी एक घोटाला है जो पीड़ितों से डर, धोखे और धमकी का इस्तेमाल करके पैसे ऐंठने के लिए बनाया गया है। धोखेबाज़, गिरफ्तारी, बैंक खाते फ्रीज करने और पासपोर्ट रद्द करने की धमकी देकर, कानून प्रवर्तन अधिकारियों का रूप धारण करते हैं और पीड़ितों को कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए "जुर्माना" या "सुरक्षा जमा" भरने के लिए मजबूर करते हैं।

ऐसा क्यों होता है?

फिशिंग ईमेल से लेकर वित्तीय धोखाधड़ी और रैंसमवेयर हमलों तक, साइबर अपराधी डेटा और पैसे चुराने के लिए कई हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन ये घोटाले क्यों होते रहते हैं? इन्हें इतना प्रभावी क्या बनाता है? आइए साइबर घोटालों के पीछे के प्रमुख कारणों और स्वयं को इनका शिकार बनने से कैसे बचा सकते हैं, इस पर गौर करें।

- मानव मनोविज्ञान और सामाजिक इंजीनियरिंग:** साइबर घोटालों की सफलता का एक सबसे बड़ा कारण मानवीय त्रुटि है। साइबर अपराधी संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए लोगों को बहकाने के लिए सामाजिक इंजीनियरिंग युक्तियों का उपयोग करते हैं। बहुत से लोग सामान्य घोटाले की तकनीकों से अनजान होते हैं, जिससे वे आसान शिकार बन जाते हैं। धोखेबाज़ डर (कानूनी कार्रवाई की धमकी), उत्साह (नकली लॉटरी जीत), या तात्कालिकता (नकली आपातकालीन निधि अनुरोध) जैसी भावनाओं का भी फायदा उठाते हैं। साइबर अपराधी अक्सर विश्वसनीय स्रोतों जैसे बैंकों, सरकारी एजेंसियों, या यहाँ तक कि करीबी दोस्तों का भी रूप धारण करते हैं।
- कमज़ोर साइबर सुरक्षा प्रथाएँ:** साइबर अपराधी अक्सर खराब सुरक्षा आदतों का फायदा उठाते हैं, जिससे उनके लिए व्यक्तिगत या वित्तीय डेटा तक पहुँच आसान हो जाती है। सामान्य कमज़ोरियों में कमज़ोर पासवर्ड और क्रेडेंशियल्स

का उपयोग, बिना पैच वाला सॉफ़्टवेयर और सिस्टम और खराब सुरक्षा स्वच्छता शामिल हैं।

- डिजिटल भुगतान और वित्तीय धोखाधड़ी के जोखिम:** डिजिटल लेनदेन के बढ़ने के साथ, साइबर अपराधियों ने ऑनलाइन भुगतान प्रणालियों का फायदा उठाने के लिए परिष्कृत तरीके विकसित कर लिए हैं, जैसे नकली UPI अनुरोध और QR कोड, कार्ड स्कimming और सिमस्वैप और क्रिप्टो व निवेश घोटाले।
- डार्क वेब और साइबर अपराध नेटवर्क:** डार्क वेब चोरी किए गए डेटा, मैलवेयर टूल और अवैध गतिविधियों के लिए एक बाज़ार के रूप में कार्य करता है। साइबर अपराध एक संगठित उद्योग बन गया है जहाँ अपराधी चोरी किए गए डेटा और पहचान की चोरी, संगठित साइबर अपराध सिंडिकेट खरीदते और बेचते हैं और रैनसमवेयर-एज़-ए-सर्विस (RaaS) भी प्रदान करते हैं।
- मज़बूत साइबर कानूनों और प्रवर्तन का अभाव:** बढ़ते साइबर खतरों के बावजूद, धीमी कानून प्रवर्तन प्रतिक्रिया, सीमा पार अपराध चुनौतियों और साइबर अपराध जागरूकता और नीतियों की कमी के कारण कई घोटाले बिना सजा के रह जाते हैं।

साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी के खिलाफ भारत की लड़ाई

साइबर अपराध के बढ़ते खतरे को देखते हुए, भारत सरकार ने डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने के प्रयासों को तेज़ कर दिया है। प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C):** गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित, यह केंद्र साइबर अपराध से निपटने और साइबर अपराध रोकथाम संसाधन उपलब्ध कराने के राष्ट्रीय प्रयासों का समन्वय करता है।
- राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल:** एक समर्पित पोर्टल जनता को साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है, जिसमें महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिससे कानून प्रवर्तन द्वारा त्वरित कार्रवाई संभव हो पाती है।
- वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग प्रणाली:** 2021 में लॉन्च किया गया, इस प्लेटफ़ॉर्म ने वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग की अनुमति देकर 9.94 लाख शिकायतों में ₹3431 करोड़ से अधिक की सफलतापूर्वक बचत की है।
- साइबर फोरेंसिक लैब:** दिल्ली स्थित राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला और हैदराबाद स्थित साक्ष्य प्रयोगशाला ने पुलिस की डिजिटल साक्ष्यों के प्रबंधन और विश्लेषण की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार किया है।
- साइबर्ट्रेन के माध्यम से प्रशिक्षण:** I4C का ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म कानून प्रवर्तन और न्यायिक अधिकारियों को साइबर अपराध की जाँच और अभियोजन के लिए प्रशिक्षित करता है, अब तक 98,000 से अधिक पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।
- जन जागरूकता अभियान:** सरकार ने साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एसएमएस, सोशल मीडिया, साइबर दोस्त, संचार साथी पोर्टल और ऐप, और यहाँ तक कि मेट्रो स्टेशनों और हवाई अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाए हैं।

निष्कर्ष

पश्चिम बंगाल डिजिटल अरेस्ट स्कैम में हाल ही में हुई दोषसिद्धि भारत में परिष्कृत

साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे को उजागर करती है। ऐसे घोटाले सामाजिक इंजीनियरिंग, कमज़ोर साइबर सुरक्षा प्रथाओं और सीमा पार नेटवर्क के माध्यम से भय और विश्वास का फायदा उठाते हैं। इसके जवाब में, भारत ने I4C, ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल, साइबर फॉरेंसिक लैब और व्यापक प्रशिक्षण एवं जागरूकता अभियानों जैसी पहलों के माध्यम से अपने साइबर अपराध बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। हालाँकि, ऐसे उभरते डिजिटल खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए निरंतर सतर्कता, जन जागरूकता और मजबूत कानून प्रवर्तन आवश्यक हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: 'डिजिटल गिरफ्तारी' जैसे डिजिटल घोटालों की बढ़ती घटनाएँ भारत में साइबर अपराध की विकसित होती प्रकृति को दर्शाती हैं। ऐसे घोटालों की सफलता के लिए जिम्मेदार अंतर्निहित कारकों की जाँच करें और उनका मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए उपायों का मूल्यांकन करें। [250 शब्द] [15 अंक]

भारतीय सेना का आधुनिकीकरण अभियान

चर्चा में क्यों: भारतीय सेना भविष्य की युद्ध चुनौतियों के लिए तैयारी करते हुए, हाइपरसोनिक हथियारों से लेकर सैनिक प्रणालियों तक, विभिन्न क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को बदलने के लिए एक व्यापक आधुनिकीकरण अभियान शुरू कर रही है।

आधुनिकीकरण के प्रमुख स्तंभ

- **अति-तीव्र और अत्यधिक युद्धाभ्यास योग्य हथियार प्रणालियाँ**
 - सेना की पहली प्राथमिकता "अति-तीव्र और अत्यधिक युद्धाभ्यास योग्य हथियार प्रणालियों" का विकास है।
 - इसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन, हाइपरसोनिक वायु-श्वास इंजन (HEB), और उन्नत चौथी, पाँचवीं और छठी पीढ़ी की मिसाइलें शामिल हैं।
 - इसका उद्देश्य "निवारक समीकरण को बदलना" है।
 - भारत ने हाल ही में एक नई मैक 8 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है।
- **परिशुद्ध-निर्देशित गोला-बारूद (PGM)**
 - पारंपरिक "डंप श्रेणी" गोला-बारूद से स्मार्ट, परिशुद्ध-निर्देशित गोला-बारूद में परिवर्तन पर ज़ोर दिया जा रहा है।
 - यह योजना विशेष रूप से लोडिंग गोला-बारूद और परिशुद्ध-निर्देशित गोला-बारूद पर केंद्रित है ताकि संपार्श्विक क्षति को कम किया जा सके और सेना की सर्जिकल स्ट्राइक क्षमताओं को बढ़ाया जा सके।
 - घरेलू विनिर्माण प्रयासों के उदाहरणों में शामिल हैं: भारतीय स्टार्टअप फ्लाईंग वेज डिफेंस एंड एयरोस्पेस द्वारा 100 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले लोडिंग गोला-बारूद का अनावरण, और भारतीय सेना द्वारा घरेलू निर्माता आइडियाफोर्ज से मिनी ड्रोन के लिए 16 मिलियन डॉलर का ऑर्डर देना।
- **निर्देशित ऊर्जा हथियार (DEW)**
 - सेना उच्च-ऊर्जा लेज़र और माइक्रोवेव सिस्टम जैसे निर्देशित ऊर्जा हथियारों में भारी निवेश कर रही है।
 - ये प्रणालियाँ ड्रोन रक्षा ड्रोन-रोधी अभियानों, मिसाइल-रोधी प्रणालियों और उपग्रह-रोधी क्षमताओं के लिए हैं।

- भारत अपनी ड्रोन-रोधी रक्षा को मजबूत करने के लिए स्वदेशी निर्देशित ऊर्जा हथियार हासिल करने की भी योजना बना रहा है।
- **इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और साइबर क्षमताएँ**
 - आधुनिक युद्ध की बदलती प्रकृति को समझते हुए, सेना मजबूत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और साइबर क्षमताओं को प्राथमिकता दे रही है।
 - "स्पेक्ट्रम प्रभुत्व क्षमता" की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, साथ ही ऐसी साइबर प्रणालियाँ भी हैं जो आक्रामक और रक्षात्मक दोनों प्रकृति की हों।
 - सेना अगली पीढ़ी के साइबर रक्षा उपकरणों, स्वायत्त इलेक्ट्रॉनिक युद्ध समाधानों और लचीले उपग्रह प्रणालियों की तलाश कर रही है ताकि अंतरिक्ष संपत्तियों पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा जा सके।
- **व्यक्तिगत सैनिक संवर्धन**
 - आधुनिकीकरण के चौथे स्तंभ के रूप में पहचाने जाने वाले एक महत्वपूर्ण फोकस, अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से व्यक्तिगत सैनिक संवर्धन पर है।
 - योजनाओं में एक्सोस्केलेटन, मानव संवर्द्धन प्रणालियाँ, स्मार्ट बॉडी आर्मर और संवर्धित वास्तविकता युद्धक्षेत्र प्रबंधन प्रणालियाँ विकसित करना शामिल है।
 - इसका उद्देश्य व्यक्तिगत सैनिकों को बढ़ी हुई चपलता, लचीलापन और सहनशक्ति से सशक्त बनाना है।
 - इसमें हेलमेट, परिधान और वास्तविक समय स्वास्थ्य निगरानी प्रणालियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का एकीकरण शामिल होगा।
 - सेना का लक्ष्य प्रत्येक सैनिक को डिजिटल ओवरले और उन्नत तकनीकों के माध्यम से उन्नत स्थितिजन्य जागरूकता प्रदान करना है, जिससे उनके आस-पास के वातावरण का लगभग पूर्ण ज्ञान सुनिश्चित हो सके।
- **रसद अवसंरचना परिवर्तन**
 - सेना कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), और एकीकृत प्लेटफॉर्म जैसी उन्नत तकनीकों को अपनाकर अपने रसद अवसंरचना में भी बदलाव ला रही है।
 - इस परिवर्तन में हरित और संधारणीय रसद, उन्नत साइबर सुरक्षा तंत्र, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएँ और उन्नत विनिर्माण तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है।

सहयोगात्मक दृष्टिकोण और आत्मनिर्भरता

- **हितधारकों के बीच तालमेल**
 - सफल आधुनिकीकरण के लिए तीन महत्वपूर्ण स्तंभों के बीच अभिसरण की आवश्यकता है: सैन्य उपयोगकर्ता स्पष्ट समस्या विवरण प्रदान करना, नीति निर्माता सहायक ढाँचे सक्षम करना, और उद्योग अभिनव समाधान प्रदान करना।
 - उद्योग भागीदार वे हैं जिन्हें "भारतीय सेना की इच्छाओं, आवश्यकताओं और ज़रूरतों को आकार देना चाहिए, जो पूरी तरह से परिचालनात्मक प्रकृति की हैं"।
- **नीति निर्माता समर्थन और पारिस्थितिकी तंत्र विकास**
 - सेना रक्षा प्रौद्योगिकी त्वरण निधि, त्वरित नियामक अनुमोदन और सरलीकृत खरीद चक्रों के लिए नीति निर्माताओं से सक्रिय रूप से समर्थन मांग रही है।
 - सैन्य-उद्योग सहयोग के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने हेतु तकनीकी केंद्र, नवाचार केंद्र और इनक्यूबेशन सुविधाएँ स्थापित करने का आह्वान किया जा रहा है।

आउटसोर्सिंग और घरेलू विनिर्माण

- सेना मुख्य सैन्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने का इरादा रखती है जबकि विशिष्ट पहलुओं को उद्योग विशेषज्ञों और दूरदर्शी लोगों को आउटसोर्स करना चाहती है।
- आधुनिकीकरण योजना सीधे तौर पर भारत की आत्मनिर्भरता रणनीति के अनुरूप है, जो क्षेत्रीय तनावों के कारण सैन्य उपकरण निर्माण को घरेलू स्तर पर स्थानांतरित करने के प्रयास से प्रेरित है।
- उल्लेखनीय घरेलू अधिग्रहणों में 156 स्थानीय रूप से निर्मित प्रचंड हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए 7.3 बिलियन डॉलर का सौदा शामिल है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत की सैन्य आधुनिकीकरण योजना के प्राथमिक उद्देश्यों और प्रमुख प्रौद्योगिकियों पर चर्चा करें। [150 शब्द] [10 अंक]

अपाचे हेलीकॉप्टर

चर्चा में क्यों: भारत अमेरिका से छह AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों में से पहले तीन प्राप्त करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

मुख्य विवरण

- शत्रुतापूर्ण युद्ध क्षेत्रों में विनाशकारी हमले करने के लिए डिज़ाइन किया गया, AH-64E अपाचे दुनिया के सबसे परिष्कृत अटैक हेलीकॉप्टरों में से एक है।
- अपाचे, जिसका उपयोग वर्तमान में अमेरिका, ब्रिटेन, इज़राइल, मिस्र और अब भारत की सैन्य बलों द्वारा किया जा रहा है, का निर्माण अमेरिकी रक्षा दिग्गज बोइंग द्वारा किया गया था।
- अपाचे में "सबसे आधुनिक संचार, नेविगेशन, सेंसर और हथियार प्रणालियाँ" स्थापित हैं।
- मज़बूत इंजन, मज़बूत रोटर ब्लेड और अत्याधुनिक उत्तरजीविता प्रणालियों की मदद से, यह युद्धक्षेत्र में चपलता और स्थायित्व का मिश्रण है।
- सबसे कठिन परिस्थितियों में भी, इसे नीचे उड़ने, तेज़ी से हमला करने और सुरक्षित रूप से वापस लौटने के लिए बनाया गया है।



अपाचे हेलीकॉप्टर की विशेषताएँ

- **शक्ति और चपलता:** बेहतर रोटर और इंजन प्रणालियाँ गति और गतिशीलता बढ़ाती हैं।

- **बेहतर लक्ष्य निर्धारण:** आधुनिक लक्ष्य प्राप्ति प्रणाली के साथ उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली इन्फ्रारेड इमेजिंग उपलब्ध है जो पायलटों को दिन और रात के समय, साथ ही उन स्थितियों में भी लक्ष्य का पता लगाने और उसे भेदने में मदद करती है जहाँ कोहरे, धूल या बारिश के कारण दृश्यता कम हो जाती है।
- **अग्नि नियंत्रण रडार:** चुनौतीपूर्ण युद्ध स्थितियों में, लॉन्गबो रडार सीधे तौर पर उजागर हुए बिना कई लक्ष्यों की पहचान और रैंकिंग कर सकता है।
- **नेटवर्किंग क्षमता:** अपाचे पायलट वास्तविक समय में डेटा साझा करने और यूएवी के साथ सहयोग करने की क्षमता के कारण हवा में ड्रोन को नियंत्रित कर सकते हैं।
- दुर्जेय 30 मिमी चेन गन, रॉकेट पॉड्स जो कई ज़मीनी लक्ष्यों को निशाना बना सकते हैं, और हेलफ़ायर मिसाइलें जो सटीक हमलों के लिए लेज़र और रडार द्वारा निर्देशित होती हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: निम्नलिखित में से किस देश से भारत 'अपाचे हेलीकॉप्टर' आयात करने वाला है?

- | | |
|------------|-------------|
| (a) फ्रांस | (c) अमेरिका |
| (b) रूस | (d) इज़राइल |

(C) 2022

अभ्यास तालिस्मन सेबर

चर्चा में क्यों: भारत ने 18 अन्य देशों के साथ, ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में आयोजित एक प्रमुख द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, तालिस्मन सेबर के 11वें संस्करण में भाग लिया।

अभ्यास के बारे में

- अभ्यास तालिस्मन सेबर ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा अभ्यास है।
- तालिस्मन सेबर ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच द्विपक्षीय रूप से डिज़ाइन किया गया है, और यह एक बहुपक्षीय रूप से नियोजित और संचालित अभ्यास है।
- यह अभ्यास 2005 से हर दो साल में आयोजित किया जाता रहा है।
- अभ्यास तालिस्मन सेबर 2025 (TS25) इस अभ्यास का 11वां और सबसे बड़ा आवर्तन है।
- इसमें एक लाइव फायर अभ्यास और फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास शामिल थे, जिसमें बल तैयारी गतिविधियाँ, उभयचर लैंडिंग, जमीनी बल युद्धाभ्यास और हवाई युद्ध और समुद्री अभियान शामिल थे।
- **स्थान:** TS25 ने कई स्थानों का उपयोग किया, जिनमें रक्षा और गैर-रक्षा प्रशिक्षण क्षेत्र दोनों शामिल हैं।
 - ये स्थान इस बात का वास्तविक परीक्षण प्रदान करते हैं कि एक विशाल सैन्य बल को संचालन के व्यापक क्षेत्र में कैसे कार्य करना चाहिए।
 - TS25 ने सैन्य अभियानों के सभी क्षेत्रों के लिए स्थानों और सीमाओं का लाभ उठाया: वायु, भूमि, समुद्री, अंतरिक्ष और साइबरस्पेस।
- **अभ्यास के मुख्य आकर्षण**
 - ऑस्ट्रेलियाई M142 उच्च गतिशीलता आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम (HIMARS) का पहला लाइव फायरिंग, जिसमें प्रिंसिजन स्ट्राइक मिसाइल का उपयोग भी शामिल है।

- एक समुद्री लक्ष्य के विरुद्ध SM-6 मिसाइल का उपयोग करके संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्य-सीमा क्षमता (MRC) का सफल भूमि-से-समुद्री मुकाबला।
- यूनाइटेड किंगडम के नेतृत्व वाले कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की भागीदारी, जो पहली बार किसी गैर-अमेरिकी विमानवाहक को टैलिसमैन सेबर में शामिल करता है।
- एक लंबी दूरी का संयुक्त बल प्रवेश अभियान जिसमें 11वें एयरबोर्न डिवीजन के 335 संयुक्त राज्य सेना के पैराट्रूपर्स को अलास्का से चार्टर्स टावर्स तक फ्रांसीसी और जर्मन पैराट्रूपर्स के साथ तैनात किया गया था।
- ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, कोरिया गणराज्य, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाओं को शामिल करते हुए बड़े पैमाने पर जल-थलचर अभियान।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: तालिस्मन सेबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है।
2. भारत ने 2023 में पहली बार तालिस्मन सेबर अभ्यास में भाग लिया।
3. यह अभ्यास मुख्य रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और मानवीय सहायता पर केंद्रित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (c) केवल 1 और 3
(b) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

(P) 2022

मिसाइल प्रौद्योगिकी में प्रगति

चर्चा में क्यों: स्वदेशी रूप से विकसित कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों - पृथ्वी-II और अग्नि-I - का सामरिक बल कमान के तत्वावधान में चांदीपुर (ओडिशा) स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।

मुख्य विवरण

- यह प्रगति भारतीय सेना द्वारा लद्दाख में स्वदेशी रूप से विकसित वायु रक्षा प्रणाली "आकाश प्राइम" के परीक्षणों के तुरंत बाद हुई है।
- यह दो दिवसीय परीक्षण पूर्वी लद्दाख में 15,000 फीट से अधिक की ऊँचाई पर सेना वायु रक्षा कोर द्वारा डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के सहयोग से किया गया।

विशेषताएँ	पृथ्वी II	अग्नि I
प्रकार	कम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल	कम/ मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल
रेंज	250-350 किमी	700-900 किमी
पेलोड	500-1000 किग्रा	~1000 किग्रा
प्रणोदन	तरल ईंधन	ठोस ईंधन
नेविगेशन	उन्नत जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली	उन्नत इलेक्ट्रॉनिक और जड़त्वीय नेविगेशन
पेलोड प्रकार	परमाणु और परम्परागत	परमाणु और परम्परागत

परीक्षणों का महत्व:

- यह दर्शाता है कि भारत की सामरिक मिसाइल क्षमताएँ पूरी तरह कार्यात्मक और विश्वसनीय हैं।
- भारत की परमाणु सिद्धांत के अनुरूप उसकी निवारक रणनीति को सुदृढ़ करता है।
- आत्मनिर्भरता और बढ़ी हुई तत्परता पर भारत के फोकस पर प्रकाश डालता है।
- क्षेत्रीय सुरक्षा खतरों के सामने भारत की तकनीकी और रणनीतिक बढ़त को मजबूत करता है।

गति के आधार पर मिसाइलों के प्रकार

सबसोनिक मिसाइल	वे मिसाइलें जो ध्वनि से धीमी गति से चलती हैं।	उदाहरण: पृथ्वी
सुपरसोनिक मिसाइल	वे मिसाइलें जो ध्वनि की गति (मैक 1) से तेज चलती हैं लेकिन मैक 5 से कम।	उदाहरण: ब्रह्मोस
हाइपरसोनिक मिसाइल	मिसाइलों की गति ध्वनि की गति से कम से कम पाँच गुना तेज होनी चाहिए (मैक 5 से अधिक)।	उदाहरण: शौर्य/सागरिका

रक्षा में मिसाइलों का महत्व

- **सटीक हमले:** ये मिसाइलें उच्च सटीकता और गति के साथ लंबी दूरी पर स्थित लक्ष्यों पर प्रहार करने का साधन प्रदान करती हैं।
- **प्रतिरोध:** मिसाइलें, विशेष रूप से वे जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं, किसी देश की विनाशकारी शक्ति से जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- **प्रति-बल क्षमताएँ:** मिसाइलों का उपयोग दुश्मन की सैन्य क्षमताओं को निष्क्रिय करने के लिए किया जा सकता है, जिसमें कमांड और नियंत्रण केंद्र, एयरबेस और मिसाइल प्रक्षेपण स्थल शामिल हैं, जिससे हमले का जवाब देने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** प्रभावी मिसाइल रक्षा प्रणालियाँ, जैसे भारत का बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा (BMD) कार्यक्रम, प्रमुख संपत्तियों और जनसंख्या केंद्रों को मिसाइल हमलों से बचाता है और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाता है।

प्रक्षेपण मोड के आधार पर मिसाइलों के प्रकार

सतह से सतह	भूमि आधारित प्लेटफार्मों से लक्ष्य पर हमला करने के लिए प्रक्षेपित। उदाहरण: पृथ्वी, अग्नि और ब्रह्मोस
सतह से हवा	हवा में खतरों (जैसे विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन) को रोकने के लिए भूमि से प्रक्षेपित। उदाहरण: आकाश, MRSAM
हवा से सतह	जमीनी लक्ष्यों पर हमला करने के लिए हवा से प्रक्षेपित। उदाहरण: रुद्र हेलीकॉप्टर से दागी गई हेलिना एंटी-टैंक मिसाइल
हवा से हवा	शत्रुतापूर्ण हवाई लक्ष्यों के खिलाफ विमान से प्रक्षेपित। उदाहरण: तेजस से दागी गई अस्त्र BVR हवा से हवा मिसाइल
जहाज से जहाज (Ship to Ship)	पनडुब्बियों/युद्धपोतों से दागी गई नौसैनिक एंटी-शिप मिसाइलें। उदाहरण: जहाजों से दागी गई ब्रह्मोस एंटी-शिप क्रूज मिसाइल

जहाज से हवा	बेड़े की वायु रक्षा के लिए नौसैनिक सतह से हवा मिसाइलें। उदाहरण: जहाजों पर तैनात बराक-8 LR-SAM
पनडुब्बी से दागी गई	पनडुब्बियों से दागी गई। उदाहरण: K-15 पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल
कंधे से दागी गई	लॉन्चरों से दागी गई मानव पोर्टेबल मिसाइलें। उदाहरण: FIM-92 स्टिंगर और इगला कंधे से दागी गई SAMs

आकाश प्राइम

- यह आकाश मिसाइल प्रणाली का उन्नत संस्करण है।
- इसमें विभिन्न भूभागों और मौसम स्थितियों में सटीकता में सुधार के लिए घरेलू रूप से विकसित सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी (आरएफ) सीकर शामिल है।
- इसे शुरुआत में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए तैनात किया गया था।
- इस प्रणाली को मध्यम दूरी की, सतह से हवा में मार करने वाली रक्षा प्रणाली के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसका उद्देश्य गतिशील और स्थिर दोनों प्रकार की संपत्तियों की सुरक्षा करना है।
- आकाश प्रणाली की विशेषता यह है कि यह विभिन्न सेंसरों से प्राप्त वास्तविक समय के डेटा का उपयोग करके एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है।
- यह 4,500 मीटर तक की ऊँचाई पर प्रभावी ढंग से कार्य करती है और 25 से 30 किलोमीटर दूर स्थित खतरों को निशाना बनाने में सक्षम है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- पृथ्वी-II एक परमाणु-सक्षम, कम से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है।
- पृथ्वी-II सटीक लक्ष्यीकरण के लिए जड़त्वीय नेविगेशन के साथ एक द्रव प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

(9) 2022

आईएनएस निस्तार

चर्चा में क्यों: हाल ही में, भारतीय नौसेना ने आईएनएस निस्तार (डाइविंग सपोर्ट वेसल) को नौसेना में शामिल किया है।

मुख्य विवरण

- गहरे समुद्र में गोताखोरी और पनडुब्बी बचाव अभियानों में सहायता के लिए, यह जहाज पूर्वी नौसेना कमान में शामिल होगा।
- यह जहाज भारत सरकार के आत्मनिर्भरता पर अटूट ध्यान और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है।

- यह महत्वाकांक्षी, अद्वितीय और अत्याधुनिक जहाज 120 एमएसएमई की मदद से बनाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 80% से अधिक सामग्री स्वदेशी है।

मुख्य विशेषताएं

- जहाज का संस्कृत नाम "निस्तार" का अर्थ है "मुक्ति", "बचाव", या "मोक्ष"।
- आकार और क्षमता विनिर्देश:** अत्याधुनिक डाइविंग उपकरणों से सुसज्जित, 118 मीटर लंबा यह पोत, जिसका भार लगभग 10,000 टन है, 300 मीटर की गहराई तक गहरे समुद्र में संतृप्ति डाइविंग कर सकता है।
- निर्माण दिशानिर्देश:** युद्धपोत का डिज़ाइन और निर्माण भारतीय नौवहन रजिस्टर (IRS) के वर्गीकरण दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।
- गहरे समुद्र में बचाव:** अपनी उच्च विशेषज्ञता के कारण, यह पोत बचाव अभियान और गहरे समुद्र में डाइविंग कर सकता है, जो दुनिया भर में केवल कुछ ही पोत कर पाते हैं।
- आदर्श वाक्य:** "सुरक्षित यथार्थ शौर्यम्", जिसका अर्थ है "सटीकता और बहादुरी के साथ उद्धार", जहाज के प्राथमिक कार्यों को उचित रूप से दर्शाता है।
- विशेष विशेषताएँ:** विशाल जहाज पर डाइविंग परिसर, जिसमें पानी के भीतर दूर से संचालित वाहन (आरओवी), साइड स्कैन सोनार, और वायु एवं संतृप्ति डाइविंग प्रणालियाँ शामिल हैं, जहाज के परिचालन क्षेत् का महत्वपूर्ण रूप से विस्तार करता है।
- जहाज पर स्वास्थ्य सेवा:** अपनी परिचालन ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, जहाज एक ऑपरेशन थिएटर, एक गहन चिकित्सा इकाई, आठ बिस्तरों वाला अस्पताल और हाइपरबेरिक चिकित्सा सुविधाओं से भी सुसज्जित है।
- संचालन का नेतृत्व:** पनडुब्बी आपात स्थिति की स्थिति में, जहाज गहरे जलमग्न बचाव पोत (डीएसआरवी) के लिए "मदर शिप" के रूप में भी कार्य करेगा, जो कर्मियों को बचाएगा और निकालेगा।

निष्कर्ष

पानी के भीतर के क्षेत्र में भारत की परिचालन तत्परता में सुधार के अलावा, निस्तार का जलावतरण और भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान में इसका एकीकरण पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक समुद्री स्थिति को मजबूत करेगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया गया 'आईएनएस निस्तार', क्या है?

- (a) लंबी दूरी के हमले के लिए डिज़ाइन किया गया एक विमानवाहक पोत
(b) गहरे समुद्र और पनडुब्बी बचाव अभियानों के लिए एक गोताखोरी सहायक पोत
(c) सामरिक निवारण के लिए एक परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी
(d) समुद्र तल के मानचित्रण के लिए एक समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत

(9) 2022

आदिवासी महिलाओं के पैतृक अधिकार

चर्चा में क्यों: सर्वोच्च न्यायालय ने आदिवासी महिलाओं और उनके उत्तराधिकारियों के लिए समान पैतृक संपत्ति अधिकारों की पुष्टि की।

मुख्य विवरण

- राम चरण एवं अन्य बनाम सुखराम एवं अन्य (2025 आईएनएससी 865) में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर विचार किया कि क्या एक आदिवासी महिला या उसके कानूनी उत्तराधिकारी पैतृक संपत्ति में समान हिस्सेदारी का दावा कर सकते हैं जहाँ न तो कोई संहिताबद्ध कानून है और न ही कोई सिद्ध प्रथा है जो ऐसा अधिकार प्रदान या अस्वीकार करती हो।
- यह विवाद तब उत्पन्न हुआ जब एक आदिवासी व्यक्ति के छह बच्चों (पाँच बेटे और एक बेटी) में से एक, धैया को परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित कर दिया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय

अधीनस्थ न्यायालय, उसके बाद अपीलीय न्यायालय और बाद में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने धैया के दावे के खिलाफ निर्णय सुनाया, जिसमें तर्क दिया गया कि महिला उत्तराधिकार की अनुमति देने वाला कोई प्रथागत कानून स्थापित नहीं है और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, धारा 2(2) के तहत अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की मुख्य बातें

- **सबूत का भार गलत:** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अधीनस्थ न्यायालयों ने गलत तरीके से एक बहिष्करणकारी प्रथा मान ली और इसे गलत साबित करने का भार धैया पर डाल दिया। पीठ ने इसके विपरीत टिप्पणी की—बहिष्करण की सिद्ध प्रथा के बिना, समावेशन को खारिज नहीं किया जाना चाहिए।
- **न्याय, समता और सद्बिवेक का प्रयोग:** किसी भी शासकीय कानून या प्रथा के अभाव में, न्यायालय ने न्याय, समता और सद्बिवेक के सिद्धांतों को लागू किया, जैसा कि केंद्रीय प्रांतीय विधि अधिनियम, 1875 की धारा 6 में निहित है।
- **निरसन के बावजूद वैधता:** यद्यपि 1875 के अधिनियम को 2018 में निरस्त कर दिया गया था, न्यायालय ने माना कि इसके बचत खंड ने उपार्जित अधिकारों की रक्षा की। धैया के उत्तराधिकार के अधिकार मुकदमे से लगभग 30 साल पहले ही निहित हो गए थे, और इस प्रकार वैध बने रहे।
- **संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन:** लैंगिक आधार पर उत्तराधिकार से इनकार करना, खासकर जब प्रथा मौन हो, “लिंग विभाजन और भेदभाव को बढ़ाता है।” न्यायालय ने कहा कि यह अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता), अनुच्छेद 15(1) (लैंगिक आधार पर भेदभाव का निषेध) और साथ ही अनुच्छेद 38 और 46 का उल्लंघन करता है, जो सामाजिक न्याय और महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हैं।
- **निर्णय का परिणाम:** सर्वोच्च न्यायालय ने सभी पूर्ववर्ती निर्णयों को रद्द कर दिया और पुष्टि की कि धैया के कानूनी उत्तराधिकारी पैतृक संपत्ति में समान हिस्से के हकदार हैं।

निर्णय का महत्व

- **जनजातीय समुदायों में लैंगिक न्याय के लिए मील का पत्थर:** यह निर्णय प्रथागत कानून में पितृसत्तात्मक मान्यताओं को खारिज करता है और पुष्टि करता है कि संवैधानिक समानता समान रूप से लागू होती है, यहाँ तक कि बिना संहिताबद्ध कानून वाले जनजातीय उत्तराधिकार के मामलों में भी।
- **भविष्य के मामलों के लिए मिसाल:** यह निर्णय एक न्यायशास्त्रीय सिद्धांत स्थापित करता है जहाँ न तो कानून और न ही प्रथा स्पष्ट रूप से अपवर्जित करती है, वहाँ महिलाओं (और उनके उत्तराधिकारियों) को संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए - यह कदम संभवतः भारत भर में असंख्य आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाएगा।
- **संवैधानिक नैतिकता की पुष्टि:** यह निर्णय इस बात पर बल देता है कि प्रथाएँ मौलिक अधिकारों पर हावी नहीं हो सकतीं, खासकर जब प्रथाएँ मौन, अस्पष्ट या भेदभावपूर्ण हों।

सारांश

- राम चरण बनाम सुखराम में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अनुसूचित जनजातियों के बीच संपत्ति के अधिकारों और लैंगिक समानता के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है।
- संवैधानिक मूल्यों और न्यायसंगत सिद्धांतों को लागू करके, न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया कि आदिवासी महिलाओं और उनके उत्तराधिकारियों को पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार से अन्यायपूर्ण रूप से वंचित न किया जाए, भले ही इसके विपरीत कोई स्पष्ट कानून या प्रथा मौजूद न हो।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: राम चरण एवं अन्य बनाम सुखराम एवं अन्य में सर्वोच्च न्यायालय के 2025 के निर्णय के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संहिताबद्ध कानून या सिद्ध प्रथा के अभाव में, न्याय, समता और अच्छे विवेक के सिद्धांतों को अनुसूचित जनजातियों के बीच उत्तराधिकार विवादों के समाधान के लिए लागू किया जा सकता है।
2. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 स्वतः ही सभी आदिवासी समुदायों पर लागू होता है, जब तक कि वे किसी प्रथागत कानून के माध्यम से विशेष रूप से इससे बाहर निकलने का विकल्प न चुनें।
3. न्यायालय ने निर्णय दिया कि जब प्रथाएँ मौन हों, तो महिलाओं को उत्तराधिकार से बाहर करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 15(1) का उल्लंघन है।
4. मध्य प्रांत विधि अधिनियम, 1875 के तहत निहित अधिकार, 2018 में इसके निरस्त होने से पहले, इसके बचत खंड के तहत संरक्षित हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 3 (c) केवल 2, 3 और 4
(b) केवल 1, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

(9) २५६

दिव्यांगजनों के अनुकूल जेलों का अभाव

चर्चा में क्यों: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया है कि दिव्यांग कैदियों को जेलों में बुनियादी देखभाल से वंचित करना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

मुख्य विवरण

- एल. मुरुगनाथम बनाम तमिलनाडु राज्य मामले से उत्पन्न यह महत्वपूर्ण निर्णय इस बात पर जोर देता है कि अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन के अधिकार में सम्मान, मानवीय व्यवहार और पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा का अधिकार भी सम्मिलित है, यहाँ तक कि सुधार संस्थानों में भी।
- न्यायालय ने आगे बताया कि इस तरह का इनकार अनुच्छेद 14 के तहत अप्रत्यक्ष भेदभाव के बराबर है और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD अधिनियम) का उल्लंघन करता है।

न्यायालय ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि:

- प्रक्रियात्मक बाधाएँ:**
 - प्रवेश के समय दिव्यांग कैदियों की पहचान करें।
 - उन्हें जेल जीवन के बारे में सरल और सुलभ प्रारूप (सांकेतिक भाषा, ब्रेल, आदि) में जानकारी प्रदान करें।
 - विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अनुरूप जेल नियमावली को अद्यतन करें।
 - महिला और ट्रांसजेंडर कैदियों को विशिष्ट कानूनी या नीतिगत ढाँचे के साथ न्यूनतम सुरक्षा प्रदान करें जो विकलांग व्यक्तियों के लिए सम्मान, पहुँच और सुरक्षा की गारंटी देता हो।
- भौतिक पहुँच:**
 - जेल अधिकारियों को विकलांगों की चिकित्सीय आवश्यकताओं के लिए व्हीलचेयर-अनुकूल स्थान, सुलभ शौचालय, रैंप और समर्पित स्थान प्रदान करने चाहिए।
- विशेष सहायता:**
 - जेल सुविधाएँ गतिशीलता, संवेदी या संज्ञानात्मक अक्षमताओं वाले व्यक्तियों के लिए सुलभ होनी चाहिए।
 - आवश्यक दैनिक गतिविधियों जैसे नहाने, कपड़े पहनने या खाने में मदद के लिए प्रशिक्षित देखभालकर्ता उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

भारत न्याय रिपोर्ट 2025

- रिपोर्ट में भारत की जेलों में अत्यधिक भीड़भाड़, कम कर्मचारी और अपर्याप्त वित्त पोषण को प्रमुख मुद्दों के रूप में उजागर किया गया है, और विचाराधीन कैदियों की संख्या जेल की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है।
- रिपोर्ट बताती है कि कई जेलें अपनी क्षमता से कहीं अधिक क्षमता से चल रही हैं, कुछ में कैदियों की संख्या उनके लिए निर्धारित संख्या से चार गुना अधिक है, और पुनर्वास पर ध्यान देना लगभग बंद कर दिया गया है।

- भीड़भाड़:** रिपोर्ट से पता चलता है कि राष्ट्रीय औसत जेल अधिभोग दर 131% है, और 176 जेलें 200% या उससे अधिक क्षमता पर चल रही हैं।
- विचाराधीन कैदी:** जेल की आबादी का 76% विचाराधीन कैदियों से बना है, जिनमें से कई को उनके कथित अपराध के लिए संभावित सजा से अधिक समय तक कैद रखा गया है।
- अपर्याप्त वित्तपोषण:** प्रति कैदी औसत दैनिक व्यय बहुत कम है, जो जेल संचालन, रखरखाव और कैदी कल्याण के लिए अपर्याप्त वित्तपोषण को दर्शाता है।
- स्टाफ की कमी:** जेल कर्मचारियों की भारी कमी है, जिसमें सुधार अधिकारी, चिकित्सा कर्मी और अन्य आवश्यक कर्मचारी सम्मिलित हैं।
- हिरासत में मौतें:** रिपोर्ट में 2017 और 2022 के बीच हिरासत में प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों तरह की मौतों में वृद्धि का उल्लेख किया गया है।
- कमज़ोर कानूनी सहायता:** रिपोर्ट में कानूनी सहायता सेवाओं से जुड़ी समस्याओं की ओर भी इशारा किया गया है, जिनमें प्रति व्यक्ति कम खर्च, कम कर्मचारी, और पैरालीगल स्वयंसेवकों की संख्या में गिरावट सम्मिलित है।

भारत कारागार सांख्यिकी (PSI) रिपोर्ट 2022

- PSI रिपोर्ट राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा संकलित की जाती है।
- भारत की जेलों में कैदियों की संख्या 573,220 है।
- हालाँकि, उपलब्ध जेल क्षमता केवल 4.3 लाख है, और 2030 तक केवल 5.15 लाख होने का अनुमान है।
- राष्ट्रीय अधिभोग दर 131% है, जो 2012 के 112% से काफ़ी ज़्यादा है।
- 75% कैदी विचाराधीन हैं (मुकदमे की प्रतीक्षा में, दोषी नहीं)।
- 66% से ज़्यादा कैदी हाशिए पर पड़े जाति समूहों (एससी, एसटी, ओबीसी) से हैं।
- विकलांग कैदियों पर कोई आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं है।

कानूनी और मानवाधिकार ढाँचा

- 2016 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुसार, विकलांग व्यक्तियों, जिनमें सुधारात्मक सुविधाओं में रहने वाले लोग भी सम्मिलित हैं, के लिए सुलभता और उचित आवास प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।
- विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (यूएनसीआरपीडी) और नेल्सन मंडेला नियम इस बात पर और जोर देते हैं कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विकलांग व्यक्तियों को जेल सुविधाओं तक उचित पहुँच मिले।

परिणाम

- विकलांग कैदियों को अक्सर दोहरी सज़ा भुगतनी पड़ती है, अपनी दोषसिद्धि के परिणामों से जूझते हुए खराब जीवन स्थितियों से भी जूझना पड़ता है।
- पहुँच और सहायता के अभाव के परिणामस्वरूप दूसरों पर अधिक निर्भरता, अलगाव की भावना और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी संघर्ष हो सकते हैं।
- उचित सुविधाएँ न देना एक प्रकार के क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार के रूप में देखा जा सकता है।

सिफ़ारिशें और पहल

- आदर्श कारागार अधिनियम, 2023 में विकलांग कैदियों के लिए नियम सम्मिलित हैं, जो गैर-भेदभाव, पहुँच और कर्मचारियों के लिए उचित प्रशिक्षण पर जोर देते हैं।
- गृह मंत्रालय ने जेल सुविधाओं में सुगम्यता बढ़ाने और मानवीय व्यवहार की गारंटी देने के लिए सलाह और दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

- विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016, विकलांग व्यक्तियों, यहाँ तक कि जेल में बंद लोगों के लिए भी, समान अधिकार और लाभ सुनिश्चित करता है।
- व्यक्तियों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना विकलांग व्यक्तियों के लिए (NAP-SDP) को विकलांग व्यक्तियों, जिनमें जेल में बंद व्यक्ति भी सम्मिलित हैं, के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- स्वतंत्र संगठनों द्वारा नियमित ऑडिट और निरीक्षण के लिए प्रणालियाँ स्थापित करने से जवाबदेही और मानकों के अनुपालन को बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
- राज्यों को विकलांग कैदियों के लिए मानवीय और सुलभ परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा करना आवश्यक है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: “विकलांग कैदियों के अधिकार और कल्याण भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक उपेक्षित क्षेत्र बने हुए हैं।” भारत में विकलांग कैदियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में वर्तमान कानूनी और संस्थागत ढाँचों की पर्याप्तता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। विकलांग कैदियों के साथ समावेशी और मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाइए। [250 शब्द] [15 अंक]

भारत में वरिष्ठ नागरिकों का स्वास्थ्य

चर्चा में क्यों: वृद्धावस्था और वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के प्रति भारत के दृष्टिकोण में एक मौलिक बदलाव की आवश्यकता है।

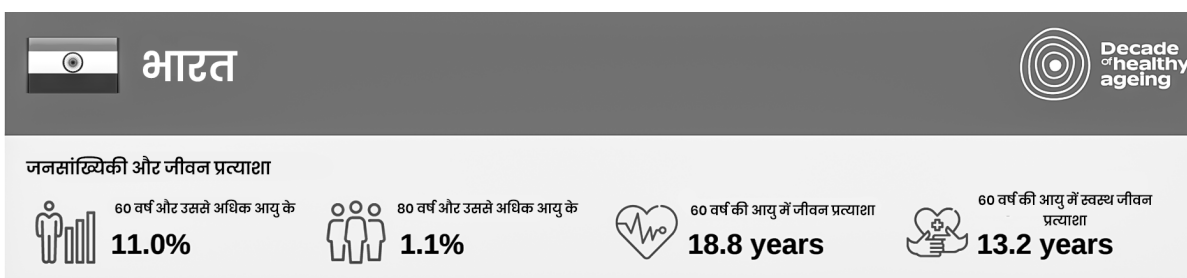
मुख्य विवरण:

- 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 104 मिलियन वृद्ध लोग (60+ वर्ष) हैं, जो कुल जनसंख्या का 8.6% हैं।
- अनुमान है कि 2030 तक देश में 19.3 करोड़ बुजुर्ग होंगे, जो कुल जनसंख्या का लगभग 13% होगा।
- यूएनएफपीए रिपोर्ट 2023 के अनुसार, देश में बुजुर्ग जनसंख्या का प्रतिशत 2050 तक दोगुना होकर कुल जनसंख्या का 20% से अधिक होने का अनुमान है।

वरिष्ठ नागरिक (वृद्धों) की परिभाषा

संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक बुजुर्ग व्यक्ति को 60 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति माना जाता है। जनसंख्या के बुजुर्ग वर्ग को तीन मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

- 60-75 वर्ष की आयु: युवा - वृद्ध
- 75-85 वर्ष की आयु: बुजुर्ग - वृद्ध
- 85 वर्ष और उससे अधिक: अतिबुजुर्ग - वृद्ध



डेटा स्रोत: डब्ल्यूएचओ - वैश्विक स्वास्थ्य अनुमान (जीएचई) (2019), संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग (2024)

वरिष्ठ नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार

- 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 6 में से 1 व्यक्ति ने सामुदायिक परिवेश में किसी न किसी प्रकार के दुर्व्यवहार का अनुभव किया है।
- वरिष्ठ नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार की दर नर्सिंग होम और दीर्घकालिक देखभाल सुविधाओं जैसे संस्थानों में अधिक है।
- वरिष्ठ नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार से गंभीर शारीरिक चोटें और दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक परिणाम हो सकते हैं।

वरिष्ठ नागरिकों का मानसिक स्वास्थ्य

- अकेलापन और सामाजिक अलगाव बाद के जीवन में मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के लिए प्रमुख जोखिम कारक हैं।
- 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 14% वयस्क मानसिक विकार के साथ रहते हैं।
- वरिष्ठ नागरिकों में मानसिक विकार इस आयु वर्ग के लिए विकलांगता के साथ बिताए गए कुल वर्षों का 10.6% हिस्सा है।



वरिष्ठ नागरिकों में मृत्यु के शीर्ष 10 कारण और विकलांगता के साथ जीए गए वर्ष

रैंक	मृत्यु के कारण	विकलांगता के कारण स्वस्थ जीवन के वर्षों के नुकसान के कारण
1	हृदय रोग	इंद्रिय अंग रोग
2	अरक्तताजन्य रोग	पेशीकंकाली रोग
3	श्वसन संबंधी रोग	अनजाने में लगी चोटें
4	लंबे समय तक फेफड़ों में रुकावट	मानसिक और मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकार
5	संक्रामक और परजीवी रोग	श्वसन संबंधी रोग
6	प्राणघातक मूजन	मधुमेह
7	आघात	असंशोधित अपवर्तक त्रुटियाँ
8	दस्त संबंधी रोग	अन्य श्रवण हानि
9	अनजाने में लगी चोटें	लंबे समय तक फेफड़ों में रुकावट
10	रक्तस्रावी स्ट्रोक	मोतियाबिंद

वृद्धावस्था में योगदान देने वाले प्रमुख कारक

- **दीर्घायु में वृद्धि:** विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 2000 में 62.1 वर्ष से बढ़कर 2025 में 70.82 वर्ष हो गई है।
- **बेहतर पोषण और जीवन स्तर:** बेहतर जीवन स्थितियों, जैसे स्वच्छ जल, स्वच्छता और बेहतर पोषण तक पहुँच ने जीवनकाल बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- **सामाजिक-आर्थिक विकास:** महिलाओं में बढ़ी हुई शैक्षिक उपलब्धि, कार्यबल में अधिक भागीदारी और विवाह में देरी ने प्रजनन दर में गिरावट में योगदान दिया है।

वरिष्ठ नागरिक जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियाँ

- स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच।
- स्वास्थ्य समस्याएँ जैसे दीर्घकालिक बीमारियाँ (मधुमेह, गठिया, उच्च रक्तचाप), संज्ञानात्मक गिरावट (मनोभ्रंश, अल्जाइमर) और गतिशीलता संबंधी समस्याएँ (हड्डियों का कमजोर होना)।
- मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियाँ जैसे अवसाद और चिंता।
- वित्तीय चुनौतियाँ जैसे बढ़ती स्वास्थ्य लागत, सेवानिवृत्ति योजना का न होना, आर्थिक मदद के लिए परिवार के सदस्यों पर निर्भर रहना।
- सामाजिक बहिष्कार और अकेलापन।

भारत में किए गए उपाय

- वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीएचसीई)।
- गरिमापूर्ण पुनर्रोज़गार हेतु वरिष्ठ सक्षम नागरिक (एसएसीआरईडी) कार्यक्रम।
- वरिष्ठ देखभाल वृद्धावस्था विकास इंजन (एसएजीई)।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)
- राष्ट्रीय वृद्धावस्था संस्थान (NIA)
- माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (IPOP)
- वयोश्रेष्ठ सम्मान

अंतर्राष्ट्रीय प्रयास

- वियना अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना (1982)
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए संयुक्त राष्ट्र सिद्धांत (1991)
- मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय वृद्धावस्था कार्य योजना (2002)
- संयुक्त राष्ट्र की स्वस्थ वृद्धावस्था दशक पहल (2021-2030)

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: “भारत समृद्ध होने से पहले ही वृद्ध हो रहा है।” इस कथन के आलोक में, भारत में तेजी से वृद्ध होती जनसंख्या द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बुजुर्गों के लिए एक सम्मानजनक और उत्पादक जीवन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नीतिगत उपायों पर चर्चा करें। [250 शब्द] [15 अंक]

सोशल मीडिया विनियमन

चर्चा में क्यों: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की, विशेष रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर।

मुख्य विवरण

- **सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार:**
 - नागरिकों को विभाजनकारी और अपमानजनक सामग्री पर अंकुश लगाने के लिए आत्म-संयम और विनियमन का प्रयोग करने की आवश्यकता है।
 - न्यायालय ने हानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने पर भी विचार किया।
 - न्यायालय ने ऑनलाइन अभद्र भाषा और गलत सूचना के बढ़ते मुद्दे से निपटने के लिए एक सक्रिय न्यायिक दृष्टिकोण का संकेत दिया।
- पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार उचित प्रतिबंधों के साथ आता है।
- पीठ ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य सेंसरशिप लगाना नहीं था, बल्कि भाईचारे, धर्मनिरपेक्षता और व्यक्तिगत गरिमा को बढ़ावा देना था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है, जो मुख्य रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर केंद्रित है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग के प्रभाव:

- **मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ:** चिंता और अवसाद, नींद में खलल आदि।
- **गलत सूचना और फर्जी खबरें:** गलत जानकारी, अफवाहों और षड्यंत्र के सिद्धांतों के प्रसार के वास्तविक दुनिया में गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
- **आमने-सामने की बातचीत में कमी:** सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय बिताने से वास्तविक जीवन में सामाजिक संपर्क कम हो सकते हैं, जिससे सामाजिक कौशल और रिश्तों पर असर पड़ सकता है।
- **गोपनीयता संबंधी चिंताएँ:** उचित गोपनीयता सेटिंग्स के बिना, व्यक्तियों को पहचान की चोरी, डेटा उल्लंघन और शोषण जैसे जोखिम हो सकते हैं।
- **करियर पर प्रभाव:** सोशल मीडिया पर अनुचित सामग्री पोस्ट करना या गैर-पेशेवर व्यवहार करना किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है और करियर की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है।
- **FOMO:** दूसरों के प्रतीत होने वाले परफेक्ट जीवन के लगातार संपर्क में रहने से FOMO (छूट जाने का डर) हो सकता है, जिससे चिंता और सोशल मीडिया की लगातार जाँच होती है।
- **कम तकनीक-प्रेमी व्यक्ति:** डिजिटल विभाजन, ऑनलाइन घोटालों और गलत सूचनाओं के प्रति संवेदनशीलता, तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण गोपनीयता संबंधी चिंताएँ।

सोशल मीडिया विनियम

- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम):** आईटी अधिनियम के अधीनस्थ कानूनों में मध्यस्थ दिशानिर्देश नियम 2011 और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 सम्मिलित हैं।
- **आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69A:** यह अधिनियम केंद्र सरकार को विशिष्ट परिस्थितियों में कंप्यूटर संसाधनों पर सूचना तक सार्वजनिक पहुँच को अवरुद्ध करने के निर्देश जारी करने का अधिकार देता है।
- **आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79(1):** यह अधिनियम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे मध्यस्थों को उनके द्वारा होस्ट या प्रसारित की जाने वाली तृतीय-पक्ष सामग्री के लिए उत्तरदायित्व से एक "सुरक्षित आश्रय" प्रदान करता है।

मौलिक अधिकारों का क्षेत्रीय अनुप्रयोग

- कौशल किशोर मामले (2023) ने मौलिक अधिकारों के क्षेत्रीय अनुप्रयोग को मान्यता दी, जिसका अर्थ है कि अनुच्छेद 19 न केवल राज्य के विरुद्ध (ऊर्ध्वधर अनुप्रयोग) बल्कि अन्य नागरिकों के विरुद्ध भी (क्षेत्रीय अनुप्रयोग) लागू करने योग्य है।

न्यायमूर्ति ए. एस. ओका ने इस बात पर जोर दिया कि घृणास्पद भाषण सामाजिक सद्भाव को बाधित करते हैं और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दंडनीय हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की उपयोगिता में सुधार के उपाय

- डिजिटल साक्षरता पहल:** उपयोगकर्ताओं को गलत सूचना और ऑनलाइन उत्पीड़न को पहचानने और उसका समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए व्यापक डिजिटल साक्षरता शिक्षा की स्थापना।
- एआई मॉडरेशन समाधान:** अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए हानिकारक सामग्री की शीघ्र पहचान और उसे समाप्त करने हेतु सामग्री मॉडरेशन हेतु परिष्कृत एआई उपकरण बनाना।
- सकारात्मक सामग्री निर्माण को प्रोत्साहित करना:** सूचनात्मक, शैक्षिक या समुदाय-सुधारक सामग्री बनाने वाले उपयोगकर्ताओं को पुरस्कृत करने हेतु प्रणालियाँ शुरू करना। भारत का राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है।

आगे की राह

- केंद्र सरकार को हानिकारक और विभाजनकारी सोशल मीडिया सामग्री को विनियमित करने के उद्देश्य से दिशानिर्देश स्थापित करने चाहिए, जिससे संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए इन चिंताओं से निपटने के लिए न्यायिक प्रतिबद्धता प्रदर्शित हो।
- इन सरकारी दिशानिर्देशों को जन जागरूकता बढ़ाकर, शिक्षा को बढ़ावा देकर और स्व-नियमन को प्रोत्साहित करके व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक सद्भाव के बीच एक सावधानीपूर्वक संतुलन बनाना चाहिए। देश लोकतंत्र और बंधुत्व के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए नफरत भरे भाषण और गलत सूचना को कम करने का प्रयास कर सकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार, अनुच्छेद 19(1)(a) में निहित 'वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है:

1. प्रसारण का अधिकार
2. मौन रहने की स्वतंत्रता
3. हड़ताल का अधिकार
4. वाणिज्यिक विज्ञापनों की स्वतंत्रता

नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1, 2 और 3 (c) केवल 1, 2 और 4
(b) केवल 2, 3 और 4 (d) उपर्युक्त सभी

(C) 2024

मैनोस्फेयर

चर्चा में क्यों: ऑनलाइन समुदायों का एक बढ़ता हुआ नेटवर्क, जिसे सामूहिक रूप से "मैनोस्फेयर" के रूप में जाना जाता है, लैंगिक समानता के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में उभर रहा है, लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए समर्पित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने चेतावनी दी है।

मैनोस्फेयर क्या है?

- मैनोस्फेयर उन ऑनलाइन समुदायों के लिए एक व्यापक शब्द है, जिन्होंने पुरुष होने के अर्थ की संकीर्ण और आक्रामक परिभाषाओं को तेजी से बढ़ावा दिया है – और यह गलत धारणा फैलाई है कि नारीवाद और लैंगिक समानता पुरुषों के अधिकारों की कीमत पर आई है।
- ये समूह इस धारणा का प्रचार करते हैं कि एक पुरुष का मूल्य उसके प्रभुत्व, विशेष रूप से महिलाओं पर उसके प्रभुत्व, भौतिक संपदा, भावनात्मक नियंत्रण और शारीरिक रूप से निर्धारित होता है।
- मैनोस्फेयर डेटिंग ऐप्स, गेमर समुदायों, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया और लगभग किसी भी अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पुरुष दर्शकों को लक्षित करता है।

मैनोस्फीयर के उदय में योगदान देने वाले कारक

- अलग-थलग व्यक्ति:** युवा पुरुष जो अकेलापन महसूस करते हैं और ऑनलाइन समुदाय की तलाश में हैं, मैनोस्फीयर में चरम सामग्री के मुख्य दर्शक हैं।
- स्वयंभू जीवनशैली सलाहकार:** पुरुषों की समस्याओं के मूल तक पहुँचने वाले आत्म-अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के बजाय, वे तर्क देते हैं कि पुरुष समाज के स्त्रीद्वेष के शिकार हैं, जिसका अर्थ है पुरुषों के प्रति पूर्वाग्रह और महिलाओं की समानता पुरुषों के प्रति भेदभाव है।
- गुमनामी:** यह लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाता है क्योंकि इससे नफरत और लैंगिक भेदभाव वाले भाषणों को मंचों पर प्रचारित करना आसान हो जाता है।
- नारीवाद-विरोध:** पुरुषों को सामाजिक परिवर्तन का शिकार, महिलाओं को छल-कपट करने वाले और नारीवाद को खतरनाक के रूप में प्रस्तुत करना।

व्यक्ति और समाज पर प्रभाव

- हानिकारक गलत सूचना का प्रसार:** इक्विमुंडो के अनुसार, सर्वेक्षण में सम्मिलित आधे युवा पुरुष और 40% वयस्क अमेरिकी पुरुषों का कहना है कि वे मैनोस्फेयर की एक या एक से अधिक आवाज़ों पर भरोसा करते हैं जो हिंसा, नारीवाद-विरोध या "पुरुषों के अधिकारों" की वकालत करती हैं।
- ऑनलाइन हिंसा के जोखिम:** एक वैश्विक अध्ययन के अनुसार, 58% युवतियाँ और लड़कियाँ ऑनलाइन उत्पीड़न का शिकार हुई हैं।
- लड़कों और पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव:** युवा पुरुष जो अधिक "मर्दाना" होने का दबाव महसूस करते हैं, वे मैनोस्फेयर की मर्दानगी की अतिरंजित धारणाओं के कारण जोखिम भरे व्यवहार, आत्म-क्षति और चिंता में लिप्त हो सकते हैं।
- नकारात्मक लैंगिक दृष्टिकोण और सामाजिक मानदंड:** अपराधियों को मिलने वाली गुमनामी के कारण, मैनोस्फेयर लिंगभेदी रूढ़ियों और नकारात्मक सामाजिक मानदंडों को बढ़ाता है, और उनकी जवाबदेही भी कम होती है।
- शत्रुतापूर्ण लक्ष्यीकरण:** ऑनलाइन स्थान उन दृष्टिकोणों और व्यवहारों के कारण अधिक शत्रुतापूर्ण होते जा रहे हैं जिन्हें मैनोस्फेयर में प्रोत्साहित किया जाता है। उदाहरण के लिए, ऑल्ट राइट, पुरुष वर्चस्ववादियों ने गेमरगेट उत्पीड़न अभियान में महिला गेमर्स को निशाना बनाया।

मैनोस्फेयर का मुकाबला

- स्वस्थ पुरुषत्व को प्रोत्साहन:** एकांतवास की तुलना में संचार और सहानुभूति को प्राथमिकता देना और स्थिति या प्रभुत्व के बजाय विश्वास पर आधारित संबंध स्थापित करना।
- भावनात्मक परिपक्वता:** भावनात्मक अभिव्यक्ति को सामान्य बनाना और प्रदर्शित करना कि कमजोर होना स्वीकार्य है और साथ ही सभ्यता और रचनात्मक संघर्ष समाधान का उदाहरण स्थापित करना।
- मीडिया साक्षरता:** ऑनलाइन घृणा और छद्म विज्ञान का मुकाबला करने के लिए, सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को मीडिया साक्षरता सिखाना।

- **प्लेटफार्मों की ज़िम्मेदारी:** तकनीकी क्षेत्र को हिंसक सामग्री की सक्रिय रूप से पहचान करने और उसे हटाने और एल्गोरिदम के प्रभाव सहित इसके प्रसार के लिए ज़िम्मेदार ठहराना।
- **नीति निर्माण:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्पादों जैसी नई तकनीकों के परीक्षण में महिला सुरक्षा विशेषज्ञों को सम्मिलित करना और नई नीतियाँ बनाते समय उनकी राय लेकर डिजिटल दुर्व्यवहार से बचे लोगों को सशक्त बनाना।
- **सोशल मीडिया प्रभावशाली लोगों की भूमिका:** अतिवादी सामग्री का मुकाबला करने, समावेशी लैंगिक मानदंडों को आगे बढ़ाने और सकारात्मक पुरुषत्व का उदाहरण स्थापित करने के लिए, प्रभावशाली लोगों और नागरिक समाज संगठनों के साथ सहयोग करना।

निष्कर्ष

अब चुनौतियों का समाधान करने का समय आ गया है क्योंकि दुनिया बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन की 30वीं वर्षगांठ मना रही है, जो लैंगिक समानता के लिए एक अभूतपूर्व रणनीति है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: इसके उद्भव के पीछे के सामाजिक-मनोवैज्ञानिक कारकों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और लैंगिक संबंधों एवं मानसिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव का मुकाबला करने के उपाय सुझाइए। [250 शब्द] [15 अंक]

उपशामक देखभाल (पैलेलेटिव केयर)

चर्चा में क्यों: भारत में, लाखों लोग अनावश्यक कष्ट सहते हैं, जिससे उपशामक देखभाल (पैलेलेटिव केयर) को अपनी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सम्मिलित करना अनिवार्य हो गया है।

उपशामक देखभाल (पैलेलेटिव केयर)

- स्वास्थ्य सेवा का एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखा किया जाने वाला पहलू उपशामक देखभाल (पैलेलेटिव केयर) है, जो एक प्रकार का विशिष्ट उपचार है जो व्यक्ति की शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करता है।
- उपशामक देखभाल (पैलेलेटिव केयर) दर्द को कम करने, पीड़ा को कम करने और रोगियों और उनके परिवारों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर केंद्रित है, जबकि उपचारात्मक उपचार का उद्देश्य रोग का उन्मूलन करना है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का अनुमान है कि दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ लोगों को उपशामक देखभाल (पैलेलेटिव केयर) की आवश्यकता होती है, जिनमें से 78% लोग निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं।
- हालाँकि, आवश्यकतामंद लोगों में से केवल 14% को ही इस प्रकार की देखभाल मिल पाती है।

भारत में उपशामक देखभाल (पैलेलेटिव केयर) के विकास में बाधाएँ

- भारत में प्रत्येक वर्ष 7 से 1 करोड़ लोगों को उपशामक देखभाल (पैलेलेटिव केयर) की आवश्यकता होती है, हालाँकि भारत में केवल 1-2% लोगों की ही इस तक पहुँच है।
- **योग्य विशेषज्ञों की कमी:** उपशामक देखभाल (पैलेलेटिव केयर) में विशेषज्ञता रखने वाले चिकित्सकों की संख्या अनुपातहीन रूप से कम है, जिससे जीवन के अंतिम चरण में देखभाल और व्यापक दर्द प्रबंधन प्रदान करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।
- **सीमित धन:** सरकारी धन की कमी के साथ-साथ दवाओं और घर पर देखभाल की जेब से होने वाली लागत देखभाल चाहने वालों को आर्थिक तंगी में डाल देती है।

- **जन जागरूकता:** उपशामक देखभाल (पैलेलेटिव केयर) के बारे में अभी भी ज्ञान की कमी है, जिससे गलतफहमियाँ पैदा होती हैं और इन महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुँच में देरी होती है।
- **अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा:** विशेष रूप से उपशामक देखभाल (पैलेलेटिव केयर) के लिए बहुत अधिक सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं; इनमें से अधिकांश बड़े मेट्रो अस्पतालों और केरल जैसे कुछ शहरों में पाए जाते हैं।
- **नीति निर्माण:** उपशामक देखभाल (पैलेलेटिव केयर) को एनपीसीडीसीएस (राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम) जैसे मुख्यधारा के स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सम्मिलित नहीं किया गया है।
- **राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी का अभाव:** उपशामक देखभाल (पैलेलेटिव केयर) की आवश्यकताओं, कवरेज और परिणामों पर एक व्यापक राष्ट्रीय रजिस्ट्री या डेटा संग्रह का अभाव।

आगे की राह

- **पारंपरिक पाठ्यक्रमों में एकीकरण:** उपशामक देखभाल (पैलेलेटिव केयर) को एमबीबीएस के मुख्य पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि चिकित्सा पेशेवरों को जीवन के अंतिम चरण की देखभाल के लिए आवश्यक ज्ञान और कृपा प्रदान की जा सके।
- **मौजूदा स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों का प्रशिक्षण:** 13 लाख संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों और 34.33 लाख पंजीकृत नर्सों के कार्यबल को केंद्रित प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाया जा सकता है ताकि इस अंतर को पाटने और विशेष रूप से वंचित और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक देखभाल की गारंटी देने में मदद मिल सके।
- **मान्यता:** रोगियों के परिणामों को बेहतर बनाने से लेकर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर समग्र दबाव को कम करने तक, नीति निर्माताओं को उपशामक देखभाल (पैलेलेटिव केयर) के वित्तपोषण के दीर्घकालिक लाभों को स्वीकार करना चाहिए।
- **वित्तपोषण:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं के पास आवश्यक बुनियादी ढाँचा हो, सरकारों को उपशामक देखभाल (पैलेलेटिव केयर) पहलों के लिए विशिष्ट धनराशि अलग रखनी चाहिए।
- **नीति निर्माण:** आयुष्मान भारत जैसी बीमा योजनाओं में उपशामक देखभाल (पैलेलेटिव केयर) कवरेज को जोड़ा जाना चाहिए ताकि ये सेवाएँ रोगियों और उनके परिवारों के लिए अधिक किफायती हो सकें।
- **जन जागरूकता बढ़ाना:** यह तथ्य कि उपशामक देखभाल (पैलेलेटिव केयर) में दर्द प्रबंधन, मनोवैज्ञानिक सहायता, और किसी भी गंभीर बीमारी के दौरान जीवन की बेहतर गुणवत्ता सम्मिलित है, अक्सर रोगियों और उनके परिवारों को पता नहीं होता। समुदायों में इन लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने से मांग और विधायी परिवर्तनों पर प्रभाव पड़ सकता है।

निष्कर्ष

देश की जीवन-पर्यन्त देखभाल प्रणाली में उपशामक देखभाल (पैलेलेटिव केयर) की एक बहुआयामी रणनीति द्वारा क्रांति लाई जा सकती है, जो क्षमता निर्माण को प्राथमिकता देती है, उपशामक देखभाल (पैलेलेटिव केयर) को चिकित्सा शिक्षा में एकीकृत करती है, संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों को सशक्त बनाती है, और प्रणालीगत मुद्दों से निपटती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: उपशामक देखभाल के प्रभावी कार्यान्वयन में आने वाली प्रमुख बाधाओं पर चर्चा करें और इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में एकीकृत करने के उपाय सुझाइए। [250 शब्द] [15 अंक]

संथाल हुल

चर्चा में क्यों: 30 जून को संथाल हुल (हुल दिवस) की 169वीं वर्षगांठ मनाई जाती है, जिसे ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे शुरुआती किसान विद्रोहों में से एक माना जाता है।

संथाल विद्रोह के बारे में

- ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और शोषक ज़मींदारों के विरुद्ध आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने अन्याय के प्रतिरोध के लिए किया था।
- इसकी शुरुआत संथाल परगना में हुई, जो अब आधुनिक झारखंड का एक हिस्सा है।
- संथाली में, हुल का अर्थ प्रतिरोध, विद्रोह या क्रांति होता है।

विद्रोह के कारण

- **आर्थिक शोषण:** अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की, जिससे ज़मींदारों को ज़मीन पर महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हो गए, जिसके परिणामस्वरूप करों में वृद्धि हुई और संथाल किसानों का शोषण हुआ।
- **भूमि अधिग्रहण:** संथाल, जो ऐतिहासिक रूप से अपनी ज़मीन के मालिक थे और खेती करते थे, ज़मींदारी प्रथा और साहूकारों की हिंसक प्रथाओं के कारण व्यवस्थित रूप से अपनी ज़मीन से वंचित कर दिए गए।
- **सामाजिक और राजनीतिक विघटन:** ज़मींदारी प्रथा की स्थापना और साहूकारों के आगमन ने संथाल समुदाय के पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक ढाँचे को छिन्न-भिन्न कर दिया।
- **स्वायत्तता का ह्रास:** अंग्रेजों और उनके बिचौलियों के बढ़ते प्रभुत्व के कारण संथालों को अपनी स्वायत्तता और जीवनशैली पर खतरा महसूस हुआ।
- **बेगार:** अंग्रेजों और स्थानीय ज़मींदारों ने संथालों को बिना पर्याप्त मुआवज़े के कठोर परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया, जिससे उनकी दुश्मनी बढ़ गई।
- **वस्तु विनिमय प्रणाली:** संथाल लोग वस्तु विनिमय पर निर्भर थे, लेकिन नकद कर चुकाने में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जिसके कारण उन्हें साहूकारों से उधार लेना पड़ता था और वे कर्ज के जाल में फँस जाते थे।
- **भ्रष्टाचार और उत्पीड़न:** भ्रष्ट अधिकारियों ने अनुचित व्यवहार के माध्यम से संथालों का फायदा उठाया और उन्हें विद्रोह की ओर धकेला।

विद्रोह के परिणाम

- हालाँकि विद्रोह को अंततः दबा दिया गया, लेकिन इसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण सुधार हुए, जैसे 1876 का संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम और 1908 का छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, जिसका उद्देश्य आदिवासियों के भूमि अधिकारों और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की रक्षा करना था।
- भागलपुर और बीरभूम से लगभग 5,500 वर्ग मील क्षेत्र अलग करके संथाल परगना बनाया गया। आदिवासी अशांति को शांत करने के लिए नए जिले को असाधारण प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया।
- संथाल हुल को भारत की स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण क्षण माना जाता है,

जिसने बाद के आदिवासी विद्रोहों को प्रेरित किया और स्वदेशी अधिकारों और स्वशासन के लिए बड़े आंदोलन में भूमिका निभाई।

संथाल जनजाति

- संथाल भारत की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक मानी जाती हैं, जो वनों की कटाई और भूमि पर खेती करने के अपने इतिहास के लिए जानी जाती हैं।
- वे पश्चिम बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश सहित कई क्षेत्रों में प्रवास कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने चाय बागानों में मज़दूरी की।
- संथाल लोग संथाली भाषा में संवाद करते हैं, जो मुंडा भाषाओं में सबसे प्रचलित भाषा है।
- उनकी सांस्कृतिक विरासत समृद्ध है, जिसमें विशिष्ट नृत्य (एनेज) और संगीत (सेरेंग) शामिल हैं, जो उनके सामाजिक और अनुष्ठानिक प्रथाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- हालाँकि कुछ लोगों ने हिंदू या ईसाई धर्म अपना लिया है, संथाल पारंपरिक रूप से एक प्रकार के जीववाद और बहुदेववाद का पालन करते हैं, प्रकृति देवताओं, आत्माओं और भूतों की पूजा करते हैं।
- वे अपने गाँवों के बाहरी इलाकों में पवित्र उपवनों का रखरखाव करते हैं, जिन्हें जाहेर युग या जाहेरा के नाम से जाना जाता है।
- उनकी आजीविका में कृषि, शिकार और रेशम उत्पादन शामिल हैं।

संथाली

- संथाली झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और नेपाल और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में संथाल जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा है।
- 1925 में, संथाली को O1 चिकी नामक अपनी लिपि सौंपी गई।
- इस विकास से पहले, संथाली का दस्तावेजीकरण देवनागरी, बंगाली या लैटिन लिपियों में किया जाता था।
- वर्तमान में, संथाली को भारत की आधिकारिक अनुसूचित भाषाओं में से एक माना जाता है।
- ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषा परिवार की उत्तरी मुंडा शाखा से संबंधित, संथाली में उत्तरी और दक्षिणी दोनों बोलियाँ शामिल हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: 1855-56 के संथाल विद्रोह के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संथाल विद्रोह बंगाल प्रेसीडेंसी में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के विरोध के रूप में शुरू हुआ।
2. अंग्रेजों ने संथाल दमन अधिनियम, 1856 पारित करके विद्रोह को दबा दिया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

(1) 100% 2: 2020

सलखन जीवाश्म पार्क

चर्चा में क्यों: सलखन जीवाश्म पार्क, जिसे सोनभद्र जीवाश्म पार्क के नाम से भी जाना जाता है, को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है।

सलखन जीवाश्म पार्क

- सलखन जीवाश्म पार्क, जिसे आधिकारिक तौर पर सोनभद्र जीवाश्म पार्क के

नाम से जाना जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में स्थित एक उल्लेखनीय भूवैज्ञानिक स्थल है।

- यह कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में, सलखन गाँव के पास, जिला मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है।
- भौगोलिक संदर्भ:** यह पार्क लगभग 25 हेक्टेयर में फैला है और विंध्य पर्वत श्रृंखला के भीतर स्थित है, जिसकी विशेषता ऊबड़-खाबड़ भूभाग, खड़ी ढलानें और एक अद्वितीय भूवैज्ञानिक परिदृश्य है।
- आयु और महत्व:** यह पार्क लगभग 1.4 अरब वर्ष पुराने जीवाश्मों के समृद्ध भंडार का घर है, जो इसे दुनिया के सबसे पुराने और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित जीवाश्म स्थलों में से एक बनाता है। इसके जीवाश्म-समृद्ध स्तर आसानी से देखे जा सकते हैं, जो वैज्ञानिक अनुसंधान और शैक्षिक पर्यटन के लिए मूल्यवान एक खुले प्राकृतिक संग्रहालय के रूप में कार्य करते हैं।



मुख्य विशेषताएं और जीवाश्म संयोजन

- इस स्थल के जीवाश्म संग्रह में मुख्य रूप से स्ट्रोमेटोलाइट्स का असाधारण संग्रह है।
- स्ट्रोमेटोलाइट्स साइनोबैक्टीरिया या नीले-हरे शैवाल के समुदायों द्वारा निर्मित संरचनाएँ हैं, जो प्राचीन पर्यावरणीय परिस्थितियों और सूक्ष्मजीव जीवन के महत्वपूर्ण संकेतक हैं।
- **प्रमुख प्रजातियाँ:** इओएंटोफिसैलिस प्रजाति, एक औपनिवेशिक साइनोबैक्टीरियम, इस स्थल पर पाए जाने वाले स्ट्रोमेटोलाइट्स में प्रमुख है।
- **स्वरूप और संघनता:** जीवाश्म चूना पत्थर की चट्टानों की सतहों पर बिखरे हुए लहरदार या वलयनुमा/गोलाकार या अंडाकार पथरीले संरचनाओं के रूप में दिखाई देते हैं। ये संरचनाएँ पार्क के भीतर विशिष्ट क्षेत्रों में केंद्रित हैं।
- **आकारिकी विविधता:** पार्क में विभिन्न प्रकार की स्ट्रोमेटोलिटिक आकृतियाँ हैं, जिनमें स्तंभाकार, स्तरीकृत और गुंबदाकार रूप शामिल हैं।
- **सूक्ष्म जीवाश्म:** काली चर्ट पट्टियों में जड़े सूक्ष्म जीवाश्म इस स्थल के महत्व को और बढ़ाते हैं, प्राचीन जीवाणु और शैवाल पारिस्थितिक तंत्रों को प्रदर्शित करते हैं। साइनोबैक्टीरिया के जीवाश्म एकिनेट भी मौजूद हैं, जो पर्यावरणीय तनाव की अवधियों का संकेत देते हैं।
- **प्रारंभिक बहुकोशिकीय जीवन:** इस स्थल पर प्रारंभिक बहुकोशिकीय जीवन रूपों के साक्ष्य आधुनिक जैव विविधता की ओर विकासवादी मार्ग में एक महत्वपूर्ण कदम दर्शाते हैं।
- **संरक्षण:** सलखन के जीवाश्मों को सावधानीपूर्वक संरक्षित किया गया है, जो प्रोटोरोज़ोइक युग के दौरान हमारे ग्रह पर मौजूद जीवन के प्रारंभिक रूपों के बारे में अमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। सलखन चूना पत्थर के सूक्ष्म जीवाश्म लि-आयामी रूप से संरक्षित हैं और उनमें बहुत कम परिवर्तन किया गया है।

यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल

- विश्व धरोहर सूची में 1248 सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरें शामिल हैं जिन्हें विश्व धरोहर समिति उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य वाली मानती है।
- इनमें 170 सदस्य देशों की 972 सांस्कृतिक, 235 प्राकृतिक और 41 मिश्रित संपत्तियाँ शामिल हैं। अक्टूबर 2024 तक, 196 सदस्य देशों ने विश्व धरोहर सम्मेलन का अनुसमर्थन कर दिया है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न :

प्रश्न: भारत में विश्व धरोहर स्थलों के लिए यूनेस्को की अनंतिम सूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. किसी स्थल को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकित करने से पहले उसे कम से कम एक वर्ष तक अनंतिम सूची में रहना चाहिए।
2. अनंतिम सूची संस्कृति मंत्रालय द्वारा बनाई जाती है और यूनेस्को को प्रस्तुत की जाती है।
3. भारत में आधिकारिक विश्व धरोहर सूची की तुलना में अनंतिम सूची में अधिक स्थल हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

(P) : 222

यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क

यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क (यूसीसीएन)

- यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क (यूसीसीएन), जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी, उन शहरों के बीच सहयोग में सुधार करना चाहता है, जिन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं के संदर्भ में रचनात्मकता को सतत विकास के प्रमुख घटक के रूप में स्वीकार किया है।
- नेटवर्क में शामिल होकर, शहर सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान, सांस्कृतिक उद्योगों और रचनात्मकता का समर्थन करने वाले गठबंधन बनाने, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ाने और शहरी विकास की योजनाओं में संस्कृति को शामिल करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं।
- इसके अतिरिक्त, नेटवर्क सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा और अन्य संयुक्त राष्ट्र ढाँचों का समर्थन करने का वचन देता है।
- वास्तुकला, शिल्प और लोक कला, डिज़ाइन, फिल्म, पाककला, साहित्य, मीडिया कला और संगीत, सात रचनात्मक विषय हैं जिन्हें यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क द्वारा कवर किया जाता है।

उद्देश्य

यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क का उद्देश्य है:

- रचनात्मकता को शहरी विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने के लिए सदस्य शहरों के प्रयासों को बढ़ावा देना और उनका समर्थन करना, विशेष रूप से सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों और नागरिक समाज के बीच सहयोग के माध्यम से।
- उन शहरों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना जिन्होंने रचनात्मकता को अपने सतत विकास के एक रणनीतिक घटक के रूप में पहचाना है।
- सांस्कृतिक जीवन में पहुँच और भागीदारी के साथ-साथ सांस्कृतिक वस्तुओं और सेवाओं के आनंद में सुधार करना, विशेष रूप से हाशिए पर या कमजोर समूहों और व्यक्तियों के लिए।
- संस्कृति और रचनात्मकता को स्थानीय विकास रणनीतियों और योजनाओं में पूरी तरह से एकीकृत करना।
- सांस्कृतिक गतिविधियों, वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, उत्पादन, वितरण और प्रसार में सुधार करना।
- सांस्कृतिक क्षेत्र में रचनाकारों और पेशेवरों के लिए अवसरों का विस्तार करना।

कार्य के क्षेत्र

- सर्वोत्तम प्रथाओं, ज्ञान और अनुभवों को साझा करना।
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों तथा नागरिक समाज को जोड़ने वाली पायलट परियोजनाएँ, सहयोग और पहल।
- पेशेवर और कलात्मक आदान-प्रदान के लिए नेटवर्क और कार्यक्रम।
- रचनात्मक शहरों के अनुभव का अध्ययन, अनुसंधान और मूल्यांकन।
- सतत शहरी विकास के लिए नीतियाँ और कार्य।
- संचार और जागरूकता बढ़ाने वाली पहल।

यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के अंतर्गत भारतीय शहर

- कोझिकोड (साहित्य)
- ग्वालियर (संगीत)
- जयपुर (शिल्प और लोक कलाएँ)
- वाराणसी (संगीत)
- चेन्नई (संगीत)

- मुंबई (फ़िल्म)
- हैदराबाद (पाक कला)
- श्रीनगर (शिल्प और लोक कला)

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न :

प्रश्न: निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:

भारतीय शहर	यूनेस्को रचनात्मक शहर अनुशासन
1. कोझिकोड	साहित्य
2. जयपुर	शिल्प और लोक कला
3. चेन्नई	संगीत
4. हैदराबाद	उदर-सेवा

उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) उपर्युक्त सभी
- उत्तर: (d)

मछलीपट्टनम बंदरगाह

चर्चा में क्यों: मछलीपट्टनम गोदी जागृत हो रही है और आधुनिक ग्रीनफील्ड बंदरगाह के निर्माण के साथ इसमें बड़े परिवर्तन हो रहे हैं।

ग्रीनफील्ड बंदरगाह वह बंदरगाह होता है जो पहले से अविकसित स्थल पर बनाया गया हो, यानी इसे उस ज़मीन पर नए सिरे से बनाया गया हो जिसका पहले बंदरगाह संचालन के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया हो। ये परियोजनाएँ ब्राउनफील्ड बंदरगाहों से अलग होती हैं, जिनमें मौजूदा बंदरगाह सुविधाओं का विस्तार या पुनर्प्रयोजन शामिल होता है।

मुख्य विवरण

- कभी निष्क्रिय बंदरगाह शहर रहा मछलीपट्टनम अब बदलाव के दौर से गुज़र रहा है। मंगिनापौड़ी में ग्रीनफील्ड बंदरगाह का लगभग 48% हिस्सा पहले ही विकसित हो चुका है, जो इसकी समुद्री विरासत में एक बड़े पुनरुद्धार का संकेत है।
- इस बंदरगाह के वर्ष 2026 के अंत तक शुरू होने की संभावना है।
- इससे व्यापक आर्थिक विकास और रोज़गार के अवसर पैदा होंगे और यह परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।

भौगोलिक और सांस्कृतिक अवलोकन

- **अवस्थिति:** ऐतिहासिक रूप से मछलीपट्टनम के नाम से जाना जाने वाला यह शहर, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में, भारत के दक्षिण-पूर्वी कोरोमंडल तट पर स्थित है। मछलीपट्टनम बंगाल की खाड़ी के तट पर, कृष्णा नदी की एक धारा के प्रवेश द्वार पर स्थित है।
- **वैश्विक व्यापार:** ऐतिहासिक रूप से एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में विख्यात, मछलीपट्टनम ने मध्यकाल के दौरान वैश्विक व्यापारियों को आकर्षित किया। रोम, अरब, फारस, दक्षिण-पूर्व एशिया और यूरोप के व्यापारियों को आकर्षित किया।
- **सांस्कृतिक संबंध:** यह शहर अपनी हथकरघा परंपरा, विशेष रूप से जटिल

कलमकारी वस्त्र कला के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें समृद्ध पारंपरिक रूपांकनों वाले कपड़ों पर हाथ से चित्रकारी और ब्लॉक-पेंटिंग दोनों शामिल हैं।

- **प्राचीन ग्रंथ:** इसे मसूलीपट्टनम, मैसोलिया या मंजारिका के नाम से भी जाना जाता है।
➤ यह एरिथ्रियन सागर के पेरिप्लस में मैसोलिया के रूप में दिखाई देता है।
➤ टॉलेमी के जियोग्राफिया में मैसोलोस के रूप में सूचीबद्ध है।

धन का प्रवेश द्वार

- तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों को इस बंदरगाह से भरपूर लाभ मिलने की संभावना है।
- कोयला, फार्मा, सीमेंट, उर्वरक और कंटेनर यातायात जैसे निर्यात इस बंदरगाह से होने वाले प्रमुख निर्यात होंगे।
- तेलंगाना सरकार एक शुष्क बंदरगाह सुविधा और बंदरगाह तक एक सीधा माल ढुलाई गलियारा स्थापित करने पर काम कर रही है।
- दोनों राज्यों को ज़मीन की कीमतों के साथ-साथ रोज़गार के अवसरों में भी लाभ की संभावना है।

आगे की राह

- इसे बड़े जहाजों के लिए एक गहरे समुद्री बंदरगाह के रूप में विकसित करने की योजना है।
- राज्य सरकार दो और बंदरगाहों का भी विकास कर रही है: रामायपट्टनम (नेल्लोर ज़िला) और भवनपाडु (श्रीकाकुलम ज़िला)।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: हाल ही में, मछलीपट्टनम बंदरगाह विकास पहलों के कारण चर्चा में रहा है। इस संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मछलीपट्टनम बंदरगाह बंगाल की खाड़ी के किनारे भारत के पूर्वी तट पर स्थित है।
2. इसे सागरमाला कार्यक्रम के तहत एक गहरे पानी के बंदरगाह के रूप में विकसित किया जा रहा है।
3. यह बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (c) केवल 1 और 3
(b) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a) केवल 1 और 2

पश्मीना शॉल

चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक राजनयिक कार्यक्रम के दौरान घाना के उपराष्ट्रपति को एक शानदार कश्मीरी पश्मीना शॉल भेंट की।

पश्मीना शॉल: कश्मीर के विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल, जो पारंपरिक रूप से अपने जटिल बूटा या पैस्ले डिज़ाइनों के लिए जाने जाते हैं, हाल ही में एक रचनात्मक परिवर्तन से गुज़रे हैं। एक अनोखे मिश्रण में, फ्रांसीसी-प्रेरित अमूर्त कला ने पारंपरिक कढ़ाई की जगह ले ली है, जिससे इस कालातीत कपड़े को एक आधुनिक और कलात्मक आकर्षण मिला है।

पशमीना के बारे में

- **उत्पत्ति और प्रमाणन:** पशमीना भारत के कश्मीर क्षेत्र से प्राप्त एक भौगोलिक संकेत (जीआई) प्रमाणित ऊन है।
- **पारंपरिक उपयोग:** ऐतिहासिक रूप से, कश्मीरी लोग कड़ाके की सर्दियों में गर्मी के लिए पशमीना शॉल पहनते थे।
- **व्युत्पत्ति:** "पशमीना" शब्द फ़ारसी शब्द पशम से आया है, जिसका अर्थ है "बुनने योग्य ऊन"।
- **गुणवत्ता और लागत:** अपनी असाधारण कोमलता और गर्मी के लिए जाना जाने वाला, पशमीना दुनिया के सबसे महंगे ऊन प्रकारों में से एक है। इसकी ऊँची कीमत इसके रेशे की उत्कृष्टता और इसमें शामिल श्रमसाध्य शिल्प कौशल को दर्शाती है।
- **बुनाई का समय:** एक पशमीना शॉल बनाने में 72 घंटे से ज़्यादा समय लग सकता है, जो काम की जटिलता पर निर्भर करता है।

ऊन का स्रोत

- ऊन चांगथांगी बकरियों (कैप्रा हिरकस) से प्राप्त की जाती है, जिन्हें लद्दाख में चांगपा जनजाति द्वारा पाला जाता है।
- चांगपा एक अर्ध-खानाबदोश समुदाय है जो मुख्यतः चांगथांग में रहता है, जो लद्दाख और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में फैला एक उच्च-ऊँचाई वाला पठार है।
- भारत में, चांगपा को आरक्षण प्रणाली के तहत अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

महत्व

- पशमीना को दुनिया के सबसे बेहतरीन और सबसे शानदार ऊन में से एक माना जाता है।
- इसकी वैश्विक मांग ने कश्मीर के हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा दिया है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है।

चहल एकेडमी द्वारा निःशुल्क पहल

CCHAAHAL
ACADEMY

'द हिंदू' और 'इंडियन एक्सप्रेस' से 10
बहुविकल्पीय प्रश्नों की दैनिक प्रश्नोत्तरी

क्यू आर कोड स्कैन करें



अमृत मिशन के 10 वर्ष

चर्चा में क्यों: भारत अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के 10 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है, जो शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की एक प्रमुख पहल है।

योजना का उद्देश्य

- यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक घर में नल से जल की सुनिश्चित आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन उपलब्ध हो।
- हरियाली और सुव्यवस्थित खुले स्थानों (जैसे पार्क) का विकास करके शहरों के सुविधा मूल्य में वृद्धि करना।
- सार्वजनिक परिवहन अपनाकर या गैर-मोटर चालित परिवहन (जैसे पैदल चलना और साइकिल चलाना) के लिए सुविधाओं का निर्माण करके प्रदूषण को कम करना।
- **इतिहास:** 25 जून 2015 को शुरू किए गए इस मिशन का उद्देश्य जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन और पार्क जैसी बुनियादी सेवाएँ प्रदान करना था।

योजना के घटक

- **जल आपूर्ति:**
 - जल आपूर्ति प्रणालियाँ, जिनमें मौजूदा जल आपूर्ति का विस्तार, जल उपचार संयंत्र और सार्वभौमिक मीटरिंग शामिल हैं।
 - पुरानी जल आपूर्ति प्रणालियों का पुनर्वास, जिसमें उपचार संयंत्र भी शामिल हैं।
 - जल निकायों का पुनरुद्धार, विशेष रूप से पेयजल आपूर्ति और भूजल पुनर्भरण के लिए।
 - दुर्गम क्षेत्रों, पहाड़ी और तटीय शहरों के लिए विशेष जल आपूर्ति व्यवस्था, जिनमें जल गुणवत्ता की समस्या (जैसे आर्सेनिक, फ्लोराइड) वाले शहर भी शामिल हैं।
- **सीवरेज:**
 - विकेन्द्रीकृत, नेटवर्कयुक्त भूमिगत सीवरेज प्रणालियाँ, जिनमें मौजूदा सीवरेज प्रणालियों और सीवरेज उपचार संयंत्रों का विस्तार शामिल है।
 - पुरानी सीवरेज प्रणालियों और उपचार संयंत्रों का पुनर्वास।
 - लाभकारी उद्देश्यों के लिए जल का पुनर्चक्रण और अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग।
- **सेप्टेज:**
 - मल कीचड़ प्रबंधन - लागत प्रभावी तरीके से सफाई, परिवहन और उपचार।
 - सीवरों और सेप्टिक टैंकों की यांत्रिक और जैविक सफाई और परिचालन लागत की पूरी वसूली।
- **शहरी परिवहन:**
 - अंतर्देशीय जलमार्गों (बंदरगाह/खाड़ी अवसंरचना को छोड़कर) के लिए नौकाएँ और बसें।

- फुटपाथ/पथ, फुटपाथ, पैदल पुल और गैर-मोटर चालित परिवहन (जैसे साइकिल) के लिए सुविधाएँ।
- बहु-स्तरीय पार्किंग।
- बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस)।
- **क्षमता निर्माण:**
 - इसके दो घटक हैं - व्यक्तिगत और संस्थागत क्षमता निर्माण।
 - क्षमता निर्माण केवल मिशन शहरों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे अन्य शहरी स्थानीय निकायों तक भी विस्तारित किया जाएगा।
 - नए मिशनों के अनुरूप पुनर्संरचित होने के बाद व्यापक क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीसीबीपी) को जारी रखना।
- **तूफानी जल निकासी:** बाढ़ को कम करने और समाप्त करने के लिए नालियों और तूफानी जल नालियों का निर्माण और सुधार।
- **हरित स्थान और पार्क:** बच्चों के अनुकूल घटकों के लिए विशेष प्रावधान के साथ हरित स्थान और पार्कों का विकास।

अमृत 2.0

1 अक्टूबर, 2021 को लॉन्च किया गया
जल सुरक्षित शहरों की ओर एक कदम (परिव्यय 2,99,000 करोड़ रुपये)



अमृत मिशन के अंतर्गत उपलब्धियाँ

जलापूर्ति

- 189 लाख नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए (लक्ष्य 139 लाख के विरुद्ध)।
- 64,463 किलोमीटर जल आपूर्ति नेटवर्क का निर्माण किया गया।
- 4,734 एमएलडी जल उपचार संयंत्र (डिस्ट्रीब्यूटीव) क्षमता विकसित की गई।
- नल जल कवरेज 49% (2011) से बढ़कर 70% (2025) हो गया।
- 230 जल आपूर्ति परियोजनाएँ SCADA तकनीक से क्रियान्वित की गई।

सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन

- 149 लाख सीवर कनेक्शन प्रदान किए गए (लक्ष्य 145 लाख के विरुद्ध)।
- 19,598 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क का निर्माण किया गया।
- 4,447 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) क्षमता विकसित की गई।
- इसमें पुनः उपयोग के लिए 1,437 एमएलडी क्षमता शामिल है।
- स्काडा तकनीक से 146 सीवरेज परियोजनाएँ क्रियान्वित की गई।

तूफान के जल की निकासी

- 1,457 किलोमीटर नालियों का निर्माण किया गया।
- 3,766 जलभराव बिंदु समाप्त किए गए।

हरित स्थान और पार्क

- 6,869 एकड़ हरित क्षेत्र विकसित किया गया।
- 2,994 पार्क बनाए गए।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह चयनित शहरों में पेयजल आपूर्ति और सीवेज प्रणालियों की सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
2. इसका कार्यान्वयन 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों तक सीमित है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

(e) : 2122

रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना

चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, रोजगार क्षमता में सुधार लाना और सामाजिक सुरक्षा में सुधार लाना है, खासकर विनिर्माण क्षेत्र पर।

योजना के बारे में

- ईएलआई योजना, जिसका कुल बजट परिव्यय 2 लाख करोड़ रुपये है, को केंद्रीय बजट 2024-2025 में उन पाँच कार्यक्रमों में से एक के रूप में पेश किया गया था, जिन्हें प्रधानमंत्री ने 4.1 करोड़ युवाओं को काम खोजने, अपने कौशल विकसित करने और अन्य अवसरों तक पहुँचने में मदद करने के लिए प्रस्तावित किया है।

योजना की विशेषताएँ

- कर्मचारियों के लिए पुरस्कार:** पहली बार नौकरी करने वालों को 15,000 रुपये (एक महीने का वेतन) तक मिलेंगे।
- नियोक्ता के लिए पुरस्कार:** दो वर्षों तक, नियोक्ताओं को नए रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, और विनिर्माण क्षेत्र को अतिरिक्त दो वर्षों के लिए विस्तारित लाभ प्राप्त होंगे।
- अवधि:** यह कार्यक्रम 1 अगस्त, 2025 और 31 जुलाई, 2027 के बीच सृजित नौकरियों पर लागू होगा।
- कार्यक्रम को दो भागों में विभाजित किया गया है, भाग A नए लोगों के लिए और भाग B नियोक्ताओं के लिए:

भाग A: पहली बार कर्मचारी बनने वाले को प्रोत्साहन:

- इस भाग के अंतर्गत एक महीने का ईपीएफ वेतन, अधिकतम 15,000 रुपये, दो किस्तों में दिया जाएगा। यह ईपीएफओ में पंजीकृत नए कर्मचारियों के लिए है।
- कर्मचारियों के लिए पात्रता सीमा 1 लाख रुपये होगी।
- छह महीने की सेवा के बाद पहली किस्त देय होगी, और बारह महीने की सेवा और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने वाले कर्मचारी को दूसरी किस्त मिलेगी।
- पूर्व निर्धारित समय के लिए, प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा बचत खाते या जमा

खाते में रखा जाएगा, जिसे कर्मचारी बाद में बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए निकाल सकता है।

- भाग A से लगभग 1.92 करोड़ नए कर्मचारियों को मदद मिलेगी।

भाग B: नियोक्ताओं को सहायता:

- यह खंड सभी उद्योगों में नए रोजगारों के सृजन पर केंद्रित होगा, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष जोर दिया जाएगा।
- एक लाख रुपये तक की आय वाले कर्मचारियों के लिए, नियोक्ताओं को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- कम से कम छह महीने तक लगातार कार्यरत रहने वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए, सरकार नियोक्ताओं को दो वर्षों तक 3,000 रुपये प्रति माह तक का प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
- विनिर्माण क्षेत्र के लिए तीसरे और चौथे वर्ष के कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- ईपीएफओ पंजीकरण वाली कंपनियों को कम से कम दो अतिरिक्त कर्मचारियों (पचास से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए) या पाँच अतिरिक्त कर्मचारियों (पचास या अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए) को कम से कम छह महीने तक लगातार नियुक्त करना होगा।

प्रोत्साहन संरचना निम्नानुसार होगी:

अतिरिक्त कर्मचारी का ईपीएफ वेतन स्लैब	नियोक्ता को लाभ (प्रति माह प्रति अतिरिक्त रोजगार)
10,000 रुपये तक*	1000 रुपये तक*
10,000 रुपये से अधिक और 20,000 रुपये तक	2,000 रुपये
20,000 रुपये से अधिक (1 लाख रुपये प्रति माह वेतन तक)	3,000 रुपये

- यह अनुमान है कि यह धारा नियोक्ताओं को अतिरिक्त 2.60 करोड़ लोगों को नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

प्रोत्साहन भुगतान प्रणाली

- योजना के भाग A के अंतर्गत पहली बार नौकरी पर आने वाले कर्मचारियों को सभी भुगतान डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) मोड के माध्यम से करने के लिए आधार ब्रिज भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) का उपयोग किया जाएगा।
- नियोक्ता भाग B के अंतर्गत भुगतान सीधे अपने पैन-लिंकड खातों में प्राप्त करेंगे।

निष्कर्ष

युवाओं को पहली बार कार्यबल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के अलावा, सरकार को उम्मीद है कि ईएलआई योजना सभी उद्योगों में, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में, रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करेगी। करोड़ों युवा पुरुषों और महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करके देश के कार्यबल का औपचारिकीकरण इस योजना का एक और महत्वपूर्ण परिणाम है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

चर्चा में क्यों: हाल ही में, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 10 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया।

योजना की मुख्य विशेषताएँ

- शुभारंभ तिथि:** 15 जुलाई, 2015

- **उद्देश्य:** निःशुल्क, अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके और इसे पूरा करने वाले युवाओं को वित्तीय पुरस्कार देकर पूरे देश में कौशल विकास को समर्थन और बढ़ावा देना।

योजना का विकास

- **पीएमकेवीवाई 1.0:** 2015-16 में इसके पायलट चरण के दौरान, 19.85 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया।
- **पीएमकेवीवाई 2.0:** 1.10 करोड़ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित/उत्मुख किया गया।
- **पीएमकेवीवाई 3.0:** 7.37 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया।
- **पीएमकेवीवाई 4.0:** 11 जुलाई, 2025 तक, इस चरण के अंतर्गत 25 लाख से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

योजना का महत्व

- **कवरज:** पीएमकेवीवाई के तहत 1.63 करोड़ से ज़्यादा उम्मीदवारों को विनिर्माण, निर्माण, स्वास्थ्य सेवा, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, खुदरा आदि जैसे विविध क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया है।
- **समावेशिता:** 45% उम्मीदवार महिलाएँ हैं और एक बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से है, इसलिए समावेशिता इस कार्यक्रम का एक मूलभूत घटक है।
- **डिजिटलीकरण:** समय के साथ, पीएमकेवीवाई भविष्य की अर्थव्यवस्था की माँगों को पूरा करने के लिए विकसित हुआ और इसके दायरे का विस्तार करते हुए इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन तकनीक, रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों को शामिल किया गया।
- **विशेष परियोजनाएँ:** हाशिए पर पड़े समूहों के लिए लक्षित कौशल विकास में त्रिपुरा में 2,500 ब्रू-जनजाति उम्मीदवारों, असम और मणिपुर में जेल कैदियों और 18 राज्यों में पंख परियोजना के तहत 13,834 (70% महिलाएँ) उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करना शामिल था।

भारत को सशक्त बनाना

देश भर में पीएमकेवीवाई 4.0 की सफलता के प्रमुख कदम

उद्योग 4.0, वेब 3.0, एआर/वीआर, जलवायु परिवर्तन, सर्कुलर इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी आदि जैसे नए युग के कौशल पर ध्यान केंद्रित करना;

अभ्यर्थियों को बेहतर व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए ऑन-जॉब-ट्रेनिंग (ओजेटी) पर अधिक निर्भरता;

पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) के तहत पुनः कौशलिकरण और अप-स्किलिंग पर जोर;

उद्योग के साथ साझेदारी में पाठ्यक्रम शुरू करके पाठ्यक्रम में लचीलापन।

शैक्षणिक संस्थानों जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (आईएनआई) / स्कूल / कॉलेज / विश्वविद्यालय / केंद्रीय और राज्य सरकार के संस्थान आदि के साथ उपलब्ध बुनियादी ढांचे का परस्पर उपयोग;



सेमीकंडक्टर, 5जी, एआई, ग्रीन हाइड्रोजन, डीवी, सौर मिशन, केयर, पर्यटन आदि क्षेत्रों में क्लस्टरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और नीति घोषणाओं के अनुरूप प्रशिक्षण।

- **कोविड-19 प्रतिक्रिया:** कोविड योद्धाओं के लिए एक अनुकूलित क्रैश कोर्स कार्यक्रम के माध्यम से 1.2 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया।

- **कौशल केंद्र पहल:** एनईपी 2020 (राष्ट्रीय शिक्षा नीति) के अनुसार, 1.23 लाख से अधिक युवाओं ने व्यावसायिक केंद्रों के रूप में कार्यरत स्कूलों और कॉलेजों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया।
- **शैक्षणिक गतिशीलता:** कौशल योग्यताओं को अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) के साथ एकीकृत करके, पीएमकेवीवाई 4.0 औपचारिक शिक्षा और कौशल के बीच क्रेडिट को स्थानांतरित करना संभव बनाता है।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) एक सरकारी पहल से कहीं बढ़कर, आजीवन शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के प्रति भारत के समर्पण का प्रतीक है। यह कार्यक्रम समावेशिता को प्रोत्साहित करके, नवाचार को अपनाकर और परिवर्तन के प्रति लचीलापन प्रदर्शित करके, लाखों लोगों को तेज़ी से बदलती दुनिया में समृद्ध होने के लिए आवश्यक कौशल और आत्मविश्वास प्रदान कर रहा है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था।
2. यह योजना उम्मीदवारों को बेहतर व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए ऑन-जॉब प्रशिक्षण को बढ़ावा देती है।
3. इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025 में की गई थी।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

(B) : 222

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना

चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छह वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी, जिसकी शुरुआत 2025-26 से होगी और इसमें 100 जिलों को शामिल किया जाएगा।

मुख्य विवरण

- पहली बार केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित, यह योजना 11 मंत्रालयों की 36 केंद्रीय योजनाओं के संतुष्टि-आधारित अभिसरण के माध्यम से 100 कृषि-जिलों में विकास को उत्प्रेरित करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसका वार्षिक परिव्यय वित्त वर्ष 2025-26 से शुरू होकर छह वर्षों की अवधि के लिए ₹24,000 करोड़ है।
- नई योजनाएँ शुरू करने के बजाय, PMDDKY मौजूदा कार्यक्रमों का अंतिम छोर के किसान तक समन्वित वितरण सुनिश्चित करता है, दोहराव से बचता है और प्रभाव को बढ़ाता है।
- यह योजना सफल आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्राप्त अंतर्दृष्टि पर आधारित है और इससे 1.7 करोड़ किसानों को सीधे लाभ होने का अनुमान है।
- यह योजना निम्नलिखित के आधार पर 100 जिलों की पहचान करती है:
 - कम उत्पादकता
 - कम फसल सघनता
 - कम ऋण वितरण

योजना के उद्देश्य

- कृषि उत्पादकता में वृद्धि।
- फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना।
- पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कटाई के बाद भंडारण क्षमता में वृद्धि।
- विश्वसनीय जल पहुँच के लिए सिंचाई अवसरचना में सुधार।
- किसानों के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक कृषि ऋण तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करना।

योजना के अपेक्षित परिणाम

- यह योजना केवल फसल कृषि पर ही नहीं, बल्कि फल, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन और कृषि वानिकी पर भी केंद्रित होगी।
- पैमाने, प्रौद्योगिकी और संस्थागत शक्ति का लाभ उठाकर, यह योजना ग्रामीण परिवर्तन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार है।
- इस योजना के परिणामस्वरूप कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादकता में वृद्धि, मूल्यवर्धन, स्थानीय आजीविका सृजन, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) की प्राप्ति होगी।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना

- 1 पहली बार केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित किया गया।
- 2 100 कृषि जिलों पर ध्यान केंद्रित।
- 3 11 मंत्रालयों में 36 केंद्रीय योजनाओं का संतुष्टि-आधारित अभिसरण।
- 4 6 वर्षों के लिए ₹24,000 करोड़ का वार्षिक परिव्यय।
- 5 कार्यान्वयन वित्त वर्ष 2025-26 से शुरू होगा।
- 6 1.7 करोड़ किसानों को सीधे लाभ मिलने का अनुमान।



प्रधान धन-धान्य कृषि योजना के लिए कार्यान्वयन संरचना

राष्ट्रीय स्तर की निगरानी संस्थाएँ

- दो टीमों गठित की जाएंगी: एक केंद्रीय मंत्रियों के अधीन, और एक सचिवों एवं विभागीय अधिकारियों के अधीन।
- प्रत्येक जिले के लिए केंद्रीय सामाजिक अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे।

राज्य-स्तरीय संचालन समूह

- जिला स्तर पर टीमों के समान
- जिलों में योजनाओं का प्रभावी अभिसरण सुनिश्चित करेगा

जिला स्तरीय समितियाँ

- जिला कलेक्टर या ग्राम पंचायत की अध्यक्षता में जिला धन-धान्य कृषि योजना (DDKY) समिति की स्थापना की जाएगी।
- समिति में प्रगतिशील किसान और विभागीय अधिकारी भी शामिल होंगे
- जिला कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों की योजना तैयार करने का कार्य सौंपा गया।
- प्रगति को एक केंद्रीय डैशबोर्ड पर 117 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPI) का उपयोग करके ट्रैक किया जाएगा

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के अंतर्गत 100 जिलों के चयन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड नहीं है?

- (a) कम कृषि उत्पादकता (b) कम फसल सघनता
(c) कम ऋण वितरण (d) उच्च सिंचाई कवरेज

(P) : 2118

अनुसंधान विकास और नवाचार योजना

चर्चा में क्यों: हाल ही में, कैबिनेट ने रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ाने के लिए अनुसंधान विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना को मंजूरी दी।

योजना की मुख्य विशेषताएँ

- **निधि:** 11.65 अरब डॉलर (99,771 करोड़ रुपये)
- नोडल विभाग: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी)
- निजी क्षेत्र को वित्तपोषण: इसका उद्देश्य कम या बिना ब्याज दरों पर दीर्घकालिक वित्तपोषण या लंबी अवधि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करके आरडीआई में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना है।

योजना के प्रमुख उद्देश्य:

- आर्थिक सुरक्षा, रणनीतिक उद्देश्य और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए, निजी क्षेत्र को उभरते क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- उच्च प्रौद्योगिकी तत्परता स्तरों (टीआरएल) पर परिवर्तनकारी परियोजनाओं को वित्तपोषित करना।
- महत्वपूर्ण या उच्च रणनीतिक महत्व वाली प्रौद्योगिकियों के अधिग्रहण का समर्थन करना।
- डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स की स्थापना को सुगम बनाना।

वित्त प्रशासन

- आरडीआई योजना के लिए वित्तपोषण तंत्र दो स्तरों में विभाजित होगा।
- एएनआरएफ के भीतर एक विशेष प्रयोजन कोष (एसपीएफ) स्थापित किया जाएगा जो पहले स्तर पर निधियों के संरक्षक के रूप में कार्य करेगा।
- दूसरे स्तर के कई कोष प्रबंधक एसपीएफ से धन प्राप्त करेंगे। इसका अधिकांश भाग अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु दीर्घकालिक रियायती ऋणों के रूप में होगा।
- इक्विटी-आधारित वित्तपोषण एक अन्य विकल्प है, विशेष रूप से स्टार्टअप्स के लिए।
- इसके अतिरिक्त, डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स (एफओएफ) या आरडीआई के लिए निर्धारित किसी अन्य एफओएफ में योगदान को भी ध्यान में रखा जा सकता है।

निष्कर्ष

आरडीआई योजना निजी क्षेत्र की दीर्घकालिक, उचित मूल्य पर वित्तपोषण की तत्काल आवश्यकता को पूरा करके आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। इससे देश को 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य के करीब पहुँचने के साथ-साथ नवाचार के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में मदद मिलती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: अनुसंधान विकास एवं नवाचार (आरडीआई) योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. आरडीआई योजना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रशासित है।
2. इसका उद्देश्य कम या बिना ब्याज दरों पर दीर्घकालिक वित्तपोषण या लंबी अवधि के पुनर्वित्त की पेशकश करके आरडीआई में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना है।
3. डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स की स्थापना को सुगम बनाना है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

(c) : 2022

आकांक्षी डीएमएफ कार्यक्रम

चर्चा में क्यों: केंद्रीय खान मंत्रालय ने 'आकांक्षी डीएमएफ (जिला खनिज फाउंडेशन) कार्यक्रम' और 'आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम' का शुभारंभ किया।

मुख्य विवरण

- इसका शुभारंभ नई दिल्ली में आयोजित 'राष्ट्रीय डीएमएफ कार्यशाला' में किया गया।
- इस कार्यक्रम में कुल 152 डीएमएफ ने भाग लिया।
- विकास खनिज निधि (डीएमएफ) पिछले दस वर्षों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और बुनियादी ढाँचे के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके खनन से प्रभावित क्षेत्रों में जीवन बदलने में सहायक रही हैं।
- डीएमएफ सहकारी संघवाद के सच्चे उदाहरण हैं।
- राज्य सरकारों को डीएमएफ को एक मिशन के रूप में देखना चाहिए जिसका उद्देश्य खनन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देना, सकारात्मक, समुदाय-केंद्रित पहलों पर जोर देना और उपलब्ध निधियों का 100% उपयोग सुनिश्चित करना हो।
- डीएमएफ एक विकसित भारत - एक समावेशी, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत - के निर्माण में एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उत्प्रेरक का काम कर रहा है।
- झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गोवा सहित राज्यों को डीएमएफ नियमों में संशोधित प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेवाई) 2024 दिशानिर्देशों को अपनाने के लिए सम्मानित किया गया।

जिला खनिज फाउंडेशन

- डीएमएफ भारत में स्थापित एक गैर-लाभकारी ट्रस्ट है जो खनन गतिविधियों से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के लाभ के लिए काम करता है, और पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- ये फाउंडेशन जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) द्वारा अधिकृत हैं, जिनका गठन खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015

के तहत किया गया था, जिसने मूल एमएमडीआर अधिनियम, 1957 में संशोधन किया था, और इनका वित्तपोषण खनिकों के योगदान से होता है।

- डीएमएफ खनन समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेवाई) को लागू करते हैं।

पीएमकेकेवाई 2024 दिशानिर्देश

- इस धनराशि का कम से कम 70% हिस्सा पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसे "उच्च प्राथमिकता" वाले क्षेत्रों के लिए आवंटित किया जाएगा। शेष धनराशि का उपयोग बुनियादी ढाँचे, सिंचाई और ऊर्जा जैसे अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए किया जा सकता है।

आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम

- नीति आयोग द्वारा भारत भर के सबसे अविकसित ब्लॉकों में शासन और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एबीपी पहल शुरू की गई है।
- एबीपी, आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता पर आधारित है और ब्लॉक स्तर पर भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाता है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य इन चिन्हित ब्लॉकों में सेवा वितरण को बेहतर बनाना और सामाजिक-आर्थिक विकास में तेजी लाना है।
- ब्लॉक अधिकारियों की पहचान "परिवर्तन के नेता" के रूप में की जाती है और उन्हें परिवर्तनकारी कार्यवाई करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।
- मुख्य क्षेत्र:** स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढाँचा और सामाजिक विकास।
- एबीपी परिणाम-आधारित निगरानी दृष्टिकोण पर काम करता है। विशिष्ट, मापनीय, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध (स्मार्ट) लक्ष्यों को परिभाषित करना और प्रगति पर नियमित रूप से निगरानी रखना।

आगे की राह

आकांक्षी डीएमएफ कार्यक्रम के लागू होने के साथ, इसकी सफलता प्रभावी निगरानी, समावेशी योजना और सक्रिय नागरिक भागीदारी पर निर्भर करेगी। यदि इसे अच्छी तरह से लागू किया जाए, तो यह भारत के सबसे उपेक्षित खनन क्षेत्रों के विकास परिणामों को नई परिभाषा दे सकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. डीएमएफ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत स्थापित वैधानिक निकाय है।
2. डीएमएफ का प्राथमिक उद्देश्य खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों को लाभ पहुँचाना है।
3. डीएमएफ के तहत एकत्रित धनराशि का उपयोग केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जा सकता है।
4. डीएमएफ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में कार्य करते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2
(c) केवल 1, 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

(e) : 2020

युवा किशोरों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण (नव्या) पहल

चर्चा में क्यों: विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण और महिला-नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के साथ मिलकर किशोरियों के कौशल विकास के लिए नव्या पहल शुरू की है।

नव्या पहल

- यह पहल 16-18 वर्ष की आयु की उन किशोरियों को मुख्य रूप से गैर-पारंपरिक नौकरियों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है जिन्होंने कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है।
- ग्राफिक डिज़ाइनिंग, पेशेवर मेकअप कलाकार, ड्रोन असेंबली, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन और स्मार्टफोन मरम्मत जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण।
- यह पायलट कार्यक्रम देश के 27 जिलों में, आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर राज्यों सहित, वंचित क्षेत्रों और कमजोर आबादी तक पहुँचने के लिए एक केंद्रित रणनीति के साथ चलाया जाएगा।
- यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) और अन्य प्रमुख कौशल विकास पहलों की शक्तियों का लाभ उठाएगा।
- नव्या के माध्यम से, सरकार लड़कियों को आवश्यक कौशल, आत्मविश्वास और अवसरों से सशक्त बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी - यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक युवा महिला एक विकसित, आत्मनिर्भर और समावेशी भविष्य की दिशा में भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।
- किशोर लड़कियों के प्रशिक्षुओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) और पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे।

नव्या पहल का महत्व

- सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा:** लड़कियों को कौशल से लैस करने से उनकी स्वतंत्रता, आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे वे अपने समुदायों में आदर्श बन जाती हैं।

- वंचित समुदायों को सशक्त बनाना:** ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों को लक्षित करता है, वंचित लड़कियों के लिए शिक्षा और कौशल निर्माण के अवसरों में अंतर को कम करता है।
- विकसित भारत विज़न का समर्थन:** एक कुशल और सशक्त महिला कार्यबल तैयार करके विकसित भारत के राष्ट्रीय उद्देश्य का समर्थन करना।
- उद्योग की बाधाओं को तोड़ना:** लड़कियों को अपरंपरागत क्षेत्रों में कदम रखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, लैंगिक समावेशन और समान अवसरों को बढ़ावा देता है।
- महिला अधिकारों की वकालत:** युवा लड़कियों को पारंपरिक भूमिकाओं से हटकर करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करके लैंगिक समानता के लिए प्रयास करता है।
- आर्थिक विकास को बढ़ावा:** कार्यबल में शामिल होने और व्यवसाय शुरू करने वाली अधिक महिलाओं के परिणामस्वरूप बेहतर घरेलू आय और अधिक मजबूत अर्थव्यवस्था बनती है।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना

- यह योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को मान्यता और समर्थन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाणपत्र और पहचान पत्र प्रदान करती है। यह प्रमाणपत्र इस योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कारीगरों को कौशल उन्नयन, ज़मानत-मुक्त ऋण और विपणन सहायता सहित विभिन्न लाभों तक पहुँचने में सक्षम बनाता है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

- पीएमकेवीवाई एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत 2015 में हुई थी और इसका लक्ष्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कम से कम 1 करोड़ युवाओं को कौशल उन्नयन और पुनर्कौशल प्रदान करना है। इस योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगमों द्वारा विभिन्न हितधारकों के साथ साझेदारी में किया जा रहा है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: "नव्या - किशोरियों के कौशल विकास हेतु एक संयुक्त पायलट पहल" का उद्देश्य शिक्षा, कौशल निर्माण और जीवन कौशल के माध्यम से युवा लड़कियों को सशक्त बनाना है। भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश और लैंगिक समानता लक्ष्यों के संदर्भ में, किशोरियों के सामने आने वाली संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने में ऐसी पहलों की क्षमता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।" [15 अंक] [250 शब्द]

भविष्य के लिए कौशल रिपोर्ट

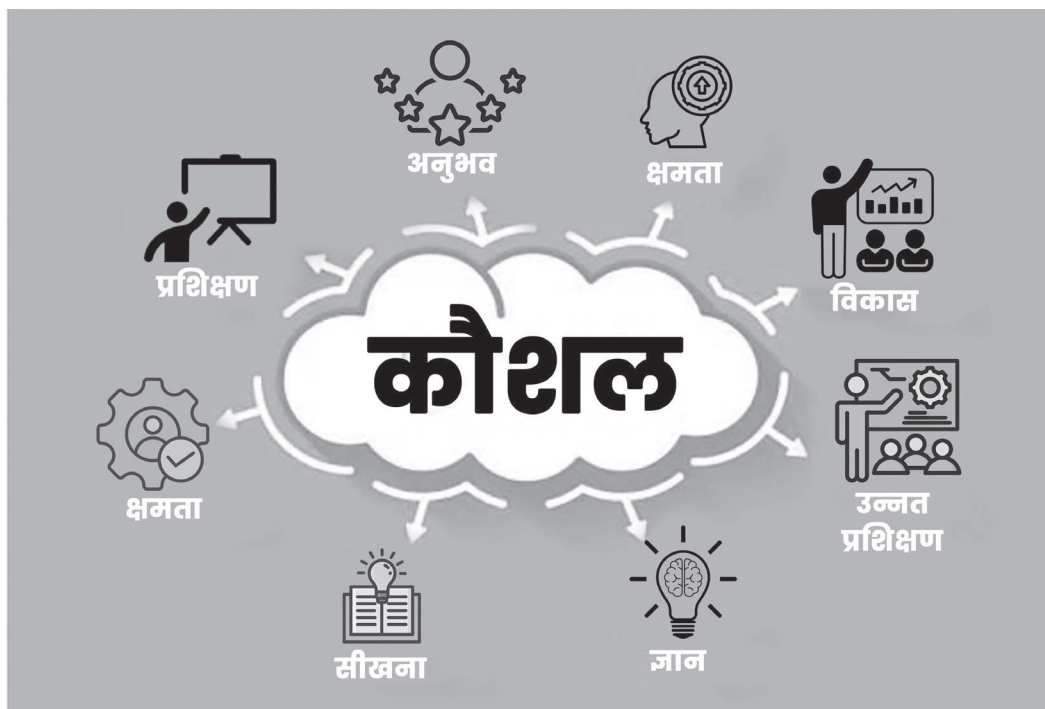
चर्चा में क्यों: हाल ही में, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान द्वारा विकसित "भविष्य के लिए कौशल: भारत के कार्यबल परिदृश्य में परिवर्तन" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।

मुख्य विशेषताएँ

- “भविष्य के लिए कौशल: भारत के कार्यबल परिदृश्य में परिवर्तन” रिपोर्ट भारत में कौशल परिदृश्य का एक सामयिक, डेटा-केंद्रित, विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती है, जिसमें शैक्षिक प्राप्ति, व्यावसायिक वितरण, और तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (TVET) पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, 2023-2024 में केवल 10-12% श्रमिक उच्च-योग्यता वाली भूमिकाओं में कार्यरत थे, जबकि 88% श्रमिक निम्न-योग्यता वाले व्यवसायों में कार्यरत थे।
- इसके अलावा, 52% से ज़्यादा लोग प्राथमिक विद्यालय या उससे निचले स्तर

पर ही रहते हैं, जबकि केवल 9.76% ने माध्यमिक स्तर से आगे की शिक्षा पूरी की है।

- भारत में, 66% से ज़्यादा व्यावसायिक प्रशिक्षण शीर्ष पाँच उद्योगों में है:
 - आईटी और आईटीईएस,
 - कपड़ा और परिधान,
 - इलेक्ट्रॉनिक्स,
 - स्वास्थ्य सेवा और
 - जीवन विज्ञान, और सौंदर्य एवं कल्याण।
- इससे पता चलता है कि कई कर्मचारी या तो कम योग्यता (कर्मचारियों के पास ज़रूरत से कम योग्यताएँ हैं) या ज़्यादा योग्यता (कर्मचारियों के पास उनकी नौकरी की ज़रूरत से ज़्यादा योग्यताएँ हैं) के कारण पदों पर बने रहते हैं।
- रिपोर्ट सामान्य शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के आधार पर कार्यबल को निम्न, मध्यम और उच्च-कुशल समूहों में भी वर्गीकृत करती है।



रिपोर्ट की सिफ़ारिशें

- राष्ट्रीय ऋण भंडार:** रिपोर्ट में एक राष्ट्रीय ऋण भंडार की स्थापना की सिफारिश की गई है जिसमें राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचे (NSQF) के अनुसार औपचारिक शिक्षा, कार्य अनुभव और कौशल संबंधी प्रमाणपत्र शामिल हों ताकि अधिक सटीक कौशल अंतराल विश्लेषण संभव हो सके।
- डेटा संग्रह:** यह नीति निर्माण, निगरानी और मूल्यांकन को बेहतर बनाने के लिए एक मानकीकृत कौशल डेटा संग्रह प्रणाली स्थापित करने का सुझाव देती है।

- व्यवसायों का राष्ट्रीय वर्गीकरण:** रिपोर्ट में उन्नत विनिर्माण, डिजिटल प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास से प्रेरित कार्य की बदलती प्रकृति को प्रतिबिंबित करने के लिए व्यवसायों के राष्ट्रीय वर्गीकरण (NCO) में तत्काल संशोधन का आग्रह किया गया है।
- उद्योग की भूमिका:** कर्मचारियों को अधिक वेतन देने के अलावा, उद्योगों को कुशल श्रमिकों के समूह से नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और बाज़ार के अनुरूप प्रशिक्षण विकसित करने की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए।

- कौशल आधारित रोज़गार: कौशल असंतुलन को दूर करना और व्यावसायिक संरचनाओं को अद्यतन करना आने वाले दशकों में भारत की आर्थिक लचीलापन और विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: हाल ही में, “भविष्य के लिए कौशल: भारत के कार्यबल परिदृश्य में परिवर्तन” शीर्षक से रिपोर्ट किस द्वारा जारी की गई?

- (a) कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (b) श्रम और रोज़गार मंत्रालय
(c) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (d) इनमें से कोई नहीं

(P) : 2022

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: ‘भविष्य के लिए कौशल’ रिपोर्ट के आलोक में, शिक्षा को रोज़गारपरकता के साथ जोड़ने में भारत के कार्यबल के सामने आने वाली चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। कौशल अंतर को पाटने के लिए संरचनात्मक और संस्थागत सुधारों का सुझाव दें। [150 शब्द] [10 अंक]

तंबाकू पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने वैश्विक तंबाकू महामारी पर अपनी 2025 की रिपोर्ट प्रकाशित की है, जो WHO MPOWER तंबाकू नियंत्रण उपायों में उल्लिखित छह नीतियों पर केंद्रित है।

रिपोर्ट के बारे में

- वैश्विक तंबाकू महामारी पर WHO की रिपोर्ट, 2025, इस रिपोर्ट का दसवाँ संस्करण है और यह तंबाकू नियंत्रण पर WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन (WHO FCTC) के लागू होने के 20 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है।
- यह रिपोर्ट वैश्विक तंबाकू नियंत्रण प्रयासों में उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डालती है, साथ ही तंबाकू उद्योग से जुड़ी मौजूदा चुनौतियों और उभरते खतरों पर भी प्रकाश डालती है।
- यह रिपोर्ट तंबाकू के उपयोग को कम करने के लिए लागत-प्रभावी रणनीतियों के एक पैकेज, MPOWER उपायों को व्यापक रूप से अपनाने पर जोर देती है।
- रिपोर्ट का यह संस्करण विशेष रूप से MPOWER पैकेज के “W” घटक पर केंद्रित है: पैकेजिंग पर स्वास्थ्य चेतावनियों और तंबाकू विरोधी जनसंचार माध्यमों के माध्यम से तंबाकू के खतरों के बारे में चेतावनी।

तंबाकू नियंत्रण में वैश्विक प्रगति (MPOWER उपाय)

- 2024 में, 6.1 बिलियन लोग, जो वैश्विक आबादी के 75% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं, उच्चतम स्तर पर अपनाए गए कम से कम एक MPOWER उपाय द्वारा संरक्षित होंगे।
- 2007 से, कम से कम एक MPOWER उपाय लागू करने वाले देशों की संख्या तीन गुना से भी ज्यादा हो गई है, जो 44 से बढ़कर 155 हो गई है।
- दो या अधिक MPOWER उपायों वाले देशों में लगभग दस गुना वृद्धि हुई है, जो 11 से बढ़कर 107 हो गई है, और अब 4.8 अरब लोग इससे प्रभावित हैं।
- कुल मिलाकर, WHO FCTC के लागू होने के बाद से वैश्विक तंबाकू उपयोग की व्यापकता में एक तिहाई की कमी आई है, और कार्यान्वयन के उच्च स्तर का संबंध धूम्रपान की व्यापकता में बड़ी कमी से है।

WHO तंबाकू नियंत्रण उपाय

					
तंबाकू उपयोग और रोकथाम नीतियों की निगरानी करना;	धूम्रपान मुक्त वायु कानून के साथ लोगों को तंबाकू के धुएँ से बचाना;	तंबाकू सेवन छोड़ने में सहायता की पेशकश करना;	पैक लेबल और मास मीडिया के माध्यम से तंबाकू के खतरों के बारे में चेतावनी देना;	तंबाकू के विज्ञापन, प्रचार और प्रायोजन पर प्रतिबंध लागू करना; और	तंबाकू पर कर बढ़ाना।

“तंबाकू के खतरों के बारे में चेतावनी दें” (W उपाय) पर ध्यान केंद्रित:

- स्वास्थ्य चेतावनियों को लोगों को तंबाकू का सेवन छोड़ने में मदद करने का एक प्रभावी तरीका माना जाता है।
- सादी पैकेजिंग तंबाकू उत्पादों के आकर्षण को और कम कर देती है और स्वास्थ्य चेतावनियों के प्रभाव को और बढ़ा देती है।
- तंबाकू उत्पाद पैकेजिंग पर ग्राफिक स्वास्थ्य चेतावनियाँ एक अत्यधिक प्रभावी उपकरण हैं, जिनकी लागत अक्सर तंबाकू उद्योग द्वारा वहन की जाती है। ये तंबाकू के सेवन को रोकती हैं, जीवन बचाती हैं, स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाती हैं, और धूम्रपान छोड़ने के प्रयासों को बढ़ाने में योगदान दे सकती हैं।
- 2024 तक, 110 देशों में ग्राफिक स्वास्थ्य चेतावनियाँ अनिवार्य हैं, जो लगभग 5 अरब लोगों (वैश्विक जनसंख्या का 62%) को कवर करती हैं। यह 2007 की तुलना में काफी प्रगति दर्शाता है, जब केवल नौ देशों में ऐसी नीतियाँ थीं।
- 2024 के अंत तक 25 देशों ने सादे पैकेजिंग की नीति अपना ली है, और 2022 में तीन और देश इसे अपनाएँगे। यह उपाय उत्पाद की अपील को कम करता है, भ्रामक लेबलिंग को सीमित करता है और स्वास्थ्य चेतावनी की प्रभावशीलता को बढ़ाता है।
- ग्राफिक चेतावनियों के साथ जनसंचार अभियान, लत के चक्र को तोड़ सकते हैं और भावी पीढ़ियों की रक्षा कर सकते हैं। ये तंबाकू नियंत्रण के लिए एक शक्तिशाली और लागत प्रभावी उपकरण हैं, जो ज्ञान, दृष्टिकोण और सामाजिक मानदंडों को प्रभावित करते हैं।

MPOWER

- डब्ल्यूएचओ फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल (WHO FCTC) और इसके दिशानिर्देश देशों को तंबाकू नियंत्रण को लागू करने और प्रबंधित करने के लिए आधार प्रदान करते हैं।
- इसे वास्तविकता बनाने में मदद के लिए, डब्ल्यूएचओ ने MPOWER उपाय पेश किए।
- इन उपायों का उद्देश्य विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के FCTC में निहित तंबाकू की मांग को कम करने के लिए प्रभावी हस्तक्षेपों के देश-स्तरीय कार्यान्वयन में सहायता करना है।
- MPOWER उपाय:**
 - तंबाकू के उपयोग और रोकथाम नीतियों की निगरानी
 - लोगों को तंबाकू के धुएँ से बचाना
 - तंबाकू का सेवन छोड़ने में सहायता प्रदान करना
 - तंबाकू के खतरों के बारे में चेतावनी
 - तंबाकू के विज्ञापन, प्रचार और प्रायोजन पर प्रतिबंध लगाना
 - तंबाकू पर कर बढ़ाना

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की MPOWER पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. MPOWER पैकेज छह साक्ष्य-आधारित उपायों का एक समूह है जो देशों को तंबाकू नियंत्रण पर WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन (WHO FCTC) के प्रावधानों को लागू करने में सहायता प्रदान करता है।
2. MPOWER में अक्षर "W" का अर्थ है "तंबाकू के खतरों के बारे में चेतावनी दें"।
3. WHO की वैश्विक तंबाकू नियंत्रण रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने MPOWER के सभी छह घटकों को उच्चतम स्तर पर लागू किया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

(e) :2022

भारत एसडीजीएस सूचकांक के शीर्ष 100 में शामिल

चर्चा में क्यों: हाल ही में, भारत 2025 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट में 99वें स्थान पर रहा, जिससे उसे पहली बार एसडीजी सूचकांक में शीर्ष 100 देशों में स्थान मिला।

मुख्य विवरण

- 100 अंक सभी लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति को दर्शाते हैं, यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा 2015 में अपनाए गए 17 एसडीजी को पूरा करने की दिशा में समग्र प्रगति का आकलन करता है।
- एसडीजी सूचकांक पर 67 अंक के साथ, भारत ने 2024 की अपनी 109वीं रैंकिंग से उल्लेखनीय सुधार किया है।
- भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश 114वें (63.9), पाकिस्तान 140वें (57), नेपाल 85वें (68.6) और भूटान 74वें (70.5) स्थान पर है। समुद्री पड़ोसी श्रीलंका और मालदीव क्रमशः 93वें और 53वें स्थान पर हैं।
- फ़िनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क शीर्ष तीन में हैं, और शीर्ष 20 देशों में से 19 यूरोप में हैं।
- हालांकि वैश्विक लक्ष्यों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही सही रास्ते पर है, रिपोर्ट में कहा गया है कि कई देशों ने बुनियादी ढाँचे और सेवाओं में उल्लेखनीय प्रगति की है, विशेष रूप से बिजली (एसडीजी 7), इंटरनेट उपयोग (एसडीजी 9), पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (एसडीजी 3), नवजात मृत्यु दर (एसडीजी 3), और मोबाइल ब्रॉडबैंड पहुँच (एसडीजी 9) के क्षेत्रों में।
- बारबाडोस, जमैका और लिनिदाद और टोबैगो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और बहुपक्षवाद के प्रति सबसे अधिक प्रतिबद्ध थे। चिली सातवें स्थान पर सबसे अच्छा ओईसीडी प्रदर्शन करने वाला देश है, जबकि ब्राज़ील पच्चीसवें स्थान पर शीर्ष जी20 अर्थव्यवस्था है।
- लगातार दूसरे वर्ष, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के विरुद्ध नीतिगत रुख अपनाया है, अंतिम स्थान पर रहा (193वें स्थान पर)।
- सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता: सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए, 193 देशों में से 190 ने राष्ट्रीय कार्य योजनाएँ प्रस्तुत की हैं।

- पूर्व और दक्षिण एशिया की प्रगति: 2015 से, पूर्व और दक्षिण एशिया ने औसतन एसडीजी की दिशा में सबसे तेज़ प्रगति की है, जिसका मुख्य कारण सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों की तीव्र प्रगति है।
- वर्तमान में 17 में से कोई भी उद्देश्य 2030 तक वैश्विक स्तर पर पूरा होने की राह पर नहीं है। दुनिया के कई क्षेत्रों में, संरचनात्मक कमज़ोरियाँ, संघर्ष और धन की कमी एसडीजी की प्रगति में बाधा डाल रही है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट, 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में, भारत 2025 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट में 99वें स्थान पर रहा, जिससे उसे पहली बार सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में शीर्ष 100 देशों में स्थान मिला।
2. लगातार दूसरे वर्ष, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने सतत विकास लक्ष्यों के विरुद्ध नीतिगत रुख अपनाया है, अंतिम स्थान (193वें) पर आया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

(c) :2022

FATF द्वारा पाकिस्तान की मिसाइल खरीद से बचने की रणनीति की निंदा

चर्चा में क्यों: 'जटिल प्रसार वित्तपोषण और प्रतिबंध चोरी योजनाएँ' (Complex Proliferation Financing and Sanctions Evasion Schemes) शीर्षक वाली अपनी नवीनतम रिपोर्ट में, FATF ने शिपमेंट पर गलत लेबल लगाकर अपने मिसाइल कार्यक्रम के लिए उपकरण खरीदने के पाकिस्तान के प्रयासों को चिह्नित किया है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- रिपोर्ट प्रसार वित्तपोषण से जुड़े प्रतिबंधों से बचने के लिए अपनाई गई बदलती रणनीतियों और युक्तियों की गहन जाँच करती है।
- निर्यात नियंत्रणों से बचने तथा प्रतिबंधों से बचने के लिए अवैध तत्वों द्वारा जटिल रणनीतियों का प्रयोग किया जा रहा है।
- रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की WMD के वित्तपोषण को रोकने की क्षमता में गंभीर कमज़ोरियों की पहचान की गई है।
- FATF और उसके वैश्विक नेटवर्क द्वारा मूल्यांकन किए गए केवल 16 प्रतिशत देशों ने सुरक्षा खतरों के वित्तपोषण का मुकाबला करने में उच्च या पर्याप्त प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) के प्रसार को वित्तपोषित करने की चाहत रखने वाले लोग मौजूदा नियंत्रणों की खामियों का फायदा उठाते रहेंगे, जब तक कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र तकनीकी अनुपालन और प्रभावशीलता में तुरंत सुधार नहीं करते।
- रिपोर्ट आयातक को पाकिस्तान के राष्ट्रीय विकास परिसर से जोड़ती है, जो मिसाइल उत्पादन का प्रबंधन करता है, साथ ही यह भी उजागर करती है कि बैलिस्टिक मिसाइलों के महत्वपूर्ण पुर्जे चीन से आ रहे हैं।
- इसके डोजियर में किए गए खुलासे का इस्तेमाल भारत द्वारा पाकिस्तान पर

FATF की "ग्रे लिस्ट" में शामिल होने के लिए और दबाव बनाने के लिए किया जा सकता है, जो उन देशों की पहचान करती है जिनके धन शोधन विरोधी और आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण ढांचे में कमियाँ हैं।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF)

- गठन: 1989 में स्थापित
- उद्देश्य: वित्तीय क्षेत्र की अखंडता को मज़बूत करना और वित्तीय प्रणालियों और व्यापक अर्थव्यवस्था को धन शोधन, आतंकवाद के वित्तपोषण और प्रसार के खतरों से बचाकर सुरक्षा को बढ़ावा देना।
- सचिवालय: पेरिस
- सदस्य: FATF में वर्तमान में 40 सदस्य हैं, जिनमें दो क्षेत्रीय संगठन (यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद) और 38 क्षेत्राधिकार शामिल हैं।
- भारत 2010 में FATF में शामिल हुआ।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: हाल ही में, 'जटिल प्रसार वित्तपोषण और प्रतिबंध चोरी योजनाएँ' शीर्षक वाली रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी?

- (a) वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF)
- (b) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)
- (c) विश्व बैंक (WB)
- (d) इनमें से कोई नहीं

(ए) : 2020

CHAHAAL ACADEMY

यूपीएससी-सिविल सेवा परीक्षा

2026/27/28

प्रवेश प्रारंभ

एनसीईआरटी+जीएस+सीसैट फाउंडेशन बैच के लिए

माध्यम



English

हिंदी

द्विभाषी (Bilingual)

वैकल्पिक विषय

राजनीति विज्ञान एवं अंतराष्ट्रीय संबंध (PSIR) - भूगोल
समाज शास्त्र - इतिहास - मानव शास्त्र (एंथ्रोपोलॉजी)



चहल एकेडमी, 22-B, ग्राउंड फ्लोर, करोल बाग, मेट्रो पिलर नंबर 112,
ओल्ड राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ☎ 9313218122, 9625993995

हमारी शाखाएँ

नई दिल्ली, अहमदाबाद, आनंद, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, गांधीनगर, गुवाहाटी,
जयपुर, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, नागालैंड, पटना, रायपुर, राजकोट, रांची, सूरत, ठाणे, वडोदरा

समाचारों में चर्चित प्रमुख व्यक्तित्व

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी

चर्चा में क्यों: प्रमुख नेताओं ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में

• स्वतंत्रता पूर्व

- वे 1924 में विश्वविद्यालय सीनेट और सिंडिकेट के लिए चुने गए।
- वे 1929 में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में बंगाल विधान परिषद में शामिल हुए, लेकिन विश्वविद्यालय के हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार बनने का विकल्प चुनते हुए, शीघ्र ही इस्तीफा दे दिया।
- कलकत्ता विश्वविद्यालय (1934) के कुलपति के रूप में, उन्होंने शिक्षा के लिए एक प्रगतिशील दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और बौद्धिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और छात्रों को प्रेरित करने के लिए रवींद्रनाथ टैगोर जैसे दिग्गजों को आमंत्रित किया।
- वे हिंदू महासभा में शामिल हो गए और 1937 में, गैर-कांग्रेसी ताकतों को एकजुट करके फ़ज़ल-उल-हक़ के नेतृत्व में एक प्रगतिशील गठबंधन सरकार बनाई, जिसने वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया।
- 1942 में, वे हिंदू महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष बने और भारत की पूर्ण स्वतंत्रता को अपना राजनीतिक लक्ष्य घोषित किया।
- उन्होंने नवंबर 1942 में बंगाल मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, प्रशासन में राज्यपाल के हस्तक्षेप का विरोध करते हुए और प्रांतीय स्वायत्तता को अप्रभावी बताते हुए आलोचना की।
- 1943 के बंगाल अकाल के दौरान उनके मानवीय प्रयासों में राहत पहल शामिल थी, जिसने समाज सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर किया।

• स्वतंत्रता पश्चात

- वे जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में शामिल हुए।
- उन्होंने चित्तरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री और सिंदरी फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की स्थापना करके भारत के औद्योगिक विकास की नींव रखी।
- उन्होंने वैचारिक मतभेदों के कारण इस पद से इस्तीफा दे दिया।
- उन्होंने राष्ट्रवादी आदर्शों के लिए 1951 में अखिल भारतीय भारतीय जनसंघ की स्थापना की।

प्रमुख विचारधाराएँ और वक्तव्य

- **संविधान निर्माण पर:** उनका मानना था कि संविधान निर्माण एक गहन और विशेष ज़िम्मेदारी थी, क्योंकि ब्रिटिश शासन के अधीन आने के बाद, भारत पहली बार अपना संविधान बनाने में सक्षम हुआ था।



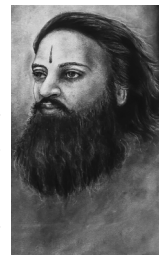
- **राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी पर:** उन्होंने कहा कि यदि किसी भाषा को सभी द्वारा स्वीकार किया जाना है, तो उसे जबरदस्ती की प्रक्रिया से ही स्वीकार किया जाना चाहिए, और ऐसा करना संभव नहीं होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि हालाँकि अंततः अंग्रेजी को प्रतिस्थापित करना होगा, लेकिन इसे क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है।
- **विदेश नीति पर:** उन्होंने शांति और बातचीत की नीति की वकालत की।
- **मौलिक अधिकारों पर:** वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता के पक्षधर थे।

अल्लूरी सीताराम राजू

चर्चा में क्यों: हाल ही में, भारत ने अल्लूरी सीताराम राजू की 128वीं जयंती मनाई।

प्रारंभिक जीवन

- अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 4 जुलाई, 1897 को आंध्र प्रदेश के भीमावरम के निकट मोगल्लू गाँव में हुआ था।
- सीताराम राजू ने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा अपने गृहनगर में पूरी की और फिर आगे की शिक्षा के लिए विशाखापत्तनम चले गए।
- अठारह वर्ष की आयु में, वे एक संन्यासी बन गए और सभी भौतिक सुखों का त्याग कर दिया।
- एक बाल संन्यासी के रूप में, वे एजेंसी की पहाड़ियों और वनों में घूमते रहे और स्थानीय आदिवासी आबादी के साथ घुलमिल गए।
- आदिवासी लोग उन्हें एक ऐसे रहस्यवादी के रूप में देखते थे जो उन्हें ब्रिटिश सरकार के हाथों हुए अपमानजनक व्यवहार से बचाएंगे।



स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका

- सबसे पहले, सीताराम राजू ने आदिवासी लोगों को औपनिवेशिक अदालतों का बहिष्कार करने और स्थानीय पंचायत अदालतों में न्याय पाने के लिए प्रोत्साहित किया, जो गांधीजी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित थे।

रंपा विद्रोह

- उन्होंने अगस्त 1922 में अंग्रेजों के खिलाफ वह आंदोलन शुरू किया जिसे अब रंपा विद्रोह कहा जाता है।
- मद्रास वन अधिनियम, 1882, रंपा प्रशासनिक क्षेत्र में वनों को साफ़ करने के लिए पारित किया गया था, जिसने आदिवासी समुदायों की आवाजाही की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया था और उन्हें अपनी पारंपरिक पोडु कृषि प्रणाली का उपयोग करने से रोक दिया था।
- इस दमनकारी आदेश के परिणामस्वरूप एक आदिवासी विद्रोह शुरू हुआ।
- उन्होंने गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों से संघर्ष किया।
- उन्होंने कई ब्रिटिश अधिकारियों को मार डाला, कई पुलिस थानों पर छापे मारे, आदिवासी लोगों की अपनी सेना के साथ हमले किए और उनकी लड़ाई के लिए हथियार और गोला-बारूद चुराए।

- वह काफी समय तक अंग्रेजों से बचने में सफल रहे क्योंकि उन्हें स्थानीय स्तर पर भरपूर समर्थन प्राप्त था।
- अंग्रेजों के साथ उनके दो साल के सशस्त्र संघर्ष (1922-24) से अधिकारी इतने चिढ़ गए थे कि उन्हें जीवित या मृत पकड़ने वाले को 10,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की गई थी।
- इस बीच, अंग्रेज आदिवासी लोगों को कष्ट पहुँचाते रहे।
- एक नेक इंसान होने के नाते, सीताराम राजू ने जनजाति के कष्टों को कम करने के प्रयास में हार मान ली, और बदले में उन्हें निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद थी।
- लेकिन 7 मई, 1924 को उन्हें धोखे से फँसा लिया गया, एक पेड़ से बाँध दिया गया और गोली मारकर हत्या कर दी गई।
- ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनका वीरतापूर्ण संघर्ष 8 मई को उनके अंतिम संस्कार के साथ समाप्त हुआ।
- साम्राज्यवाद-विरोधी विद्रोह की उनकी विरासत प्रेरणादायी है।
- इतिहास अब उन्हें एक निडर क्रांतिकारी के रूप में याद करता है, जो आदिवासी लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए खड़े हुए।
- उनकी बहादुरी और प्रचंड भावना के सम्मान में उन्हें "मण्यम वीरुडु" (जंगल का नायक) की उपाधि दी गई।
- उनकी जन्मतिथि, 4 जुलाई, को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष राजकीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: अल्लूरी सीताराम राजू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. उन्होंने रंपा विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2. उन्होंने विभिन्न अहिंसक तरीकों से अंग्रेजों से युद्ध किया।
3. उनकी बहादुरी के सम्मान में उन्हें 'मण्यम वीरुडु' की उपाधि दी गई।

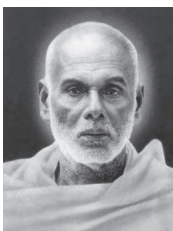
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 (d) केवल 2 और 3

(q) : 2018

श्री नारायण गुरु

चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री ने भारत के दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हुए ऐतिहासिक संवाद के शताब्दी समारोह को संबोधित किया।



श्री नारायण गुरु के बारे में

- श्री नारायण गुरु (20 अगस्त 1856 - 20 सितंबर 1928) भारत के केरल के एक संत, दार्शनिक, आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक थे।
- उनका जन्म एक पिछड़े एझावा परिवार में उस दौर में हुआ था जब ऐसे समुदायों के लोगों को केरल के जाति-ग्रस्त समाज में सामाजिक अन्याय का सामना करना पड़ता था।
- भारतीय समाज को प्रगति से रोकने वाले अंधविश्वासों और वर्जनाओं को तोड़ने

की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर, गुरु ने ज्ञान प्राप्ति से पहले कई वर्षों तक कठोर तपस्या और ध्यान किया।

- महात्मा गांधी, रवींद्रनाथ टैगोर और कई अन्य जैसे दिग्गज गुरु के आदर्शों और शिक्षाओं से प्रभावित थे।

शिक्षाएँ और सिद्धांत

- श्री नारायण गुरु के खुलेपन और समावेशीपन के दर्शन आज की दुनिया में विशेष रूप से प्रासंगिक हैं जो तेजी से विविधतापूर्ण होती जा रही है।
- उन्होंने 'एक जाति, एक धर्म और मानव जाति के लिए एक ईश्वर' के संदेश का प्रचार किया।
- किसी भी व्यक्ति का धर्म चाहे जो भी हो, अगर वह उसे एक बेहतर इंसान बनाता है तो वह पर्याप्त है।
- अपने लिए किए जाने वाले कार्यों का उद्देश्य दूसरों की भलाई भी होना चाहिए।

सामाजिक सुधार

- एझावा जाति में जन्मे श्री नारायण गुरु ने जाति के आधार पर भेदभाव का अनुभव किया।
- इसी भेदभाव के विरुद्ध गुरु ने अपना पहला बड़ा सार्वजनिक कार्य किया।
- उन्होंने भगवान शिव के लिए एक मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा की, जिस पर सत्य, नैतिकता, करुणा, प्रेम जैसे शब्द अंकित थे। यह पहली बार था जब केरल के अरुविप्पुरम गाँव में किसी गैर-ब्राह्मण द्वारा एक हिंदू मूर्ति की स्थापना की गई थी, और इसने उच्च-जाति समुदायों के विरुद्ध जाति-विरोधी क्रांति को जन्म दिया।
- गुरु ने केरल राज्य में 40 से ज़्यादा मंदिरों की स्थापना की ताकि समाज के निम्न वर्ग और उत्पीड़ित वर्ग सहित सभी लोग अपने धर्म का पालन कर सकें।
- गुरु ने जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता और असमानता के खिलाफ 'वैकोम सत्याग्रह' आंदोलन का भी नेतृत्व किया।
- शिवगिरी फाउंडेशन की स्थापना 1924 में गुरु ने स्वच्छता, शिक्षा, भक्ति, कृषि, हस्तशिल्प और व्यापार जैसे गुणों को बढ़ावा देने के लिए की थी।

आज की दुनिया में उनकी शिक्षाओं की प्रासंगिकता

- श्री नारायण गुरु के सुधार और क्रांतिकारी विचार न केवल कायम रहे हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है।
- खुलेपन और समावेशिता पर उनके दर्शन हमारे तेजी से विविध होते विश्व में विशेष रूप से प्रासंगिक हैं।
- आज के तेजी से बदलते और वैश्वीकृत समाज की चुनौतियों से निपटने में उनकी शिक्षाएँ आवश्यक हैं, जो खुलेपन और व्यावहारिक धार्मिकता को बढ़ावा देकर सामाजिक सद्भाव की रक्षा करने में मदद करती हैं।
- भेदभाव से मुक्त समाज के उनके दृष्टिकोण को आज भारत में एक संतुष्टि दृष्टिकोण के माध्यम से सक्रिय रूप से अपनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भेदभाव की हर संभावना को समाप्त करना है।
- देश की वर्तमान नीतियाँ और निर्णय शिक्षा, संगठन और औद्योगिक प्रगति के माध्यम से सामाजिक कल्याण के उनके दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।
- कई सरकारी पहल और राष्ट्रीय प्रयास श्री नारायण गुरु की शिक्षाओं के अनुरूप हैं।
 - प्रधानमंत्री आवास योजना
 - जल जीवन मिशन
 - प्रधानमंत्री जनमन योजना
 - राष्ट्रीय शिक्षा नीति

- कौशल भारत
- एकलव्य आवासीय विद्यालय

के. कामराज

चर्चा में क्यों: हाल ही में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने थिरु के. कामराज जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्य विवरण

- कुमारस्वामी कामराज [जन्म 15 जुलाई, 1903, विरुदुनगर, भारत - मृत्यु 2 अक्टूबर, 1975, मद्रास (अब चेन्नई)] एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और राजनेता थे, जो एक साधारण परिवार से उठकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत में मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री और ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास प्रेसीडेंसी में विधायक बने।



प्रारंभिक जीवन

- कामराज का जन्म मद्रास प्रेसीडेंसी (तमिलनाडु) में नादर जाति के एक परिवार में हुआ था।
- बारह वर्ष की आयु में उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया और एक कपड़े की दुकान में काम करना शुरू कर दिया।
- वह तुरंत ही ब्रिटिश शासन से भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई की ओर आकर्षित हो गए और विभिन्न भूमिकाओं में स्वयंसेवा करने से पहले स्थानीय कांग्रेस पार्टी नेताओं द्वारा आयोजित सार्वजनिक समारोहों में जाने लगे।

स्वतंत्रता-पूर्व भारत में राजनीतिक गतिविधियाँ

- सत्रह वर्ष की आयु में, कामराज स्वतंत्रता संग्राम के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए और उसी समय पार्टी में शामिल हुए जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन (1920-22) शुरू किया था।
- 1930 के नमक मार्च के सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने के कारण उन्हें दो साल की जेल हुई।
- अंग्रेजों ने उन्हें कई बार और कैद किया, विशेष रूप से 1942 और 1945 के बीच कांग्रेस पार्टी के विशाल ब्रिटिश-विरोधी भारत छोड़ो अभियान में उनकी प्रमुख भूमिका के लिए।
- वे 1936 में कांग्रेस पार्टी की मद्रास शाखा के महासचिव और 1940 में पार्टी के अध्यक्ष चुने गए।
- 1937 और 1946 में, कामराज मद्रास प्रेसीडेंसी विधानमंडल के लिए चुने गए।
- उन्होंने 1946 में संविधान सभा के सदस्य भी रहे।

स्वतंत्रता पश्चात का राजनीतिक जीवन

- 1947 में उन्हें राष्ट्रीय पार्टी की कार्यकारिणी समिति में पदोन्नत किया गया और वे 1969 तक उस संगठन के सदस्य रहे।
- कामराज ने 1951 में पहली लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा और चुने गए।
- 1954 में मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद कामराज ने राज्य विधानमंडल में एक सीट जीती।
- उन्हें पद पर रहते हुए राज्य की शिक्षा प्रणाली में उल्लेखनीय सुधार लाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने ऐसी नीतियाँ लागू कीं जिनसे नए स्कूल बनाए गए, शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया और छात्रों को मुफ्त वर्दी और भोजन दिया गया।
- उन्होंने 1963 में कामराज योजना के तहत स्वेच्छा से पद से इस्तीफा दे दिया, जिसमें उच्च पदस्थ राज्य और राष्ट्रीय पदाधिकारियों से स्वेच्छा से इस्तीफा देने का आह्वान किया गया था ताकि वे अपनी ऊर्जा जमीनी स्तर पर कांग्रेस पार्टी

को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित कर सकें। इसके तुरंत बाद उन्हें पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

- उन्होंने 1964 में लाल बहादुर शास्त्री और 1966 में इंदिरा गांधी के चुनाव में प्रमुख भूमिका निभाई।
- हालाँकि, 1969 में कांग्रेस में विभाजन (वे संगठन कांग्रेस में बने रहे) और 1971 के आम चुनावों के परिणामस्वरूप उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा और अधिकार को एक और झटका लगा।
- कुमारस्वामी कामराज अंत तक जनता के बीच काम करते रहे।
- उन्हें 1976 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: के. कामराज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वे स्वतंत्र भारत में मद्रास राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे।
2. उन्हें 1976 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

(Q) : 2020

हेमम नीलमणि सिंह

चर्चा में क्यों: भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित एक मरणोपरांत सम्मान समारोह में, केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में हेमम नीलमणि सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की, जो मणिपुर के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) से संबद्ध थे।



इनके बारे में

- हेमम नीलमणि सिंह एक समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी और मणिपुर के पूर्व उप-शिक्षा मंत्री थे।
- उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, विशेष रूप से पूर्वोत्तर में, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके बाद हुए भाषाई और शैक्षिक सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
- प्रारंभिक जीवन और INA में भूमिका
 - सिंह का जन्म 1915 में हुआ था और वे बोस और गांधीवादी विचारों दोनों से प्रभावित थे।
 - हालाँकि, वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों के प्रति अधिक उन्मुख थे और 1944 में INA में शामिल हो गए।
 - उन्होंने मोड़रांग कोन्जेंगबाम में अपना घर INA के मुख्यालय के रूप में दान कर दिया।
 - 1944 में इम्फाल की लड़ाई में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और 14 अप्रैल, 1944 को मोड़रांग में भारतीय धरती पर पहली बार भारतीय तिरंगा फहराने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी।
 - बाद में उन्हें 1945 में अंग्रेजों ने कैद कर लिया और 1946 में रिहा कर दिया गया।

- **स्वतंत्रता पश्चात योगदान**
 - मणिपुर के उप शिक्षा मंत्री के रूप में, उन्होंने महिलाओं की मुक्ति और शिक्षा सुधार के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का नेतृत्व किया और साथ ही उच्च शिक्षा तक आसान पहुँच को बढ़ावा दिया।
 - उन्होंने मोइरान के कॉलेज में विज्ञान विषय शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए मणिपुर में हिंदी को एक एकीकृत भाषा के रूप में समर्थन दिया।
- **विरासत**
 - राज्य के पहले मुख्यमंत्री मैरेम्बम कोइरेंग सिंह के साथ मणिपुर के स्वतंत्रता आंदोलन के एक अभिन्न अंग के रूप में अक्सर उनका उल्लेख किया जाता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: स्वतंत्रता सेनानी हेमंत नीलमणि सिंह किस राज्य से संबंधित हैं?

- (a) मणिपुर (c) असम
(b) मेघालय (d) अरुणाचल प्रदेश

(e) :2122

मंगल पांडे

चर्चा में क्यों: राष्ट्र स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देता है, जो 19 जुलाई को मनाई जाती है।



नाम	मंगल पांडे
जन्म तिथि और स्थान	19 जुलाई 1827, बलिया जिला, उत्तर प्रदेश
व्यवसाय	ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री में सिपाही
के लिए जाना जाता है	बैरकपुर विद्रोह
मृत्यु तिथि और स्थान	08 अप्रैल 1857, बरकपुर
श्रद्धांजलि	भारत सरकार ने अक्टूबर 1984 में उनकी छवि वाला डाक टिकट जारी किया
मूल्य	साहस, नेतृत्व, दृढ़ संकल्प, देशभक्ति

मंगल पांडे के बारे में मुख्य तथ्य

- उन्हें 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का अग्रदूत माना जाता है।
- वे 1849 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल हुए।
- उन्होंने गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूसों के चलन के खिलाफ विद्रोह किया, जो हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन करते थे।
- उन्होंने 29 मार्च 1857 को अपने वरिष्ठ सार्जेंट मेजर पर हमला किया और उन पर गोलियां चलाई।

- उनके इस कृत्य से आक्रोश भड़क उठा और अन्य सैनिकों और नागरिकों को पूरे भारत में विद्रोह के लिए प्रेरित किया।
- उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, कोर्ट मार्शल किया गया और 8 अप्रैल 1857 को मृत्यु तक फांसी पर लटका दिया गया।
- इस घटना के बाद, उनकी रेजिमेंट को भंग कर दिया गया, बरहामपुर स्थित 19वीं इन्फैंट्री की तरह।
- उन्हें उनके साहस और बलिदान के लिए याद किया जाता है।

1857 का विद्रोह

विद्रोह का केंद्र	नेता	ब्रिटिश अधिकारी (विद्रोह दबाने वाले)
दिल्ली	बहादुर शाह जफर	जॉन निकोलसन
लखनऊ	बेगम हज़रत महल	हेनरी लॉरेन्स
कानपुर	नाना साहेब	सर कॉलिन कैपबेल
झांसी और ग्वालियर	रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे	जनरल ह्यूग रोज़
बरेली	खान बहादुर खान	सर कॉलिन कैपबेल
बिहार	कुंवर सिंह	विलियम टेलर
इलाहाबाद और बनारस	मौलवी लियाकत अली	कर्नल ऑनसेल

1857 के विद्रोह पर लिखी गई पुस्तकें

- वीर सावरकर द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम
- पूरन चंद जोशी द्वारा विद्रोह, 1857: एक संगोष्ठी
- जॉर्ज ब्रूस मैलेसन द्वारा 1857 का भारतीय विद्रोह
- क्रिस्टोफर हिबर्ट द्वारा महान विद्रोह
- इकबाल हुसैन द्वारा 1857 के विद्रोहियों का धर्म और विचारधारा
- खान मुहम्मद सादिक खान द्वारा सत्य का उत्खनन: 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायक।

मियां तानसेन

चर्चा में क्यों: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ग्वालियर स्थित तानसेन की समाधि पर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति देने के अनुरोध को ठुकरा दिया है।

मुख्य विवरण:

- न्यायालय ने कहा कि यह स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अंतर्गत एक संरक्षित स्मारक है।
- यह मामला हज़रत शेख मुहम्मद गौस की समाधि पर उर्स और नमाज़ जैसे धार्मिक समारोहों की अनुमति देने के अनुरोध पर केंद्रित था, जो तानसेन की समाधि स्थल भी है।
- हज़रत शेख मुहम्मद गौस की समाधि को 1958 के प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम के अनुसार 1962 में राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक के रूप में नामित किया गया था।



इनकार के लिए न्यायालय का तर्क

- उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारक पर धार्मिक गतिविधियों की अनुमति देना उचित नहीं है।
- न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता के पास समाधि पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
- इसने पहले के अदालती फैसलों का हवाला दिया, जिन्होंने लगातार स्वामित्व के दावों को खारिज किया था और एएसआई की साइट की निगरानी का समर्थन किया था।

सांस्कृतिक विरासत पर प्रभाव

- न्यायालय का यह निर्णय सांस्कृतिक परंपराओं और ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करता है।
- यह स्मारकों की सुरक्षा की आवश्यकता पर बल देता है उन कार्यों से जो उनकी संरचनात्मक और सांस्कृतिक अखंडता को खतरे में डाल सकते हैं।
- यह निर्णय भारत में संरक्षित स्मारकों से संबंधित आगामी मामलों के लिए एक मिसाल कायम करता है।

मियाँ तानसेन

- रामतनु, जिन्हें आमतौर पर मियाँ तानसेन या संगीत सम्राट के नाम से जाना जाता है, एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे।
- उन्होंने अपना अधिकांश वयस्क जीवन रीवा के हिंदू राजा, राजा रामचंद्र सिंह बघेल के दरबार में संगीतकार और संगीतज्ञ के रूप में बिताया।
- 1562 में, तानसेन अकबर के दरबार में शामिल हुए, और उनके प्रदर्शन कई दरबारी इतिहासकारों के लिए विषय बन गए। उनकी क्षमताओं को व्यापक प्रसिद्धि मिली।

हज़रत शेख मुहम्मद गौस ग्वालियरी

- वे 16वीं शताब्दी के एक सूफ़ी संत, संगीतकार और शताब्दी संप्रदाय के रचयिता थे।
- उन्हें उनकी कृति "जवाहिर-ए-ख़मस" (पाँच रत्न) और एक योग ग्रंथ का फ़ारसी में अनुवाद करने के लिए जाना जाता है।
- वे मुग़ल बादशाहों बाबर, हुमायूँ और अकबर के काल में रहे और बाबर की ग्वालियर किले पर विजय में योगदान दिया।

सूफ़ी संत शेख मुहम्मद गौस का मकबरा

- हज़रत शेख मुहम्मद गौस का मकबरा उनकी मृत्यु के बाद 1563 में बनाया गया था।

- यह मकबरा मुग़ल स्थापत्य शैली में डिज़ाइन किया गया है, जिसके प्रत्येक कोने पर षटकोणीय मीनारें, प्रत्येक मीनार के ऊपर छोटे गुंबद और एक प्रमुख केंद्रीय गुंबद हैं।
- यह बलुआ पत्थर से निर्मित है और इसमें जटिल, पत्थर की नक्काशीदार जालीदार कारीगरी शामिल है।
- मुख्य कक्ष के चारों ओर एक बरामदा है, जिसमें गुजराती वास्तुकला से प्रेरित विस्तृत पत्थर की जाली लगी हुई है।
- ये विशेषताएँ बाद की संरचनाओं के अग्रदूत के रूप में कार्य करती हैं, जिनमें फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी शामिल है।
- यह मकबरा हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए एक पवित्र स्थल माना जाता है।
- यह मकबरा ग्वालियर में, ग्वालियर किले के पास स्थित है।

पुरातात्विक स्थल और अवशेष (AMASR) अधिनियम, 1958

- भारत की संसद ने राष्ट्रीय महत्व वाले प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों की सुरक्षा के उद्देश्य से एक कानून बनाया है।
- यह कानून पुरातात्विक उत्खनन को नियंत्रित करता है और मूर्तियों, नक्काशी और इसी तरह की कलाकृतियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- नियमों के अनुसार, किसी स्मारक के 100 मीटर के भीतर का क्षेत्र निषिद्ध क्षेत्र के रूप में नामित है।
- इसके अलावा, स्मारक से 200 मीटर तक का क्षेत्र विनियमित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत है।
- इस क्षेत्र में संरचनाओं की किसी भी मरम्मत या परिवर्तन के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विकास में मियाँ तानसेन के योगदान और मुग़ल दरबार के सांस्कृतिक इतिहास में उनके महत्व पर चर्चा कीजिए।

अपने उत्तर में, इस बात पर प्रकाश डालिए कि उनका संगीत अकबर के शासनकाल के सामाजिक-राजनीतिक परिवेश को कैसे दर्शाता है।
[250 शब्द] [15 अंक]

विषय 1: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: आशा, अवसर और समावेशिता का एक दशक

I. परिचय: सशक्तिकरण का एक दशक

- शुभारंभ वर्ष: अप्रैल 2015
- उद्देश्य: सूक्ष्म और लघु उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना
- महत्व: उद्यमिता को बढ़ावा दिया, रोजगार सृजित किए, आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया
- पहुँच (मार्च 2025 तक):
 - ₹33.32 लाख करोड़ वितरित
 - 52.73 करोड़ ऋण खाते
 - सूक्ष्म उद्यमिता की संस्कृति पूरे भारत में व्याप्त

II. केस स्टडी: सीमा रानी मालाकार – आकांक्षी भारत की प्रतीक

- स्थान: शिलांग
- पृष्ठभूमि: सीमित घरेलू आय, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की महत्वाकांक्षा
- कार्रवाई: सिलाई व्यवसाय के लिए ₹40,000 का शिशु ऋण लिया
- परिणाम: बेहतर आय; बच्चों की गुणवत्तापूर्ण स्कूल में शिक्षा

III. एमएसएमई और वित्तीय समावेशन का महत्व



- एमएसएमई की भूमिका:
 - आर्थिक विकास, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देना
 - भारत में एमएसएमई की विविध प्रकृति - छोटे कारीगरों से लेकर तकनीक आधारित स्टार्टअप तक

- वित्तीय समावेशन रणनीति: भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार का नीतिगत ढाँचा तीन स्तंभों पर केंद्रित है:

(i) बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करना

(ii) असुरक्षित लोगों को सुरक्षित करना

(iii) वित्तपोषित लोगों को वित्तपोषित करना

- पीएमएमवाई की भूमिका: तीसरे स्तंभ को संबोधित करने की दिशा में विशेष रूप से एक मज़बूत कदम: वित्तपोषित लोगों को वित्तपोषित करना; बड़े पैमाने पर सूक्ष्म ऋण प्रदान करना।

IV. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऋणों की संरचना

• ऋण श्रेणियाँ:

- शिशु: ₹50,000 तक
- किशोर: ₹50,001–₹5 लाख
- तरुण: ₹5.01–₹10 लाख
- तरुण प्लस: ₹10.01–₹20 लाख (नया)

- लक्ष्य: एमएसएमई, विशेष रूप से वंचित और अनौपचारिक क्षेत्रों के लिए सूक्ष्म वित्तीय पहुँच को बढ़ावा देना

V. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की लोकप्रियता के पीछे के कारक

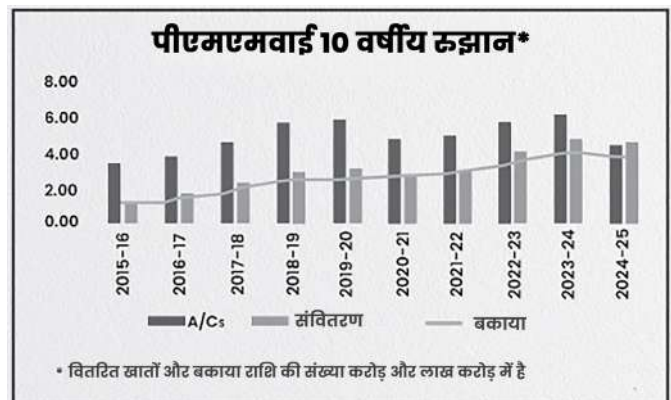
(i) शून्य संपार्श्विक: संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं; सीजीटीएमएसई/सीजीएफएमयू गारंटी द्वारा समर्थित

(ii) प्रतिस्पर्धी ब्याज दरें: छोटे व्यवसायों के लिए वहनीय

(iii) लचीला पुनर्भुगतान: व्यवसाय के नकदी प्रवाह के आधार पर अनुकूलित ईएमआई

(iv) डिजिटल पहुँच: बैंकों या जनसमर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें

(v) व्यापक भागीदारी: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा समर्थित



VI. प्रदर्शन मीट्रिक्स

- कुल स्वीकृत (वित्त वर्ष 2025): ₹5.20 लाख करोड़
- कुल संवितरित (वित्त वर्ष 2025): ₹5.09 लाख करोड़
- संचयी (मार्च 2025 तक):
 - स्वीकृत: ₹34.09 लाख करोड़
 - संवितरित: ₹33.32 लाख करोड़

VII. राज्यवार वितरण

- शीर्ष 5 राज्य (संचयी संवितरण):
 - तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार
 - कुल संवितरण का 46.3% हिस्सा



- अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (IME) के साथ संरेखण पंजीकरण:
 - शीर्ष PMMY राज्य शीर्ष IME पंजीकरण राज्य भी हैं (उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से)

VIII. ऋण श्रेणी आँकड़े:

- शिशु ऋण: 80% खाते, कुल का 38% (वित्त वर्ष 2024 तक)
- किशोर ऋण: 18% खाते, कुल का लगभग 38%
- तरुण ऋण: 2% खाते, कुल का लगभग 24%

- वित्त वर्ष 25 वितरण:
 - शिशु: 18.1%
 - किशोर: 50.9%
 - तरुण: 30.2%
 - तरुण प्लस: 0.8%
- ऋण आकार का रुझान:
 - ₹39,405 (वित्त वर्ष 2016) → ₹81,108 (वित्त वर्ष 2024) ₹1.06 लाख (वित्त वर्ष 2025)

- उच्च टिकट आकार के ऋण:
- 'किशोर' + 'तरुण' ऋण में वृद्धि 57.2% (2016) से 82.7% (2025)

IX. परिवर्तनकारी प्रभाव

- वित्तीय समावेशन
 - नए खाते (31 मार्च 2025 तक): ₹10.56 लाख करोड़ से 10.97 करोड़ नए खाते स्वीकृत (कुल का 31%)
 - महिला उद्यमी: ₹14.85 लाख करोड़ स्वीकृत (कुल का लगभग 44%)
 - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग लाभार्थी: ₹11.72 लाख करोड़ (लगभग 34.5%)
- लघु उद्यमियों का सशक्तिकरण
 - स्व-रोज़गार और आर्थिक एजेंसी
 - ग्रामीण क्षेत्रों में मज़बूत पहुँच।
- अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा
 - स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और रोज़गार सृजन को मज़बूत करता है।
- रोज़गार सृजन
 - सूक्ष्म उद्यमों को समर्थन → उच्च रोज़गार प्रति इकाई कारोबार की संभावना
- ऋण तक पहुँच
 - संपार्श्विक-मुक्त ऋणों के लिए कम बाधाएँ
- आर्थिक असमानता में कमी
 - गिनी सूचकांक में गिरावट: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऋण वृद्धि के साथ प्रबल नकारात्मक सहसंबंध (-0.84) (स्रोत: सिडबी)
- बहुआयामी गरीबी में कमी
 - मध्यम सकारात्मक सहसंबंध (0.44): शीर्ष 10 राज्यों में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वितरण और गरीबी में कमी के बीच (2016-2021)

X. चुनौतियाँ और अवसर

- कम पहुँच वाले राज्य:
 - अधिक जनसंख्या वाले और पूर्वोत्तर राज्यों को अधिक कवरेज की आवश्यकता है।
- जागरूकता और वित्तीय साक्षरता:
 - पहुँच और ज़िम्मेदारी से उधार लेने को बढ़ाने के लिए अभियान आवश्यक हैं।

XI. मुद्रा (सिडबी की सहायक कंपनी) की भूमिका

- अधिदेश: पीएमएमवाई ऋणों का पुनर्वित्त करके निर्बाध ऋण प्रवाह को सुगम बनाना
- संचयी पुनर्वित्त (31 मार्च 2025 तक):
 - स्वीकृत: ₹1.03 लाख करोड़
 - वितरित: ₹1.00 लाख करोड़
 - बकाया: ₹29,421 करोड़

XII. निष्कर्ष: पीएमएमवाई की विरासत और आगे की राह

- पीएमएमवाई एक ऋण योजना से कहीं बढ़कर है - यह आशा, समावेश और अवसर की कहानी है
- जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देकर 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप

विषय 2: उद्यमशीलता कौशल की पुनर्कल्पना

I. ग्रामीण भारत में उद्यमशीलता कौशल की उत्पत्ति

- प्रथम ग्रामीण विकास एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RUDSETI) की स्थापना - 1982:
 - उज्जरी, कर्नाटक में आरंभ।
 - केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक और श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर एजुकेशनल ट्रस्ट की संयुक्त पहल।
 - अल्पकालिक पाठ्यक्रमों (6 से 60 दिन) और दीर्घकालिक सहायता (2 वर्ष) के माध्यम से ग्रामीण उद्यमशीलता प्रशिक्षण पर केंद्रित।
- सरकार द्वारा अपनाया गया (2007-08):
 - ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (RSETI) के रूप में अपनाया गया मॉडल।
 - देश भर में 600 से अधिक RSETI का विस्तार।

II. आरएसईटीआई का प्रदर्शन और योगदान

- प्रशिक्षण पहुँच:
 - 55.53 लाख ग्रामीण युवाओं को क्षेत्रीय और उद्यमिता विषयों में प्रशिक्षित किया गया।
 - 73% निपटान दर, 40.27 लाख युवाओं ने उद्यम शुरू किए।
- वित्तीय सहायता:
 - 20.40 लाख प्रशिक्षित युवाओं के लिए बैंक संपर्क।
- व्यापक प्रभाव:
 - युवा रोजगार सृजनकर्ता बनते हैं।
 - ग्रामीण आर्थिक विकास और समावेशीपन को बढ़ावा देता है।

III. विकासशील उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र



- तकनीकी प्रगति:
 - एआई, डेटा एनालिटिक्स, ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म (जैसे, GeM) का उदय।
- अन्य सरकारी योजनाएँ:
 - एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत ईएसडीपी और पीएमईजीपी।
 - तालमेल और गुणक प्रभाव की संभावना।
- समावेशिता अनिवार्य:
 - महिलाओं, आदिवासियों, दिव्यांगजनों, पूर्व सैनिकों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता।
- नए उद्यम मॉडल:
 - गिग इकॉनमी, लॉजिस्टिक्स, आवास-आधारित उद्यम।
- जनसांख्यिकीय दबाव:
 - 8 मिलियन युवा प्रतिवर्ष कार्यबल में प्रवेश करते हैं।

IV. आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता

- वर्तमान आरएसईटीआई मॉडल की चुनौतियाँ:
 - सीमित पाठ्यक्रम (केवल 60)।
 - प्रति ज़िले अपर्याप्त प्रशिक्षण पहुँच (750-1000 वर्ष)।
 - हाशिप पर पड़े समुदायों का कम प्रतिनिधित्व।
 - प्रशिक्षण केंद्रों की अनुपलब्धता।
 - पुनः कौशलीकरण/उन्नयन के प्रावधान का अभाव।

V. पुनर्कल्पित कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सुधार

- अधोगामी योजना:
 - कौशल की माँग को जिला स्तर पर दर्ज किया जाएगा।
 - वास्तविक माँग के आधार पर संसाधन आवंटन।
- समुदाय-आधारित प्रशिक्षण:
 - DAY-NRLM ने सामुदायिक संस्थानों को ग्राम-स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया।
 - सामुदायिक संबंधित प्रशिक्षण केंद्रों (CMTCs) का उपयोग।
 - क्लस्टर स्तरीय संघों (CLFs) को प्रशिक्षण मॉड्यूल आउटसोर्स करना।
- ज़िला-विशिष्ट प्रशिक्षण अनुकूलन:
 - स्थानीय संसाधनों और बाज़ार की माँग के आधार पर प्रति ज़िला 4-5 केंद्रित ट्रेड।
 - क्लस्टर विकास (जैसे, केला उगाने वाले क्षेत्रों में केले के रेशे उद्योग)।
- उत्कृष्टता केंद्र (सीओई):
 - चुनिंदा आरएसईटीआई को क्षेत्र-विशिष्ट सीओई के रूप में विकसित किया जाएगा।
 - आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा।

VI. प्रशिक्षण को अधिक सुलभ और समावेशी बनाना

- लचीला प्रशिक्षण कार्यक्रम:
 - अवधि: आपसी सहमति के आधार पर 3-4 घंटे/दिन।
 - महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन।
- कार्यस्थल पर प्रशिक्षण पर ध्यान:
 - गहन शिक्षण के लिए मास्टर प्रशिक्षकों के कार्यस्थलों पर आयोजित किया जाएगा।

- कम लाभ वाले ट्रेडों का समाधान:
 - समस्याओं की जाँच करना (जैसे, पुरानी तकनीक, खराब डिज़ाइन)।
 - एकत्रीकरण और डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से विपणन क्षमता में वृद्धि।

VII. मास्टर प्रशिक्षकों को सशक्त बनाना

- स्थानीय विशेषज्ञता को मान्यता:
 - समुदाय द्वारा पहचाने गए मास्टर प्रशिक्षक।
 - औपचारिक प्रमाणपत्रों के अभाव में अस्वीकृति नहीं।
- प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करना:
 - व्यापार और प्रशिक्षण अवधि के आधार पर पारिश्रमिक।
 - विश्वास और मार्गदर्शन को बढ़ावा देता है।

VIII. विकासोन्मुख उद्यमों को समर्थन

- विस्तार के अवसर:
 - उच्च ऋण लिंकेज और व्यवसाय विकास योजना।
 - PMMY, स्टैंड-अप इंडिया, PMFME जैसी योजनाओं का लाभ उठाना।
- व्यावसायिक क्लिनिक:
 - RSETI द्वारा मार्गदर्शन के लिए सलाहकार प्लेटफ़ॉर्म स्थापित करना।

IX. अप-स्किलिंग, रीस्किलिंग और उच्च शिक्षा

- सशुल्क पाठ्यक्रम:
 - गंभीर, पहले से प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए।
 - मार्गदर्शन सहायता के साथ उच्च कौशल संस्थानों तक पहुँच।

- आरएसईटीआई की भूमिका:
 - नवाचार और इनक्यूबेशन के केंद्र के रूप में।
 - स्केलेबल उद्यमों के लिए त्वरक सहायता प्रदान करना।

X. डिजिटल मार्केटिंग और आधुनिक प्लेटफ़ॉर्म

- भौतिक से ऑनलाइन की ओर बदलाव:
 - डिजिटल-प्रथम मार्केटिंग रणनीतियों पर ज़ोर।
 - व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का उपयोग।
- मार्केटिंग सखियाँ और पूर्ति केंद्र:
 - डिजिटल मार्केटिंग में प्रशिक्षित सामुदायिक संसाधन व्यक्ति।
 - रसद प्रबंधन के लिए स्थानीयकृत पूर्ति केंद्र।

XI. निष्कर्ष: 2047 के भारत की ओर

- विज़न:
 - 2047 तक विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री के विज़न के साथ संरेखित होना।
- प्रमुख प्रेरक:
 - स्केलेबल और समावेशी कौशल।
 - प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, ऋण और विपणन में समग्र सहायता।
- परिणाम:
 - ग्रामीण युवाओं और महिलाओं का सशक्तिकरण।
 - ग्रामीण उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र का विकास।

चहल एकेडमी द्वारा निःशुल्क पहल
CCHAHAL
ACADEMY

‘इंडियन एक्सप्रेस’ का एडिटोरियल एनालिसिस

क्यू आर कोड स्कैन करें





विषय 1: सहकारिता : विकसित भारत @2047 के स्वप्न की साकारिता

I. सहकारिता मंत्रालय की स्थापना

- 6 जुलाई 2021 को, भारत ने एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय का गठन किया, जो सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है।
 - इससे पहले, सहकारिता संबंधी मुद्दे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन थे।
 - अमित शाह को पहला सहकारिता मंत्री नियुक्त किया गया था।
- मंत्रालय का गठन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया गया था:
 - प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत सहायता प्रदान करना।
 - भारत में सहकारिता आंदोलन को मजबूत और पुनर्जीवित करना।
 - सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन में केंद्रीय भूमिका निभाना।

II. मंत्रालय का विजन और लक्ष्य

- एक समावेशी सहकारिता-आधारित आर्थिक मॉडल को बढ़ावा देना।
- सहकारी समितियों को कृषि, डेयरी और ग्रामीण उद्यमिता के विकास में योगदान देने में सक्षम बनाना।
- 29 करोड़ से अधिक सदस्यों वाली 8.40 लाख से अधिक सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करना।

III. प्रमुख उपलब्धियाँ और सुधार

(i) प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) सुधार

- PACS भारत की सहकारी ऋण संरचना की मूल इकाइयाँ हैं, जिनकी स्थापना 1904 में हुई थी।
- चुनौतियाँ:
 - पुरानी परिचालन संरचनाएँ।
 - डिजिटल बुनियादी ढाँचे का अभाव।
- PACS के लिए आदर्श उपनियम:
 - PACS को बहु-कार्यात्मक ग्रामीण सेवा केंद्रों में बदलना।
 - PACS को कृषि सेवाओं, खुदरा, भंडारण, स्वास्थ्य सेवा आदि में विविधता लाने की अनुमति देना।
 - रोजगार सृजन और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण को सक्षम बनाना।

(ii) PACS का डिजिटलीकरण

- नाबार्ड के सहयोग से कम्प्यूटरीकरण परियोजना शुरू की गई।
- उद्देश्य:
 - PACS में डिजिटल बुनियादी ढाँचे का मानकीकरण।
 - क्षेत्रीय भाषाओं में क्लाउड-आधारित ईआरपी सॉफ्टवेयर लागू करना।

- कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना और रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करना।

• लाभ:

- वास्तविक समय लेखांकन।
- जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों के साथ बेहतर समन्वय।
- बढ़ी हुई पारदर्शिता और दक्षता।

(iii) PACS और बहुउद्देशीय समितियों का विस्तार

- निम्नलिखित क्षेत्रों में नए PACS स्थापित किए जा रहे हैं:
 - डेयरी, मत्स्य पालन, भंडारण, खुदरा, स्वास्थ्य सेवा।
- लक्ष्य: प्रति पंचायत एक पेशेवर रूप से प्रबंधित PACS।
- परिणाम: स्थानीय शासन के साथ अंतिम छोर तक सहकारी सेवा वितरण।

(iv) सार्वजनिक सेवाओं के साथ PACS को सशक्त बनाना

- PACS अब यहाँ कार्यरत हैं:
 - सामान्य सेवा केंद्र (CSC)
 - जन औषधि केंद्र
 - किसान समृद्धि केंद्र
 - एलपीजी और पेट्रोल वितरण, पानी समितियाँ, एफपीओ

• इन तक पहुँच बढ़ाता है:

- सस्ती दवाइयाँ, बैंकिंग सेवाएँ, एलपीजी और सरकारी योजनाएँ।
- रोजगार सृजन और ग्रामीण-शहरी संपर्क।

(v) राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) का निर्माण

- इसके लिए रीयल-टाइम डिजिटल प्लेटफॉर्म:
 - सहकारी प्रदर्शन की निगरानी।
 - योजना और लक्षित हस्तक्षेप।
- इसमें मदद करता है:
 - निष्क्रिय या कम प्रदर्शन करने वाली समितियों की पहचान करना।
 - व्यापार करने में आसानी बढ़ाना।

(vi) राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियों का गठन

- भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल): बीज उत्पादन।
- नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल): जैविक खेती।
- राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल): निर्यात सुविधा।
- उद्देश्य:
 - जमीनी स्तर की सहकारी समितियों को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों से जोड़ना।

- मूल्य श्रृंखलाओं और आय विविधीकरण का विस्तार करना।

IV. विधायी सुदृढीकरण - एमएससीएस संशोधन अधिनियम, 2023

- बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए कानूनी ढाँचे को मजबूत करता है।
- मुख्य विशेषताएँ:
 - अनिवार्य ऑडिट और चुनाव।
 - पारदर्शी और पेशेवर प्रबंधन।
 - कम राजनीतिक हस्तक्षेप।

V. श्वेत क्रांति 2.0

- डेयरी सहकारी समितियों, विशेष रूप से महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों के आधुनिकीकरण पर केंद्रित।
- लक्ष्य:
 - दुग्ध उत्पादन में वृद्धि।
 - बुनियादी ढाँचे का निर्माण और पशु चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करना।
 - महिला नेतृत्व और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना।
- प्रोत्साहन:
 - दुग्ध खरीद के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म।
 - मूल्य संवर्धन और आय सृजन।
 - खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण रोज़गार।

VI. सहकारिताओं में अनाज भंडारण क्रांति

- विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का शुभारंभ।
- 11 राज्यों में 11 PACS में पायलट गोदाम।
- अगले चरण में 500 PACS तक विस्तार।
- परिणाम:
 - कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी।
 - बेहतर मूल्य प्राप्ति।
 - भंडारण, रसद, रखरखाव में रोज़गार।

VII. अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (IYC) 2025



- संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित।
- विषय: "सहकारिताएँ एक बेहतर विश्व का निर्माण करती हैं"।
- उद्देश्य:

- सहकारी समितियों के आर्थिक/सामाजिक योगदान का जश्न मनाना।
- नवाचार, वैश्विक साझेदारी और युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना।
- सहकार से समृद्धि और विकसित भारत @2047 के साथ संरेखित।

VIII. विकसित भारत @2047 विजन और सहकारी भूमिका

- लक्ष्य: 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, 100% साक्षरता, स्वास्थ्य सेवा और सतत शहरी विकास।
- सहकारिताएँ निम्नलिखित के लिए उपकरण हैं:
 - समावेशी और सहभागी विकास।
 - ग्रामीण-शहरी विभाजन को पाटना।
 - आर्थिक अवसर का लोकतंत्रीकरण।
- मंत्रालय का लक्ष्य है:
 - डिजिटलीकरण, पारदर्शिता और शासन सुधारों के साथ सहकारी समितियों को मजबूत करना।
 - स्थानीय लोगों को सक्रिय विकास भागीदार के रूप में सशक्त बनाना।

IX. सहकारी समितियों के लिए रणनीतिक फोकस क्षेत्र

- व्यापार सुगमता का विस्तार करना।
- किफायती वित्त तक पहुँच में सुधार करना।
- महिलाओं की भागीदारी और युवा उद्यमिता को बढ़ावा देना।
- उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाना और कौशल विकास।
- भावी सहकारी क्षेत्र:
 - जैविक खेती, स्वच्छ ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण
 - कृषि-तकनीक, आपूर्ति श्रृंखलाएँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म
 - ग्रामीण पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाएँ

X. प्रौद्योगिकी और डिजिटल शासन

- प्रमुख उपकरण और पोर्टल:
 - सीआरसीएस, सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल, ई-संयुक्ति, ई-समृद्धि
- उन्नत तकनीक जैसे:
 - सैटेलाइट खेती, ब्लॉकचेन, डेटा एनालिटिक्स, मोबाइल ऐप्स

XI. समावेशिता और जागरूकता निर्माण

- प्रोत्साहन:
 - महिला नेतृत्व, युवा सहभागिता
 - स्कूलों और कॉलेजों में सहकारी शिक्षा
- करियर पथ के रूप में सहकारी समितियों के बारे में जागरूकता पैदा करना।

XII. निष्कर्ष

- विकसित भारत 2047 समावेशी, न्यायसंगत और विकसित भारत के लिए एक राष्ट्रव्यापी मिशन है।
- सहकारिताएँ इस दृष्टिकोण का केंद्र हैं, जो जमीनी स्तर पर समृद्धि सुनिश्चित करती हैं।
- मज़बूत नीतिगत समर्थन, कानूनी सुधारों और जन भागीदारी के साथ, सहकारी समितियाँ:
 - समुदायों को संगठित कर सकती हैं।
 - लाभों का समान वितरण कर सकती हैं।

- स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बनाए रख सकती हैं।
- वे "सहकारिता के माध्यम से समृद्धि" के सिद्धांत को मूर्त रूप देती हैं और 2047 तक भारत को एक आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

विषय 2: एकजुटता से बढ़ना: सहकार से समृद्धि को साकार करना

I. सहयोग का अर्थ और सांस्कृतिक मूल

- परिभाषा और उत्पत्ति:
 - 'सहकारिता' शब्द लैटिन उपसर्ग "को" (सह - साथ) और "ऑपरेशन" (कार्य - काम) से लिया गया है, जिसका अर्थ है मिलकर काम करना।
 - यह भारत के सांस्कृतिक लोकाचार के अनुरूप है, जो ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में परिलक्षित होता है: "हम एक मन, एक आत्मा हों, हमारे विचार एक हों।"
- ऐतिहासिक पूर्ववृत्त:
 - संयुक्त परिवार संरचना, पारस्परिक सहायता और सामुदायिक स्वामित्व जैसी पारंपरिक भारतीय प्रणालियाँ सहकारी दर्शन का प्रमाण देती हैं।
 - सहकारी व्यवहार के संदर्भ वेदों, मनुस्मृति और अर्थशास्त्र में मिलते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है: "जो लोग सहकारी प्रयास में शामिल नहीं होते हैं, उन्हें श्रम और लागत का योगदान करना पड़ता है, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता है।"

II. भारत में सहकारिता का विकास

- औपनिवेशिक परिचय (1904 अधिनियम):
 - 1904 के सहकारी ऋण समिति अधिनियम ने औपचारिक रूप से ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में सहकारिता की शुरुआत की।
- 1912 के बाद का विस्तार:
 - 1912 में हुए संशोधनों ने ग्रामीण ऋण से आगे बढ़कर इसका दायरा बढ़ा दिया।
- मैक्लेगन समिति (1914-15):
 - आंदोलन को केवल राहत से सामाजिक आर्थिक कल्याण में परिवर्तित किया।
- गांधीवादी दृष्टिकोण:
 - गांधी ने चरखे (हाथ से कटाई) को आर्थिक स्वतंत्रता के लिए स्वैच्छिक सहयोग का सबसे बड़ा उदाहरण बताया।
- स्वतंत्रता पश्चात मान्यता:
 - सहकारिता भारत के नियोजित विकास में केंद्रीय भूमिका में आ गई, और उसे संस्थागत समर्थन बढ़ता गया।

III. संस्थागत समर्थन और मंत्रालय की स्थापना

- सहकारिता मंत्रालय (MoC) का निर्माण:
 - भारत सरकार द्वारा 6 जुलाई 2021 को स्थापित।
 - इसका उद्देश्य सहकारिता आधारित आर्थिक विकास को संस्थागत रूप देना और बढ़ावा देना है।
 - नारा: "सहकार से समृद्धि" - सहकारिता समृद्धि की ओर ले जाती है।

IV. सहकारी मूल्य और अमूल उदाहरण

- मूल मूल्य:
 - सहकारिता के सात वैश्विक सिद्धांतों (लोकतंत्र, समानता, समता, एकजुटता, आदि) पर आधारित।
 - लाभ-अधिकतमीकरण के बजाय जन-केंद्रित व्यवसाय को बढ़ावा देना।
- एक आदर्श सहकारी संस्था के रूप में अमूल:
 - सरदार वल्लभभाई पटेल और त्रिभुवनदास पटेल द्वारा स्थापित।
 - इसमें निम्नलिखित सिद्धांत समाहित हैं:
 - ◆ सहजीवन (एकजुट होकर रहना)
 - ◆ स्वनिधि (स्व-वित्तपोषण)
 - ◆ स्वदेशी (मेक इन इंडिया)
 - ◆ स्वरोजगार (स्व-रोजगार)
 - ◆ स्व-उद्यमिता (स्व-उद्यमिता)
 - ◆ स्वनिर्भर और समृद्धि (आत्मनिर्भरता और समृद्धि)

V. भारत में सहकारी आंदोलन की स्थिति

- पैमाना और पहुँच:
 - 29 करोड़ सदस्यों वाली 8.14 लाख से अधिक सहकारी समितियाँ।
 - 810,613 प्राथमिक सहकारी समितियाँ और 19 राष्ट्रीय स्तर के संघ।
 - सहकारी समितियाँ 98% भारतीय गाँवों में मौजूद हैं।

VI. PACS (प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ) को सुदृढ़ बनाना

(i) PACS के लिए आदर्श उपनियम:

- PACS को 25 से अधिक विविध व्यावसायिक गतिविधियाँ करने के लिए सशक्त बनाना।
- गतिविधियों में शामिल हैं:
 - डेयरी, मत्स्य पालन, भंडारण
 - नवीकरणीय ऊर्जा
 - सामान्य सेवा केंद्र (CSC), बैंकिंग पत्राचार, आदि।

(ii) PACS को CSC के रूप में:

- 300 से अधिक ई-सेवाएँ (बैंकिंग, आधार, बीमा, यात्रा बुकिंग, आदि) प्रदान करने के लिए PACS का डिजिटलीकरण किया गया।
- मार्च 2025 तक, 42,080 PACS CSC बन चुके हैं।

(iii) सार्वजनिक नीति समर्थन (2021-2025):

- GeM पोर्टल पर शामिल करना: 67 लाख विक्रेताओं से 574 सहकारी समितियों द्वारा पारदर्शी खरीद।
- PACS कम्प्यूटीकरण: ₹2,516 करोड़ की पहल; 50,455 PACS को नाबार्ड सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया।
- बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन: पारदर्शिता, लेखा परीक्षा, शासन और व्यावसायिकता को बढ़ाता है।
- राष्ट्रीय जैविक सहकारी समिति (एनसीओएल):
 - 'भारत ऑर्गेनिक्स' के अंतर्गत जैविक उत्पादों का एकत्रीकरण, प्रमाणन, ब्रांडिंग और बिक्री।
 - 5,184 PACS संबद्ध; 13 उत्पाद लॉन्च किए गए।
- राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल): 7,933 PACS द्वारा ₹5,099 करोड़ का निर्यात।

- **राष्ट्रीय बीज सहकारी समिति (बीबीएसएसएल):** 17,425 PACS बीज उत्पादन, प्रमाणन और ब्रांडिंग में संलग्न हैं।
- **सहकारी डेटाबेस:** नीति निर्माण के लिए वास्तविक समय डेटा प्रबंधन को सक्षम बनाता है।
- **सार्वभौमिक पंचायत कवरेज:** 2.54 लाख पंचायतों में सहकारी समितियाँ स्थापित की गईं। 12,957 नए PACS पंजीकृत किए गए।
- PACS के माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा अनाज भंडारण अभियान:
 - कृषि-अवसंरचना कोष, पीएमएफएमई आदि का उपयोग।
 - 11 राज्यों में 11 PACS गोदामों का निर्माण पूरा हुआ।

(iv) PACS के नए कार्य:

PACS के नए कार्य	स्थिति/विवरण
PMBJKs (जेनेरिक ड्रग आउटलेट्स)	4,523 PACS ने आवेदन किया; 716 स्वीकृत
PM-किसान समृद्धि केंद्र	36,193 PACS उर्वरक खुदरा केंद्र के रूप में कार्य करते हैं
पंचायत O&M सेवाएँ	934 PACS स्थानीय बुनियादी ढाँचे और सेवा प्रबंधन में लगे हुए हैं

VII. वित्तीय समावेशन में सहकारिताएँ

- **बैंक मिल:** डेयरी/मत्स्य पालन सहकारी समितियाँ सूक्ष्म एटीएम संचालित करती हैं; 8,322 इकाइयाँ वितरित की गईं।
- **किसान क्रेडिट कार्ड:** गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 7,43,810 रुपये केसीसी जारी किए गए।

VIII. सहकारिताएँ और आत्मनिर्भर भारत

- **दलहन और मक्का की खरीद:**
 - एनसीसीएफ और नेफेड ई-संयुक्ति और ई-समृद्धि प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीद का प्रबंधन करते हैं।
 - क्रमशः 12.6 लाख और 6.7 लाख किसान पंजीकृत हैं।

IX. सहकारी एफपीओ और एफएफपीओ को बढ़ावा देना

- **एनसीडीसी द्वारा गठन:**
 - 1,100 नए एफपीओ/एफएफपीओ बनाए गए, जिनमें 730 सहकारी एफपीओ और 70 एफएफपीओ शामिल हैं।
 - ग्रामीण आय और बाजारों में विविधता लाने का लक्ष्य।

X. ऊर्जा क्षेत्र में PACS

- **खुदरा ईंधन और LPG लाइसेंस:**
 - 286 PACS ने डीलरशिप के लिए आवेदन किया।
- **नवीकरणीय ऊर्जा:**
 - किसानों द्वारा सौर जल पंप और फोटोवोल्टिक प्रणालियों को अपनाना।

XI. सहकारी ऋण संरचना का समेकन

- **त्रि-स्तरीय प्रणाली का संरक्षण:**
 - DCCB (मध्य-स्तरीय) का सुदृढ़ीकरण और ARDB का कम्यूटरीकरण।
 - दीर्घकालिक सहकारी वित्तपोषण में अक्षमताओं का समाधान।

XII. सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण

- **त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय:**
 - सहकारी विकास के लिए संरचित शैक्षणिक सहायता प्रदान करता है।
 - कौशल निर्माण और भविष्य की तैयारी सुनिश्चित करता है।

XIII. समापन टिप्पणी

- **सहकार से समृद्धि - एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण:**
 - जन-नेतृत्व वाले, समावेशी और समुदाय-संचालित आर्थिक परिवर्तन का आह्वान।
 - विकासशील भारत @2047 और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए सहकारिताएँ वाहक के रूप में।
 - प्राथमिक सहकारी समितियों के पुनरोद्धार पर जोर और समेकित नीति समर्थन।

‘डाउन टू अर्थ’ से महत्वपूर्ण आलेख (जुलाई 2025)

संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा लैंगिक समानता पर वैश्विक पिछड़ने की चेतावनी

संदर्भ

- अपनी 15वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, संयुक्त राष्ट्र महिला ने एक सख्त चेतावनी जारी की है कि लैंगिक समानता—जो सुरक्षित होने की बजाय— वैश्विक स्तर पर बिखर रही है। यह चेतावनी कुछ प्रमुख वर्षगांठों से पहले आई है, जिनमें बीजिंग घोषणा (1995) की 30वीं वर्षगांठ और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 1325 (महिला, शांति और सुरक्षा) की 25वीं वर्षगांठ शामिल हैं।
- मार्च 2025 में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि लगभग चार में से एक देश महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ गंभीर प्रतिक्रिया का सामना कर रहा है। पिछड़ती प्रगति के बारे में जनता की चिंता 60% तक बढ़ गई है, जो इस धारणा को रेखांकित करती है कि लैंगिक समानता की प्रगति लड़खड़ा रही है।

मुख्य अंश

1. हिंसा और बहिष्कार में वृद्धि

- 2023 में, लगभग 85,000 महिलाओं और लड़कियों की जानबूझकर हत्या कर दी गई, जिनमें से कई पिड़ितों की मृत्यु उनके अंतरंग साथियों या परिवार के सदस्यों के हाथों हुई।
- 60 करोड़ से ज्यादा महिलाएँ और लड़कियाँ संघर्ष क्षेत्रों के 50 किलोमीटर के दायरे में रहती हैं, जो पिछले एक दशक में 50% की वृद्धि है।
- इस बात के प्रमाण के बावजूद कि महिलाओं की भागीदारी से शांति प्रक्रियाएँ बेहतर परिणाम प्राप्त करती हैं, 80% शांति वार्ताओं (2020-2023) में महिलाओं को पूरी तरह से बाहर रखा गया।

2. आर्थिक असुरक्षा और डिजिटल असमानताएँ

- महिलाएँ, हालाँकि वैश्विक कृषि कार्यबल का लगभग एक-तिहाई हिस्सा हैं, असमान रूप से खाद्य असुरक्षा से पिड़ित हैं: पुरुषों की तुलना में लगभग 4.8 करोड़ अधिक महिलाओं की मृत्यु भुखमरी से होती है।
- डिजिटल लैंगिक अंतर बना हुआ है: 2024 में, 27.7 करोड़ पुरुषों की इंटरनेट तक पहुँच महिलाओं से ज्यादा होगी।
- अगर इस अंतर को दूर नहीं किया गया, तो अगले पाँच वर्षों में निम्न और मध्यम आय वाले देशों को 500 अरब डॉलर तक की आय का नुकसान हो सकता है।

3. शैक्षिक और स्वास्थ्य असमानताएँ

- अनुमान है कि 11.9 करोड़ लड़कियाँ अभी भी स्कूल नहीं जा पा रही हैं।
- संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में, मातृ स्वास्थ्य की स्थिति खराब बनी हुई है: लगभग 800 महिलाएँ हर दिन गर्भावस्था से संबंधित रोकें जा सकने वाले कारणों से मर जाती हैं।

4. देखभाल का बोझ और वित्तीय अंतराल

- महिलाओं पर असमान बोझ है: वे पुरुषों की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा अवैतनिक देखभाल कार्य करती हैं, जिससे उन्हें वेतनभोगी रोजगार तक पहुँच में बाधा आती है।

- विकास सहायता का केवल 4% ही उन कार्यक्रमों के लिए निर्देशित किया जाता है जहाँ लैंगिक समानता प्राथमिक उद्देश्य है, जिससे पता चलता है कि निवेश में भारी कमी है।

5. एक दूरदर्शी, 15-सूत्रीय योजना

संयुक्त राष्ट्र महिला ने अगले 15 वर्षों के लिए एक रणनीतिक 15-सूत्रीय कार्य योजना प्रस्तावित की है, जिसमें शामिल हैं:

- भेदभावपूर्ण कानूनों को समाप्त करने के लिए कानूनी सुधार;
- आर्थिक सशक्तिकरण पहल और लैंगिक वेतन अंतर को कम करने के प्रयास;
- देखभाल संबंधी बुनियादी ढाँचे का विस्तार (जिससे 2035 तक लगभग 30 करोड़ देखभाल संबंधी नौकरियों का सृजन होने की संभावना है);
- महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए कोटा और तंत्र;
- लिंग-संवेदनशील शासन और वित्तपोषण सुधार;
- जलवायु-अनुकूल और समानतावादी हस्तक्षेप।

प्रारंभिक परीक्षा विशेष

भारत में लैंगिक समानता पर मुख्य तथ्य और रुझान

1. वैश्विक प्रदर्शन मापदंड

- वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 के अनुसार, भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर है, जिसका समग्र लैंगिक समानता स्कोर 64.4% है।
- आर्थिक भागीदारी और अवसर में, भारत की स्थिति और बेहतर होकर 40.7% हो गई, जिसमें अनुमानित अर्जित आय में वृद्धि (28.6% से 29.9%) का योगदान है। हालाँकि, श्रम बल की भागीदारी 45.9% पर स्थिर बनी हुई है, जो अपने ऐतिहासिक उच्चतम स्तर के बराबर है।
- राजनीतिक सशक्तिकरण में गिरावट: संसद में महिला प्रतिनिधित्व 14.7% से घटकर 13.8% हो गया, और मंत्रिस्तरीय भूमिकाएँ घटकर 5.6% रह गईं।

2. सामाजिक एवं संरचनात्मक प्रगति

- शिक्षा:** 2017 तक महिला साक्षरता 70.3% (पुरुषों के लिए 84.7% की तुलना में) तक पहुँच गई। प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर नामांकन में आशाजनक समानता दिखाई दे रही है।
- मातृ स्वास्थ्य:** मातृ मृत्यु दर 174 (2013-15) से घटकर 97 (2018-20) हो गई।
- वित्तीय समावेशन:**
 - 56% PMJDY खाते महिलाओं के पास हैं।
 - 28 करोड़ (280 मिलियन) से अधिक महिलाओं के पास जन धन खाते हैं।

- **श्रम बल भागीदारी:** 23.3% (2017-18) से बढ़कर 41.7% (2023-24) हो गई है।
- **पंचायती राज (स्थानीय शासन) में नेतृत्व:** 106वें संविधान संशोधन और उसके बाद के अधिनियमों की बदौलत, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के कारण स्थानीय शासन में उच्च प्रतिनिधित्व और स्थानीय स्तर पर 14 लाख महिला नेता मौजूद हैं।

3. लगातार लैंगिक अंतर

- **महिला श्रम शक्ति:** लाभ के बावजूद, भागीदारी कम बनी हुई है, खासकर औपचारिक क्षेत्रों में। कई महिलाएँ अनौपचारिक, असुरक्षित, या कृषि संबंधी भूमिकाओं में काम करती हैं।
- **वेतन असमानता और अवैतनिक कार्य:**
 - महिलाएँ समान कार्य के लिए पुरुषों के वेतन का लगभग 73% ही कमाती हैं।
 - वे अवैतनिक घरेलू कामों में प्रतिदिन 289 मिनट बिताती हैं— पुरुषों (90 मिनट प्रतिदिन) की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक। अवैतनिक देखभाल कार्य को कम आंका जाता है, जिसका अनुमान सकल घरेलू उत्पाद का 7.5% है।
- **राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी:** महिलाएँ सांसदों में केवल 13.8% और मंत्रियों में 5.6% हैं। साथ ही, 15-18 वर्ष की आयु की 40% लड़कियाँ स्कूल से बाहर हैं, और साक्षरता दर पिछड़ी हुई है - महिलाओं के लिए 65% बनाम पुरुषों के लिए 82%।

आगे की प्रमुख चुनौतियाँ

- **प्रणालीगत प्रतिक्रिया और बढ़ती शलुता**
 - लगभग 25% देशों ने महिलाओं के अधिकारों में अवरोध दर्ज किए हैं। इसमें विधायी वापसी और महिलाओं के लिए नागरिक और डिजिटल स्थानों का सिकुड़ना शामिल है—जो अक्सर रूढ़िवादी और पितृसत्तात्मक प्रतिरोध के कारण और भी बढ़ जाता है।
- **धन की कमी**
 - महत्वपूर्ण कार्यक्रम—विशेषकर मानवीय संदर्भों में—खतरे में हैं। महिलाओं के नेतृत्व वाले संकट संगठन वैश्विक सहायता में भारी कटौती के कारण बंद होने का सामना कर रहे हैं, 47% आवश्यक सेवाओं को रोक रहे हैं और 51% ने अपने संचालन को निलंबित कर दिया है।
- **डिजिटल विभाजन और ऑनलाइन जोखिम**
 - डिजिटल असमानताएँ पहुँच और सुरक्षा के अंतराल को बढ़ा रही हैं: बुनियादी ढाँचे की बाधाओं के अलावा, महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा के बिना ऑनलाइन उत्पीड़न और डिजिटल निगरानी का सामना करना पड़ता है।
- **जलवायु-जनित हिंसा**
 - जलवायु परिवर्तन का संकट लिंग-आधारित हिंसा को बढ़ाता है—अध्ययनों से पता चलता है कि तापमान में प्रत्येक 1°C की वृद्धि अंतरंग साथी हिंसा में लगभग 5% की वृद्धि का कारण बनती है; अनुमानों से संकेत मिलता है कि जलवायु परिवर्तन सदी के अंत तक अरबों अधिक महिलाओं को हिंसा का शिकार बना सकता है।

निष्कर्ष

- संयुक्त राष्ट्र महिला रिपोर्ट के अनुसार, प्रगति न केवल रुक रही है, बल्कि उलटी

भी चल रही है। बहुसंख्यक हिंसा, व्यवस्थागत बहिष्कार, आर्थिक नारी अधिकार और सांस्कृतिक-जनता की प्रतिष्ठा के साथ लैंगिक समानता एक खतरनाक मोड़ पर हैं।

- प्रस्तावित 15-सूत्रीय योजना एक रोडमैप प्रस्तुत करती है—लेकिन इसकी सफलता राजनीतिक इच्छाशक्ति, वास्तुशिल्प निवेश और वैध, अंतर-क्षेत्रीय प्रभाव पर प्रतिबंध है। सक्रिय कार्रवाई के बिना, दिसंबर 2030 तक कुछ खास नहीं दिख सकता—जब तक हम अभी तक अंतिम कार्रवाई नहीं करेंगे।

अलौह धातुओं के लिए भारत का नया ईपीआर ढांचा

संदर्भ

- भारत दुनिया के सबसे बड़े अलौह धातुओं, जैसे एल्युमीनियम, तांबा और जस्ता, का एक बड़ा उपभोक्ता है, जिनका व्यापक रूप से पैकेजिंग, निर्माण, परिवहन और बिजली के सामानों में उपयोग किया जाता है। हालाँकि, इन धातुओं का एक बड़ा हिस्सा कचरे में समा जाता है, जिसे अक्सर अनौपचारिक पुनर्चक्रणकर्ता न्यूनतम पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के साथ निपटाते हैं।
- इस समस्या के समाधान के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार संचलन) नियम, 2016 में संशोधन किया है, जिसमें अलौह मेटल ग्रेड्स के लिए एक समर्पित प्रतिष्ठित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) ढांचा पेश किया गया है। यह कदम भारत के सामूहिक उद्योग और पर्यावरण प्रबंधन पर वैश्विक समूहों के पैमाने पर है, लेकिन विशेषज्ञ का कहना है कि स्थिर संरचना मजबूत होने के बावजूद, पुनर्चक्रण लक्ष्य मामूली बने हुए हैं।

ढांचा का मुख्य विवरण

- **कानूनी समर्थन और कार्यान्वयन समय-सीमा**
 - खतरनाक अपशिष्ट नियमों में 2025 के संशोधनों में एक नए अध्याय VIII के अंतर्गत जोड़ा गया।
 - 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा।
- **दायरा**
 - विभिन्न उत्पादों में एल्युमीनियम, तांबा, जस्ता और उनके मिश्र धातुओं को शामिल करता है - पेय पदार्थ के डिब्बे, पन्नी, दरवाजे/ खिड़कियाँ, फर्नीचर, मोटर, बर्तन, खिलौने, विद्युत घटक, आदि।
- **पुनर्चक्रण लक्ष्य**
 - उत्पादकों को उत्तरोत्तर बढ़ते पुनर्चक्रण दायित्वों को पूरा करना होगा:
 - ◆ 2026-27 में 10%, 2032-33 तक 75% तक का लक्ष्य।
- **पुनर्चक्रित सामग्री के अधिदेश**
 - वित्त वर्ष 2028-29 से, उत्पादों में कम से कम 5% पुनर्चक्रित सामग्री होनी चाहिए।
 - वित्त वर्ष 2031-32 तक:
 - ◆ एल्युमीनियम – 10%
 - ◆ तांबा – 20%
 - ◆ जस्ता – 25%
- **सीपीसीबी के माध्यम से डिजिटल अनुपालन**
 - एक केंद्रीकृत सीपीसीबी पोर्टल:
 - ◆ उत्पादकों, पुनर्चक्रणकर्ताओं, नवीनीकरणकर्ताओं, संग्रह एजेंटों, थोक उपभोक्ताओं का पंजीकरण।

◆ ईपीआर रिटर्न दाखिल करना।

◆ ईपीआर प्रमाणपत्रों का जारी करना, उनका व्यापार और ट्रेडिंग।

• संस्थागत भूमिकाएँ

➤ सीपीसीबी कार्यान्वयन का समन्वय करेगा, ऑडिट करेगा, प्रमाणपत्र प्रणालियों का प्रबंधन करेगा और अंतरराज्यीय प्रवर्तन की निगरानी करेगा।

• चुनौतियाँ

- **अनौपचारिक क्षेत्र एकीकरण:** अनौपचारिक पुनर्चक्रणकर्ताओं को शामिल करने के लिए कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं है, जो भारत में स्कैप प्रसंस्करण पर हावी हैं।
- **संस्थागत क्षमता:** सीपीसीबी की राष्ट्रव्यापी डिजिटल निगरानी और प्रवर्तन को संभालने की क्षमता अनिश्चित है।
- **मामूली लक्ष्य:** स्कैप उत्पादन के पैमाने की तुलना में पुनर्चक्रण सामग्री के अधिदेश कम हैं।
- **प्रवर्तन अंतराल:** राज्यों में असमान कार्यान्वयन का जोखिम और छोटी पुनर्चक्रण इकाइयों में अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा।

प्रारंभिक परीक्षा विशेष

भारत में अलौह धातुओं के बारे में मुख्य तथ्य

परिभाषा

• **अलौह धातुएँ:** वे धातुएँ जिनमें लोहा पर्याप्त मात्रा में नहीं होता और जो चुंबकीय नहीं होतीं।

➤ **उदाहरण:** एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता, सीसा, निकल, टिन।

➤ **गुण:** संक्षारण प्रतिरोध, हल्कापन (कई मामलों में), उच्च चालकता, आघातवर्धनीयता।

भारत में प्रमुख अलौह धातुएँ और भंडार

1. एल्युमिनियम (बॉक्साइट - अयस्क)

• **अयस्क:** बॉक्साइट (हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड) → प्रसंस्कृत एल्युमिना → एल्युमिनियम।

• **प्रमुख रिजर्व:**

➤ ओडिशा (सबसे बड़ा) - पंचपटमाली, कालाहांडी, कोरापुट

➤ गुजरात - कच्छ, जामनगर

➤ झारखंड-लोहरदगा

➤ महाराष्ट्र - कोल्हापुर

➤ छत्तीसगढ़ - सरगुजा, बिलासपुर

• **भारत की स्थिति:** दुनिया में 5वां सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक।

2. तांबा

• **अयस्क:** चाल्कोपाइराइट, मैलाकाइट, क्यूप्राइट।

• प्रमुख भंडार:

➤ मध्य प्रदेश - मलंजखंड (भारत में सबसे बड़ा ताँबा भंडार)

➤ राजस्थान - खेतड़ी, झुंझनू

➤ झारखंड - सिंहभूम क्षेत्र

• **भारत की स्थिति:** सीमित भंडार, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से उत्पादन के बावजूद परिष्कृत ताँबे के लिए आयात पर निर्भर

3. जस्ता और सीसा

• **अयस्क:** स्फैलेराइट (ZnS), गैलेना (PbS)।

• **प्रमुख भंडार:**

➤ राजस्थान (80% से अधिक भंडार) - ज़ावर (उदयपुर), राजपुरा दरीबा, रामपुरा-अगुचा (भीलवाड़ा)

• **भारत की स्थिति:** वैश्विक स्तर पर शीर्ष जस्ता उत्पादकों में से एक, जिसका नेतृत्व हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड करता है।

4. निकल

• **अयस्क:** पेंटलैंडाइट, निकेल-फेरस लेटराइट।

• **प्रमुख भंडार:**

➤ ओडिशा - सुकिंदा क्रोमाइट बेल्ट

➤ झारखंड - जाजपुर, सिंहभूम

➤ नागालैंड - छोटे भंडार

• **भारत की स्थिति:** छोटे भंडार, अपनी अधिकांश निकल की ज़रूरतें आयात करता है

5. टिन

• **अयस्क:** कैसिटेराइट

• **प्रमुख भंडार:**

➤ छत्तीसगढ़ - बस्तर, दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र टिन अयस्क उत्पादक राज्य है)।

• **भारत की स्थिति:** बहुत सीमित उत्पादन, आयात पर निर्भर।

निष्कर्ष

- अलौह धातुओं के लिए भारत का नया ईपीआर ढांचा संरचित पुनर्चक्रण और संसाधन दक्षता की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। इसकी खूबियाँ इसके स्पष्ट कानूनी अधिदेश, डिजिटल अनुपालन प्रणाली और प्रगतिशील लक्ष्यों में निहित हैं। हालाँकि, पुनर्चक्रण सामग्री की मामूली आवश्यकताएँ और अनौपचारिक पुनर्चक्रण क्षेत्र को एकीकृत करने के लिए एक स्पष्ट रणनीति का अभाव इसके प्रभाव को सीमित कर सकता है।
- इस ढांचे की सफलता के लिए, भारत को सीपीसीबी की क्षमता को मजबूत करना होगा, पुनर्चक्रण बुनियादी ढांचे में निवेश करना होगा, औपचारिक-अनौपचारिक साझेदारियों को बढ़ावा देना होगा और अधिक महत्वाकांक्षी सामग्री अधिदेशों को अपनाना होगा। सही तरीके से लागू किया जाए तो यह संधारणीय धातु प्रबंधन के लिए एक मानक स्थापित कर सकता है और भारत के एक वास्तविक चक्रीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को बढ़ावा दे सकता है।

‘इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली’ से महत्वपूर्ण आलेख (जुलाई 2025)

भारत में द्विभाषी पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से सेतु निर्माण

संदर्भ: भारत की भाषाई विविधता, अंग्रेजी की प्रतिष्ठा और कथित उपयोगिता के साथ मिलकर, शिक्षा नीति में एक जटिल चुनौती उत्पन्न करती है। लाखों भारतीय छात्रों के लिए, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए, अंग्रेजी माध्यम की स्कूली शिक्षा में बदलाव कोई सहज बदलाव नहीं है। यह द्विभाषिकता (bilingualism) का मामला नहीं है, बल्कि द्विजिह्वी (diglossia) का मामला है - जहाँ दो भाषाएँ अलग-अलग सामाजिक और कार्यात्मक क्षेत्रों में सह-अस्तित्व में रहती हैं, न कि एक-दूसरे के समान।

अंग्रेजी सीखने के दो मॉडल

दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी (ESL) मार्ग

- अंग्रेजी को धीरे-धीरे एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है और क्षेत्रीय/स्थानीय भाषा ही अन्य विषयों का माध्यम बनी रहती है।
- वे ज़्यादा पारदर्शी तरीके से सीखते हैं, जैसे बच्चे तब सीखते हैं जब दूसरी भाषा सिर्फ एक अकादमिक विषय होती है, और वे ज़्यादा साहसी लगते हैं, अंग्रेजी में वाक्य बनाने की कोशिश करने को तैयार रहते हैं और अपनी गलतियों पर हँसने में संक्षम होते हैं।
- अंग्रेजी अब एक खेल है, आत्म-सम्मान की परीक्षा नहीं।
- एक अतिरिक्त लाभ यह है कि अन्य अकादमिक विषय आसानी से समझ में आते हैं। छात्रों को विज्ञान और गणित तक पहुँचने के लिए अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत नहीं है।

अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में द्विभाषिक मार्ग

- द्विभाषिकता की अवधारणा, जिसे सबसे पहले चार्ल्स ए. फर्ग्युसन (1959) ने प्रस्तावित किया था, एक समुदाय में दो भाषाओं या प्रकारों के सह-अस्तित्व को संदर्भित करती है, जिनमें से प्रत्येक अलग-अलग भूमिकाएँ निभाती है।
- भारत में, अंग्रेजी उच्च स्तर पर है - जिसका उपयोग औपचारिक शिक्षा, प्रशासन और आकांक्षाओं के लिए किया जाता है - जबकि स्थानीय भाषाएँ रोज़मर्रा के संचार के लिए निम्न स्तर की हैं।
- भारत में अधिकांश अंग्रेजी-माध्यम स्कूल बच्चों को अंग्रेजी में दक्षता की ओर कुशलतापूर्वक ले जाने का लक्ष्य नहीं रखते हैं।
- इस तर्क पर कि "कोई भी बच्चा कोई भी भाषा सीख सकता है", वे इन बच्चों को अपना रास्ता खुद खोजने के लिए छोड़ देते हैं, कभी-कभी स्कूल के बाद कोचिंग कक्षाओं के साथ, जो भी शिक्षक रुकने और समय लगाने को तैयार हो, लेकिन अधिकतर बस व्यवस्था के इस अंध विश्वास के साथ कि "वे अंततः इसे सीख लेंगे"।
- यह प्राथमिक विद्यालय में एक लंबे मौन चरण का रूप ले लेता है, जहाँ सीखने में उनकी उपलब्धियाँ दिन-प्रतिदिन दिखाई नहीं देती हैं।
- इस द्विभाषिकता का दूसरा पहलू यह है कि अंग्रेजी अंततः उनके भंडार में एक अतिरिक्त भाषा नहीं, बल्कि घर की भाषा का एक प्रतिस्थापन बन जाती है।
- वह भाषा बनी रहती है, लेकिन अंग्रेजी में संक्रमण के कारण वह अस्पष्ट हो जाती है और इसका प्रयोग तेजी से सीमित संदर्भों में किया जाता है।

द्विभाषी पाठ्यपुस्तकों के लाभ

- **परिभाषा:** एक पाठ्यपुस्तक जो एक ही पाठ और अभ्यास अंग्रेजी और स्थानीय भाषा दोनों में प्रस्तुत करती है।
- **बेहतर समझ:** छात्र अवधारणाओं को समझ सकते हैं बिना वर्षों तक अंग्रेजी में दक्षता हासिल करने का इंतज़ार किए।
- **शिक्षक सशक्तिकरण:** शिक्षक पाठ की सामग्री पर स्पष्टता प्राप्त करते हैं और बिना स्पष्टीकरण के रटने से बचते हैं।
- **स्थानीय भाषाओं का अवधारणा:** भाषाई विस्थापन को रोकता है और अनुवाद के माध्यम से शब्दावली को बढ़ाता है।
- **तीव्र भाषा अधिग्रहण:** विषय-वस्तु से परिचित होने के माध्यम से अंग्रेजी शब्द संयोगवश ही आत्मसात हो जाते हैं।
- **समावेशिता:** आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों, अल्पसंख्यक भाषा बोलने वालों और पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों का समर्थन करती है। द्विभाषी शिक्षा बच्चों और उनके अभिभावकों को अंग्रेजी तक यथासंभव सहज तरीके से पहुँच प्रदान करती है, जिसमें पूरी व्याख्या और स्थानीय भाषा का उतना ही समर्थन शामिल होता है जितना बच्चे और उनके शिक्षक चाहते हैं।

आगे की राह

- **अनुवाद उद्योग का विकास:** विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित अनुवादकों के लिए रोज़गार का सृजन करना ताकि विभिन्न भाषाओं में तकनीकी शब्दों के मानकीकरण को प्रोत्साहित किया जा सके।
- **विषय-विशिष्ट समझ** को सुगम बनाना, विशेष रूप से विज्ञान और गणित में।
- **पायलट कार्यक्रम:** चयनित सरकारी स्कूलों में द्विभाषी पाठ्यपुस्तकें लागू करना और सीखने के परिणामों का मूल्यांकन करना।
- **एआई अनुवाद उपकरण:** सभी अनुसूचित भाषाओं में पाठ्यपुस्तकों के त्वरित अनुवाद के लिए मशीन लर्निंग मॉडल विकसित करना।
- **अनुवादक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम:** भाषा और शिक्षा की डिग्री में अनुवाद को एक विशेषज्ञता के रूप में प्रस्तुत करना।
- **सामुदायिक भागीदारी:** अनुवाद में सांस्कृतिक प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय लेखकों और शिक्षकों को शामिल करना।
- **चरणबद्ध एकीकरण:** प्रारंभिक कक्षाओं में द्विभाषी सामग्री प्रस्तुत करना, और यदि वांछित हो तो धीरे-धीरे अधिक अंग्रेजी सामग्री में परिवर्तित करना।

निष्कर्ष

द्विभाषी पाठ्यपुस्तकें केवल भाषा सीखने का साधन नहीं हैं - ये बहुभाषी समाज में भारत में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करती हैं। अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं के बीच चयन को बाध्य करने के बजाय, ये दोनों को सह-अस्तित्व में रहने, समझ को समृद्ध करने और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने की अनुमति देती हैं। अंतिम लक्ष्य एक भाषा को दूसरी भाषा से बदलना नहीं है, बल्कि समझ का लोकतंत्रीकरण है - यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, समान शर्तों पर ज्ञान प्राप्त कर सके।

भारत में ऊर्जा संक्रमण की राजनीति: सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों से सबक

संदर्भ: कई लोग भारत में सौर ऊर्जा क्षमता में तेज़ी से वृद्धि और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में वृद्धि को वैश्विक दक्षिण में एक सफल हरित परिवर्तन के उदाहरण के रूप में देखते हैं। लेकिन नीति प्रतिक्रिया दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए एक हालिया अध्ययन के अनुसार, घरेलू नवाचारों की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी प्रगति का इस प्रक्षेपवक्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

पृष्ठभूमि

- नीति प्रतिक्रिया दृष्टिकोण: नीतियों के लागू होने के बाद, उनका राजनीतिक गठबंधनों, आर्थिक प्रणालियों और बाद के नीति संशोधनों पर प्रभाव पड़ता है।
- स्थानीयकरण: घरेलू नवाचार तकनीकी रूप से उन्नत देशों में शुरू से ही औद्योगिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों की एक साथ प्राप्ति को सक्षम बनाता है।

भारत का सौर ऊर्जा परिवर्तन

चरण 1: एक विशिष्ट स्थान स्थापित करना

- सस्ते सौर पैनलों के उत्पादन में चीन के आधिपत्य और जर्मनी के नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ते कदम से प्रेरित।
- वैश्विक मूल्य में कमी और आसानी से उपलब्ध तकनीक ने भारत के राष्ट्रीय सौर मिशन को सीधे तौर पर लाभान्वित किया।
- शुरुआत में, घरेलू उत्पादन स्थापित करने के बजाय सौर क्षमता को तेज़ी से बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया था।

चरण 2: बाज़ार का समेकन

- आयात-निर्भर गठबंधन - कंपनियाँ, डेवलपर, और कम लागत वाले आयात पर निर्भर सहयोगी - ने धीरे-धीरे सौर उद्योग पर कब्ज़ा कर लिया है।
- इन प्रभावशाली समूहों ने स्थानीयकरण उपायों को लागू करने के प्रयासों का कड़ा विरोध किया, जैसे कि घरेलू सामग्री की आवश्यकताएँ।
- परिणामस्वरूप, भारत अपनी उच्च तैनाती लेकिन कमज़ोर घरेलू विनिर्माण आधार के कारण विदेशी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर हो गया।

भारत का इलेक्ट्रिक वाहन परिवर्तन

चरण 1: एक विशिष्ट स्थान स्थापित करना

- यह लिथियम-आयन बैटरी तकनीक में विश्वव्यापी विकास और चीन के दोपहिया ईवी बाज़ार से काफ़ी प्रभावित था।
- स्वदेशी नवाचारों को विकसित करने के बजाय, प्रारंभिक भारतीय बाज़ार ने मुख्य रूप से दुनिया भर के नवाचारों की नकल की।

चरण 2: स्थानीयकरण और नीतिगत पहल

- उच्च-प्रदर्शन वाले ईवी और घरेलू विनिर्माण क्षमता में वृद्धि समय के साथ नीति का प्राथमिक केंद्र बन गई।
- हालाँकि आयात-उन्मुख क्षेत्र प्रतिरोध दिखाते रहे, फिर भी स्थानीयकरण के मामले में ईवी उद्योग ने सौर ऊर्जा से बेहतर प्रदर्शन किया।
- उन्नत बैटरियों जैसे महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला तत्व, फिर भी, आयात पर काफ़ी हद तक निर्भर रहे, जो स्थानीयकरण में केवल आंशिक सफलता दर्शाता है।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष

- हालाँकि स्थानीयकरण बाद में होता है और अधिक कठिन राजनीतिक बाधाओं का सामना करता है, लेकिन इसे अपनाया आयातित नवाचारों पर निर्भर करता है।
- आयात पर निर्भर गठबंधन: कम लागत वाले आयात के शुरुआती प्राप्तकर्ता निहित स्वार्थ प्राप्त करते हैं। जब स्थानीयकरण नीतियाँ उनके लागत लाभों को खतरे में डालती हैं, तो ये समूह प्रतिरोध करते हैं।
- हालाँकि ईवी ने सौर ऊर्जा की तुलना में स्थानीयकरण में अधिक प्रगति की है, फिर भी दोनों उद्योग बाहरी स्रोतों से आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के प्रति संवेदनशील हैं।

भारत के लिए आगे की राह

- नीति निर्माण: हरित औद्योगिक नीति के हरित और औद्योगिक पहलुओं के बीच संतुलन बनाए रखना।
- निवेश: निवेश में वृद्धि की आवश्यकता है और सरकार को उभरते उद्योगों, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, का लाभ उठाने के लिए एक रणनीतिक निवेश दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है।
- घरेलू नवाचार: अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी चक्रों पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू नवाचार पारिस्थितिकी तंत्रों के विकास की आवश्यकता है।
- आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा: पॉलीसिलिकॉन (सौर) और उन्नत बैटरियों (ईवी) जैसे महत्वपूर्ण इनपुट के लिए वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाएँ विकसित करना और साथ ही दुर्लभ सामग्रियों के लिए पुनर्चक्रण और वृत्ताकार अर्थव्यवस्था मॉडल में निवेश करना।
- क्षेत्रीय औद्योगिक क्लस्टर: पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए बुनियादी ढाँचा, कुशल कार्यबल प्रशिक्षण और रसद सहायता प्रदान करके एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ विनिर्माण केंद्र बनाना।

निष्कर्ष

एक लचीले और संधारणीय ऊर्जा भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरणीय लक्ष्यों को औद्योगिक आत्मनिर्भरता के साथ संतुलित करना, घरेलू नवाचार को बढ़ावा देना और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना आवश्यक होगा।

त्वरित पुनरीक्षण (क्विक रिवीजन)

जुलाई माह के महत्वपूर्ण दिवस

दिनांक	दिवस	विवरण
1 जुलाई	राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस (भारत)	राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस भारत में डॉक्टरों की समर्पण और सेवा का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। यह डॉक्टर बिधान चंद्र राय की जन्म और मृत्यु वर्षगांठ को स्मरण करता है।
4 जुलाई	स्वामी विवेकानंद पुण्यतिथि	वह आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के पिता के रूप में जाने जाते हैं और हिंदू धर्म और भारतीय मूल्यों को विश्व तक ले जाने में बड़ी भूमिका निभाई। उनकी शिक्षाएं आज भी युवाओं और समाज को मार्गदर्शन देती हैं।
6 जुलाई	विश्व ग्रामीण विकास दिवस	6 जुलाई को, संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन को सुधारने के महत्व को उजागर करना है। लक्ष्य यह है कि गांवों और छोटे समुदायों को वैश्विक समर्थन मिले ताकि वे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, और इंटरनेट जैसी बुनियादी जरूरतों तक पहुंच सकें।
7 जुलाई	गुरु पूर्णिमा	गुरु पूर्णिमा एक विशेष दिन है जो हमारे शिक्षकों को धन्यवाद और सम्मान देने के लिए मनाया जाता है, जिन्हें गुरु के रूप में जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों द्वारा कई देशों में मनाई जाती है।
11 जुलाई	विश्व जनसंख्या दिवस	दुनिया भर में जनसंख्या वृद्धि लोगों और पृथ्वी को कैसे प्रभावित करती है, इस बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष, 2025 में, युवाओं और एक निष्पक्ष और आशा से भरी दुनिया में अपने परिवार की योजना बनाने के उनके अधिकार पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
15 जुलाई	विश्व युवा कौशल दिवस	वैश्विक समुदाय विश्व युवा कौशल दिवस मनाता है ताकि जीवन और कार्य में सफलता पाने में कौशल विकास के महत्व पर प्रकाश डाला जा सके।
17 जुलाई	अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस	अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने, गंभीर अपराधों को दंडित करने, और सीमाओं के पार पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के वैश्विक संकल्प की पुनः पुष्टि करता है।
20 जुलाई	अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस	विश्व शतरंज दिवस हर साल वैश्विक रूप से मनाया जाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) की 1924 में स्थापना को स्मरण किया जा सके।
22 जुलाई	राष्ट्रीय ध्वज दिवस (भारत)	भारत राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाता है, जिसे तिरंगा अंगीकरण दिवस भी कहा जाता है, जो 1947 में उस दिन को चिह्नित करता है जब संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज एकता, देशभक्ति और स्वतंत्र भारत की भावना का प्रतीक है।
24 जुलाई	आयकर दिवस	आयकर दिवस, वार्षिक रूप से मनाया जाता है ताकि 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में आयकर की ऐतिहासिक शुरुआत को स्मरण किया जा सके। यह दिन राष्ट्र की वित्तीय परिपक्वता और डिजिटल प्रगति को श्रद्धांजलि के रूप में खड़ा है।
26 जुलाई	कारगिल विजय दिवस (भारत)	यह दिन 1999 कारगिल युद्ध में भारत की विजय की वर्षगांठ को चिह्नित करता है। यह भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को श्रद्धांजलि है जिन्होंने हमारे राष्ट्र की रक्षा की।
	विश्व मैंग्रोव दिवस	2015 में यूनेस्को द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त, यह दिन एक महत्वपूर्ण पर्यावरण जागरूकता दिवस है जो मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा और संरक्षण को समर्पित है।

27 जुलाई	डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम पुण्यतिथि	डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति, के निधन को स्मरण करता है। वह अपने नवाचारों, विज्ञान और शिक्षा के प्रति समर्पण के लिए हमेशा याद किए जाते हैं।
28 जुलाई	विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस	यह हमें वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए अपने प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित और सुरक्षित रखने की याद दिलाता है।
	विश्व हेपेटाइटिस दिवस	हेपेटाइटिस संक्रमण, रोकथाम और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच के महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाता है।
29 जुलाई	अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस	बाघ संरक्षण के महत्व और उनके प्राकृतिक पर्यावासों को संरक्षित करने की तात्कालिकता पर प्रकाश डालता है।

समाचारों में महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन

क्रम सं.	शिखर सम्मेलन	विवरण
1	24वीं वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सम्मेलन	24वां AIMHC जुलाई 2025 में बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित किया गया था। सम्मेलन ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में करुणा, समावेशन, रोकथाम और समानता पर जोर दिया।
2	आसियान-भारत कूज़ संवाद	पहला आसियान-भारत कूज़ संवाद चेन्नई में उद्घाटित हुआ, जो भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच समुद्री सहयोग में एक मील का पत्थर है। यह कार्यक्रम सभी दस आसियान देशों और तिमोर लेस्ते के 30 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ आयोजित हुआ।
3	जिम्मेदार व्यापार आचरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन	NCRBC 2025 सम्मेलन का तीसरा संस्करण 2 जुलाई को “विकसित भारत के लिए ईएसजी (पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन) का एकीकरण” विषय के तहत संपन्न हुआ। NCRBC का उद्देश्य जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं से संबंधित विषयों पर बहु-हितधारक संवाद, ज्ञान विनिमय और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है।
4	INC-WMC सम्मेलन 2025	INC-WMC (भारतीय राष्ट्रीय समिति, विश्व खनन कांग्रेस) सम्मेलन 2025 का उद्देश्य संधारणीय और जिम्मेदार खनन प्रथाओं को बढ़ावा देना है, जिसमें विशेष ध्यान सर्वोत्तम खदान समापन प्रथाओं पर केंद्रित है।
5	17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन	17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 6 और 7 जुलाई 2025 को रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील में हुआ। इस वर्ष की थीम थी “एक अधिक समावेशी और संधारणीय शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना।” शिखर सम्मेलन ने इंडोनेशिया और 11 नए भागीदारों का स्वागत किया, जलवायु कार्रवाई, आर्थिक सहयोग और वैश्विक दक्षिण एकजुटता को आगे बढ़ाया।
6	11वां मक्का सम्मेलन	11वां भारत मक्का सम्मेलन, FICCI और IIMR द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें मक्का उत्पादन बढ़ाने, किसानों की आय बढ़ाने और संधारणीय कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना पेश की गई। सम्मेलन ने मक्का पर केंद्रित राज्य और राष्ट्रीय कार्यक्रम भी प्रदर्शित किए।
7	AI फॉर गुड ग्लोबल समिट	यह शिखर सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) द्वारा आयोजित, 11 जुलाई को जिनेवा में संपन्न हुआ। यह एक प्रमुख संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करके सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है।
8	उत्तर-पूर्व कॉन्क्लेव	उत्तर-पूर्व कॉन्क्लेव का उद्देश्य भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विकास और प्रगति को बढ़ावा देना है। यह 11-12 जुलाई को शिलांग में आयोजित हुआ।
9	द्वितीय बिस्मटेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव	दूसरा बिस्मटेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव, जिसे भारत ने विशाखापट्टनम में आयोजित किया, का उद्देश्य समुद्री संपर्क को मजबूत करना और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में संधारणीय विकास को बढ़ावा देना था।
10	समुद्री वित्तपोषण सम्मेलन	भारत ने शिपिंग क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए समुद्री वित्तपोषण सम्मेलन की मेजबानी की। यह कार्यक्रम सरकार की समुद्री अमृत काल दृष्टि 2047 का समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य बंदरगाह बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, जहाज निर्माण को बढ़ावा देना और भारत को एक वैश्विक समुद्री केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

समाचारों में चर्चित पुरस्कार

क्रम सं.	पुरस्कार	विजेता	विवरण
1	राष्ट्रीय भू-स्थानिक प्रैक्टिशनर पुरस्कार 2025	भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS), हैदराबाद	- ओपन-सोर्स स्थानिक तकनीकों के असाधारण अनुप्रयोग के लिए प्रदान किया गया। - आईआईटी बॉम्बे द्वारा ओपन सोर्स जीआईएस डे पहल के हिस्से के रूप में प्रदान किया गया।
2	हेम बहादुर मल्ला पुरस्कार 2080	नेपाल के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, कल्याण श्रेष्ठ	- संस्थागत विकास और न्यायिक नेतृत्व में उनके योगदान के लिए मान्यता प्राप्त। - स्वर्गीय हेम बहादुर मल्ला की स्मृति में स्थापित, जिन्होंने सॉल्ट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना की।
3	द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस	नरेंद्र मोदी	- ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भारत-ब्राजील संबंधों को आगे बढ़ाने की मान्यता में दिया गया। 2014 से, यह उनका 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है।
4	2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार	वर्षा देशपांडे	प्रजनन अधिकारों, लैंगिक समानता और भारत में लिंग-भेदभाव आधारित भ्रूण हत्या के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाने के उनके ऐतिहासिक प्रयासों के सम्मान में प्रदान किया गया।
5	2025 PEN पिंटर पुरस्कार	लैला अबूलेला	- प्रवास, विश्वास और महिलाओं के अनुभवों पर उनकी प्रभावशाली रचनाओं के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2009 में इंग्लिश PEN द्वारा स्थापित, यह उन लेखकों को मान्यता देता है जो सत्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति मजबूत समर्पण दिखाते हैं। - यह राष्ट्रमंडल, यूके, आयरलैंड या पूर्व राष्ट्रमंडल देशों के लेखकों को दिया जाता है।
6	विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025	भारतीय स्टेट बैंक (SBI)	यह पुरस्कार ग्लोबल फाइनेंस के आंतरिक शोध और विश्लेषण पर आधारित है, जिसे कॉर्पोरेट वित्त कार्यकारी, विश्लेषक और वैश्विक बैंकों की अंतर्दृष्टि से पूरक किया गया है।
7	जी पी बिरला स्मारक पुरस्कार	वी. नारायणन, इसरो के अध्यक्ष	- भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रमों में उनके नेतृत्व और अंतरिक्ष विज्ञान में उनके योगदान के लिए सम्मानित। - जी पी बिरला के पुरातात्विक खगोलीय और वैज्ञानिक संस्थान द्वारा प्रदान किया गया।

समाचारों में महत्वपूर्ण शब्दावली

क्रम सं.	चर्चित शब्दावली	अर्थ एवं विवरण
1	द्विमुखी (Janus-Faced)	- भारत की अंतरराष्ट्रीय संबंधों में स्थिति को संदर्भित करता है जो दोहरी मानी जाती है, पश्चिम और रूस के बीच संतुलन बनाते हुए। - साहित्यिक उत्पत्ति - रोमन देवता जानुस से, जिसके दो चेहरे थे, जो द्वैत का प्रतीक हैं।
2	सिसिफ़ियन (Sisyphean)	- बिना दीर्घकालिक सुधारों के आपदा प्रतिक्रिया के कभी न समाप्त होने वाले, व्यर्थ संघर्ष का वर्णन करता है। साहित्यिक उत्पत्ति: ग्रीक मिथक सिसिफ़स से, जिसे एक चट्टान को अंतहीन रूप से ऊपर की ओर लुढ़काने के लिए दंडित किया गया था।
3	करेंसी व्हिपलैश (Currency Whiplash)	- मुद्रा संचलन में अचानक उतार-चढ़ाव या उलटफेर जो अर्थव्यवस्था या निवेशकों को झटका देते हैं। - जुलाई 2025 में भारतीय मीडिया ने वैश्विक पूंजी के देश से बाह्य प्रवाह के कारण रुपये की अस्थिरता का वर्णन करने के लिए “करेंसी व्हिपलैश” शब्द का उपयोग किया।

4	बेलवेदर अर्थव्यवस्था (Bellwether economy)	• एक अग्रणी अर्थव्यवस्था (या क्षेत्र) वह होती है जिसका प्रदर्शन यह संकेत देता है कि बड़ी अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है। • भारत का आईटी क्षेत्र कभी-कभी “बेलवेदर क्षेत्र” कहा जाता है क्योंकि इसका प्रदर्शन आउटसोर्सिंग और डिजिटल सेवाओं की वैश्विक मांग को इंगित करता है।
---	---	--

समाचारों में प्रमुख व्यक्तियों का निधन

क्रम सं.	व्यक्ति	महत्वपूर्ण जानकारी
1	शेखर दत्त	• शेखर दत्त एक भारतीय सिविल सेवक थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। पहले, उन्होंने कई नौकरशाही पदों पर कार्य किया जिसमें आईएएस अधिकारी और भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में सचिव शामिल थे।
2	कुंवर आनंद सिंह	• वे एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्हें गोंडा निर्वाचन क्षेत्र से 5वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। वे उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री और विधायक भी रहे (2012 से 2017 तक)।
3	दिलीप रसिकलाल दोशी	• दिलीप रसिकलाल दोशी बंगाल के भारतीय क्रिकेटर थे, हालांकि उनका मूल गुजरात से था। उन्होंने 33 टेस्ट मैच और 15 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय (ODI) 1979 से 1983 तक खेले।
4	फौजा सिंह	• फौजा सिंह का जन्म 1 अप्रैल 1911 को ब्रिटिश भारत के समय पंजाब के जालंधर के बीस पिंड में हुआ। अगस्त 1994 में अपने पांचवें बेटे कुलदीप की मृत्यु के बाद फौजा सिंह ने दौड़ना शुरू किया। उन्होंने प्रारंभ में स्वास्थ्य सुधार के लिए जाँगींग शुरू की, लेकिन बाद में जीवन में वे मैराथन धावक बन गए और दुनिया भर में मैराथन में भाग लिया।
5	रतन थियाम	• रतन थियाम मणिपुर के एक भारतीय नाटककार, थिएटर निर्देशक और शिक्षक थे। वे पद्मश्री पुरस्कार विजेता और “थिएटर ऑफ रूट्स मूवमेंट” के अग्रदूत थे।
6	टी. एन. मनोहरन	• टी. एन. मनोहरन एक भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट थे जिन्होंने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) के अध्यक्ष और केनरा बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
7	मेघनाद देसाई	• मेघनाद जगदीशचंद्र देसाई, बैरन देसाई, एक भारतीय मूल के ब्रिटिश अर्थशास्त्री और लेबर पार्टी के राजनेता थे। देसाई ने 2011 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में स्पीकर के पद के लिए असफलतापूर्वक चुनाव लड़ा। उन्हें 2008 में भारत गणराज्य के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार “पद्म भूषण” से सम्मानित किया गया।

दैनिक वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं:

1. इसका उद्देश्य 50-1000 भौतिक क्यूबिट वाले मध्यम-स्तरीय क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना है।
2. इसे अंतरिक्ष विभाग द्वारा निजी तकनीकी स्टार्टअप के सहयोग से कार्यान्वित किया जाता है।
3. इसका एक उद्देश्य रणनीतिक एजेंसियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे के बीच सुरक्षित क्वांटम संचार विकसित करना है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनें:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (a) केवल 1 और 2 | (b) केवल 2 और 3 |
| (c) केवल 1 और 3 | (d) 1, 2 और 3 |

प्रश्न 2. DRDO (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन) के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. DRDO गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
2. यह वैमानिकी, आयुध और मिसाइल प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए जिम्मेदार है।
3. DRDO की स्थापना 1958 में तीन रक्षा संगठनों को मिलाकर की गई थी।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं हैं?

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| (a) केवल एक | (b) केवल दो |
| (c) उपर्युक्त सभी | (d) इनमें से कोई नहीं |

प्रश्न 3. किंग कोबरा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?

- (a) यह दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है।
- (b) यह नम, ठंडे दलदलों, बांस के मैदानों और उच्च वर्षा वाले पर्यावासों को पसंद करता है।
- (c) इसे IUCN रेड लिस्ट में सुभेद्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- (d) किंग कोबरा में शक्तिशाली रक्तविषैला विष होता है, जो अपने शिकार को स्थिर या मार सकता है।

प्रश्न 4. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन I: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि केवल दलहन और तिलहन किसानों की उच्च आय सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

कथन II: प्रत्यक्ष आय सहायता किसानों को अधिक स्थिर लाभ प्रदान करती है और बाजार दक्षता बनाए रखने में मदद करती है।

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है?

- (a) दोनों कथन सही हैं, और कथन II कथन I की सही व्याख्या करता है।
- (b) दोनों कथन सही हैं, लेकिन कथन II कथन I की सही व्याख्या नहीं करता है।
- (c) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
- (d) दोनों कथन गलत हैं।

प्रश्न 5. उद्योग संवर्धन विभाग और आंतरिक व्यापार की कॉपीराइट और AI समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है:

1. इसका उद्देश्य AI मॉडल प्रशिक्षण के लिए कॉपीराइट सामग्री के उपयोग पर दिशानिर्देश तैयार करना है।
2. यह समिति इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अधीन कार्य करती है।
3. यह मूल सामग्री निर्माताओं को उचित मुआवज़ा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर चुनें:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (a) केवल 1 और 2 | (b) केवल 2 और 3 |
| (c) केवल 1 और 3 | (d) 1, 2 और 3 |

प्रश्न 6. सैन्य या राजनीतिक समर्थन के माध्यम से लीबिया के 2011 के बाद के गृहयुद्ध में शामिल देशों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

- | | |
|-----------|-----------------------|
| 1. तुर्की | 2. संयुक्त अरब अमीरात |
| 3. रूस | 4. कतर |

उपर्युक्त में से कितने सही हैं/हैं?

- | | |
|--------------|-------------|
| (a) केवल एक | (b) केवल दो |
| (c) केवल तीन | (d) सभी चार |

प्रश्न 7. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. संवर्धन, प्राकृतिक यूरैनियम के एक नमूने में यूरैनियम-235 (U235) की सांद्रता बढ़ाने की प्रक्रिया है, जो मुख्य रूप से यूरैनियम-238 (U238) है।
2. केवल U-238 ही विखंडनीय है और श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने में सक्षम है।

3. परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए 3-5 प्रतिशत संवर्धन पर्याप्त है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 8. क्रिटिकल टाइगर हैबिटेड (CTH) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

- (a) क्रिटिकल टाइगर हैबिटेड केवल केंद्र सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अधिसूचित किए जाते हैं।
(b) CTH बाघ अभयारण्यों के मुख्य क्षेत्र हैं जिन्हें बाघ संरक्षण के लिए अछूता रखा जाना है, बिना अनुसूचित जनजातियों या अन्य वनवासियों के अधिकारों को प्रभावित किए।
(c) पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए CTH के भीतर मानव बस्तियों और विकासवात्मक गतिविधियों की स्वतंत्र रूप से अनुमति है।
(d) बफर क्षेत्र CTH का हिस्सा हैं और उन्हें सभी मानवीय संपर्क से पूरी तरह अलग रखा जाता है।

प्रश्न 9. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंदमठ के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. यह उपन्यास 18वीं शताब्दी के अंत में बंगाल में संन्यासी विद्रोह के दौरान की घटनाओं पर आधारित है।
2. इसमें वंदे मातरम गीत शामिल है, जिसे बाद में भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया।
3. इस उपन्यास ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 10. भारत में उपचुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. आम चुनावों के बीच संसद या राज्य विधानसभाओं में रिक्तियों को भरने के लिए उपचुनाव आयोजित किए जाते हैं।
2. भारत के चुनाव आयोग को किसी सीट के रिक्त होने के छह महीने के भीतर उपचुनाव कराने का अधिकार है।
3. यदि रिक्त सीट का शेष कार्यकाल एक वर्ष से कम है, तो उपचुनाव नहीं होते हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 11. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (PMFME) योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
2. यह योजना व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों को पात्र परियोजना लागत का 35% ऋण-लिंकड सब्सिडी प्रदान करती है।
3. इस योजना के तहत नई इकाइयों को किसी भी उत्पाद के लिए, चाहे उनका स्थान या जिला विशेषज्ञता कुछ भी हो, समर्थन दिया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने गलत हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 12. निम्नलिखित में से कौन सी टेलीऑपरेशन सिस्टम की एक सामान्य सीमा नहीं है?

- (a) विलंबता और संचार में देरी प्रतिक्रिया समय को प्रभावित करती है
(b) ऑपरेटर को कम संवेदी प्रतिक्रिया
(c) मानवीय इनपुट से पूर्ण स्वतंत्रता
(d) स्थिर और उच्च-बैंडविड्थ कनेक्टिविटी पर निर्भरता

प्रश्न 13. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन 1: खाड़ी देश अब परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच राजनयिक जुड़ाव का सक्रिय रूप से समर्थन कर रहे हैं।

कथन 2: पश्चिम एशिया में हाल ही में हुए मिसाइल आदान-प्रदान ने खाड़ी देशों के लिए एक चेतावनी का काम किया है, जिससे क्षेत्रीय संघर्ष के प्रति उनकी संवेदनशीलता उजागर हुई है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है।
(b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।
(c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।
(d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 14. भूमध्य सागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं:

1. यह आंशिक रूप से घिरा हुआ सागर है जो जिब्राल्टर जलडमरूमध्य द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा है।
2. भूमध्य सागर किसी भी अफ्रीकी देश की सीमा से नहीं जुड़ा है।
3. यह सागर अपनी हल्की, आर्द्र सर्दियों और गर्म, शुष्क गर्मियों के लिए जाना जाता है, जो भूमध्यसागरीय जलवायु की विशेषता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 15. जयप्रकाश नारायण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- वह एक गांधीवादी और समाजवादी नेता थे।
- उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया।
- उन्होंने भारत में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार के रूप में जनता पार्टी सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 16. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन I: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये के मूल्य में वृद्धि मुद्रास्फीति को कम करने और

आयात की लागत को कम करने में मदद करती है।

कथन II: एक मजबूत रुपया भारत में तेल, सोना और डॉलर-मूल्य वाली अन्य वस्तुओं को सस्ता बनाता है।

कथन III: रुपये के मूल्य में वृद्धि डॉलर के रुपये में रूपांतरण मूल्य को बढ़ाकर भारतीय निर्यातकों की आय को बढ़ाती है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों कथन I की व्याख्या करते हैं।
(b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही कथन I की व्याख्या करता है।
(c) कथन II और III में से केवल एक ही सही है और वह कथन I की व्याख्या करता है।
(d) न तो कथन II और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 17. शुभांशु शुक्ला की Axiom-4 मिशन में भागीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं:

- यह चंद्रमा पर भारत का पहला मानवयुक्त मिशन है।
- 1984 के बाद से यह पहली बार है जब किसी भारतीय ने कक्षीय अंतरिक्ष की यात्रा की है।
- इसमें NASA, SpaceX और एक निजी फर्म Axiom Space के बीच सहयोग शामिल है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 18. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- भारत के संविधान में उपमुख्यमंत्री के पद का उल्लेख नहीं है।
- एक उपमुख्यमंत्री को राज्य मंत्रिपरिषद् में कैबिनेट मंत्री के समान पद और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 19. प्रधानमंत्री जनमन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- यह योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों और पीवीटीजी समुदायों के सहयोग से कार्यान्वित की जाती है।
- इस योजना में वन धन विकास केंद्रों की स्थापना और घरों के लिए ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली शामिल हैं।
- 1973 में, डेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी) को एक अलग श्रेणी के रूप में स्थापित किया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 20. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: जनजाति परिवारों का एक समूह है जिसका एक सामान्य नाम, साझा बोली और एक सामान्य या दावा किया गया क्षेत्र होता है।

कथन II: अफ्रीका के बाद, भारत में दुनिया में जनजातीय आबादी का दूसरा सबसे बड़ा संकेंद्रण है।

कथन III: 2011 की जनगणना के अनुसार, जनजातीय आबादी भारत की कुल आबादी का लगभग 8.9% है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों कथन I की व्याख्या करते हैं।
(b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं, लेकिन दोनों ही कथन I की व्याख्या नहीं करते हैं।
(c) कथन II और III में से केवल एक ही सही है और वह कथन I की व्याख्या करता है।
(d) न तो कथन II और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 21. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) का उद्देश्य एशिया, यूरोप और अफ्रीका में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक विशाल वैश्विक बुनियादी ढाँचा और व्यापार नेटवर्क बनाना है।

कथन 2: BRI का सभी भागीदार देशों द्वारा समान रूप से स्वागत किया गया है क्योंकि यह ऋण-मुक्त वित्तपोषण और बुनियादी ढाँचे का पूर्ण स्थानीय स्वामित्व सुनिश्चित करता है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है।
- (b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।
- (c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।
- (d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 22. किशनगंगा और रतले जलविद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है:

1. किशनगंगा परियोजना जम्मू और कश्मीर में झेलम नदी की एक सहायक नदी पर स्थित है।
2. रतले परियोजना एक जर्मन बिजली कंपनी के सहयोग से चिनाब नदी पर विकसित की जा रही है।
3. पाकिस्तान सिंधु जल संधि के उल्लंघन का हवाला देते हुए दोनों परियोजनाओं पर आपत्ति नहीं उठा सकता।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 23. विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विशाखा दिशानिर्देश (1997) के परिणामस्वरूप अंततः निम्नलिखित में से कौन सा कानून लागू हुआ?

- (a) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
- (b) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
- (c) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013
- (d) घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

प्रश्न 24. टिर्जेपेटाड और सेमाग्लूटाड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. दोनों दवाएँ पॉलीपेटाड हैं जो ग्लूकागन-जैसे पेटाड-1 (GLP-1) के स्तर को बढ़ाकर वजन घटाने में सहायता करती हैं, जो मस्तिष्क और पाचन तंत्र के माध्यम से भूख के नियमन को प्रभावित करते हैं।
2. ये ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद करती हैं, जिससे ये मधुमेह के लिए एक प्रभावी उपचार बन जाती हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 25. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: एनईपी 2020 में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है।

कथन 2: इस मिशन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में प्रत्येक बच्चा कक्षा 10 तक बुनियादी पठन और संख्यात्मक कौशल प्राप्त कर ले।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है।
- (b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।
- (c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।
- (d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 26. भारत के महापंजीयक (RGI) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है:

1. यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
2. यह भारत में दशकीय जनगणना आयोजित करने के लिए उत्तरदायी है।
3. यह भारत में जन्म और मृत्यु से संबंधित नागरिक पंजीकरण प्रणाली का भी प्रबंधन करता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 27. पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- I. यह विश्व में जैविक विविधता के आठ हॉटस्पॉट में से एक है।
- II. यह छह राज्यों अर्थात् गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में फैला हुआ है।
- III. गोदावरी, कावेरी और कृष्णा नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं?

- (a) केवल I और II
- (b) केवल II और III
- (c) केवल I और III
- (d) I, II और III

प्रश्न 28. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: भारत के संविधान, 1950 का अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों के लिए "विधि के समक्ष समानता" और "विधि का समान संरक्षण" के मौलिक अधिकार की पुष्टि करता है।

कथन II: "विधि के समक्ष समता" की उत्पत्ति इंग्लैंड से हुई है और "विधि का समान संरक्षण" अमेरिकी संविधान से लिया गया है।

कथन III: अनुच्छेद 14 वर्ग विधान पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन विशिष्ट विधायी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों कथन I की व्याख्या करते हैं।
- (b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं, लेकिन कोई भी कथन I की व्याख्या नहीं करता है।
- (c) कथन II और III में से केवल एक ही सही है और वह कथन I की व्याख्या करता है।
- (d) न तो कथन I, न ही कथन II और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 29. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. CBFC सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है।
2. भारत में फिल्मों का सार्वजनिक प्रदर्शन सीबीएफसी के प्रमाणन के बिना नहीं किया जा सकता।
3. सीबीएफसी के पास सिनेमा में अश्लीलता को बढ़ावा देने वाली पुस्तकों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है।
4. सीबीएफसी के निर्णयों के विरुद्ध अपील करने का अंतिम अधिकार फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण (एफसीएटी) के पास है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
- (c) केवल तीन (d) सभी चार

प्रश्न 30. भगवान जगन्नाथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं:

1. भगवान जगन्नाथ की मूर्ति नीम की लकड़ी से बनी होती है और नवकलेवर अनुष्ठान के दौरान हर 12 से 19 वर्षों में इसे बदला जाता है।
2. पुरी का जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं द्वारा पूजनीय चार धाम तीर्थ स्थलों में से एक है।
3. भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा में केवल दो देवताओं को रथों पर निकाला जाता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 31. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- I. अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म का स्वतंत्र रूप से मानने, प्रचार और प्रसार करने का अधिकार प्रदान करता है।
- II. अनुच्छेद 26 धार्मिक समूहों या व्यक्तियों को अपने स्वयं के धार्मिक और धर्मार्थ संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने की अनुमति देता है।

III. अनुच्छेद 27 धार्मिक समूहों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की अनुमति देता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही हैं?

- (a) केवल I और II (b) केवल II और III
- (c) केवल I और III (d) I, II और III

प्रश्न 32. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: भारत में गरीबी रेखा का अनुमान उपभोग व्यय पर आधारित है, न कि आय स्तर पर।

कथन II: बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की टोकरी गरीबी रेखा टोकरी (PLB) है।

कथन III: स्वतंत्रता-पूर्व काल में, दादाभाई नौरोजी ब्रिटिश शासन से जुड़े भारत में गरीबी का अनुमान लगाने वाले पहले लोगों में से थे।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों कथन I की व्याख्या करते हैं।
- (b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं, लेकिन दोनों ही कथन I की व्याख्या नहीं करते हैं।
- (c) कथन II और III में से केवल एक ही सही है और वह कथन I की व्याख्या करता है।
- (d) न तो कथन I, न ही कथन II और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 33. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: उपभोक्ता गैर-संधारणीय वस्तुएँ, पूँजीगत वस्तुओं की तुलना में IIP में अधिक अस्थिर होती हैं।

कथन 2: पूँजीगत वस्तुओं के IIP आँकड़ों में उच्च अस्थिरता निवेश चक्रों में अनियमितताओं को दर्शाती है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।
- (b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।
- (c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।
- (d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 34. सरकारी प्रतिभूतियों के बॉन्ड प्रतिफल में तीव्र वृद्धि सामान्यतः निम्न का संकेत देती है:

- (a) राजकोषीय घाटे में कमी
- (b) निवेशकों के विश्वास में सुधार
- (c) सार्वजनिक ऋण के स्तर में कमी
- (d) उच्च अपेक्षित मुद्रास्फीति और ब्याज दरें

प्रश्न 35. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- I. बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है।
- II. दलमा वन्यजीव अभयारण्य छोटानागपुर पठार पर दलमा पहाड़ियों के आसपास स्थित है।
- III. मनियारी नदी अचानकमार बाघ अभयारण्य के केंद्र से बहती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं?

- (a) केवल I और II
- (b) केवल II और III
- (c) केवल I और III
- (d) I, II और III

प्रश्न 36. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- कथन I: INS तमाल, क्रिवाक श्रेणी के युद्धपोतों की श्रृंखला से संबंधित एक स्टील्य बहु-भूमिका वाला युद्धपोत है।
- कथन II: यह तुशील श्रेणी का दूसरा जहाज है, जो अपने पूर्ववर्ती तलवार और तेग श्रेणी के युद्धपोतों का उन्नत संस्करण है।
- कथन III: इसका निर्माण रूस में हुआ था और यह किसी विदेशी स्रोत से शामिल किया जाने वाला अंतिम युद्धपोत है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों कथन I की व्याख्या करते हैं।
- (b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं लेकिन दोनों में से कोई भी कथन I की व्याख्या नहीं करता है।
- (c) कथन II और III में से केवल एक सही है और वह कथन I की व्याख्या करता है।
- (d) उपर्युक्त सभी कथन सही हैं।

प्रश्न 37. ब्रिक्स, क्वाड और सार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- I. ब्रिक्स एक आर्थिक समूह है जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं और जो वैश्विक आर्थिक सहयोग पर केंद्रित है।
- II. क्वाड एक रणनीतिक सुरक्षा वार्ता है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करना है।
- III. सार्क दक्षिण एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच आर्थिक और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना है।
- IV. चीन, ब्रिक्स और सार्क दोनों का सदस्य है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

- (a) केवल I और III
- (b) केवल I और II
- (c) केवल I, II और III
- (d) केवल I, II और IV

प्रश्न 38. संसद के सत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं:

1. राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत समय-समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बुलाता है।
2. दो संसदीय सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए।
3. बजट सत्र सबसे लंबा होता है और आमतौर पर दो भागों के बीच एक अवकाश होता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 39. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- कथन 1: मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत की जाती है।
- कथन 2: राज्यपाल संवैधानिक रूप से बाध्य है कि वह विधान सभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करे।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है।
- (b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।
- (c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।
- (d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 40. भारत के सॉलिसिटर जनरल (एसजीआई) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- I. एसजीआई देश का दूसरा सर्वोच्च विधि अधिकारी है।
- II. एसजीआई केंद्र सरकार को सलाह देता है और भारत संघ की ओर से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में पेश होता है।
- III. भारत के संविधान में भारत के सॉलिसिटर जनरल और भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के कार्यालयों का उल्लेख है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं?

- (a) केवल I और II
- (b) केवल II और III
- (c) केवल I और III
- (d) I, II और III

प्रश्न 41. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- कथन I: जनरेटिव एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का एक रूप है जिसमें एल्गोरिदम स्वचालित रूप से पाठ, चित्र, ऑडियो और वीडियो के रूप में सामग्री का उत्पादन करते हैं।
- कथन II: जनरेटिव एआई आधारभूत मॉडल द्वारा संचालित होता है जो बहु-कार्य कर सकते हैं और लीक से हटकर कार्य कर सकते हैं।

कथन III: जनरेटिव AI को नया डेटा दिया जाता है और वे स्वतंत्र रूप से सीख सकते हैं, विकसित हो सकते हैं, और अनुकूलित हो सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों कथन I की व्याख्या करते हैं।
- (b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं लेकिन कोई भी कथन I की व्याख्या नहीं करता है।
- (c) कथन II और III में से केवल एक ही सही है और वह कथन I की व्याख्या करता है।
- (d) उपर्युक्त सभी कथन सही हैं।

प्रश्न 42. वृहद भाषा मॉडल (LLM) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- I. LLM एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसमें मानव भाषा को पहचानने और व्याख्या करने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त उदाहरण दिए गए हैं।
- II. LLM एक प्रकार की मशीन लर्निंग का उपयोग करते हैं जिसे डीप लर्निंग कहा जाता है ताकि यह समझा जा सके कि अक्षर, शब्द और वाक्य एक साथ कैसे कार्य करते हैं।
- III. एलएलएम आमतौर पर ट्रांसफॉर्मर मॉडल पर निर्भर करते हैं, जैसे जेनरेटिव प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर (जीपीटी)।
- IV. ओपनएआई द्वारा निर्मित जीपीटी-3.5 एक ओपन सोर्स एलएलएम का उदाहरण है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

- (a) केवल I और II
- (b) केवल II और III
- (c) केवल I और III
- (d) I, II और III

प्रश्न 43. मनुस्मृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं:

- 1. यह हिंदू धर्म के सबसे प्रारंभिक और सबसे प्रामाणिक धर्मशास्त्र ग्रंथों में से एक है।
- 2. यह एक कठोर वर्ण-आधारित सामाजिक व्यवस्था की रूपरेखा प्रस्तुत करता है और प्रत्येक जाति के लिए कर्तव्यों का निर्धारण करता है।
- 3. इसकी रचना गुप्त काल में हुई थी और यह बौद्ध प्रभाव को दर्शाता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 44. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- कथन 1: भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म और राज्य के बीच सख्त अलगाव के बजाय सभी धर्मों के लिए समान सम्मान के सिद्धांत पर आधारित है।
- कथन 2: भारतीय राज्य सामाजिक सुधार और धार्मिक सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए धर्म के साथ जुड़ सकता है, जैसा कि अस्पृश्यता या तीन तलाक के खिलाफ कानूनों में देखा गया है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है।
- (b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।
- (c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।
- (d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 45. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

- I. विश्व क्षय रोग (टीबी) दिवस प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है।
- II. यह दिन 1882 में डॉ. रॉबर्ट कोच द्वारा टीबी पैदा करने वाले जीवाणु की खोज का प्रतीक है।
- III. 2025 का विषय है "हॉ! हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं: प्रतिबद्ध, निवेश, परिणाम।"

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

- (a) केवल I और II
- (b) केवल II और III
- (c) केवल I और III
- (d) I, II और III

प्रश्न 46. मिज़ोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- कथन I: केंद्र के ULLAS - न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिज़ोरम भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है।
- कथन II: देश में महिला कार्यबल भागीदारी दर के मामले में यह तीसरे स्थान पर है।
- कथन III: जन्म के समय इसका लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों कथन I की व्याख्या करते हैं।
- (b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं लेकिन कोई भी कथन I की व्याख्या नहीं करता है।
- (c) कथन II और III में से केवल एक ही सही है और वह कथन I की व्याख्या करता है।
- (d) उपर्युक्त सभी कथन सही हैं।

प्रश्न 47. भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित "गणराज्य" शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं:

- 1. इसका तात्पर्य है कि राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं।
- 2. यह जन्म के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों की समानता सुनिश्चित करता है।
- 3. यह न्यायपालिका की कार्यपालिका से स्वतंत्रता की गारंटी देता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 48. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आयरिश संविधान से प्रेरित तत्व शामिल हैं।

कथन 2: निर्देशक सिद्धांत राज्य पर विशिष्ट नीतियों का पालन करने के लिए कानूनी दायित्व लगाते हैं।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है।
(b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।
(c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।
(d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 49. शहरी निकायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- I. 74वाँ संशोधन अधिनियम, 1992 प्रत्येक राज्य में आकार और क्षेत्रफल के आधार पर 3 प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान करता है।
II. भारत में पहला नगर निगम पुणे में स्थापित किया गया था।
III. लॉर्ड रिपन के 1882 के प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन के 'मैग्रा कार्ट' के रूप में सराहा गया है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

- (a) केवल I और II (b) केवल I और III
(c) केवल I और III (d) I, II और III

प्रश्न 50. शहरी चुनौती कोष (UCF) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन I: 2025 के बजट में शहरों के विकास और वृद्धि में सहायता के लिए ₹1 लाख करोड़ का शहरी चुनौती कोष स्थापित किया गया है।

कथन II: यह कोष 'विकास केंद्र के रूप में शहर', 'शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास' और 'जल एवं स्वच्छता' के प्रस्तावों को लागू करने के लिए है।

कथन III: वैधानिक शहर वे हैं जिनमें नगर निगम, नगर पालिका या नगरपालिका समिति जैसे शहरी स्थानीय निकाय होते हैं।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों कथन I की व्याख्या करते हैं।
(b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं लेकिन कोई भी कथन I की व्याख्या नहीं करता है।

(c) कथन II और III में से केवल एक ही सही है और वह कथन I की व्याख्या करता है।

(d) उपर्युक्त सभी कथन सही हैं।

प्रश्न 51. भारत में सहकारी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं:

1. भारत के संविधान के तहत सहकारी समितियाँ राज्य का विषय हैं।
2. 97वें संविधान संशोधन ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया।
3. बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 एक से अधिक राज्यों में संचालित सहकारी समितियों को नियंत्रित करता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 52. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन 1: BRICS ने अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करने के लिए आंतरिक-समूह व्यापार में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग का प्रस्ताव दिया है।

कथन 2: BRICS 2023 शिखर सम्मेलन में, सदस्य देशों ने डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए एक सामान्य BRICS मुद्रा स्थापित करने पर चर्चा को अस्वीकार कर दिया।

इन कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) दोनों कथन 1 और कथन 2 सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।
(b) दोनों कथन 1 और कथन 2 सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।
(c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।
(d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 53. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

I. एशियाई हाथियों के कान अफ्रीकी प्रजातियों के बड़े पंख के आकार वाले कानों की तुलना में छोटे होते हैं।

II. एक हाथी की सूंड में 40,000 तक की मांसपेशियाँ होती हैं।

III. केवल नर एशियाई हाथियों के पास दांत होते हैं, जबकि नर और मादा दोनों अफ्रीकी हाथियों के दांत होते हैं।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

- (a) I और II केवल (b) I और III केवल
(c) II और III केवल (d) I, II और III

प्रश्न 54. अत्यंत पिछड़ी जातियों (EBCs) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन I: EBCs बिहार में सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित जातियों का एक समूह हैं।

कथन II: उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) की तुलना में अधिक हाशिए पर माना जाता है।

कथन III: मुनगेरी लाल आयोग EBCs के बारे में बात करता है।

इन कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) दोनों कथन I और कथन II सही हैं और दोनों कथन III की व्याख्या करते हैं
- (b) दोनों कथन II और कथन III सही हैं लेकिन कथन I की व्याख्या नहीं करते हैं
- (c) केवल कथन II और कथन III सही हैं और यह कथन I की व्याख्या करता है
- (d) सभी तीन कथन सही हैं

प्रश्न 55. चिन लोगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं:

- 1. वे म्यांमार के चिन राज्य में प्रमुख रूप से निवास करने वाले प्रमुख जातीय समूहों में से एक हैं।
- 2. म्यांमार में जातीय संघर्ष के कारण चिन शरणार्थियों की एक बड़ी आबादी भारत के मिजोरम राज्य में पलायन कर चुकी है।
- 3. चिन लोग मुख्य रूप से थेरवाद बौद्ध धर्म को अपने पारंपरिक धर्म के रूप में मानते हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

- (a) 1 और 2 केवल
- (b) 2 और 3 केवल
- (c) 1 और 3 केवल
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 56. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन 1: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल वितरण में सुधार लाने के लिए शुरू किया गया था, जिसमें सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

कथन 2: NRHM का उद्देश्य सभी गांवों में टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड को बढ़ावा देकर ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल में डिजिटल विभाजन को कम करना था।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) दोनों कथन 1 और कथन 2 सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है
- (b) दोनों कथन 1 और कथन 2 सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है
- (c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है
- (d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है

प्रश्न 57. BRICS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- I. BRICS अब वैश्विक जनसंख्या का 45% के लिए जिम्मेदार है और दुनिया के GDP का 35% से अधिक योगदान देता है।
- II. इसके 10 सदस्य हैं।
- III. इंडोनेशिया और UAE जनवरी 2025 में इस समूह में शामिल हुए।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है?

- (a) I और II केवल
- (b) I और III केवल
- (c) I और III केवल
- (d) I, II और III

प्रश्न 58. निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:

- 1. Samarium – चुंबक और रिपेक्टर
- 2. Gadolinium – MRI
- 3. Scandium – एयरोस्पेस मिश्र धातुएँ
- 4. Yttrium – LED लाइट्स

उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 59. मनुस्मृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं:

- 1. यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक धर्मशास्त्र ग्रंथों में से एक है।
- 2. यह वर्ण-आधारित सामाजिक व्यवस्था का विवरण देती है और प्रत्येक जाति के कर्तव्यों को निर्धारित करती है।
- 3. यह गुप्त काल के दौरान रची गई थी और इसमें बौद्ध प्रभाव परिलक्षित होता है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:

- (a) 1 और 2 केवल
- (b) 2 और 3 केवल
- (c) 1 और 3 केवल
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 60. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन 1: भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म और राज्य के बीच कठोर पृथक्करण के बजाय सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान के सिद्धांत पर आधारित है।

कथन 2: भारतीय राज्य सामाजिक सुधार और धार्मिक सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए धर्म से जुड़ सकता है, जैसा कि अस्पृश्यता या ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानूनों में देखा गया है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 को स्पष्ट करता है
- (b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं लेकिन कथन 2 कथन 1 को स्पष्ट नहीं करता है

(c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है

(d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है

प्रश्न 61. मिजोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन 1: मिजोरम, केंद्र की ULLAS — New India Literacy Programme के तहत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है।

कथन 2: इसका देश में महिला कार्यबल भागीदारी का तीसरा सबसे अधिक स्तर है।

कथन 3: जन्म के समय इसका लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है?

(a) कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं और दोनों कथन 1 को स्पष्ट करते हैं

(b) कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं लेकिन कथन 1 को स्पष्ट नहीं करते

(c) केवल कथन 2 और कथन 3 में से एक सही है और वह कथन 1 को स्पष्ट करता है

(d) ये उपर्युक्त सभी कथन सही हैं

प्रश्न 62. राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

I. NTEP का लक्ष्य 2030 तक भारत से क्षय रोग (TB) को समाप्त करना है।

II. इसे चार रणनीतिक स्तंभों के तहत लागू किया जाएगा: पहचानना, उपचार, रोकथाम और निर्माण (DTPB)।

III. क्षय रोग रोके जाने योग्य और उपचार योग्य है।

IV. दवा-प्रतिरोधी TB वह क्षय रोग है जिस पर कोई दवा असर नहीं करती।

उपर्युक्त में से कौन से कथन गलत हैं?

(a) I और III केवल (b) I और IV केवल

(c) I, II और III केवल (d) II, III और IV केवल

प्रश्न 63. भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. इसे 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान के प्रावधानों के तहत गठित किया गया था।

2. यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित एक पूर्ण रूप से निर्वाचित निकाय थी।

3. स्वतंत्रता के बाद इसने भारत की अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 64. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद GST परिषद को केंद्र और राज्यों को सिफारिशें देने के लिए सशक्त बनाता है?

(a) अनुच्छेद 246A (b) अनुच्छेद 269A

(c) अनुच्छेद 279A (d) अनुच्छेद 254A

प्रश्न 65. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. यह एक वैधानिक निकाय है।

II. यह केवल दिल्ली-एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्यवाई करता है।

III. यह प्रदूषण फैलाने वालों और पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और दंड लगा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल I और II (b) केवल II और III

(c) केवल I और III (d) I, II और III

प्रश्न 66. अंतरिक्ष अभियानों के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों में हड्डियों के स्वास्थ्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में हड्डियों के नुकसान की भरपाई के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को कैल्शियम के अधिक सेवन की आवश्यकता होती है।

2. अंतरिक्ष में हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने के लिए सोडियम का उच्च सेवन फायदेमंद होता है।

3. विटामिन D की अधिकता अंतरिक्ष यात्रियों में कैल्शियम असंतुलन का कारण बन सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 67. गाजा पट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं:

1. यह भूमध्य सागर के किनारे स्थित एक संकरी तटीय पट्टी है।

2. इसकी सीमा इज़राइल और मिस्र दोनों से लगती है।

3. इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इज़राइल का हिस्सा माना जाता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 68. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) का लक्ष्य भारत के सकल अनुसंधान एवं विकास व्यय (GERD) को सकल घरेलू उत्पाद के 2% तक बढ़ाना है।

कथन 2: ANRF का उद्देश्य सार्वजनिक व्यय के साथ-साथ निजी क्षेत्र और परोपकारी निवेश को पूरी तरह से प्रोत्साहित करके अनुसंधान निधि को उत्प्रेरित करना नहीं है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है।
- (b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।
- (c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।
- (d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 69. निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:

1. निकोबार मेगापोड - सुभेद्य
2. लेदरबैक समुद्री कछुआ - गंभीर रूप से संकटग्रस्त
3. निकोबार लंबी पूंछ वाला मकाक - सुभेद्य
4. निकोबार ट्रीशू - संकटग्रस्त

उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 70. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन I: चरण परिवर्तन पदार्थ (PCM) रेशो अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर सकते हैं और जब चीजें ठंडी हो जाती हैं तो उसे छोड़ देते हैं।

कथन II: PCM तापमान को नियंत्रित करने और कपड़ों में आराम बढ़ाने में मदद करता है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की व्याख्या करता है।
- (b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं, लेकिन कथन-II कथन-I की व्याख्या नहीं करता है।
- (c) कथन-I सही है, लेकिन कथन-II गलत है।
- (d) कथन-I गलत है, लेकिन कथन-II सही है।

प्रश्न 71. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय P5 देशों को स्थायी सदस्यता और वीटो शक्ति प्रदान की गई थी।

कथन 2: P5 देश संयुक्त राष्ट्र के बजट में सबसे बड़े योगदानकर्ता हैं।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।

(b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।

(c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।

(d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 72. विश्व व्यापार संगठन (WTO) के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. WTO की स्थापना 1995 में GATT (टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता) के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी।
2. WTO मुख्य रूप से वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक संपदा के व्यापार के नियमन से संबंधित है।
3. WTO में एक विवाद निपटान तंत्र है जो इसके सदस्य देशों पर बाध्यकारी है।

उपर्युक्त में से कितने सही हैं/हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) उपर्युक्त सभी
- (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 73. वसा अम्लों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- I. सभी तेलों में मुख्यतः तीन प्रकार के वसा अम्ल होते हैं।
- II. MUFA और PUFA अच्छे वसा अम्ल हैं जबकि संतृप्त वसा अम्ल (SFA) खराब वसा अम्ल हैं।
- III. उच्च SFA वाले तेलों के सेवन से अच्छे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

- (a) केवल I और II
- (b) केवल II और III
- (c) केवल I और III
- (d) I, II और III

प्रश्न 74. संतृप्त वसा अम्लों (SFA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. नारियल तेल और घी में SFA की मात्रा सबसे अधिक होती है।
2. सरसों, कुसुम और सूरजमुखी में SFA की मात्रा सबसे कम होती है।
3. तेलों में हाइड्रोजन परमाणुओं के मिलने से तरल तेल अर्ध-ठोस में परिवर्तित हो जाता है और उनका जीवनावधि बढ़ जाता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) उपर्युक्त सभी
- (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 75. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार है।

कथन 2: UNHRC, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक सहायक अंग है और सदस्य देशों पर बाध्यकारी निर्णय लागू कर सकता है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है।
- (b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।
- (c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।
- (d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 76. एवगैस और जेट ईंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- I. एवगैस का उपयोग पिस्टन-इंजन वाले विमानों में किया जाता है और इसमें ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए टेट्राएथिल लेड की थोड़ी मात्रा होती है।
- II. जेट ईंधन, जैसे जेट A और जेट A1, केरोसिन आधारित होते हैं और जेट और टर्बोप्रॉप जैसे टर्बाइन-इंजन वाले विमानों में उपयोग किए जाते हैं।
- III. एवगैस का हिमांक बिंदु जेट A1 से कम होता है, जिससे यह लंबी दूरी की, उच्च ऊंचाई वाली उड़ानों के लिए अधिक उपयुक्त हो जाता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही हैं?

- (a) केवल I और II
- (b) केवल II और III
- (c) केवल I और III
- (d) I, II और III

प्रश्न 77. कैलाश पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- 1. कैलाश पर्वत तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में, भारत, तिब्बत और नेपाल के त्रि-जंक्शन के पास स्थित है।
- 2. खारे पानी का राक्षसताल और मीठे पानी का मानसरोवर तिब्बती पठार के दक्षिण में स्थित दो झीलें हैं।
- 3. यारलुंग त्सांगपो, सिंधु, सतलुज और करनाली नदियाँ कैलाश पर्वत से निकलती हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) उपर्युक्त सभी
- (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 78. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: पेट्रोल हवाई जहाज में उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, विशेषकर अधिक ऊँचाई पर।

कथन II: पेट्रोल का हिमांक बिंदु विमानन ईंधन से अधिक होता है, जिससे ऊँचाई पर कम तापमान की स्थिति में इंजन में समस्याएँ हो सकती हैं।

कथन III: पेट्रोल का फ्लैश पॉइंट कम होता है, जिससे यह अधिक अस्थिर हो जाता है और विमान संचालन के दौरान आकस्मिक प्रज्वलन का खतरा बढ़ जाता है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों कथन I की व्याख्या करते हैं।
- (b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही कथन I की व्याख्या करता है।
- (c) कथन II और III में से केवल एक ही सही है और वह कथन I की व्याख्या करता है।
- (d) न तो कथन II और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 79. फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (FGD) प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है:

- 1. FGD प्रणालियों का उपयोग मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन बिजली संयंत्रों के निकास फ्लू गैसों से सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) को हटाने के लिए किया जाता है।
- 2. भारत ने उत्सर्जन नियंत्रण मानदंडों के तहत 2035 तक सभी ताप विद्युत संयंत्रों में FGD प्रणालियों की स्थापना अनिवार्य कर दी है।
- 3. आर्द्र FGD सबसे आम प्रकारों में से एक है और SO₂ को अवशोषित करने के लिए चूना पत्थर के घोल का उपयोग करता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 80. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन 1: कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली मानवजनित ग्रीनहाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है।

कथन 2: सभी ग्रीनहाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता (GWP) सबसे अधिक है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।
- (b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।
- (c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।
- (d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 81. क्षय रोग (टीबी) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- 1. क्षय रोग केवल फेफड़ों को प्रभावित करता है और केवल संक्रमित व्यक्ति के सीधे शारीरिक संपर्क से फैलता है।
- 2. टीबी के लिए जिम्मेदार जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, हड्डियों, लसीका ग्रंथियों और तंत्रिका तंत्र जैसे अंगों को भी संक्रमित कर सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 82. उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं:

1. नाटो की स्थापना 1949 में सोवियत संघ के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
2. नाटो चार्टर के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि एक सदस्य के विरुद्ध हमला सभी के विरुद्ध हमला माना जाता है।
3. रूस और चीन नाटो के स्थायी पर्यवेक्षक सदस्य हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 83. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: विश्व व्यापार संगठन (WTO) की स्थापना राष्ट्रों के बीच मुक्त और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने और व्यापार विवादों को सुलझाने के लिए की गई थी।

कथन 2: विश्व व्यापार संगठन ने 1995 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों को नियंत्रित करने वाली एक स्थायी संस्था के रूप में टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT) का स्थान लिया।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है।
(b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।
(c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।
(d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 84. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- I. इस योजना का उद्देश्य 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से 100 कृषि जिलों का विकास करना है।
- II. PMDDKY को आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) की तर्ज पर तैयार किया गया है।
- III. PMDDKY जिलों की वार्षिक निगरानी की जाएगी और उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग दी जाएगी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

- (a) केवल I और II (b) केवल II और III
(c) केवल I और III (d) I, II और III

प्रश्न 85. गगनयान मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. गगनयान मिशन का उद्देश्य 2030 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजना है।
2. इसे इसरो द्वारा डीआरडीओ और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है।
3. व्योममित्र, एक महिला जैसी दिखने वाली मानव रोबोट, चालक दल वाली उड़ान से पहले एक मानवरहित मिशन पर भेजी जाएगी।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 86. काला सागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं:

1. काला सागर एक स्थलरुद्ध सागर है जिसकी सीमा छह देशों से लगती है।
2. यह बोस्पोरस जलडमरूमध्य और मारमरा सागर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है।
3. डेन्यूब, नीसतर और नील नदियाँ काला सागर में गिरती हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 87. गुरुत्वाकर्षण तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ये तरंगें ब्रह्मांड में सभी गतिशील वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती हैं।
2. इनकी भविष्यवाणी सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत द्वारा की गई थी।
3. वैज्ञानिक इनका पता पहली बार हाल ही में 2015 में ही लगा पाए।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

- (a) केवल I और II (b) केवल II और III
(c) केवल I और III (d) I, II और III

प्रश्न 88. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत की कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार, लगभग 86% भारतीय किसान छोटे और सीमांत हैं।
2. नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार, भारत के सकल बोए गए क्षेत्र का केवल 52% ही सिंचित है।
3. किसानों पर ऋणग्रस्तता का उच्चतम स्तर आंध्र प्रदेश में था, उसके बाद केरल, पंजाब, हरियाणा और तेलंगाना का स्थान था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

- (a) केवल I और II (b) केवल II और III
(c) केवल I और III (d) I, II और III

प्रश्न 89. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है:

1. DGCA भारत में नागरिक उड्डयन सुरक्षा के लिए नियामक निकाय है।
2. यह भारतीय क्षेत्र में विमानों की दुर्घटना जाँच के लिए ज़िम्मेदार है।
3. DGCA रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 90. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन 1: गिनी गुणांक समाज में आय असमानता का आकलन करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त माप है।

कथन 2: 1 का गिनी गुणांक पूर्ण समानता दर्शाता है, जबकि 0 का गुणांक पूर्ण असमानता दर्शाता है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।
(b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।
(c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।
(d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 91. तीन शिक्षाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. चीनी दर्शन में तीन शिक्षाएँ हैं: कन्फ्यूशीवाद, ताओवाद और बौद्ध धर्म।
2. कन्फ्यूशीवाद नैतिकता, सामाजिक व्यवस्था और परिवार एवं परंपरा के सम्मान पर केंद्रित है।

3. ताओवाद प्रकृति के साथ सामंजस्य पर जोर देता है, जबकि बौद्ध धर्म आत्मज्ञान का मार्ग और दुख का अंत सिखाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है?

- (a) केवल I और II (b) केवल II और III
(c) केवल I और III (d) I, II और III

प्रश्न 92. भारत के बैंकिंग क्षेत्र में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) के रुझानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल के वर्षों में उद्योग के NPA में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है।
2. MSME क्षेत्र ने समग्र उद्योग NPA में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3. बेहतर वसूली तंत्र और बेहतर ऋण अनुशासन ने इस गिरावट में योगदान दिया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

- (a) केवल I और II (b) केवल II और III
(c) केवल I और III (d) I, II और III

विस्तृत व्याख्या के लिए

क्यूआर कोड स्कैन करें



उत्तर कुंजी

प्रश्न 1	c	प्रश्न 16	b	प्रश्न 31	a	प्रश्न 46	d	प्रश्न 61	d	प्रश्न 76	a	प्रश्न 91	d
प्रश्न 2	a	प्रश्न 17	b	प्रश्न 32	b	प्रश्न 47	a	प्रश्न 62	b	प्रश्न 77	c	प्रश्न 92	d
प्रश्न 3	d	प्रश्न 18	c	प्रश्न 33	d	प्रश्न 48	c	प्रश्न 63	b	प्रश्न 78	a		
प्रश्न 4	a	प्रश्न 19	d	प्रश्न 34	d	प्रश्न 49	b	प्रश्न 64	c	प्रश्न 79	c		
प्रश्न 5	c	प्रश्न 20	b	प्रश्न 35	d	प्रश्न 50	d	प्रश्न 65	d	प्रश्न 80	c		
प्रश्न 6	d	प्रश्न 21	c	प्रश्न 36	d	प्रश्न 51	d	प्रश्न 66	b	प्रश्न 81	b		
प्रश्न 7	b	प्रश्न 22	b	प्रश्न 37	c	प्रश्न 52	c	प्रश्न 67	a	प्रश्न 82	a		
प्रश्न 8	b	प्रश्न 23	c	प्रश्न 38	d	प्रश्न 53	d	प्रश्न 68	c	प्रश्न 83	a		
प्रश्न 9	b	प्रश्न 24	c	प्रश्न 39	a	प्रश्न 54	a	प्रश्न 69	c	प्रश्न 84	a		
प्रश्न 10	c	प्रश्न 25	c	प्रश्न 40	a	प्रश्न 55	a	प्रश्न 70	a	प्रश्न 85	b		
प्रश्न 11	a	प्रश्न 26	b	प्रश्न 41	c	प्रश्न 56	c	प्रश्न 71	c	प्रश्न 86	a		
प्रश्न 12	c	प्रश्न 27	d	प्रश्न 42	c	प्रश्न 57	a	प्रश्न 72	d	प्रश्न 87	d		
प्रश्न 13	d	प्रश्न 28	a	प्रश्न 43	a	प्रश्न 58	d	प्रश्न 73	a	प्रश्न 88	d		
प्रश्न 14	c	प्रश्न 29	b	प्रश्न 44	a	प्रश्न 59	a	प्रश्न 74	c	प्रश्न 89	b		
प्रश्न 15	c	प्रश्न 30	a	प्रश्न 45	d	प्रश्न 60	a	प्रश्न 75	c	प्रश्न 90	c		

दैनिक उत्तर-लेखन अभ्यास प्रश्न

- प्रश्न 1. संसदीय समितियाँ संसद के दोनों सदनों के बीच सहयोग का अवसर प्रदान करती हैं और सांसदों को मामलों की गहन जाँच करने में मदद करती हैं। भारत में संसदीय समितियों की उत्पत्ति, महत्व और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। (GS2, 15 अंक, 250 शब्द)
- प्रश्न 2. भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) की क्या भूमिका है? संगठित और असंगठित खाद्य क्षेत्रों के लिए विभिन्न नियामक दृष्टिकोणों पर चर्चा कीजिए। (GS 2 और 3, 15 अंक, 250 शब्द)
- प्रश्न 3. क्षेत्रीय असमानताएँ, सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ और सरकारी नीतियाँ सामूहिक रूप से भारत में आंतरिक प्रवास के पैटर्न, अनुभवों और परिणामों को प्रभावित करती हैं। टिप्पणी कीजिए। (GS 1, 15 अंक, 250 शब्द)
- प्रश्न 4. परमाणु प्रौद्योगिकी के वैश्विक रूप से अपनाए जाने के प्राथमिक लाभ और अंतर्निहित जोखिम क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय विनियम परमाणु प्रौद्योगिकी की दोहरी प्रकृति को कैसे संबोधित करते हैं? (GS 2 और 3, 15 अंक, 250 शब्द)
- प्रश्न 5. पितृसत्ता द्वारा निर्मित सामाजिक दृष्टिकोण महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर जनता की प्रतिक्रियाओं और मीडिया कवरेज को प्रभावित करता है। टिप्पणी कीजिए। समाज में पितृसत्तात्मक पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा कीजिए। (GS 1, 15 अंक, 250 शब्द)
- प्रश्न 6. 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए कौन सी प्रमुख घटनाएँ थीं? 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान और उसके बाद के प्रमुख संवैधानिक निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। (GS 1 और 2, 15 अंक, 250 शब्द)
- प्रश्न 7. बिरसा मुंडा ने 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी प्रतिरोध और सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में मदद की। टिप्पणी कीजिए। (GS1, 15 अंक, 250 शब्द)
- प्रश्न 8. भारत-अफ्रीका कृषि सहयोग के प्राथमिक चालक और वर्तमान परिदृश्य क्या हैं? (GS 2 और 3, 10 अंक, 150 शब्द)
- प्रश्न 9. अप्रत्याशित जलवायु घटनाओं के बीच सटीकता और जन अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाने में भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? (GS 1 और 3, 10 अंक, 150 शब्द)
- प्रश्न 10. डिजिटल भारत निधि (DBN) का उद्देश्य सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी को बढ़ाने और कम उपयोग की चुनौतियों का समाधान करना है। टिप्पणी करें। (GS 3, 15 अंक, 250 शब्द)
- प्रश्न 11. सौर ऊर्जा रूपांतरण के मूलभूत वैज्ञानिक सिद्धांत क्या हैं? सौर प्रौद्योगिकी के व्यावहारिक अनुप्रयोग लागत और पर्यावरणीय कारकों के साथ दक्षता को कैसे संतुलित करते हैं? (GS 3, 15 अंक, 250 शब्द)
- प्रश्न 12. मृदभांड (मिट्टी के बर्तन) भारतीय संस्कृति के हमारे ज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक हैं। प्राचीन भारत में मृदभांडों के विकास पर चर्चा करें। (GS 1, 15 अंक, 250 शब्द)

- प्रश्न 13. भारत में साक्षरता दर बढ़ाने की दिशा में विभिन्न शिक्षा नीतियों पर चर्चा करें। कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ उनके कार्यान्वयन और परिणामों में बाधा डालती हैं? (GS 2, 15 अंक, 250 शब्द)
- प्रश्न 14. व्यक्तियों के लिए गिग कार्य की प्राथमिक कमजोरियाँ और लाभ क्या हैं? गिग अर्थव्यवस्था पारंपरिक रोजगार मॉडल और श्रमिक सुरक्षा को कैसे चुनौती देती है? (GS 3, 15 अंक, 250 शब्द)
- प्रश्न 15. भारत वैश्विक दक्षिण की आवाज़ के रूप में उभर रहा है। व्याख्या करें कि वैश्विक दक्षिण का उदय वैश्विक व्यवस्था में किस प्रकार परिवर्तन ला रहा है। (GS 2, 15 अंक, 250 शब्द)
- प्रश्न 16. वैश्विक और क्षेत्रीय संघर्ष किस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध में परिवर्तित हुए? प्रथम विश्व युद्ध के तात्कालिक और दीर्घकालिक परिणाम क्या थे? (GS 1, 15 अंक, 250 शब्द)
- प्रश्न 17. जैव ईंधन क्या हैं? वर्तमान समय में जैव ईंधन को अपनाने के महत्व और जैव ईंधन से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। (GS 3, 10 अंक, 150 शब्द)
- प्रश्न 18. आर्कटिक क्षेत्र में हुए परिवर्तनों के भारत पर प्रभावों का परीक्षण कीजिए। चर्चा कीजिए कि भारत आर्कटिक क्षेत्र में अपनी सुरक्षा कैसे कर सकता है। (GS 2, 10 अंक, 150 शब्द)
- प्रश्न 19. आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसलें क्या हैं? GM फसलों के लाभों और GM फसलों से जुड़ी प्रमुख चिंताओं पर चर्चा कीजिए। (GS 3, 15 अंक, 250 शब्द)
- प्रश्न 20. सतत विमानन ईंधन (SAF) क्या है, और यह पारंपरिक विमानन ईंधन से किस प्रकार भिन्न है? विमानन क्षेत्र में SAF को अपनाने के प्रमुख पर्यावरणीय लाभ क्या हैं? (GS 3, 15 अंक, 250 शब्द)
- प्रश्न 21. भारत में लड़कियों में स्कूल छोड़ने की दर एक निरंतर चिंता का विषय क्यों बनी हुई है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 इस मुद्दे का समाधान कैसे करती है? (GS 1 और 2, 15 अंक, 250 शब्द)
- प्रश्न 22. भारत में फसल पैटर्न को निर्धारित करने वाले कारकों पर चर्चा करें। देश में फसल पैटर्न में हो रहे बदलावों पर प्रकाश डालें। (GS 3, 15 अंक, 250 शब्द)
- प्रश्न 23. भारत की ऊर्जा सुरक्षा में अफ्रीका के महत्व पर चर्चा करें। भारत अफ्रीका के ऊर्जा विकास में कैसे सहयोग कर सकता है? (GS 2 और 3, 10 अंक, 150 शब्द)
- प्रश्न 24. वर्तमान और भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को अपनाने से जुड़ी पर्यावरणीय चिंताओं का आलोचनात्मक परीक्षण करें। (GS 3, 10 अंक, 150 शब्द)
- प्रश्न 25. भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। भारत में प्रचलित साइबर अपराधों के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालिए। भारत में साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या के पीछे प्रमुख कारकों पर चर्चा कीजिए। (GS 3, 15 अंक, 250 शब्द)

विस्तृत व्याख्या के लिए

क्यूआर कोड स्कैन करें



नोट

CCHAHAH ACADEMY

यूपीएससी-सिविल सेवा परीक्षा

2026/27/28

प्रवेश प्रारंभ

एनसीईआरटी+जीएस+सीसैट
फाउंडेशन बैच के लिए

माध्यम



English

हिंदी

द्विभाषी (Bilingual)

वैकल्पिक
विषय

राजनीति विज्ञान एवं अंतराष्ट्रीय संबंध (PSIR) - भूगोल
समाज शास्त्र - इतिहास - मानव शास्त्र (एंथ्रोपोलॉजी)



चहल एकेडमी, 22-B, ग्राउंड फ्लोर, करोल बाग, मेट्रो पिलर नंबर 112,
ओल्ड राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060

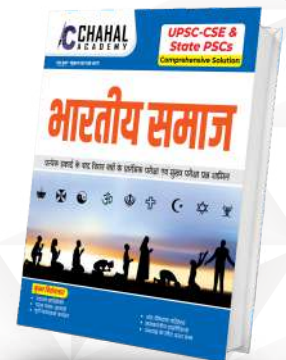
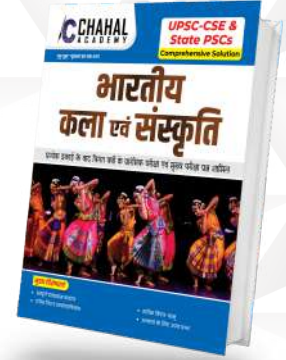
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ☎ 9313218122, 9625993995

हमारी शाखाएँ

नई दिल्ली, अहमदाबाद, आनंद, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, गांधीनगर, गुवाहाटी,
जयपुर, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, नागालैंड, पटना, रायपुर, राजकोट, रांची, सूरत, ठाणे, वडोदरा

चहल एकेडमी द्वारा ब्लू बुक सीरीज

हमारी "ब्लू बुक" सीरीज की पुस्तकें



किसी भी जानकारी या ऑर्डर करने के लिए 9205927650



CHAHAL ACADEMY
(Chahal Academy Pvt. Ltd.)

www.chahalacademy.com
Follow Us

MRP. ₹ 120.00